राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का इकतालीसवां दिवस [संख्या: 20

सोमवार,

21 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में आई.सी.यू. का निर्माण

346. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ जिला चूरू में आई.सी.यू. निर्माण की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की पालना में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.12.2021 द्वारा राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ जिला-चूरू में आई.सी.यू. खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ के वर्तमान भवन में आई.सी.यू. स्थापित करने हेतु स्थान तथा निर्माण किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर आई.सी.यू. निर्माण का कार्य करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ के वर्तमान भवन में आई.सी.यू. स्थापित करने हेतु स्थान तथा निर्माण किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर आई.सी.यू. निर्माण का कार्य करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में आया है कि जो वर्तमान स्थिति है, उसी में ही आई.सी.यू. चलायें। हम जानते हैं कि आई.सी.यू. में गम्भीर मरीज रहते हैं। उस स्थिति के लिए आप जब तक विशेषज्ञ डाक्टर स्वीकृत नहीं करेंगे, जो एनेस्थिसिया के विशेषज्ञ होते हैं, वह लगायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): बिना विशेषज्ञ डाक्टर या स्टाफ के आई.सी.यू. कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया हूं कि आईसी.यू. में कितनी जगह चाहिए। आपको उस हास्पीटल कैम्पस में आई.सी.यू. बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो रही है। कितना लम्बा चौड़ा एरिया उसके लिए?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा, वहां पर स्थान का अभाव है। वहां पर 150 बैड के हास्पीटल की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन अभी हम वहां 100 बैड ही लगा पा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को भरोसा देता हूं कि अगर वहां जगह होगी, मैं मेडिकल टीम भेज दूंगा अधिकारियों की, आपके साथ बैठ कर विचार कर लेंगे। स्थान की वजह से हम वहां पर 150 की जगह 100 ही बैड शुरू कर पाये हैं। जगह नहीं है, बहुत पुरानी है। केवल पांच हजार वर्गफुट में ही वह बिल्डिंग बनी हुई है दो मंजिल की है तो निश्चित रूप से उसमें जगह का तो अभाव है। फिर भी माननीय सदस्य जैसा कहेंगे वैसी कार्यवाही कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने 22.12.2021 को जो आदेश निकाला है, जिसके लिए आपने स्वीकृति जारी की है, वह तो केवल 96 लाख के बजट की है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय नेता महोदय, यह 96 लाख की स्वीकृति निकाली है, लेकिन वह लगाने को जगह

(श्री परसादी लाल)

नहीं है। वहां पर इक्विपमेंट लगायेंगे, एक्स-रे लगायेंगे, वेन्टिलेटर, आई.सी.यू. के जो भी साधन हैं, वह लगायेंगे पर जगह नहीं है वहां। फिर भी माननीय सदस्य कहेंगे, उसके अनुसार हम कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में खरीफ फसल खराबे का बीमा क्लेम

347. श्री कालूराम (डग): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2020-21 में खरीफ की फसल अल्प बारिश व रोग लग जाने के कारण खराब हो गई थी? यदि हां, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने किसानों को कितनी बीमा क्लेम राशि दी गई व कितनों को बीमा क्लेम दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। खरीफ 2016 से राज्य के समस्त 33 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा जारी प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। योजना फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक तथा कटाई उपरान्त 14 दिवस तक ना रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ, जलप्लावन, कीट एवं बीमारियों का व्यापक प्रकोप, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात आदि से होने वाले नुकसान के विरुद्ध बीमा आवरण प्रदान करती है। योजनान्तर्गत अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित फसलों के लिये निर्धारित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के औसत को निर्धारित गारन्टी उपज से तुलना कर फसल उपज में क्षति के अनुपात में बीमा क्लेम भुगतान किये जाते हैं। योजना में तहसील एवं पटवार क्षेत्र को बीमा इकाई निर्धारित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र डग में खरीफ 2020 में 86 करोड़ 4 लाख रुपये का बीमा क्लेम 44 हजार 977 फसल बीमा पालिसी धारक पात्र किसानों को वितरित किया गया है एवं वर्तमान में किसी क्लेम देय पालिसी पर बीमा क्लेम दिया जाना शेष नहीं हैं।

श्री कालूराम (डग): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने 44 हजार 977 पालिसी बतायी हैं जबकि दो पटवार हलकों में एक भी पालिसी का बीमा नहीं मिला। उनमें करीब 5 सौ पालिसी बाकी हैं। पटवार हलका डाबला तथा पटवार हलका कोलवी में अभी तक एक भी किसान को पालिसी नहीं मिली है और एक पटवार हलके

(श्री कालूराम)

को एक यूनिट मानते हैं जबकि अभी वर्तमान में मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। यूनिट नहीं मानते हुए उन्होंने प्रत्येक किसान लगाना होता है 181 पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। अलाउ नहीं करूंगा।

श्री कालूराम (डग): जो किसान बाकी रहे, दोनों पटवार मण्डलों में करीब पांच सौ किसान ऐसे हैं, एक भी किसान को बीमा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, don't repeat it. रिपीट करते जा रहे हो। आपके दो पटवार सर्किल हैं, उनके किसानों के बारे में है। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूराम (डग): इसके बारे में आप बतायें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र में तीन तहसील हैं, डग, गंगधार और पचपहाड़। तीनों का मेरे पास रिकार्ड है। मेरे पास जो रिकार्ड है, उसमें कोई पालिसी, क्लेम बकाया नहीं है, फिर भी आपके पास कोई सूचना है, मुझे निश्चित तौर पर क्वेश्चन आवर के बाद दे दें, मैं आज ही उसका निस्तारण करा दूंगा। हमारे रिकार्ड के अनुसार कोई पालिसी में बीमा देना बाकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

इन्दिरा गांधी नहर से रबी फसल को सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति

348. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर से 12 जनवरी, 2022 से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? क्या सरकार किसानों को रबी की फसल की पकाई हेतु सिंचाई का पानी भी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नहर से रबी की फसल को पानी नहीं मिलने से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 12 जनवरी, 2022 (प्रात: 6 बजे) से 02 फरवरी, 2022 (प्रात: 6 बजे) तक पेयजल एवं अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु नहरों में पानी उपलब्ध करवाया गया है। इसके पश्चात् रबी की फसल की पकाई के दृष्टिगत किसानों से हुए समझौते (4 बारी) के अतिरिक्त दिनांक 04

(जल संसाधन मंत्री)

फरवरी, 2022 (सायं 6 बजे) से 02 मार्च, 2022 (प्रात: 6 बजे) तक एक बारी और (पांचवीं बारी) पानी दिया गया। वर्तमान में आगामी नहरबंदी से पूर्व दिनांक 02 मार्च, 2022 (प्रात: 6 बजे) से 20 मार्च, 2022 (प्रात: 6 बजे) तक नहरों में पेयजल भण्डारण व सिंचाई की आवश्यकता (छठी बारी) के मद्देनजर 75 प्रतिशत क्षमता से नहरों में पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) रबी फसल को पानी उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में किसानों से हुए समझौते के अनुसार चार बारी के विरुद्ध छठी बारी तक भी पानी उपलब्ध करवाये जाने से फसलों को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार फसली चक्र के अनुसार नहरी पानी रेगुलेशन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना कर किसानों की मांग के अनुसार रेगुलेशन बनाने का विचार रखती है? क्या सिंचाई पानी के रेगुलेशन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है, जिससे कि किसानों को उनकी बारी के अनुसार पानी मिल सके और पता चल सके कि उनकी बारी कब है? क्योंकि समय पर रेगुलेशन जारी नहीं होता है और जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि फसलों को नुकसान की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इस बार समय पर पानी नहीं मिलने के कारण क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ है कि मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि क्या सर्वे करवा कर उन किसानों का, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई करने या उनको मुआवजा देने का सरकार कोई विचार रखती है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ में पहले समझौता हुआ था चार पानी देने का, लेकिन वर्तमान में हमने छह पानी दिया है। मेरे पास टेबल है। 23.09.2021 से 27.10.2021 एक पानी, 27.10.2021 से 22.11.2021 तक दूसरा पानी, 22.11.2021 से 17.12.2021 तक तीसरा पानी, 17.12.2021 से 12.01.2022 तक चौथा पानी, 04.02.2022 से 02.03.2022 तक पाँचवाँ पानी और 02.03.2022 से 20.03.2022 तक छठा पानी। मतलब इस 20 तारीख तक लगातार हमने पानी दिया है और किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की हमारे पास कोई खबर नहीं है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जब रबी की फसल का बिजाई का समय आया था, उस टाइम चीफ इंजीनियर ने मना कर दिया था कि इस बार

(श्रीमती संतोष)

किसान बिजाई नहीं करे क्योंकि डैम में पानी कम है। उसके बाद एक-एक करके रेगुलेशन बनाते हैं और फिर पानी देते हैं। जब बिजान ही नहीं हुआ, किसानों का जो नुकसान हो चुका है, उसका क्या होगा? उसके बाद में जब चार बारी का आपने बोला तो उस पानी को किसान कहां लगायेगा? समय पर रेगुलेशन जारी करके किसान को पानी देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका सीधा प्रश्न है कि जब पानी की उपलब्धता है तब आप पहले इन्फार्म कर दें तो काश्तकार उतना करें। आप पानी की उपलब्धता के साथ नहीं करते हैं, बिजाई नहीं होती है। फिर आप पानी उपलब्ध कराते हो, उससे नुकसान होता है। उसकी व्यवस्था करेंगे, यह प्रश्न है इनका।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि बीबीएमबी के चेयरमैन राजस्थान में आये थे, उस वक्त हमने मांग उठायी थी कि हमको अतिरिक्त एक पानी और दिया जाये। हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमको एक पानी अतिरिक्त दे दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। पानी की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है उनका। किसान को यह जानकारी होनी चाहिए कि इतना पानी उपलब्ध है, उसी हिसाब से वह बिजाई करें। इसके बारे में क्या विभाग पहले से उनको नोटिफाई करेगा? That's all.

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 पानी का ही समझौता हुआ था, लेकिन मेरा निवेदन है कि हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे और किसानों को समय-समय पर अवगत कराते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

प्रश्न संख्या-349

अगला प्रश्न। श्रीमती गायत्री।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा में किसानों की साख सीमा

350. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों, ग्राम

(श्री नारायण सिंह देवल)
सेवा सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले फसली ऋण की अधिकतम साख सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के किस-किस गांव में कितने-कितने किसानों की अधिकतम साख-सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकतम किसानों की फसली ऋण साख सीमा 10 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक ही है तथा जो उनको दो से तीन किश्तों में दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की साख सीमा बढ़ाकर न्यूनतम 50 हजार रुपये करने एवं एकमुश्त ऋण दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। यह सही है कि जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालौर से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषक सदस्यों के अल्पकालीन फसली ऋण हेतु अधिकतम साख-सीमा रुपये 1.50 लाख तक निर्धारित है।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल 1909 किसानों की खरीफ अथवा रबी फसल हेतु रुपये 1.50 लाख तक अल्पकालीन फसली ऋण साख-सीमा निर्धारित/स्वीकृत है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण अन्तर्गत जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार निर्धारित मापदण्ड, आवेदक की भूमि का आकार एवं आवेदक द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर खरीफ तथा रबी फसल हेतु पृथक्-पृथक् अधिकतम साख सीमा रुपये 1.50 लाख तक स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत अधिकतम साख सीमा एवं बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर कृषकों को ऋण स्वीकृत किया जाता है।

सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 अन्तर्गत स्वीकृत ऋण का कृषक सदस्य द्वारा एकमुश्त अथवा अपनी आवश्यकतानुसार ऋण आहरण किया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो परिशिष्ट-1 में रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 1909 किसानों की लिस्ट दी है। जिनकी अधिकतम साख सीमा डेढ़ लाख रुपये बतायी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने काश्तकारों को डेढ़ लाख रुपया दिया? क्या सरकार किसानों की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के अनुसार ऋण देने का विचार रखती है या नहीं? यदि रखती है तो कब से देना चालू करेंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जहां तक डेढ़ लाख रुपये ऋण कितने किसानों को दिया गया, इसका परिशिष्ट पर पूरा विवरण है। आप इसको देख सकते हैं। कितने काश्तकार हैं, इनकी संख्या का आंकलन आप कर सकते हैं। अलग-अलग किसानों की संख्या नहीं, लेकिन परिशिष्ट में सब उपलब्ध है।

बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हम साख सीमा के बराबर ऋण देने का विचार रखते हैं। जब हमारे पास फाइनेन्स की पूरी व्यवस्था हो जायेगी, जितनी साख सीमा है वहां तक का ऋण देंगे।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने परिशिष्ट-1 दिया है, इसमें 1909 किसान बताये हैं। इसमें एक भी काश्तकार को डेढ़ लाख रुपया नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसके 'ब' भाग में जवाब दे दिया है। माननीय कटारिया जी। 'ब' भाग पढ़ लें आप। जवाब दे दिया है। पैसे उपलब्ध ही नहीं हैं, कहां देंगे। आप दूसरा भाग पढ़ लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो डेढ़ लाख तक के बिना ब्याज के देने की जो योजना थी, उसमें किसान समय पर जमा कराता था और फिर वापस लेकर के अपना काम ठीक तरह से करता था, लेकिन क्या यह सच है कि जो आपका 2021-22 का बजट है, उसमें आपका 4,489 करोड़ रुपये का संशोधित बजट था। वह आपने 2022-23 में आकर के उसका जस्ट आधा 2,337 करोड़ कर दिया। इसका मतलब जिस ढंग से आप पैसा देने वाले थे, वही आपने आधा कर दिया, इसके कारण से आप एक लाख या डेढ़ लाख की जो सीमा है, उसको कवर नहीं कर पा रहे हो।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। पहले के मुकाबले किसानों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। इस कारण से उपलब्धता कम है। ऑनलाइन पंजीयन की वजह से पहले किसानों की तादाद बहुत कम थी। अब किसानों की तादाद बढ़ी है इसलिए बराबर वितरण नहीं हो रहा है। पहले हमारा टार्गेट 16 हजार करोड़ का था, जिसको हमने साढ़े 18 हजार करोड़ किया है। इस साल 20 हजार करोड़ तक देने का विचार है। अब आगे रखते हैं। अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोई कमी इसमें नहीं हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि बजट प्रोविजन ही, जो मैंने बजट से निकाला है 2021-22 का, बजट अनुमान आपने इसके लिए 3,718 करोड़ रखा। इसमें आपके लास्ट में आकर 2021-22 का 4,489 करोड़ रुपया हो गया था। इसके लिए रखा हुआ था। अब 2022-23 का जो बजट अनुमान आपका है, वह 2,337 करोड़ का ही है। इसका मतलब जो बजटीय अनुमान आपका घट रहा है, उसके कारण से देने में असमर्थ हो रहे हो या और कोई कारण है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बजट के कारण देने में असमर्थ नहीं हैं। नाबार्ड से जो धन हमें उपलब्ध होता है, उसके आधार पर हम ऋण वितरित करते हैं। 60 परसेंट नाबार्ड देता है और 40 परसेंट राजस्थान सरकार का अंशदान रहता है। उस अनुसार हम ऋण वितरण बराबर करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, साधन उतने ही हैं। किसानों की संख्या बढ़ गयी है इसलिए उसका अमाउंट कम जा रहा है। ऑनलाइन के कारण किसानों की संख्या बढ़ गयी है।

अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

भीलवाड़ा में राशन की दुकानों को एक-दूसरे से जोड़ने पर कार्यवाही

351. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह भी सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के रिक्त होने पर अस्थाई रूप से उक्त दुकान के उपभोक्ताओं को अन्य दुकान के साथ जोड़ (Attach) दिया जाता है? यदि हां, तो वर्तमान में जिला भीलवाड़ा में ऐसी कितनी दुकानें हैं जिनको अन्य दुकानों से जोड़ा (Attach) हुआ है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि दुकान जोड़ने (Attach) के मापदंड बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त मापदंडों का उल्लंघन करते हुए जोड़ी (Attach) की गई दुकानों के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मापदंडों की कड़ाई से पालना नहीं कराने हेतु दोषी अधिकारियों को दंडित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में कुल 24 उचित मूल्य दुकानों को अन्य दुकानों से अटैच किया हुआ है। अटैच उचित मूल्य दुकानों का दुकानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेन्ट किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 24.08.2020 को आदेश जारी किये गये हैं। भीलवाड़ा जिले में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही उचित मूल्य दुकानों को अटैच किया गया है।

(3) जी हां। विभागीय मापदंडों की अवहेलना होना पाये जाने पर नियमानुसार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में रिक्त दुकानों पर राशन डीलरों का चयन कब तक कर लिया जायेगा? राशन डीलरों के चयन सलाहकार समिति...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिलेवेंट प्रश्न। जो पूछा है उसी की सप्लीमेन्ट्री पूछें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): रिक्त दुकानों पर चयन कब तक कर लिया जायेगा? मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): रिक्त दुकानों के चयन की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही डेट डिसाइड करके रिक्त दुकानों का चयन कर लिया जायेगा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चयन प्रक्रिया में आबंटन सलाहकार समिति में माननीय सदस्य, विधायकगणों को रखने का सरकार विचार रखती है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकगण अपने सुझाव मेरे पास लिखकर भेज दें। आप क्या चाहते हैं? किस तरह से आबंटन चाहते हैं? किसको उसमें शामिल करना चाहते हैं? आपके सुझावों को, विधायकों के सुझावों को सम्मान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वाजिब अली।

नगर में मदरसों को देय अनुदान

352. श्री वाजिब अली (नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 व 2021-22 में मदरसा बोर्ड को कितना अनुदान दिया गया व मदरसा बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर में कितने मदरसों को कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सरकार द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड को दिये गये अनुदान एवं राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर के मदरसों को दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो अनुदान की लिस्ट परिशिष्ट-2 पर दी गयी है, यह किस साल की है? इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना अनुदान दिया गया है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): आपने 2 वर्ष की जानकारी मांगी है। वर्ष 2020-21 में हमने 2.50 करोड़ दिया है और 2021-22 में 25 करोड़ का अनुदान दिया है।

श्री वाजिब अली (नगर): अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी परिशिष्ट-2 में दी गयी है मदरसा वाइज, इसमें यह सारी जानकारी 2020-21 की है। 2021-22 में कोई अनुदान नहीं मिला है, क्या यह बात सही है? अगर नहीं मिला है तो क्या कारण रहे कि पूरे साल में कोई अनुदान नहीं मिल पाया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उन्होंने 2021-22 का भी पूछा है। 2 का ही दिया है। तीसरे का जवाब नहीं दिया है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2021-22 की प्रक्रियाधीन है। उसकी हम ए.एस. जारी कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: 2021-22 का तो मार्च में महीना खतम हो जायेगा।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): उसमें पूरी कन्फर्म प्रक्रिया हो गयी है। उसमें टी.एस. और एफ.एस. जारी करना बाकी है।

श्री वाजिब अली (नगर): मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि पूरे साल के अन्दर कोई भी राशि खर्च नहीं हुई है? क्या यह सही बात है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): इसकी स्वीकृति हम जारी कर चुके हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि 2021-22 की ए.एस. हमारी तरफ से जारी हो चुकी है। उसमें जो आधारभूत संरचना है उसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। सामग्री मद का पैसा जो है, उसका अभी तक फाइनेन्स में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 2021-22 में कितनी राशि रिलीज हो चुकी है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): 2021-22 में अभी तक 17 करोड़ के लगभग..

श्री अध्यक्ष: इसमें यह मेंशन करना चाहिए न, इसमें क्या तकलीफ है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): सर, इन्होंने अनुदान के बारे में पूछा है। इन्होंने डिटेल से नहीं पूछी थी। अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति जो आधारभूत संरचना है, उसके लिए 17 करोड़ की प्रक्रिया जारी है। बाकी जो सामग्री मद का पैसा है, उसके लिए हमारा फाइनेन्स से चल रहा है। जल्दी ही उसकी भी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रशासनिक, जैसे आपने 2020-21, 2021-22 का जवाब दिया है, ढाई करोड़, 25 करोड़, ऐसे ही मार्च महीने तक आपने कोई स्वीकृति निकाली होगी? उसका अमाउंट इस प्रश्न में मेंशन करना चाहिए।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): सर, मैं अलग से इनको डिटेल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जगसी राम।

सिरोही में औद्योगिक क्षेत्र

353. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही में वर्तमान में कौन-कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां विकसित है एवं उनमें किस-किस प्रकार के उद्योग संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में औद्योगिक विकास हेतु विगत पांच वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कितनी धनराशि का किस-किस उद्योग में विनियोजन हुआ व क्षेत्र के कितने लोगों को रोजगार मिला? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में औद्योगिक विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) रीको द्वारा वर्तमान में जिला सिरोही के तीन विधान सभा क्षेत्र यथा सिरोही, रेवदर, पिण्डवाड़ा-आबू में 15 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 10 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं व 02 औद्योगिक क्षेत्र अविकसित स्थापित हैं एवं 03 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विकास कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को नया आयाम देने एवं आगन्तुक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु निम्न योजना संचालित की जा रही है:-

(अ) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019

(ब) मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019

(उद्योग मंत्री)

उद्योग में हुए विनियोजन व रोजगार का विवरण

क्र.सं	**वर्ष**	**नियोजन**	**विनियोजन**
1.	2016-17	4872	17486
2.	2017-18	5145	19196
3.	2018-19	5342	18882
4.	2019-20	7042	20918
5.	2020-21	2895	9193
	योग	**25303**	**85675**

औद्योगिक इकाईवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सिरोही जिले के औद्योगिक विकास हेतु विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक इन्वेस्ट समिट योजना का निर्णय लिया गया था, उसकी पालना में इस जिले में दिनांक 10.01.2022 को आबूरोड में इन्वेस्ट समिट, सिरोही में आयोजित किया गया जिसमें 40 MOU व 4 LoI पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें लगभग 700 करोड़ विनियोजन तथा 1700 के करीब नियोजन आपेक्षित है।

राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिये जाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गयी है जो कि दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निवेश अनुदान एसजीएसटी का 75 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ व ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मण्डी शुल्क भूमि कर में 7 वर्षों के लिए शत प्रतिशत छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में शत प्रतिशत छूट के प्रावधान हैं।

योजनान्तर्गत अति पिछड़े एवं पिछड़े क्षेत्रों में निम्न अधिक परिलाभ देय हैं:-

(1) तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु (अधिकतम 10 वर्ष के लिए) देय निवेश एवं रोजगार सृजन अनुदान,

(2) तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु (अधिकतम 10 वर्ष के लिए) देय विद्युत कर में छूट,

(उद्योग मंत्री)

(3) अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान (यदि उद्यम ब्याज अनुदान हेतु पात्र है),

(4) देय अनुदान की अधिकतम सीमा पात्र निवेश राशि के 150 प्रतिशत तक (100 प्रतिशत के स्थान पर)1

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु डा. बी. आर. अम्बेडकर स्पेशल पैकेज के तहत अतिरिक्त परिलाभ निम्नानुसार देय हैं:-

(1) योजना के अन्य प्रावधानों में पात्र निवेश सीमा 50 प्रतिशत तक कम

(2) प्लांट एवं मशीनरी या इक्यूपमेंट्स हेतु लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक (अधिकतम 25 लाख रु. प्रति वर्ष) अथवा प्लांट एवं मशीनरी या इक्विपमेंट्स में किये गये निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम 2 करोड़ रुपये),

(3) देय कुल लाभ पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 150 प्रतिशत के स्थान पर 200 प्रतिशत तक देय।

अति पिछड़े एवं पिछड़े क्षेत्रों में डा. बी. आर. अम्बेडकर स्पेशल पैकेज के परिलाभ भी देय हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने 15 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित बताये हैं। उनमें से 2 विकसित और 3 अविकसित बताये हैं। आपके इस जवाब के अन्दर जो संलग्न है, उसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कौनसे 2 विकसित हैं और कौनसे 3 अविकसित हैं, वो आप मुझे बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए इनके 40 एम.ओ.यू. का बताया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए, रेवदर पंचायत समिति में कितने एम.ओ.यू. किये हैं? यदि नहीं किये हैं और करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहला पूछा है कि ये जो 15 हैं, 10 अविकसित हैं, इनकी डिटेल है वो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

संलग्न है। आपने रेवदर का पूछा है, उसकी भी संलग्न है। उसमें 5 अभी चालू हैं और जो एम.ओ.यू. साइन हुए हैं उनका अभी प्रक्रियाधीन हैं। प्रक्रिया जब पूरी हो जायेगी तो आपको सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जो पहला भाग पूछा है उसमें 2 औद्योगिक क्षेत्र अविकसित हैं और 3 औद्योगिक क्षेत्र अविकसित हैं, उनके नाम पूछे हैं माननीय सदस्य ने।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): उनकी डिटेल पढ़कर बता दूं? इसमें लिखा हुआ है पूरा। पूरी डिटेल है इसमें कि कितने विकसित हैं, कितने अविकसित हैं, पूरे बताये हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अविकसित है और नहीं है, वो तीनों की सूचना कौनसे पृष्ठ पर है, वह आप बता दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है, पूरी डिटेल इसमें है कि सिरोही के कितने अविकसित हैं, कितने विकसित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, विकसित के इसमें नाम हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो अविकसित हैं और जो विकसित करने वाले हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल दूं ये सारे अविकसित?

श्री अध्यक्ष: विकसित और अविकसित के नाम बोल दिये, उत्तर है खाली विकसित का ही।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही-रेवदर के बोल दूं?

श्री अध्यक्ष: बोलें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): मण्डार में इंजीनियरिंग बर्तन स्टील आधारित, फैब्रिक्स, स्टोन मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन आर्टिकल्स, सीमेंट ब्रिक्स, ग्वार गम, ईसबगोल, एवीएस रेंजिन, पॉलीबैग्स, एग्रो आधारित पशु आहार, डेयरी उत्पाद इत्यादि की है। ये कहां-कहां पर हैं, मण्डार, अर्बूदा, आबू रोड, अम्बाजी-आबू रोड, ग्रोथ सेंटर-प्रथम चरण, आबू रोड, ग्रोथ सेंटर-द्वितीय चरण, आबू रोड, रेवदर में स्थापित हैं ये।

श्री अध्यक्ष: उत्तर में लिखा है ये, आप यह सब देख लो। माननीय सदस्य, उत्तर में लिखा हुआ है, आप देख लें। आप प्रश्न पूछें। उत्तर में लिखा हुआ है, सिरोही-अविकसित है, शिवगंज-अविकसित है, बड़गांव-विकासाधीन है, यह लिखा हुआ है, आप प्रश्न पूछो।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अविकसित नहीं है उसमें, मेरे पास में यह जवाब पूरा आया हुआ है। इसमें पूरे जिले का है लेकिन अविकसित वाला एक भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि रेवदर पंचायत समिति के लिए आज तक औद्योगिक क्षेत्र के लिए आपने कौनसी योजना बनायी है और नहीं बनायी तो क्यों नहीं बनायी और बनायेंगे तो कब बनायेंगे?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवदर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो योजना बनानी है, वह हमारे पास जो भी एम.ओ.यू., एल.ओ.आई. आये हैं उनके प्रक्रियाधीन हैं, जब हमारा समिट होगा राजस्थान का तो आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल मीना।

जमवारामगढ़ में परिवहन व्यवस्था से वंचित ग्राम पंचायतें

354. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में परिवहन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त व्यवस्था किस मापदण्ड पर की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन व्यवस्था से जोड़ रखा है तथा कितनों को वंचित रखा गया है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पहले से चल रही परिवहन बसों को बंद किया गया है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में उक्त बसों को बंद किया गया तथा उक्त को बंद करने के क्या कारण रहे? क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत फूटोलाव में पूर्व में संचालित रोडवेज बस को यात्रीभार में लाभ देने के उपरान्त भी बन्द कर दिया गया है? यदि

(श्री गोपाल लाल मीना)

हां, तो क्या सरकार पुनः परिवहन बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में 6 अधिसूचित मार्गों पर निजी बसों को 50 अनुज्ञा पत्र जारी है। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम के उपलब्ध संसाधनों एवं संचालित मार्ग से प्राप्त होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जन सामान्य को बेहतर यात्री परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु वाहन संचालन किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़े हुए ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट "3' पर तथा निगम की बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

निजी परिवहन सेवा से जुड़ी और वंचित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बन्द की गई निगम बसों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट '6' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव में पूर्व में संचालित निगम वाहन का संचालन कम आय एवं यात्री भार के कारण बंद किया गया था।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण पूर्व में संचालित बस सेवा को पुनः प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत फूटोलाव में रोडवेज बस पूर्व में झालाना डूंगरी आगार से संचालित होकर प्रोफिट में थी। उक्त आगार के बन्द होने की वजह से उक्त बस को बन्द कर

(श्री गोपाल लाल मीना)

दिया गया। क्या यह सही है कि फूटोलाव में बस चलने से उक्त मार्ग पर करीबन 20-25 गांवों की जनता को लाभ होगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो बसें बन्द हुई थीं उनको सरकार पुन चालू करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): फूटोलाव पंचायत में जो हमारी बस सेवा थी उसमें 17 रुपये से लेकर 19 रुपये तक की आय बस को होती थी। यात्री भार था उसमें 42 से लेकर 45 परसेंट तक, तो वो घाटे में चल रही थी इसलिए उसको बन्द किया गया और कोरोना काल में जो बसें बन्द हुई हैं, अब स्थिति सामान्य होने पर गुणावगुण के आधार पर पुन: संचालित करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 355

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में लम्बित विद्युत कनेक्शन

356. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किस-किस श्रेणी में कितने-कितने विद्युत कृषि कनेक्शन के आवेदन लम्बित हैं? उक्त में से कितनों में मांग पत्र जारी किये गये व कितनों में मांग पत्र शेष है तथा कितने कृषि विद्युत कनेक्शन मांग पत्र जमा होने के पश्चात् भी लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामान्य वर्ग श्रेणी के 31 दिसम्बर, 2012 तक आवेदकों तथा बून्द-बून्द/फव्वारा/डिग्गी योजना श्रेणी एवं अनुसूचित जाति श्रेणी में माह फरवरी, 2022 तक लम्बित आवेदकों के सापेक्ष में जारी किये गये मांग पत्र व

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

शेष मांग पत्र जारी करने का उप खण्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ-1', 'अ-2' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सभी मांग पत्र जमा आवेदकों को सामान की उपलब्धता के अनुसार वरीयतावार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

साथ ही बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में सामान्य योजना के दिनांक 01.01.2013 से 22.02.2022 तक के सामान्य श्रेणी के 1761 लम्बित कृषि आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी कर आगामी दो वर्षो में कृषि कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कृषि कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा होने के कितने दिनों में किसानों को बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अलग-अलग श्रेणीवार हैं। सामान्य श्रेणी के जो कृषक हैं, जिनके दिसम्बर 2012 तक के डिमांड नोटिस निकाले गये और उनकी डेट आफ एप्लीकेशन के अनुसार वरीयता सूची बनायी गयी है। सामान की उपलब्धता के अनुसार हम किसानों को कनेक्शन देते हैं। विभाग के द्वारा और अभी जो लम्बित जितने भी कृषि कनेक्शन हैं जो सामान्य श्रेणी के हैं, उनको मार्च 2022 के अन्त तक सभी कृषि कनेक्शन पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या विभाग डिमांड राशि जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, खम्भे, तार वगैरह समय पर उपलब्ध नहीं करवाता है? (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के जवाब में भी अभी पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि 2012 की जो कट आफ लिस्ट है उसके आधार पर क्रमश: नम्बर के अनुसार सामान जैसे-जैसे उपलब्धता हो रहा है उसके अनुसार हम दे रहे हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में भी अधिकांश कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। जो लम्बित

(श्री भंवर सिंह भाटी)

कृषि कनेक्शंस हैं, जो सामान्य श्रेणी के हैं, उन्हें मार्च, 2022 के अन्त तक और बून्द-बून्द श्रेणी, फव्वारा या अन्य श्रेणी जैसे एस.सी. आदि के जो कनेक्शंस हैं, वे भी जून, 2022 तक किये जाने प्रस्तावित हैं।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। आपका अब सोल्युशन हो गया, फिर क्या प्रोब्लम पूछ रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह डिमांड नोट तो तभी जमा होता है, जब आप उसे कनेक्शन देने की स्थिति में होते हैं। जब फरवरी, 2021 में डिमांड नोट जमा हो गये, आज हम मार्च, 2022 में चल रहे हैं, इनके नहीं होने के पीछे क्या कारण रहे?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में माह दिसम्बर, 2018 से फरवरी, 2022 तक सामान्य योजना में सामान्य वर्ग श्रेणी के 326, एस.सी. के 472 और बून्द-बून्द श्रेणी के 466, कुल 1264 कृषि कनेक्शंस 2018 से 2022 तक जारी किये गये। वहीं, यदि हम तुलना करें पिछले पांच सालों की तो विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में दिसम्बर, 2013 से...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, to the point जवाब दें प्लीज। जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दें। पांच साल का कम्पेयर करने की जरूरत नहीं है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सर, वह इसलिये निवेदन करना चाह रहा था कि हमने पिछले तीन सालों में 1264 कनेक्शंस दिये हैं और इनके समय में 708 कृषि कनेक्शंस दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक बार वापस प्रश्न सुन लें। कटारिया जी, आप बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने छोटा-सा प्रश्न पूछा कि जिनका पैसा डिमांड जारी होने के बाद जमा हो गया फरवरी, 2021 में ही, उन्हें आज मार्च, 2022 तक भी कनेक्शन क्यों नहीं मिला? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खाली इसी विधान सभा क्षेत्र का पूछ रहे हैं जनरल। (व्यवधान) माननीय प्रताप सिंह जी, मतलब मैं कहां बैठाऊं आपको? माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में लम्बित कृषि कनेक्शंस की संख्या बहुत कम है जिसके बारे में मैंने अभी निवेदन किया कि सामान्य के हम मार्च में कर देंगे और बाकी जून तक कर देंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल है, उसमें उनका यह कहना था कि यह देरी क्यों होती है? सामान की उपलब्धता, पहले डिमांड नोटिस निकाले जाते हैं, दिसम्बर, 2012 के कनेक्शन देने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी और उसमें 50 हजार कृषि कनेक्शंस...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, डिमांड निकालते समय विभाग को क्या यह असेसमेंट नहीं है कि कितना सामान चाहिये होगा? जब आप डिमांड निकालते हैं तो इसका फोरगॉन कन्क्लूजन है कि विभाग के पास सब सामान उपलब्ध है, इसलिये वे पूछ रहे हैं कि एक साल तक इतने कनेक्शंस नहीं होने के क्या कारण हैं? That's all.

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जो 2012 की लिस्ट है, उसके अनुसार पिछले कई वर्षो से डिमांड निकाली जाती है और डिमांड हम निकालते हैं तो उसमें सभी किसान डिमांड भरते भी नहीं हैं, बहुत सारे किसान अलग-अलग योजनाओं में कनेक्शन भी लेते हैं तो जितने किसानों की डिमांड भरी जाती हैं, उसके अनुसार टेंडर की प्रक्रिया भी की जाती है और कोविड के बावजूद जो हमारा लक्ष्य था 50 हजार का बजट घोषणा में, हमने 67 हजार कनेक्शंस दिये हैं और जो बाकी रह गये कनेक्शंस है, उनके लिये भी मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, मार्च एंड तक सभी सामान्य श्रेणी के कनेक्शंस कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? माननीय मंत्री जी, आप बैठें प्लीज। ये सिंपली पूछ रहे हैं, रायसिंहनगर के कनेक्शंस एक साल तक पेंडिंग थे, डिमांड नोटिस निकाल दिये, फिर डिले क्यों हुआ? That's all.

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड की वजह से सारे काम डिले हुए हैं, उसके बावजूद हमने मैग्जिमम करने का प्रयास किया है और अभी मार्च एंड तक सारे कृषि कनेक्शंस कर दिये जायेंगे। आने वाले दो सालों में माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान के फरवरी, 2022 तक के तमाम कृषि कनेक्शंस देने की घोषणा की है और आने वाले दो सालों में पिछले दो सालों के जितने भी लम्बित कृषि कनेक्शंस हैं, उन्हें जल्द से जल्द करने के लिये हम कार्ययोजना बना रहे हैं और कनेक्शंस करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

होम्योपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती

357. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के प्रत्येक जिले में किस स्तर के कितने होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय हैं तथा विगत तीन वर्षों में कितने नये चिकित्सालय प्रारम्भ किये गये हैं?

(2) प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं परिचारकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? चिकित्सकों एवं परिचारकों की अन्तिम बार नियुक्तियां कब की गयीं व कितनी संख्या में की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में होम्योपैथी चिकित्सा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या विशिष्ट कार्य किये गये एवं उनके परिणाम क्या रहे?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) होम्योपैथिक विभागान्तर्गत दो प्रकार की चिकित्सा इकाइयां यथा चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की सूचना संलग्न-1 पर है।

विगत तीन वर्षों में कोई नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं खोला गया है एवं विगत तीन वर्षों में खोले गये होम्योपैथिक औषधालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

i. वर्ष 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर परिसर में होम्योपैथिक औषधालय खोला गया।

ii. वर्ष 2021 में मुरलीपुरा, जयपुर में नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोला गया।

(2) होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 13 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1 पद रिक्त है एवं परिचारकों के 11 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 पद रिक्त हैं। पदों की विस्तृत सूचना संलग्न-2 पर है।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने हेतु विभाग द्वारा अन्तिम विज्ञप्ति संख्या 6/2013 से 50 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसके तहत नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। परिचारक के पद पर विभाग द्वारा वर्ष 2014 में 01 मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(3) सूचना संलग्न-3 पर है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज जो हैं, उनमें चिकित्सकों एवं कार्मिकों के जिलानुसार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या क्या है और अन्तिम बार इनकी नियुक्तियां कब की गयी थीं?

श्री अध्यक्ष: रेलेवेंट प्रश्न पूछें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हॉस्पिटल्स की बतायी गयी है, पर डिस्पेंसरीज के बारे में...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न जो पूछेंगे, उसका नया उत्तर आयेगा। जो आपको लिखकर दिया है, उसी का सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): होम्योपैथिक डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मेडिसिन का कोई नाम नहीं लिखा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट दूसरे डॉक्टर्स से परामर्श...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज रेलेवेंट प्रश्न पूछें प्लीज। आप नये सदस्य हैं, सीखें। प्रश्न जो आपने पूछा है, उसका उत्तर आया, उसकी सप्लीमेंटरी पूछें। अलग प्रश्न पूछना है तो लिखकर देना पड़ेगा अलग। जिस प्रश्न का उत्तर आया है, उसी की सप्लीमेंटरी पूछें प्लीज। माननीय सदस्य, आप हिम्मत कर लेंगी, but please be relevant. मैं पूछ लेता हूं आपकी जगह।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अच्छा ठीक है। आप पूछ लें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, मैं बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपसे प्रश्न ही नहीं पूछा, बता क्या रहे हैं? माननीय मंत्री जी, सीधा प्रश्न यह है कि 2014 में आपने 11 पद की निकाली। आज 2022 चल रहा है। एक को आपने अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी है। बाकी की भर्ती कब तक पूरी हो जायेगी?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): महोदय, पहले इस होम्योपैथिक कैडर का निर्धारण नहीं था। 2021 की पालिसी के तहत कैडर का

(डा. सुभाष गर्ग)

निर्धारण कर दिया गया है। प्रमोशंस जो हैं, एस.एम.ओ. फर्स्ट और सैकंड, एस.एम.ओ. सैकंड के प्रमोशंस हो गये हैं, एस.एम.ओ. फर्स्ट के प्रमोशंस होना बाकी हैं। जैसे ही प्रमोशंस की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तो हम एम.ओ. के पदों की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। परिचारकों की विज्ञप्ति के लिये फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव भेज दिये गये हैं पदों की भर्ती के लिये।

श्री अध्यक्ष: परिचारकों के पद कब से रिक्त हैं? माननीय सदस्या, आप सीखेंगी तो ठीक रहेगा, सप्लीमेंट कर रहा हूं मैं ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आपके वाया ही राजसमन्द आयेगा।

श्री अध्यक्ष: इसीलिये सपोर्ट कर रहा हूं मैं। ट्रेनिंग आपने पूरी नहीं दी, इसलिये मैं दे रहा हूं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, मैं बता दूं आपको। कुल जो हमारे विभाग में चिकित्सकों के 303 पद स्वीकृत हैं, 244 भरे हुए हैं और 59 पद रिक्त हैं। कम्पाउंडर के 212 पद स्वीकृत हैं, 159 भरे हुए हैं और 53 रिक्त हैं। परिचारकों के 109 पद स्वीकृत हैं, 47 भरे हुए हैं और 62 रिक्त हैं। परिचारकों का मैंने बताया आपको, प्रस्ताव भेज दिये गये हैं फाइनेंस को। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी, हम विज्ञप्ति दे देंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। कम्पाउंडर के भी भेज दिये गये हैं। चिकित्सकों का मैंने बताया, जैसे ही यह डीपीसी होती है, एमओ के पद खाली हो जायेंगे, उसके बाद पदों के विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीराराम।

बिलाड़ा में संचालित अवैध शराब की दुकानें

358. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विगत तीन वर्षों में अवैध शराब की तस्करी व मिलावटी शराब के कितने मामले सामने आये? क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर अवैध शराब बेचने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं हैं? यदि हां तो सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्रवाई की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीराराम)

(2) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में कई धार्मिक स्थानों व विद्यालयों के पास शराब के ठेके संचालित हैं? यदि हां तो कहां-कहां पर? क्या सरकार द्वारा उक्त नियम विरुद्ध संचालित शराब की दुकानों को बन्द करवा दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत तीन वर्षों में अवैध शराब की तस्करी व मिलावटी शराब से संबंधित कुल तीन मामले आये।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अवैध शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अनुसार धार्मिक स्थान व विद्यालय से निर्धारित दूरी से कम दूरी पर जिला जोधपुर में मदिरा के ठेके संचालित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये शराब के जो ठेके हैं, इनकी धार्मिक स्थानों और विद्यालयों से कितनी दूरी तय है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 मीटर की दूरी रखी गयी है नियमों में और उस 200 मीटर की दूरी में कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): अगर 200 मीटर से कम दूरी होगी तो क्या उसमें कार्रवाई की जायेगी?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 200 मीटर से कम दूरी होगी, अगर आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में पशु चिकित्सा केन्द्र

359. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में किस-किस स्थान पर किस-किस श्रेणी के पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(2) उक्त में से किस-किस स्थान पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्साकर्मियों के पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से किस-किस चिकित्सा केन्द्र में कितने-कितने समय से कौन-कौन से पद किन- किन कारणों से रिक्त हैं तथा इनमें से किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से चिकित्सा केन्द्र भवन रहित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने एवं भवन रहित चिकित्सा केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कितनी अवधि में, यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) पाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का स्थानवार एवं श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पाली विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों स्थानवार व रिक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं का सृजन, कार्मिकों के अतिरिक्त पदों का सृजन, कार्मिकों की अनिवार्य/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण विभागीय संस्थाओं में कार्मिकों के पद रिक्त होते हैं।

विधान सभा क्षेत्र पाली की राजकीय भवनविहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु राजकीय भवन निर्माण करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में तो आ गया कि 13 तो आपके चिकित्सालय भवन रहित हैं और 90 परसेंट आपके पद रिक्त हैं। थोड़ा मेहरबानी करो, जितनी जल्दी हो सके, करो क्योंकि मेरे यहां पशुधन बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार आपको बजट भी बहुत दिया है। जब सारे ताली बजा रहे थे, मेजें

(श्री ज्ञानचंद पारख)

थपथपा रहे थे तो थोड़ा इसके लिए भी बजट मांगो और जितनी जल्दी हो सके, ये रिक्त पद और भवन बन जाएं, इसकी व्यवस्था करो।

माननीय मंत्री महोदय, एक मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इलाके में पशुधन की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरी तीन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं..

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न ही पूछूंगा। चेंडा, ढाबर और बिठ्ठू तथा इनके गांव हैं सिराणा, दूधिया और बिठ्ठू, यहां पशुधन बहुत बड़ी संख्या में है। चेंडा के सिराणा में, ढाबर के दूधिया में और बिठ्ठू गांव में, तो यहां क्या आप नये पशु चिकित्सा संस्थान खोलने की मन्शा रखते हैं और रखते हैं तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: जो हैं उनमें ही पद खाली हैं, और नये बनाओगे तो और खाली कराओगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दोनों हैं। अध्यक्ष महोदय, पशुधन मेरे यहां बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: आप खुद ही कह रहे हैं खाली हैं और फिर नये खुलवाओगे तो और खाली रखाओगे?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): वे पोस्ट भी भरें और ये साथ में खुल भी जायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो संख्या बल है वह काफी कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पशुधन सहायकों के 1136 पदों को भरे जाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक 11 मार्च, 2022 को विज्ञप्ति जारी कर दी है जिसके आवेदन की अन्तिम तिथि 17 अप्रैल, 2022 निर्धारित है तथा इसकी परीक्षा 4 जून, 2022 को आयोजित होगी और इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आयेगा, आपके पद भर दिये जाएंगे।

इसी प्रकार 900 पशु चिकित्सकों के बारे में न्यायालय ने अभी आरपीएससी को आदेश दिये हैं कि वह रिजल्ट दुबारा निकालें। 900 चिकित्सकों की भर्ती का रिटन आदि सारा काम हो चुका था पर एक रिट न्यायालय में प्रस्तुत हुई और उसका आदेश भी आरपीएससी को दे दिया गया है। जैसे ही रिजल्ट दुबारा आयेगा, पशु चिकित्सकों की भर्ती की जायेगी।

(श्री लालचन्द कटारिया)

दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि आपके तीन ग्राम पंचायतें हैं। 23 आपके कुल ग्राम पंचायतें हैं उनमें से तीन में संस्थाएं नहीं हैं तो ये तीनों नाम आप मुझे दे देना, आपके तीनों जगह उप केन्द्र खोल दिये जायेंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ये तीनों नाम मैं आपको यहीं दे देता हूं। चेंडा में सिराणा, ढाबर में दूधिया और बिद्दू में बिद्दू इन तीनों में खोल दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): ठीक है, मैं लिख लेता हूं और तीनों में खोल देंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बहुत होशियार डिपार्टमेंट है। इन्होंने टोटल नहीं लगाया कि पद कितने स्वीकृत हैं और रिक्त कितने हैं। मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि जहां पद ही एक स्वीकृत है और वह एक ही खाली है, ऐसे कितने स्थान हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मेरे पास पाली का सारा रिकार्ड है, मैं आपको बता देता हूं। विधान सभा क्षेत्र पाली में स्वीकृत पद हैं जैसे संयुक्त निदेशक का एक है और वह खाली है, उप निदेशक के.....

श्री अध्यक्ष: वह रिपोर्ट आ गयी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सारी डिटेल है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: सीधा प्रश्न है कि एक ही पद खाली है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो यही पूछा। मैंने जितने है वह नहीं पूछा। मैंने यह पूछा कि जहां पद ही एक है और एक ही खाली है, ऐसे कितने स्थान हैं और वह हास्पिटल चल कैसे रहा है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वह जानकारी मैं कह रहा हूं, खाली है कई जगह और मैं मान रहा हूं। उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: चल कैसे रहा है अस्पताल? यह पूछ रहे हैं वे। अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में जल जीवन मिशन में स्वीकृत राशि

360. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जल जीवन मिशन के तहत कौन-

(श्री मेवाराम जैन)

कौन से गांवों में कितने कनेक्शनों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई? गांव का नाम एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों की निविदा होकर कार्य प्रारंभ हो गये हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना में कितनी निविदाएं होकर कार्य प्रारंभ हुए? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक प्रारंभ करा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर में कुल सम्मिलित 296 आबाद राजस्व ग्रामों में से 286 ग्राम 03 वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं 10 ग्राम इन परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं में सम्मिलित किये जाकर, इनकी स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है:-

वृहद् पेयजल परियोजनाएं:-

(अ) इंदिरा गांधी नहर आधारित बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना-भाग 'अ' में उक्त विधान सभा क्षेत्र के 46 ग्राम सम्मिलित किये जाकर, कुल 183 ग्रामों की परियोजना हेतु राशि रुपये 212.83 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.08.2021 को जारी की गई तथा कार्यादेश उपरान्त परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कार्यादेश अनुसार परियोजना दिनांक 04.12.2023 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(ब) इंदिरा गांधी नहर आधारित बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना-भाग 'ब' में उक्त विधान सभा क्षेत्र के 84 ग्राम सम्मिलित किये जाकर, कुल 98 ग्रामों की परियोजना हेतु राशि रुपये 155.17 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.08.2021 को जारी की गई तथा कार्यादेश उपरान्त परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कार्यादेश अनुसार परियोजना दिनांक 04.06.2023 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(स) इंदिरा गांधी नहर आधारित बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना-भाग 'स' में उक्त विधान सभा क्षेत्र के 156 ग्राम सम्मिलित किये जाकर, कुल 346 ग्रामों की परियोजना हेतु राशि रुपये 440.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 09.11.2021 को जारी की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। यह परियोजना मार्च, 2024 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

उक्त वर्णित 03 वृहद् पेयजल परियोजनाओं अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर में क्रमशः 10802, 15198 एवं 30369, इस प्रकार कुल 56,369 क्रियाशील घरेलू जल संबंध दिये जाने प्रावधित हैं।

उक्त वर्णित परियोजनाओं की स्वीकृति, इनमें सम्मिलित ग्राम एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अन्य जल योजनाएं:- उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष रहे 10 ग्रामों हेतु 08 अन्य जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 1790.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाकर 2 ग्रामों हेतु 2 जल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, 5 ग्रामों हेतु 5 जल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा 3 ग्रामों हेतु 01 जल योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उक्त स्वीकृत 8 जल योजनाओं अंतर्गत 4,595 क्रियाशील घरेलू जल संबंध दिये जाने प्रावधित हैं।

उक्त वर्णित अन्य जल योजनाओं की स्वीकृति, इनमें सम्मिलित ग्राम एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार। इंदिरा गांधी नहर आधारित 02 परियोजनाओं क्रमशः बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना-भाग अ तथा भाग-ब का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा भाग-स की परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्वीकृत अन्य जल योजनाओं अंतर्गत 2 ग्रामों हेतु 2 जल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, 5 ग्रामों हेतु 5 जल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा 3 ग्रामों हेतु 01 जल योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं की वर्तमान स्थिति संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के जवाब में जल जीवन मिशन में बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के 294 गांव और 56,369 घरों को कनेक्शन देने

(श्री मेवाराम जैन)

के लिए मार्च, 2024 तक की घोषणा की कि प्रस्तावित है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनका स्रोत क्या होगा, कहां से इस जल जीवन मिशन का पानी लिया जायेगा?

दूसरा, मेरा प्रश्न यह होगा कि मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जिससे आपने जल जीवन मिशन जोड़ा है वह 2011-12 पार्ट अ, ब, स सेंक्शन हुआ, उसका अभी तक कितना काम हुआ, कितने गांवों में पानी पहुंचा है, कितना शेष है और कब तक पूरा होगा? तब तो आपका जल जीवन मिशन पूरा होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न इतना क्या है? डिमांड थोड़े ही है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): स्कीम की दस साल से स्थिति यह हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रश्न पूछा कि कहां से जल स्रोत है तो वह तो माननीय सदस्य ने खुद ही जवाब दे दिया। मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा कि वर्तमान क्लस्टर पैकेज अ, ब, स चल रहा है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे अ, ब, स कार्य पूरा होता जायेगा, जल की उपलब्धता होती जायेगी, वैसे-वैसे हम जल जीवन मिशन के कनेक्शन देते रहेंगे, पर यह सच्चाई है कि 2024 तक का हमारा यह टार्गेट प्रस्तावित है। अब यह तो टार्गेट बना है और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से इनके कार्यादेश और स्वीकृति हुई है उसमें जो मिनिमम समय लगता है उस समय के हिसाब से प्रस्तावित है। फिर भी जितना जल्दी से जल्दी इस काम को कराया जा सके, उसकी कोशिश हम करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप यह बात तो कह रहे हो कि 2024 तक करोगे पर जब उस गांव में पानी पहुंचेगा ही नहीं,....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपकी जो अ, ब, स मोहनगढ़-बाड़मेर का काम दस साल में सिर्फ 40 परसेंट हुआ है, दस टंकियों में पास नहीं पहुंचा, 25-30 गांवों में पानी पहुंचा है और 265 गांव हैं तो यह पानी कब तक पहुंचेगा? तब आप जल जीवन मिशन शुरू करोगे तो जब वह स्कीम पूरी ही नहीं होगी तो आगे आप इसको कैसे 2024 तक पूरी करोगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया। प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2013 से कार्य चल रहा है और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि पानी तो जब पहुंचेगा उसके बाद जल जीवन मिशन पूरा होगा। हमारी कोशिश यह है कि इन परियोजनाओं को, जो अ, ब, स क्लस्टर के काम हैं, इनको भी हम अतिशीघ्र कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

जैतारण में किसानों की कर्ज माफी

361. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितने किसानों का कितना-कितना कर्जा माफ हुआ? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऋणी किसानों के कर्ज माफी हेतु कोई विशेष पैकेज देने की घोषणा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों मे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कर्ज नहीं चुकाने के कारण कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुईं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) सरकार के गठन के पश्चात् जैतारण विधान सभा में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध कुल 18,558 किसानों का 5,205.96 लाख रुपये का ऋण माफ किया गया। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा कुल 37 ऋणियों का 30.28 लाख रुपये का ऋण माफ किया गया। सूची परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में ऋण माफी संबंधी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) विगत तीन वर्षों में जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कर्ज नहीं चुकाने के कारण किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं की गई है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कुल किसान की संख्या है जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, क्या यह संख्या इतनी ही 18,558 और 37 कुल 18,595 ही है? क्या इसके अलावा भी किसान हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया हुआ है?

दूसरा, आपने जो खण्ड-1 में उत्तर दिया है कि इनका 5,205 लाख रुपये का ऋण माफ किया है तो क्या जिनकी 12 बीघा से कम जमीन थी उनका ऋण माफ हुआ है या 12 बीघा से ज्यादा जिनकी जमीन थी, उनका भी ऋण माफ हुआ है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जितनी भी संख्या दी गयी है, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण देने की, वह बराबर उपलब्ध है और इसके अलावा अलग से कोई किसान इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 12 बीघा वाला बता दें। 12 बीघा से ऊपर वाले किसानों का क्या किया?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): क्या साहब?

श्री अध्यक्ष: 12 बीघा से ज्यादा जिस किसान के जमीन है उस किसान का ऋण माफ किया है क्या? यह पूछ रहे हैं वे।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ऋण सबका ही माफ किया गया है। जिसने भी बैंकों से ऋण ले रखा था, जो नीति के क्राइटेरिया में आ रहा था, सबका ऋण माफ किया गया है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु और सीमान्त किसान में भूमि विकास बैंक की जिनकी जमीन 12 बीघा से कम थी, उनका ही लोन माफ हुआ है। जिनकी 12 बीघा से ज्यादा जमीन है, उनका माफ नहीं किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। एक आपने बताया कि 15 हजार 595 से ज्यादा किसान नहीं थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है कि क्या आपने जन घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हम सम्पूर्ण किसानों का कर्जा माफ करेंगे? आपने राज्य सहकारी बैंकों का बताया है। क्या नेशनलाइज्ड बैंक से जितने भी लोगों ने कर्जा लिया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मालूम है, बार-बार नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 362

अगला प्रश्न। रामलाल मीणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। कृष्णा पूनियाॅ।

राजगढ़ (चूरू) में किलेबन्दी का कार्य

363. श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपखंड क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) के कितने गांवों में किलेबंदी का काम चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील क्षेत्र सिद्धमुख के कितने गांवों में चकबन्दी का काम पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिद्धमुख क्षेत्र में सिद्धमुख-नोहर नहर परियोजना का काम कब शुरू हुआ था तथा कब पूर्ण हुआ है तथा उक्त क्षेत्र में नहर की वितरिकाओं को कितना पानी दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जिला चूरू के उपखण्ड राजगढ़ की तहसील सिद्धमुख के 17 ग्रामों में मुरब्बाबंदी/किलाबंदी का कार्य चल रहा है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) तहसील क्षेत्र सिद्धमुख के 17 ग्रामों में मुरब्बाबन्दी/किलाबन्दी का कार्य चल रहा है, जिनमें जमाबन्दी लेखन कार्य पूर्ण होकर उनका अनुमोदन का कार्य अन्तिम चरण में है। सम्पूर्ण कार्य दिनांक 31.05.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(3) सिद्धमुख-नोहर नहर परियोजना का काम वर्ष 1990-91 में शुरू हुआ तथा वर्ष 2002-03 में पूर्ण हुआ। सिद्धमुख क्षेत्र हेतु सिद्धमुख वितरिका के माध्यम से पानी दिया जाता है। इस वितरिका में रेगुलेशन के दौरान 70 क्यूसेक्स पानी दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि 1990-91 से काम चल रहा है, लगभग 31 वर्ष हो चुके हैं। यह कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? किलाबन्दी का जो कार्य है वह कब तक कर लिया जायेगा? मैं समयावधि पूछना चाहती हूं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 1990-91 की जो बात आप बता रहे हैं। यह जो सिद्धमुख नहर परियोजना थी, उसका काम शुरू हुआ था। 1990-91 से शुरू हुआ और 2002-03 में पूर्ण हो चुका है। आप जो जानकारी चाह रहे हैं, उसमें दो जिलों के लिये वेपकॉस कम्पनी के साथ अनुबन्ध हुआ था, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का, जिसमें हनुमानगढ़ और चूरू दो जिले थे। 15.05.2017 को यह काम शुरू हुआ था और 15.05.2018 को इसको पूर्ण करना था, पर बीच में कोविड और कई अन्य कारणों की वजह से पूर्ण नहीं हो पाया, तो समय-समय पर इनकी अवधि हमने बढ़ायी थी और नियमानुसार 10 परसेंट जो कार्यवाही करनी थी, वह कार्यवाही भी हुई। आपको अभी निवेदन किया है, 31.05.2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके सामने 31 मई, 2022 के लिये मंत्री महोदय ने समयावधि रखी है। मैं धन्यवाद देती हूं। मेरा एक और प्रश्न है कि रेगुलेशन के दौरान 70 क्यूसेक्स पानी दिया जाता है। यह माननीय मंत्री महोदय का जवाब है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आज तक कितनी बार टेल तक सिद्धमुख वितरिका से हमें मिला है? यह मैं पूछना चाहती हूं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे यह जल संसाधन विभाग का है। मैंने प्रश्न के साथ उसका अंश दिया है, क्योंकि विभाग ने मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 14.03.2022 जो दिया है, उसमें हमने अंश दिया है, जबकि नहर का पूर्ण पानी 70 क्यूसेक्स दिया जा रहा है। वही हमारे पास जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: सुश्री दिव्या मदेरणा।

मन्दिरों की देखभाल

364. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभाग द्वारा मंदिरों की देखभाल की जाती है? यदि हां, तो कितने मंदिरों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला जोधपुर के अन्य मंदिरों को भी विभाग के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। देवस्थान

(देवस्थान मंत्री)

विभाग द्वारा राजस्थान राज्य व राजस्थान राज्य से बाहर राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार व राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों की देखभाल की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मन्दिर	कुल सं.	राजस्थान राज्य में स्थित	राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में
1.	रा.प्र.प.	390	365	25
2.	रा.आ.नि	203	187	16

उक्त मन्दिरों की श्रेणीवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जोधपुर जिले के अन्य मन्दिरों को देवस्थान विभाग के अधीन करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं सीधे प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, वे प्रश्न पूछ रहे हैं,।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची के मन्दिरों के अलावा अन्य मन्दिर को देवस्थान विभाग द्वारा देखरेख के अधीन लेने के लिये आपकी प्रक्रिया या मापदण्ड क्या हैं? क्या आप जिलेवार अपना कोई सर्वे करवाकर बड़े मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने की कोई मंशा रखते हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके लिये उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाकर, उसमें बीडीओ, तहसीलदार और सभी विभागों के अधिकारी होते हैं। फिर वे उसकी पूजा-अर्चना, प्रबन्धन पूरी डिटेल बनाकर देते हैं। फिर उसको हम देवस्थान के अंडर में कर सकते हैं, पूजा-अर्चना।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, प्रश्न दो में इन्होंने कहा है कि हमारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उसमें यह पूछा है कि क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आपके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है? बजट के अभाव में या कोई और कारण है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): बजट का कोई अभाव नहीं है। यदि इसमें कमेटी हमें सुपुर्दगी के लिये दे देगी कि इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया जाये तो माननीय सदस्या को आश्वस्त करती हूं कि यदि कोई ऐसा मन्दिर है तो कमेटी बनाकर दे या नहीं दे, हम निर्देशित कर देंगे तो उपखण्ड

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लेवल पर कमेटी बनवाकर उसका जीर्णोद्धार और उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अशोक डोगरा।

बून्दी में परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

365. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित है? उक्त जिले में सरकार दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को परिवहन सेवा से जोड़ने के क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बूंदी जिला मुख्यालय के बस स्टैंड का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) परिवहन जिला बूंदी में निजी परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बूंदी जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त जिले के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वर्तमान में संचालित निगम वाहनों के अतिरिक्त निगम की अन्य वाहन सेवा का संचालन प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बाबत फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि करीब 116 तो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जो रोडवेज से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि बूंदी से सिलोर, निमाणा, सुन्दरपुरा, गडरदा रूट है, यहां पर पैसेंजर भी पूरे मिल रहे थे। जब आपकी परिवहन सेवा चल रही थी, उसको बन्द कर दिया गया है, आने-जाने का और कोई साधन भी नहीं है। क्या सरकार उस रूट पर बस चलाने का विचार रखती है?

(श्री अशोक डोगरा)

नम्बर दो, बून्दी बस स्टैण्ड की इतनी खस्ता हालत है। इसमें इन्होंने यह कहा कि निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बाबत फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाह रहा हूं कि जिला हैडक्वार्टर का बस स्टैण्ड है, वहां एक फीट भी डामर या सीसी रोड नहीं है, पूरी गिट्टी और मिट्टी है। कोई बस आती है तो मिट्टी का गुबार लग जाता है और बस के टायर से गिट्टी उछलकर किसी के भी माथे पर पड़ जाती है, फूट जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय एक मिनट, टॉयलेट के कोई साधन नहीं हैं, लोग ओपन में टॉयलेट करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं दस-बीस लाख का काम हो तो मैं विधायक कोष से करवा दूं। वहां बड़ा काम है तो क्या मंत्री जी इसके लिये सरकार से कोई बजट दिलवाकर वहां के लोगों को कुछ राहत प्रदान करने का विचार रखते हैं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, जो प्रश्नगत रूट है, उसकी मैं जांच करवा लूंगा और अगर उसमें यात्री भार होगा और बस की आय होने की सम्भावना होगी तो हम प्रायोगिक तौर पर उस रूट पर बस शुरू करवाने का प्रयत्न करेंगे। जहां तक आपने कहा कि बस अड्डे पर सुविधाएं नहीं हैं तो दो महिला टॉयलेट हैं, दो पुरुष टॉयलेट हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में 125 करोड़ रुपये की घोषणा की है, बस अड्डों के उन्नयन के लिये तो हम कोशिश करेंगे कि बून्दी के बस अड्डे को भी उसमें शामिल कर उसके अपग्रेडेशन, उन्नयन का कार्य करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गोपीचंद मीणा।

अनुसूचित जनजाति परामर्श समिति की बैठक

366. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2019 से अब तक अनुसूचित

(श्री गोपीचंद मीणा)

जनजाति परामर्श समिति की बैठक आहूत नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति परामर्शदात्री परिषद् को राज्य परिषद् के रूप में मान्यता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) टीएसपी क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में बजट घोषणा में कितने कार्यों को पूर्ण कर लिया तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी नहीं। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 09.02.2021 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी है।

(2) जनजाति परामर्शदात्री परिषद् को राज्य परिषद् के रूप में मान्यता देने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) अनुसूचित क्षेत्र में विगत तीन वर्षो में बजट घोषणा से संबंधित पूर्ण/अपूर्ण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र सं.	**बजट घोषणा वर्ष**	**बजट घोषणा अनुसार**	**कुल निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण**
1	2019-20	3	3 प्रगति पर
2	2020-21	2	2 पूर्ण
3	2021-22	3	3 प्रगति पर

विधान सभावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न पूछ लें।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है?

नम्बर दो, चार साल में कितनी बार बैठक रखी गयी? नम्बर तीन, हमें विभाग द्वारा बताया गया 09.02.2021 को माननीय मुख्य मंत्री जी की

(श्री गोपीचंद मीणा)

अध्यक्षता में रखी गयी, क्या मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को बुलाकर रखी गयी या सभी ऑल ओवर जितने जनजाति के विधायक हैं, उनके द्वारा रखी गयी? नम्बर चार।

श्री अध्यक्ष: बहुत ज्यादा हो जायेगा। माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, सबसे पहले उसका जवाब देना चाहता हूं कि ये जो संशोधन किया गया है टीएससी कमेटी का, वह किसके राज में कब किया गया? आपको अच्छी तरह से पता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति परामर्शदात्री की बैठक साल में दो बार की जाती है और विगत दो सालों में कोरोना की महामारी के हिसाब से उसकी बैठक नहीं की गयी, आने वाले समय में जल्दी ही इसको करायेंगे। दूसरा आपने पूछा कि जनजाति परामर्शदात्री बैठक में कौन-कौन से विधायक लिये जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया आपके समय तय हुई है और 20 से अधिक सदस्य उसमें ले भी नहीं सकते हैं। उसमें भी एक सदस्य और जनजाति के अलावा मनोनीत करने की आवश्यकता है। इसलिए चयन प्रक्रिया में कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक विचारधारा की ऐसी कोई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस परामर्शदात्री परिषद् का गठन के पीछे उद्देश्य क्या हैं और इनकी बैठकें लगातार अब तक नहीं होने के कारण से क्षेत्र में कौन-कौन से काम इसके कारण से नहीं हो पाये?

(समय: 12.00 बजे)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): परामर्शदात्री समिति की बैठक और उनके सदस्य मनोनीत करने की मंशा यह है कि पूरे जनजाति क्षेत्र में विकास हो और जहां-जहां से छोटी-मोटी कमियां हों जनजाति क्षेत्र की, वह इस कमेटी के माध्यम से आयें। मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में ये बैठकें नहीं हुई, यह आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं, पर जहां तक विकास का सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विकास को करने के लिए अभी एससी/एसटी कानून लाकर के इसके

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है और दूसरी चीज... (व्यवधान), आप मेरी पूरी बात सुन लें साहब, दूसरी चीज यह है कि केन्द्र सरकार से जो दो बजट आ रहे हैं, दो मद के विशेष केन्द्रीय सहायता और धारा-275 में, विशेष केन्द्रीय सहायता में डवलपमेंट का पैसा आता है वह आज दिन तक केन्द्र सरकार द्वारा एक रुपया भी नहीं आया है और 275 के अन्दर जो पैसा आया है, वह आपकी और हमारी जो-जो भी लायबिलिटी थी, वह नामजद पैसा है उसके माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह के विकास के काम में अवरोध नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में बीकानेर-रतनगढ़ रेलखंड मार्ग पर रेलवे अण्डरब्रिजों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में CAD विभाग द्वारा पुल निर्माण कार्य में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से सांचौर तहसील के चौरा गांव के निवासी भंवर लाल पुत्र श्री बुधाराम विश्नोई की अज्ञात लोगों द्वारा नहर में डालकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री जोराराम कुमावत, श्री छगनसिंह, श्री अविनाश, श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्यों की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अकाल क्षेत्र घोषित करने के उपरान्त भी केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की पंचायत समिति जैतारण व रायपुर में मीठे पानी के लिए संचालित आरओ के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरस के समान ही

(श्री अध्यक्ष)

अन्य डेयरियों में दुग्ध देने वाले किसानों को बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से सुजानगढ़, चूरू में सालासर रोड पर स्थित भगवान श्रीराम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी व प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की प्रतिमाओं सहित भव्य द्वार को गिरा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से चूरू जिले में सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित स्वागत द्वार में लगी श्रीराम दरबार की मूर्तियां खण्डित किये जाने से आमजन में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

9. श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित बाल विकास परियोजना व आंगनबाड़ी केन्द्रों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

10. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से पटवारी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को परीक्षा की तिथि के स्थान पर परीक्षा परिणाम की तिथि तक छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

12. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में मोड़ का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ और घड़साना द्वारा गत तीन वर्षों से अनूपगढ़ की उपखण्ड स्तरीय भू-आबंटन सलाहकार समिति की बैठकें नहीं बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जब्बर सिंह सांखला एवं श्रीमती संतोष को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की रायपुर उपखण्ड मुख्यालय की ग्राम पंचायत रायपुर को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में परिशोधित पानी की निकासी अथवा इसके निस्तारण/उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए लागू की गई RGHS योजना में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।
4. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री प्रशान्त बैरवा, सदस्य की ओर से सामान्य शिक्षा की तर्ज पर संस्कृत शिक्षा विभाग में संभागीय शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का पुनर्गठन कर सामान्य शिक्षा की भांति मण्डल सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व जालौर जिले में जीरे की फसल खराबे की गिरदावरी करवा कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा व आदान अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लोडेश्वर बांध, गड़ा झूमजी बांध एवं बाबा की बार बांध की नहरों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से बांदीकुई व बसवा में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
9. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर में पुलिस चौकी गणेशपुर में दुर्घटना, चोरी, डकैतियों की घटनाओं की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से आबू रोड में कार्यरत आरपीएफ उपनिरीक्षक की संदिग्ध हालत में हुई मृत्यु की सीआईडी सीबी से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में बांकली बांध का पुनरुद्धार किये जाने तथा कैचमेंट एरिया में साकड़दा माइन्स में रसायनयुक्त पानी आने से क्षेत्र की जमीन के बंजर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर की आवासीय कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने व पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री जब्बर सिंह सांखला। माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था सालासर के अन्दर मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए वहां आक्रोश है, इसके खिलाफ पूरा जिला बंद पड़ा है।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सालासर स्थित मुख्य द्वार की ध्वस्ती केन्द्रीय एजेंसी से होने के कारण सदन में चर्चा नहीं हो सकती

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एकाध ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेन्टर का है उस सब्जेक्ट को विधान सभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। यह एनएचए जो रोड है वह भारत सरकार के सड़क निर्माण विभाग ने इस लैंड का एक्विजिशन किया है उसी के कांट्रेक्टर ने इस काम को किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्रीराम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार को अवगत करा देंगे, हाउस में यह डिस्कस नहीं होगा। इसलिए इस परम्परा को मैं समझता हूं कि हमें मानना पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

मैंने कह दिया कि जो सदन के नियम और कानून हैं, उनके अन्तर्गत सदन चलेगा इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। आपकी भावना से भारत सरकार को अवगत करा दिया जायेगा।

माननीय श्री जब्बर सिंह सांखला।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आसीन्द में मोड़ का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन प्लांट

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 50 के तहत बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें, प्लीज।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन लगाया है, यह बहुत ही मार्मिक विषय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोड़ का निम्बाहेड़ा में पिछली सरकार के समय में सिरेमिक जोन उद्योग लगाने का एक प्रस्ताव पास हुआ था। इसके लिए सरकार ने जमीन भी देखी है और वहां लगभग 5-7 सौ बीघा जमीन पड़ी हुई है। वहां के जिले के बहुत सारे उद्योगपति और बहुत सारे व्यापारी वहां अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। उस एरिये में, भीलवाड़ा जिले में एक आसीन्द एरिया ऐसा है जहां क्वार्ट्ज, फैल्सपार का अथाह भण्डार है। वहां का माल मोरबी जाता है, मोरबी गुजरात जाने के बाद उस माल की वैल्यू को वहां के व्यापारी कम कर देते हैं और वहां जाने के बाद मनमाने तरीके से वे खरीदते हैं। इस वजह से हमारे यहां के व्यापारी बहुत दुःखी हैं और यह सिरेमिक जोन अगर मोड़ का निम्बाहेड़ा में स्थापित होता है तो वहां आसपास के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इस मोड़ का निम्बाहेड़ा में युवाओं की एक टीम है जो, एक सोशल वर्कर है पवन कुमार मुंगड़ के नेतृत्व में काफी लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस मार्मिक समस्या को देखते हुए आज जब माननीय सीएम साहब रिप्लाई दें, उस समय व्यापारियों की समस्या और बेरोजगार युवाओं की समस्या को देखते हुए इसके समाधान हेतु आज ही मोड़ का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ की उपखण्ड स्तरीय भू-आबंटन सलाहकार समिति की बैठकें नहीं नहीं होने से आमजन को परेशानी

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत मुझे आपने अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1952 एक्ट के अनुसार लगान से दस गुना किश्त लगाकर जमीन आबंटन करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया था जिसमें अलॉटी द्वारा यह रकबा इकरारनामे के द्वारा काफी समय पहले बेचान कर दिया गया था। इसको 25-30 वर्ष हो चुके हैं। तब से आज तक खरीददारों द्वारा कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन आज तक खरीददारों के नाम से राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज नहीं हो रहे हैं, जबकि खरीददारों द्वारा अपनी खातेदारी लेने के लिये काफी वर्षों से एसडीएम आफिस अनूपगढ़ और घड़साना के चक्कर लगाये जा रहे हैं। इनकी फाइलें काफी समय से जमा हैं लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण किसान एसडीएम आफिस के चक्कर लगाये जा रहे हैं। मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में काफी प्रकरण ऐसे हैं जो लम्बित हैं। 1975 के अंतर्गत गठित भू आबंटन सलाहकार समिति की बैठक कर इनका निस्तारण किया जाना था लेकिन अभी तक काफी वर्षों से ऐसी बैठकें नहीं हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने से काफी नुकसान होता है, वे नहीं बेच पाते हैं। वे किसान काफी परेशान हैं। उन किसानों को राहत देने के लिये समय पर बैठक करवाई जाय। जिला एवं उपखण्ड स्तर की कमेटियां बनी हुई हैं, इन कमेटियों का समय पर निर्धारण एवं नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। ऐसी बैठकें समय पर होनी चाहिये ताकि किसानों को राहत मिल सके। ऐसी बैठक आयोजित करवा कर मेरे क्षेत्र में जो यह दस गुना वाली समस्या है, इसका समाधान करवाया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्रीमती शोभा चौहान।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रायपुर ग्राम पंचायत का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की

(श्रीमती शोभा चौहान)

रायपुर उपखण्ड मुख्यालय की ग्राम पंचायत रायपुर नगरपालिका बनने के सभी मानकों को पूर्ण करती है और रायपुर ग्राम पंचायत पहले नगरपालिका ही थी लेकिन इसको ग्राम पंचायत में तब्दील कर दिया गया। महोदय, वर्तमान में रायपुर ग्राम पंचायत व राजस्व गांवों की जनसंख्या 25,000 है। इसके अतिरिक्त जन घनत्व, आय स्रोत के भी सारे मानकों को पूर्ण करती है। मैं विगत तीन वर्षों से लगातार रायपुर को नगरपालिका बनाने हेतु सरकार से आग्रह कर रही हूं, लेकिन इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रायपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शहरी मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता के पास पहुंच सकें, रायपुर में राजस्व के अच्छे स्रोत उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा तय मानकों के दायरों से भी दोगुना दायरे हैं। उसके बावजूद रायपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि रायपुर को जल्द नगरपालिका घोषित करवाने की कृपा करें।

अत: माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाय। धन्यवाद।

(समय : 12.12 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां (अनुपस्थित)। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

RGHS योजना में अनुभूत समस्याओं का निराकरण

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई RGHS में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ थोक उपभोक्ता भंडार के तहत संचालित दवा दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेंशनर्स के लिये RGHS योजना में लागू किये गये नये प्रावधानों के चलते उपभोक्ता भंडार की दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट को कई समस्याएं सामने आ रही हैं। लागू किये गये नये नियमों के तहत अब NAC यानी non availability certificate की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिसके चलते निजी दवा विक्रेता दवाइयों की बिना स्टाक एंट्री के भी पर्चे पर लिखी दवा का बिल काट कर पेंशनर्स को पर्चे पर लिखी दवा की जगह दूसरी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में अब

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)
पेंशनर्स की दवा पर्चियां उपभोक्ता भंडार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। महोदय, समय रहते निजी दवा विक्रेताओं से दवा खरीदने से पहले NAC यानी non availability certificate की अनिवार्यता फिर से लागू नहीं की जाती है तो उपभोक्ता भंडार के तहत चलने वाली दवा दुकानें बंद होने के कगार पर पहुंच जायेंगी। जिसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उक्त योजना के नये नियम लागू होने के बाद से उपभोक्ता भंडार की बिक्री में एकदम आई गिरावट है। वहीं राज्य सरकार द्वारा संचालित RGHS (राज्य सरकार हैल्थ सर्विस) एक प्रभावशाली योजना है लेकिन योजना के तहत निजी दवा विक्रेताओं के लिये non availability certificate की अनिवार्यता खतम करने के साथ-साथ सरकार द्वारा निजी दुकानदारों के साथ 15 दिन में दवा बिक्री का भुगतान करने का करार किया गया है और निजी दवा विक्रेताओं को करार के मुताबिक 10 से 15 दिन के अंतराल से भुगतान हो रहा है जबकि उपभोक्ता भंडार को समय पर भुगतान नहीं कर पक्षपात किया जा रहा है जबकि उपभोक्ता भंडार सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में हर समय कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भंडार द्वारा विपरीत परिस्थितियों में कोविड महामारी, रात्रिकालीन और आपातकालीन सेवाएं देने के साथ-साथ निजी व्यवसायी की हड़ताल आदि के समय पर उपभोक्ता भंडार द्वारा राज्य सरकार और जनता को पूर्ण सहयोग और राहत देकर आम जन जीवन को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिये तत्पर रहा है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई RGHS में आ रही समस्याओं का निराकरण करा कर राहत प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/निर्माण कार्य

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त निम्नांकित सड़कों की स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें:-

1. इटून्दा से इटून्दा रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क व पुलिया का नवीनीकरण करने बाबत।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

2. राजकीय चिकित्सालय, देवली से कुचलवाड़ा माताजी तक क्षतिग्रस्त सड़क का 15 मीटर की चौड़ाई कर सीसी सड़क निर्माण करने बाबत।

3. भगुनगर से जवानपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर क्षतिग्रस्त सड़क कार्य की सीसी सड़क की स्वीकृति बाबत।

4. ग्राम धोड़ महादेव मेला स्थल की क्षतिग्रस्त सड़क एनएच 148 से ग्राम धोड़ तक नवीनीकरण चौड़ाई करना व मेला स्थल के सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाने बाबत।

5. बीरधोड़ से सक्त पुलिया के बीच खाल पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण व पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई जाय।

6. एनएच 148 सड़क से बिहाड़ा खाल की ऊंचाई बढ़ाई जाय व बिहाड़ा सड़क क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण करवाया जाय।

7. भगुनगर से पदमपुरा तक क्षतिग्रस्त सड़क उक्त पुलिया पर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाय।

8. कोटड़ी से पपलाज तक क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण करवाया जाय।

9. खेरोना से सुजानपुरा क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाय।

अत: मेरा सदन से अनुरोध है कि विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों को डी.एम.एफ.टी. योजना या विभाग की योजना की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रशान्त बैरवा (अनुपस्थित)। श्री पब्बाराम विश्नोई (अनुपस्थित)। श्री रामप्रसाद।

सागवाड़ा में कतिपय नहरों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नहरों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाने हेतु निवेदन है कि लोडेश्वर बांध, मारगिया बांध, गड़ा झूमजी बांध एवं बाबा की बार बांध की नहरों की पिछले 10 वर्षों से भौतिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। रबी सीजन में बांध से नहर में छोड़ा गया पानी 60 से 70 परसेंट व्यर्थ बह जाता है। इस वजह से सिंचित भूमि के लगभग 70

(श्री रामप्रसाद)

प्रतिशत क्षेत्रफल में रबी सीजन में बोई जाने वाली गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है और खेत में लगातार सीपेज होने से कृषि भूमि का उपजाऊपन खतम हो जाता है। लोडेश्वर बांध की नहरें (LMC and RMC) जो कि 6.90 किलोमीटर एवं 12.27 किलोमीटर है, इसके जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये नाबार्ड मद से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। परंतु नाबार्ड मद से राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त कार्य की निविदा को निरस्त कर दिया गया था, इसलिए कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाया। बाबा की बार बांध की दोनों नहरें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लगातार सीपेज हो रहा है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि लोडेश्वर बांध, मारगिया बांध, गड़ा झूमजी बांध एवं बाबा की बार बांध की नहरों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाने हेतु विभागीय प्रस्ताव के अनुसार बजट पारित करवा कर उक्त कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करवायें अथवा वर्तमान में हो रहे नुकसान की भरपाई कराई जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गजराज खटाणा।

बांदीकुई व बसवा में पेयजल की उपलब्धता

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): आपने मुझे नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान निर्वाचन क्षेत्र के बांदीकुई एवं बसवा में आ रही पानी की भारी किल्लत की ओर आकर्षित कर बताना चाहूंगा कि बांदीकुई व बसवा कस्बे में विगत वर्षों से शहर में 7 से 8 दिन में पानी वितरण हो रहा है, जो कि खारा पानी है। यह बेहद चिन्ताजनक विषय है।

महोदय, मेरे द्वारा निर्वाचित होने के बाद से ही निरन्तर बार-बार विभागीय अधिकारियों से उक्त समस्या से निजात हेतु उचित कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किये जाने पर भी वर्तमान तक भी स्थिति जस की तस है। गर्मी का मौसम भी प्रारम्भ हो गया है, जिसमें पानी की और भी ज्यादा किल्लत हो जायेगी। क्षेत्र की जनता में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है।

अत: मैं सदन के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए इस क्रम में स्थायी ठोस कदम उठाकर जनता को इस समस्या से निजात दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा।

गणेशपुर पुलिस चौकी (आसपुर) में आपराधिक घटनाओं की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया जाना

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान में वर्तमान में अपराध बढ़ा है। कई घटना घटने के पश्चात् भी पुलिस विभाग नियन्त्रण नहीं कर पाया है एवं एसटी/एससी के समाज में दहेज प्रथा नहीं है, फिर भी पुलिस विभाग मुकदमों को कहीं और मोड़कर चालान पेश कर देता है। कोर्ट से 156 के तहत इस्तगासा आता है तो उसकी छानबीन करके ही चालान किया जाता है, जबकि पुलिस द्वारा छानबीन किये बगैर ही व कोर्ट के डर से निर्दोष लोगों का चालान कर दिया जाता है, चाहे वे दोषी हों या निर्दोष हों। आई.ओ. अधिकारी निर्दोषों को दोषी ठहराकर कोर्ट में चालना पेश नहीं करें।

विधान सभा क्षेत्र आसपुर में दिनांक 21.12.2021 की घटना है कि चेतन पुत्र भैरा मीणा चौकी गणेशपुर के हैड कांस्टेबल के पास दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कराने गये हैड कांस्टेबल द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। चेतन ने हैड कांस्टेबल की शिकायत पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर से की। पुलिस अधीक्षक ने भी उक्त व्यक्ति की शिकायत को नहीं सुना। उक्त पुलिस अधीक्षक से जनप्रतिनिधि के द्वारा भी बात की गयी तो उनकी बात को भी अधीक्षक द्वारा नहीं सुना गया। पुलिस अधीक्षक डकैतियों, चोरी, इस प्रकार के प्रकरण को नहीं सुनते तथा उक्त पुलिस अधीक्षक ज्यादातर राजस्थान व गुजरात बोर्डर, बिछीवाड़ा पर विशेष रूप से ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां से आने वाले वाहनों से तस्करी होती रहती है। इनको भारतीय मुद्रा से अधिक प्रेम है। जब उक्त तस्करी के बारे में जनप्रतिनिधि द्वारा पुलिस अधीक्षक की मिलीभगत के लिये उन्हें बताया जाता है तो ऐसी सत्यवादी बातें करते हैं, जैसे राजा हरीशचन्द्र हों, लेकिन ऐसा नहीं है, घट में राम बगल में छुरी।

अत: मेरा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि पुलिस वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये, जिससे जनता को ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों का सामना न करना पड़े।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (अनुपस्थित)। श्री छगनसिंह राजपुरोहित (अनुपस्थित)। श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जोराराम कुमावत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सुमेरपुर ब्लाक में कनिष्ठ लिपिक द्वारा आवेदकों की अनुदान राशि में कथित भ्रष्टाचार

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के सम्बन्ध मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(समय: 12.23 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में ब्लाक सुमेरपुर में कनिष्ठ लिपिक द्वारा आवेदकों के अनुदान राशि के सम्बन्ध में कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लाभार्थियों के खाते में राशि जमा नहीं होने की प्रथम शिकायत श्री देवाराम पुत्र लच्छाराम जाति मेघवाल निवासी खिमाडा से प्राप्त हुई, जिसकी जांच हेतु जिला परिषद् पाली के पत्र क्रमांक जिपपा/जांच/2021-22/410 दिनांक 03.09.2021 द्वारा श्री शक्तिसिंह भाटी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं श्री अरूण कुमार वैष्णव, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय हाजा की कमेटी का गठन किया गया।

कमेटी द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट अनुसार श्री नरेश कुमार गर्ग, कनिष्ठ सहायक प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ सहायक (ई.जी.एस.) को कार्यालय आदेश क्रमांक जिपपा/संस्था/2021/1943 दिनांक 26.11.2021 द्वारा निलम्बित किया गया एवं जिला परिषद् पाली के पत्र क्रमांक जिपपा/संस्था/2022/29 दिनांक 04.01.2022 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया।

2. उक्त दो प्रकरण प्राप्त होने पर श्री नरेश कुमार गर्ग, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ होने पर श्री नरेश कुमार,

(श्री रमेश चन्द मीना)

कनिष्ठ सहायक द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को अपने बचाव में बताया कि ऐसे 12 लाभार्थियों की राशि अन्य के खाते में जमा हुई है, जिसमें से 2 लाभार्थियों की राशि दाउद खान, (संविदा कर्मी, कम्प्यूटर आपरेटर, पंचायत समिति सुमेरपुर) के भी 2 खातों में राशि जमा है, जिसकी जांच जिला स्तर से टीम गठित कर करवायी गयी।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुमरेपुर द्वारा श्रीमती छदकी देवी पत्नी श्री कालूनाथ निवासी धणा की जांच की गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री नरेश कुमार गर्ग की पत्नी श्रीमती पिंकी देवी के खाते में सम्पूर्ण राशि 1,20,000 जमा होना पाया गया।

4. जिला परिषद् के पत्र क्रमांक 929 दिनांक 30.12.2021 द्वारा जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा 15 प्रकरणों की जांच की गयी, जिसमें से 2 लाभार्थियों की राशि कनिष्ठ सहायक, श्री नरेश कुमार गर्ग की पत्नी श्रीमती पिंकी देवी के खाते में जमा होना पाया गया। इसके लिये श्री नरेश कुमार गर्ग दोषी हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुमेरपुर से कुल 22 लाभार्थियों की राशि अन्य खातों में जमा होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अनियमितता के लिए जिला परिषद् पाली के पत्र क्रमांक जिपपा/संस्था/2022/238 दिनांक 11.02.2022 द्वारा श्री नरेश कुमार गर्ग को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया।

पंचायत समिति, सुमेरपुर में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्लेसमेंट एजेंसी) श्री दाउद खान के द्वारा अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2019 तक आवास योजना का कार्य किया गया। श्री दाउद खान द्वारा आवास योजना का कार्य छोड़ते समय ग्राम पंचायत कोसेलाव के लाभार्थी जुमी देवी/ठाकर राम देवासी जो अपात्र लाभार्थी था, उसके भुगतान को अपने खाते में जमा करवाया गया। ग्राम पंचायत पावा के लाभार्थी भुताराम/भीमाराम मीणा मन्दबुद्धि होने के कारण उसकी समस्त राशि भी श्री दाउद खान द्वारा अपने खाते में जमा करवायी गयी जिसमें कम्प्यूटर आपरेटर श्री दाउद खान दोषी हैं। एक प्रकरण में श्री राजपुरोहित के निजी वाहन चालक श्री देवाराम राजपुरा के खाते में भी

(श्री रमेश चन्द मीना)

1.20 लाख रुपये जमा होना पाया गया है, जिसके बाद श्री राजपुरोहित ने तत्कालीन कम्प्यूटर आपरेटर को हटाकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सेवा प्रदाता फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया कनिष्ठ सहायक व कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा आपसी मिलीभगत कर पंचायत समिति स्तर पर खाता नम्बरों में फेर बदल कर भुगतान अपने खाते एवं अपने परिचित के खातों में हस्तान्तरण कर सरकारी राशि का गबन किया गया, जिसके लिए विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा श्री नरेश कुमार गर्ग, कनिष्ठ सहायक एवं श्री दाउद खान, कम्प्यूटर आपरेटर (प्लेसमेंट एजेंसी) के विरुद्ध पुलिस थाने में दिनांक 16.03.2022 को एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। इस हेतु तत्कालीन विकास अधिकारी श्री नारायण सिंह राजपुरोहित एवं श्री तनु राम राठौड़, दो विकास अधिकारी दोषी पाये गये हैं।

सम्पूर्ण प्रकरणों की जांच से स्पष्ट है कि तत्कालीन विकास अधिकारी श्री नारायण राजपुरोहित एवं श्री तनुराम राठौड़, सहायक लेखाधिकारी, श्री अशोक कुमार देवरा, सहित सभी 22 प्रकरणों की अवधि में पंचायत समिति सुमेरपुर में कार्यरत 13 ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री कूकाराम माली, आवास प्रभारी दोषी पाये गये हैं।

पाली जिले की अन्य पंचायत समितियों में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

उक्त सम्बन्ध में राज्य के अन्य जिलों से भी प्राप्त सूचनानुसार 24 जिलों में ऐसे कोई प्रकरण नहीं पाये गये हैं। अन्य 8 जिलों (बांसवाड़ा-1, बाड़मेर-3, चित्तौड़गढ़-1, डूंगरपुर-12, जालौर-1, कोटा-8, प्रतापगढ़-16 तथा उदयपुर-1) में कुल 43 प्रकरण मिले हैं, जिनमें से 24 प्रकरणों में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। 7 प्रकरणों में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध 17सीसीए नोटिस जारी किया गया है। 5 प्रकरणों में दोषी कार्मिकों को आदेशों की प्रतीक्षा में जिला परिषद् के लिए कार्यमुक्त किया गया है। एक प्रकरण में दोषी कार्मिक के विरुद्ध डीओआईटी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। 2 प्रकरणों की जांच विचाराधीन है, 2 प्रकरणों में पीएफएमएस में तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ, एक प्रकरण में मानवीय भूलवश गलत खाता संख्या दर्ज हो गयी थी तथा एक प्रकरण में दोषी की मृत्यु हो चुकी है।

(श्री रमेश चन्द मीना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकरण पंचायत समिति स्तर पर सम्बन्धित तत्कालीन विकास अधिकारी श्री नारायण राजपुरोहित एवं श्री तनुराम राठौड़, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय श्री अशोक कुमार देवरा, पंचायत समिति आवास प्रभारी कूकाराम माली, सीधे तौर पर उत्तरदायी पाये गये। उनके निलम्बन की मैं घोषणा करता हूं। उक्त प्रकरणों में 13 ग्राम विकास अधिकारियों की भूमिका प्रतीत होती है जिसकी जांच कर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। संबद्ध लाभार्थियों को राशि दिलाने हेतु, जिनके खाते में राशि जमा हुई है तथा दोषी कार्मिकों से राशि वसूल कर लाभार्थियों को राशि दिलायी जायेगी और प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। तीसरा, जो हमारे माननीय विधायक ने कहा, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर पूरे राज्य में ऐसे प्रकरणों को चिह्नित करने हेतु विशेष जांच करवायी जायेगी।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के लिये आवास निर्माण की जो व्यवस्था कर रखी है और खेत ही बाड़ को खा रही है। सुमेरपुर पंचायत समिति में तो पूरा सिस्टम ही फेल है और अधिकारी, वहां के बाबू, कर्मचारी मिलकर इस तरह का रैकेट चला रहे हैं और लम्बे समय से तीन साल से चला रहे हैं। आपने अभी दो अधिकारियों व एक लिपिक को संस्पैंड करने की घोषणा की है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि और भी दोषी कर्मचारी हैं, मैंने अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आपको जानकारी दी है जिसमें धन्नाराम तोलाराम की राशि ज्योतिष कुमार के खाते में गयी है, तोलाराम भूराराम की राशि प्रतापराम के खाते में गयी है, मीरा बाई की राशि नरेश कुमार के खाते में गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब क्या बाकी रह गया है? सब हां भर ली, इसके बाद क्या बचा है? माननीय सदस्य, इतना ज्यादा कमिटमेंट मंत्री जी ने दिया है, अब क्या बचा है?

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, बैठिए आप। हो गया धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री भंवर सिंह भाटी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था 2020-21 का प्रतिवेदन अब रखा जा रहा है। 2021-22 का रखा जाता, 2022-23 में हम विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कई बार आसन से व्यवस्था दे दी, उसके बाद भी हम नहीं सुधरेंगे, ये इस अभियान में चले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात को नोटिस कर लिया है। माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की उप धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था

राजस्थान वित्त विधेयक व राजस्थान विनियोग विधेयक पर बहस की सीमित व्यापकता

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। माननीय सदस्यगण जैसा कि आपको विदित है कि सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक, राजस्थान वित्त विधेयक पर कुछ वर्षों से एक साथ चर्चा की जाती रही है। आज भी इन दोनों विधेयक पर एक साथ चर्चा की जायेगी। माननीय सदस्यों को विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक के पारण की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति दी जायेगी।

माननीय सदस्यगण, विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर सदन में प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद करने का पूरा अधिकार है। अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था है, जिस पर सदन में विचार किया जायेगा।

इससे पूर्व बजट की प्रथम अवस्था पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं, उसके पश्चात् द्वितीय अवस्था

(श्री अध्यक्ष)

बजट पर अनुदान की मांगों पर सदन में वाद-विवाद के दौरान भी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

उसके पश्चात् अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था में सदस्यों को विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का अवसर उपलब्ध रहता है। लेकिन हमें यह देखना है कि सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान तथा अनुदान की मांगों पर विचार के समय जिन विषयों को उठा दिया गया हो, उनकी पुनरावृत्ति न की जाये।

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का क्षेत्र लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों से अंतर्निहित नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रखना है, जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों, जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं। विभिन्न अनुदान की मांगों से सम्बन्धित वाद-विवाद के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी हैं, वे मुद्दे विनियोग विधेयक पर चर्चा की विषय-वस्तु नहीं बन सकते हैं।

जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान वित्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वित्त विधेयक के विचारार्थ लिये जाने की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। वे माननीय सदस्य वित्त विधेयक के पारण की स्टेज पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली शिकायतों या सरकारी की वित्तीय नीति से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं माननीय नये सदस्यों को फिर दोबारा पढ़कर सुनाता हूं, वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली शिकायतों या सरकार की वित्तीय नीति से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार की नीति की आलोचना कर सकते हैं, जिनके कारण कोई घाटा हुआ हो। संक्षेप में सारे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है, परन्तु उन प्रश्नों को पुन: नहीं उठाया जा सकता जिन पर पहले वाद-विवाद में चर्चा हो चुकी हो। यह मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि हम सारगर्भित चर्चा करें। ऐसी आप सबसे आशा है।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 श्री बी.डी. कल्ला।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022

एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2022.

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 8 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री बी.डी. कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022

एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, वार्षिक बजट 2022-23 अब पारण की अंतिम स्टेज पर है। अभी राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक और वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार कुछ प्रस्ताव लेकर आयी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, सरकार इस वित्तीय वर्ष में एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 3 लाख 55 हजार 222 करोड़ 83 लाख 6 हजार की विशाल राशि इस सदन के माध्यम से कंसोलिडेट फंड से खर्च करने की अनुमति चाह रही है। वही वित्त विधेयक के माध्यम से राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के सेक्शन 65, 35ए के शिड्यूल और आर्टिकल 17 और 35बी के अन्दर एक संशोधन लेकर आयी है। जी एस टी एक्ट की धारा 174 में एक संशोधन लेकर आयी है, वेट एक्ट के सेक्शन 52, 33 और 34 में एक संशोधन लेकर आयी है और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4(2) में एक संशोधन लेकर आयी है।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ये दोनों बिल जो सदन में प्रस्तुत हुए हैं, चूंकि सरकार के पास आज भी बेमन का जोड़ तोड़ का बहुमत है, पारित हो जायेंगे परन्तु इसके बाद कुछ क्षणों में सदन के नेता वित्त मंत्री के रूप में अवतरित होंगे और हमारे द्वारा उठाये गये बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देकर अपना कॉपी-पेस्ट भाषण यहां करेंगे। लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, केन्द्र सरकार ने हमारे केन्द्रीय करों के..

श्री अध्यक्ष: आज आप नये सदस्य की तरह बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, मैं पाइंट पर आ रहा हूं।

केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से को रोका है। अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाये इस पूरे बजट की बुनियाद के अन्दर या तो केन्द्र की ग्रांट है या केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा है या रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया गया इनका ऋण और उधार है। चूंकि आज बजट पारण की स्टेज पर है, मैं सदन के नेता को इस बात के लिए तो जरूर बधाई दूंगा कि एक रिकॉर्ड उन्होंने जरूर कायम कर लिया कि इस सदन के अन्दर सबसे कम बैठने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया। मुझे याद आ रहा है, गुलाब कोठारी जी ने, त्याग की पराकाष्ठा एक लेख लिखा, उस लेख के प्रत्युत्तर में सदन के नेता का बयान भी मैंने देखा। मैं समझता हूं एक नया पॉलिटिकल थॉट। उसके लिये तो सदन के नेता परम्परागत हो गये पर, निश्चित तौर पर सदन की अवमानना जरूर हुई क्योंकि सदन का नेता उपस्थित नहीं रहेगा, तो आफिसर गैलरी का वही हाल रहेगा, जो मेरे सामने, मैं देख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 3 लाख 55 हजार 222 करोड़ 83 लाख 6 हजार की आज सदन से सरकार अनुमति ले रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय : 12.40 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

इसी विनियोग विधेयक, मंत्री महोदय, शायद मेरी बात कोई लिखे या नहीं लिखे, पर मैं कह जरूर दूं। आपने हमें राजस्थान विनियोग संख्या-2 विधेयक दिया है, आपके बजट पृष्ठ संख्या एक की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि आपका कुल बजट है, उसमें कंसोलिडेटेड फण्ड के कम्पोनेंट का लिखा हुआ है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, जिस कंसोलिडेटेड फण्ड के लिये आज सदन अनुमति देगा, उसमें आपकी पुस्तिका यह कह रही है कि उसमें आपका आंतरिक ऋण 71 हजार 387 करोड़ लिखा है। उसी में लिखा है, कंसोलिडेटेड फण्ड से 28 हजार 838 रुपये सिर्फ ब्याज की अदायगी पर जाएंगे। सभापति महोदय, मैं जब इन दोनों को जोड़कर देखता हूं तो कंसोलिडेटेड फण्ड 3 लाख 55 हजार 222 करोड़ की अनुमति आप ले रहे हैं, उसमें 1 लाख 1 हजार 618 करोड़ रुपये सरकार या तो ऋण ले रही है या ब्याज के रूप में पैसा दे रही है। 33 परसेंट, टोटल हमारे बजट साइज का, अगर हालात यह हो कि वह कर्जे पर आधारित हो, ब्याज के लिये पैसा देना हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

इसी विनियोग विधेयक 2022, पृष्ठ 31 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके अंदर अनुदान की माँगें, ग्रांट की एक तालिका दी गयी है। उस तालिका के जोड़ में पृष्ठ 33 में लिखा है, मंत्री महोदय उसमें लिखा है राज्य की जो बजट साइज है, उसमें 2 लाख 14 हजार 690 करोड़। सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमायें। 2 लाख 14 हजार 690 करोड़, यह रेवेन्यू एक्सपंडीचर है, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय किसका होता है, आप सरकारी मुलाज़िमों को तनख्वाह देंगे, पेंशन देंगे। आप सामाजिक योजनाओं में पैसा वित्त पोषित करेंगे। यह सारा पैसा 2 लाख 14 हजार 690 करोड़ आपका राजस्व व्यय है।

इसी तालिका के अन्दर एक और आंकड़ा है। मंत्री महोदय, मैं कोई घर से लेकर नहीं आया। आप पृष्ठ 31 में देखें, इसी में आपका पूंजीगत व्यय है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडीचर कहते हैं, वह 38 हजार 710 है। प्रतिपक्ष के नेता, क्या हालत होगी, क्या आलम होगा, जब 3 लाख 55 हजार 22 करोड़ में, सिर्फ 38 हजार 710, 10 परसेंट पैसा सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडीचर पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। ताबड़तोड़ घोषणाएं, लम्बे-चौड़े वादे, सारे स्कूल जो सैकण्डरी, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर थे, हायर सैकण्डरी स्कूल। कितनी आपकी पीएचसी, कितनी आपकी सड़कें। मैं समझता हूं, आपकी पुस्तक से मैंने जो यह आंकड़ा निकाला है, यह इस बात को इंगित करता है कि आप इस बार कुछ कर नहीं पाएंगे। घोषणा दर घोषणा से काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मैं जब सामान्य वाद-विवाद में अपनी बात कह रहा था, तो मैंने एक बात पर एतराज किया था। बजट साइज को बड़ा दिखाने के लिये, पहली बार आपने इसमें मार्गोपाय अग्रिम रहित और अग्रिम सहित, नये शब्दों का ईजाद किया क्योंकि आपको, लम्बी चौड़ी घोषणाएं, बजट साइज बड़ा दिखाएंगे तो लोगों की उम्मीद जगेगी। तब मैंने कहा था कि आप ओ.डी. में गये। सदन के नेता ने एतराज किया कि यह तो हमें रिजर्व बैंक से सुविधा मिलती है। सभी राज्यों को मिलती है, मैं मानता हूं। रिजर्व बैंक वेज एंड मींस के लिये निर्धारित शर्तों पर, निर्धारित ब्याज पर 90 दिन के लिये आपको पैसा देता है। उधार देता है और उधार में कब जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 पढ़ रहा था। मैं उसी को पढ़कर, आपको सुनाना चाहता हूं। उसमें क्या लिखा है सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 खण्ड-एक, पृष्ठ-8 व्याख्यात्मक टिप्पणी, जिसमें लिखा है, स्पेशल वेज एंड मींस एडवांस। विशेष अर्थोपाय अग्रिम 2020-21 के दौरान राज्य सरकार, यह मैं नहीं कह रहा, यह आपकी सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से 16 हजार 71 करोड़ 8 लाख रुपये, विशेष अर्थोपाय अग्रिम, 31 अवसरों में 99 दिन के हेतु लिये गये। आपने 11.03 करोड़ रुपये उसका ब्याज भी दिया।

इसी सीएजी की रिपोर्ट में आगे लिखा है जनरल वेज एंड मींस एडवांस 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक में 7 हजार 412 करोड़ 49 लाख रुपये सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के लिये, 99 अवसरों में 34 दिन के लिये ब्याज पर लिये गये। ब्याज 2 करोड़ 82 लाख रुपये का दिया गया। राजस्थान की सरकार की क्या हालत है। वेज एंड मींस के लिये 365 दिन में, रिजर्व बैंक के दरवाजे पर 133 दिन खड़ी रही।

सभापति महोदय, यह तो वह बात हो गयी, मेरा पड़ौसी अच्छा हो और मेरी जेब जब खाली हो, तो मैं उसको कहूंगा, जरा उधार देना। वह सहृदयता से उधार दे दे। मैं समझता हूं, यह पैसा लेने की आवश्यकता क्यों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पड़ी? यह इसलिये पड़ी कि सरकार के पास वेतन चुकाने के लिये पैसा नहीं। निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक ने आपको फैसेलिटी दे रखी है, पर यह फैसेलिटी आपने अवेल क्यों की, प्रश्न यह है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसको देखना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान, मूलरूप से, मैं नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी आज इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया। आपने पैरा 217 के अन्दर, बजट साइज जिसको कहा, उसको आपने लिखा मार्गोपाय अग्रिम सहित 3 लाख 46 हजार 182 करोड़ 83 लाख। अब आप कंसोलिडेटेड फण्ड में, एप्रोप्रिएशन के माध्यम से जो पैसा ले रहे हो वह है, 3 लाख 55 हजार 222 करोड़ 83 लाख 6 हजार रुपये, यानी 20 दिन का कमाल है। यही आपके अधिकारी।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य तो यह है कि आज अंतिम पारण पर है। मैं पहली बार देख रहा हूं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वित्त और सेक्रेटरी, वित्त, दोनों नहीं आएंगे। दोनों तब आएंगे, जब मुख्य मंत्री आएंगे क्योंकि सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। नौकरशाही के अंदर जो यह भावना पनप रही है, रसद मंत्री जी, यह सदन सर्वोच्च है। सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, सदन के नेता, मुख्य मंत्री जी के प्रति उत्तरदायी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं। अगर वे होते, तो लिखते। 9 हजार 18 करोड़, 20 दिन में आंकड़ा बदला क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): उनके प्रतिनिधि बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, प्रतिनिधि से क्या है। मेरे प्रतिनिधि, मेरे प्रधान को बुला दो, आप अनुमति दे दो। मेरे सरपंच को बुला दो।

श्री सभापति: प्रधान आपका प्रतिनिधि कैसे हो सकता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: सदन में प्रधान आपका प्रतिनिधि कैसे हो सकता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): छोटे नौकरशाहों से, यह नौकरशाह... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं लिख रहा हूं। हर चीज लिख रहा हूं। व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। (व्यवधान) आप लिख रहे हो न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, बहुत दुर्भाग्य है। बहुत दुःखी मन से कह रहा हूं। सदन की जितनी अवहेलना होती जा रही है ये कोई अच्छे कदम नहीं हैं। इसको गम्भीरता से लेना चाहिये। आज एप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कशन हो रहा है, कौन सदस्य क्या बात कहेगा, उसका जवाब अगर मुख्य मंत्री नहीं देगा, बिना लिखे कैसे देगा, कैसे तैयारी करके आयेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): लिख रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पास ही रह जायेगा, यह कागज। वहां और कुछ दूसरे ही कागज आ जाएंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जीरो ऑवर, नेता महोदय....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): करो, करो जो भी करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): वह आ रहे हैं। आन द वे हैं। आज जीरो ऑवर 12.49 पर ही। आप देखो, बोलना 12.30 बजे के करीब शुरू हो गया। रास्ते में हैं, आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो उससे क्या हुआ, कोई अधिकारी नहीं आयेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हमारे नौकरशाह कितने महान हैं। हमारे मंत्री महोदय दयनीय मुद्रा में कह रहे हैं कि आन द वे हैं। पधार रही है सरकार। हुजूर आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमाल है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, जो आंकड़ा 20 दिन में, 9 हजार 18 करोड़ का बढ़ा है, इसका आधार क्या है? यह चौथा बजट है। पांचवां बजट चुनाव की छाया में आयेगा। सभापति महोदय, मैं जब इन बजटों के, बजट एस्टीमेट को देखता हूं, रिवाइज्ड एस्टीमेट को देखता हूं, एक्चुअल को देखता हूं, तीनों के भारी अन्तर से, मैं कह सकता हूं राजस्थान की इस हुकूमत में, बजट की सेंक्टिटी, पवित्रता को नष्ट कर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी सी.ए.जी. की रिपोर्ट आपने हमें दी है। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अन्दर जो आंकड़े हैं यह वर्ष 2019-20 के हैं। मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सी9पवा .ए.जी. की रिपोर्ट पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तीन साल पुराने आंकड़े मेरे सामने हैं पर एक बात यह जरूर कहूंगा कि यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो यह बयां करती है कि सी.ए.जी. के पैरा के बारे में आप कितने चिन्तनशील हैं?

माननीय सभापति महोदय, इसमें पेज 3 में लिखा है कि मार्च, 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में यह पाया गया, यह मैं नहीं कह रहा हूं, सी.ए.जी. कह रही है, इन विभागों के लिए 3,644 निरीक्षण प्रतिवेदन से सम्बन्धित, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, 24,383 करोड़ 73 लाख रुपये के 17,119 अनुच्छेदों में सितम्बर, 2020 तक पैसा बकाया है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट की भी आप, आप किसी की परवाह ही नहीं करते और इसी में यह लिखा है कि आपने पैसा वसूल कितना किया? पूरे वित्तीय वर्ष में आपने जो आपका बकाया सी.ए.जी. की रिपोर्ट 24,383 करोड़ रुपये कह रही है, आपने उसमें इसी में अनुच्छेद 1.7 में यह लिखा है कि आपने 36 करोड़ रुपये की वसूली की है, वाह। मतलब, आज किसी चीज की सैंक्टिटी इस सदन में रहेगी या नहीं रहेगी? राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपने आपको बड़ा विद्वान, विद्वान होना भी चाहिए। सी.ए.जी. की रिपोर्ट आपने उद्धृत की, क्या हालात हैं इस सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर?

माननीय सभापति महोदय, मैं अब एक और बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य के लिए उसकी प्रगति और खुशहाली का प्रतीक उसकी जी.एस.डी.पी. है। निश्चित तौर पर जी.एस.डी.पी. बढ़ती है तो यह माना जाता है कि राज्य की इकोनॉमी बढ़ रही है, राज्य तरक्की की ओर बढ़ रहा है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आप लिखोगे नहीं, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, पृष्ठ-1, आपने इसमें एक तालिका दी है और तालिका के अन्दर आपने जी.एस.डी.पी. के स्थिर मूल्य पर 2011-12 में, हमारी जी.एस.डी.पी. 2019-20 में थी 6 लाख 79 हजार 564, 2020-21 में यह घट कर रह गयी कोरोना के कारण से 6 लाख 60 हजार 118 और उसके बाद जब पूरे साल कोरोना रहा तो भी वर्ष 2021-22 में यह छलांग लगा दी हमने क्योंकि कागज हम ला रहे हैं, एस्टीमेट हमारे हैं, एक्चुअल्स आयेंगे नहीं हमारे पास, कुछ भी लिखो, घर का ही राज है, कुछ भी लिखकर यह सदन में प्रस्तुत कर दो, यह 7 लाख 33 हजार 17, माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित तौर पर 2020 के, 2019-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

20 में 20 अप्रैल को कोरोना का पहला रोगी राजस्थान में पाया गया, इसलिए मैं यह मानता हूं कि उसकी इस इकोनॉमी पर कोरोना की छाया नहीं रही पर 2021-22 में पूरा वर्ष कोरोना की छाया में रहा और आप कहते हैं कि हमारी जो जी.डी.पी. गिरी थोड़ी-सी वह 19,446, निश्चित तौर पर हमारे किसानों का कमाल, हमारी सर्विस सैक्टर का कमाल, पर मैं यह समझता हूं कि 2021-22 में, नेता, प्रतिपक्ष, आप यह देखें कि क्या छलांग लगायी है? आप भी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, इकोनॉमिस्ट हो, 72,899, यह हमारी जी.एस.डी.पी. बढ़ गयी। यह जी.एस.डी.पी. बढ़ी है, माननीय सभापति महोदय, महंगाई के कारण से। इसका सम्बन्ध महंगाई से भी है। महंगाई के विरोध में गांधीजी की मूर्ति के नीचे यह बैठने वाली सरकार अपना आईना देखे और मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह आंकड़े कहां से लेकर आये?

इसी तरह से अगर प्रचलित मूल्य की मैं बात करूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी यह पुस्तक कह रही है, वह ही इकोनॉमिक सर्वे, पृष्ठ-1, उसमें प्रचलित मूल्यों पर 2019-20 में आपकी जी.एस.डी.पी. थी 9 लाख 99 हजार 50 करोड़, 2020-21 में वह हो गयी 10 लाख 13 हजार 323 करोड़, 2021-22 में हो गयी 11 लाख 96 हजार 137 करोड़ और यह मैंने अभी बजट स्टडी के दूसरे पार्ट में एक पार्ट ढूंढ कर निकाला है, उसमें 2022-23 की, नेता, प्रतिपक्ष, 13 लाख 34 हजार 420 है, वाह। मतलब, मैं यह समझता हूं कि जब हमारी कोरोना की छाया थी तो भी राजस्थान की करंट प्राइसेस पर जी.एस.डी.पी. बढ़ती चली गयी और यह 2020-21 और 2021-22 में 1 लाख 82 हजार 814, यह बढ़ोतरी और 2021-22 से 2022-23 तक 2 लाख 38 हजार की बढ़ोतरी, बड़ा राजस्थान खुशहाल है। राजस्थान का किसान बेहाल है। राजस्थान में ठहरा हुआ विकास है और अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो सकल घरेलू उत्पाद में जो जी.एस.डी.पी. है, 2020-21 में था हमारा माइनस 2.86, आपकी यह किताब कह रही है और 2021-22 में यह कर दिया 11.04 और प्रचलित मूल्य पर कर दिया 1.43 से यह छलांग लगा दी 18.04, यानी V-शेप के अन्दर आपने इकोनॉमी बढ़ा दी और माननीय सभापति महोदय, इसी टेबल के अन्दर मैं पिछले तीन सालों के आंकड़े ढूंढ रहा था, 2017-18, 2018-19 और 2019-20, रसद मंत्रीजी, यह तीनों सालों का जो औसत आया, वह औसत मैं यह निवेदन कर रहा था वह था हमारी जी.एस.डी.पी. बढ़ी, स्थिर मूल्यों पर 4.43 और करंट मूल्यों पर यह बढ़ी 9.52 परसेंट यानी, तीन गुना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बढ़ा रहे हो, हमारे पिछले सालों की जी.एस.डी.पी. के अनुपात में और मैं यह समझता हूं कि इसके साथ जो इसके कम्पोनेंट हैं यह आपकी ही किताब कह रही है कि 2020-21 में कृषि का जो हिस्सा था जी.एस.डी.पी. में, वह 30.45 परसेंट था जो 2021-22 में गिरकर 28.85 परसेंट हो गया। कृषि बजट रखा है न अलग से, यह आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? यह मैं नहीं कह रहा और आपका उद्योग में जो हिस्सा था जी.एस.डी.पी. में वह 25.26 परसेंट था जो थोड़ा-सा बढ़ा 26.34 और सेवाएं आपकी सर्विस सैक्टर में 44.29 से 44.8 हो गयी।

मेरी यह समझ में ही नहीं आ रहा है, कम्पोनेंट यह कह रहे हैं कि हमारी जी.एस.डी.पी. के मेजर कम्पोनेंट, कृषि के अन्दर हमारी दर गिर रही है, उद्योग के अन्दर हम थोड़ा-सा बढ़े हैं, सर्विस सैक्टर पाइंट कुछ बढ़े हैं परन्तु आप तो यह छलांग लगाओगे ही लगाओगे।

माननीय सभापति महोदय, जब किसान की बात आती है तो किसान की इकोनॉमी में पशुपालन, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश के कुल पशुपालन में राजस्थान में 10.60 है। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी देख रहा था कि देश में 19वीं पशु गणना के बाद में 20वीं पशु गणना आयी। राजस्थान के अन्दर गधों और ऊंट के अन्दर सबसे बड़ा ह्रास हुआ। गधे राजस्थान में 2012 के अन्दर 81,468 थे और 2019 में 23,374, माइनस 71 परसेंट और ऊंट 3 लाख 25 हजार 713 से 2 लाख 12 हजार 759, माइनस 34 परसेंट। यह एक संयोग है मैं जब ये सारे आंकड़े निकाल रहा था तो मैं यह देख रहा था कि इस देश के अन्दर गधों की संख्या कहां-कहां कम हुई? मुझे आश्चर्य है, मैं यह आंकड़े रखूंगा, यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन चारों राज्यों में जहां पर चुनाव हुए और चुनाव में भी 690 सीटों में कांग्रेस आपकी हुकूमत है, बड़े चौड़े हो रहे हो न? 55 सीटें आयी हैं और +++ मैं यह जिम्मेवारी से कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 2012 में 57 हजार गधे थे, ये 16 हजार गधे रहे गये। पंजाब में 2 हजार गधों से 471 रह गये और उत्तराखंड में और इनमें तो गधे गायब ही हो गये। मैं यह समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, थोड़ी भाषा ठीक रखें। +++ ऐसे किसी की नहीं, यह डिलीट कर दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अच्छा, नहीं करूंगा। नहीं-नहीं, यह हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह डिलीट कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं यह सोच ही नहीं सकता कि +++

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हमारा सम्बन्ध तो,

कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती।

कर मूलेस्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम्।।

इससे है।

श्री सभापति: आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनको शायद यह पता नहीं है कि गधों की संख्या सबसे ज्यादा गुजरात में है और प्रधान मंत्रीजी तो गधों की तारीफ करते हैं और आप गधों से नफरत क्यों करते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नफरत नहीं, मुझे चिन्ता है। मुझे चिन्ता है कि जिन राज्यों में +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: डिलीट कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++ मंत्री महोदय, +++ अब क्या होगा दो साल बाद चुनाव में, मुझे उसकी चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय। हां, आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लांस 2022-23 पेज-4 में एक ग्राफ दिया है। यह आपकी ही किताब है, उस ग्राफ में आपने ग्राफिक आकड़ों के माध्यम से यह बताया कि पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां है? वह ग्राफ यह बता रहा है कि आपके पूरी इकोनॉमी, आपके कंसोलिडेटेड फंड में पैसा जो आता है वह 37.92 परसेंट पैसा आंतरिक उधार, पब्लिक अकाउंट से, केन्द्रीय ऋण, इन-इन से आपके पास 37.92 परसेंट आता है। देख ली आपने अपनी इकोनॉमी? गाली देते हो न सेंटर को, यह पैसा आ कहां से रहा है? आंतरिक ऋण किससे लोगे? रिजर्व बैंक से। यह आ कहां से रहा है? पब्लिक अकाउंट से, यह जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर्मचारियों ने, आपने अभी जो स्वांग रचा न ओल्ड पेंशन का, इसके पीछे महज कारण यही था कि पब्लिक अकाउंट्स के अन्दर जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन का पैसा आयेगा, उस पैसे का आप इस्तेमाल करोगे और उसके बाद आप अगला देखो कि 14.21 परसेंट आता है केन्द्रीय करों के रूप में, आपका ग्राफ यह कह रहा है और 13.09 परसेंट आता है केन्द्रीय सहायता के रूप में।

(समय: 13.00 बजे)

महाराज क्यों गालियां देते हो केन्द्र को? आपकी पूरी इकोनामी तो इसी पर डिपैण्ड है।

श्री सभापति: प्लीज, इनको बोलने दें, बीच में नहीं बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह पैसा जाता कहां है? इनका ग्राफ क्या कह रहा है, 21 परसेंट राशि तो आन्तरिक व केन्द्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान में चली गयी। छुट्टी। 8.33 परसेंट राशि ब्याज की अदायगी में चली गयी। चलो छुट्टी और 7.55 राशि राजस्व व्यय में चली गयी और पूंजीगत व्यय में कितना आया, आपका कागज कह रहा है 10.06, सभापति महोदय, मैं गणना कर रहा था, इस बार बजट के अन्दर जो ताबड़तोड़ घोषणाएं हुईं, 1 लाख 16 हजार करोड़ की घोषणाएं, रसद मंत्रीजी, जब सदन से बाहर जाओगे, राजस्थान का अवाम पूछेगा कि 'पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने' यह क्या हो रहा है। मैं समझता हूं, इस पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा इंडिकेटर, सरकार के पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा खर्च होता है, आपका रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू माइनस पर डिपैण्ड करता है। आपका जो राजस्व घाटा है, मैं समझता हूं, एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से इस बिल का नाम मिस-एप्रोप्रिएशन बिल रख दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि सभापति महोदय, इन्हीं की पुस्तक क्या कहती है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है। 2019-20 में बीई में 27 हजार 14 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट लेकर आये। आरई के अन्दर आये तो 28 हजार 41 हो गया। एक्चुअल जब आप देख रहे हैं तो 36 हजार 371, क्या अर्थ रहा बीई का? 2020-21 में बीई के अन्दर 12 हजार 368 लेकर आये और आरई के अन्दर सीधा 41 हजार 721 और एक्चुअल में 44 हजार एक। क्या है, सभापतिजी, खेल। 2022-23 में आप 23 हजार 448 लेकर आये हैं। मैं आज सदन में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिम्मेदारी से यह कहता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट, रसद मंत्रीजी, 50 हजार के आंकड़े को पार करेगा। मतलब कितना-कितना फर्क है। अगर मैं यह कहूं कि 2020-21 में रेवेन्यू डेफिसिट अनुमान के अनुसार 31 हजार 363 करोड़ रुपये ज्यादा आया। यह तो फिस्कल डेफिसिट है। नेट बोरोइंग प्लस डेफिसिट, मतलब यह ऐसा आंकड़ा है, सभापति महोदय, जो राज्य की सारी आर्थिक स्थिति को बता देता है और आंकड़ा यह कहता है, हम बड़ी अच्छी तरह से चले सनम तेरे राज में, बीमारू प्रदेश बन गये। क्या है यह? मतलब 2019-20 में राजकोषीय घाटे की बीई थी 32 हजार 213, आरई में आप आये 32 लाख 678 अकाउण्ट्स में आप आये तो 37 हजार 654, 2020-21 में बीई में थी 33 हजार 972, आरई में सीधी 58 हजार 608, ऐसी बढ़ोतरी मैंने कभी नहीं देखी और एक्चुअल में 59 हजार 375, कहां जायेगी राजस्थान की इकोनोमी? अबकी बार तो आप बीई लेकर आये हैं 58 हजार 211 की और मैं समझता हूं कि एफआरबीएम एक्ट बना था, उसके सेक्शन 5 में जो इन्डिकेट तय किये गय थे जीएसडीपी के अनुपात में फिस्कल डेफिसिट 3 परसेंट होना चाहिए। निश्चित तौर पर भारत सरकार ने अनुमति दी। मुख्य मंत्रीजी फिर भाषण टेक देंगे, पर हो क्या रहा है। 2020-21 में 6.12 और 2022-23 में 4.38, सभापति महोदय, इसी सीएजी की रिपोर्ट में जो टारगेट दिये गये थे, एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात कही गयी है, अगर मैं उनकी बात कहूं तो मैं समझता हूं कि लक्ष्य था 2011-12 से राजस्व घाटे को कम कर इसे बनाये रखने का, राजस्थान सरकार की उपलब्धि है 2020-21 में 44 हजार 01 करोड़ का राजस्व घाटा था जीएसडीपी का 4.59 परसेंट था। 2021-22 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे का 3 परसेंट अधिक नहीं होना बताया, ये टारगेट थे और इनका क्या हुआ, राजस्व घाटा था 59 हजार 375, वह जीएसडीपी का 6.20 था। जीएसडीपी का बकाया ऋण के बारे में जो टारगेट था, वह आगे बढ़ कर 42.85 परसेंट पर पहुंच गये। मैं समझता हूं कि किस प्रकार का शासन है किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।

सभापति महोदय, जब मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करता हूं, इन्हीं की किताब से देखता हूं तो खुशहाल राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, हर व्यक्ति की प्रगति छिपी हुई है प्रति व्यक्ति आय से। आपने इसको भी निरन्तर बढ़ाया है और बढ़ाकर आपने कहा कि 2021-22 में करंट मूल्यों पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वह 1 लाख 35 हजार 218 है और पिछली

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बार थी 1 लाख 15 हजार 993, मतलब प्रगति करते जा रहे हैं और उस प्रदेश के अन्दर, जिस प्रदेश के अन्दर सेन्टर फोर मानिटरिंग इण्डियन इकोनोमी के आंकड़े कह रहे हैं 32.3 परसेंट, दिसम्बर 2021 के आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है। यही नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर 66 लाख ग्रेजुएट हैं, उनमें से 20 लाख 67 हजार ग्रेजुएट आज भी बेरोजगार हैं और, मंत्री महोदय, एनसीआरबी के आंकड़े जब देखते हैं, ग्रेजुएट्स ने जो आत्महत्या की, उसमें राजस्थान का पांचवां नाम है। मैं समझता हूं, किस प्रकार की बात आप कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो अनाज के व्यापारी जो आढ़त वसूल करते हैं, उससे किसान पर कोई भार नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के समय में 28.09.2018 को उनकी आढ़त को 2 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये 25 पैसे किया गया। अब आपने 01.03.2021 से 31.03.2022 तक, विशेष कारण रहे, कोरोना था, आपने 2 रुपये 25 पैसे की आढ़त को 1 रुपया 75 पैसा किया। अब तो वह कालखण्ड चला गया। अब आप उसको पूरा क्यों नहीं करते? आपने मण्डी में 0.5 परसेंट जो एग्री सैस लगाया है, यह कोरोना के कारण से लगाया। अब कोरोना की छाया निकल गयी। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, जब ये मेहरबान हो जाएं तो कुछ भी कर दें। अभी गंगानगर के अन्दर मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा करने वाले बीडी अग्रवालजी थे, वह स्वर्ग सिधार गये। उन्होंने एक बैंक गारन्टी दी थी 21 करोड़ 50 लाख की। यह कहकर दी थी कि अगर मैं स्टीपुलेटेड टाइम के अन्दर इस मेडिकल कालेज को नहीं बनाऊं तो मेरी बैंक गारन्टी जब्त कर लेना। खुद वह कोर्ट के अन्दर गये 2015 में। कोर्ट ने जो कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं- 'the petitioner is directed to resume timely construction building as per the original schedule terms in the MOU up to 30.06.2018. उसके बाद कह दिया कि अब तो केन्द्र सरकार से बन रही है। मतलब जो पैसा जब्त होना चाहिए था। चूंकि हर एमएलए मिनी मुख्य मंत्री है न। एक मिनी मुख्य मंत्रीजी का फरमान आया कि यह पैसा वापस कर दो। उसमें कट मनी कहां से कहां गयी, मौका लगने पर मैं बताऊंगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हालात क्या हैं।

सभापति महोदय, आप देख रहे हैं, मेरा समय अभी है। मैं फाइनेंस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिल पर कुछ बात कहना चाहूंगा। यह जो फाइनेंस बिल है, मंत्री महोदय, आप राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 के माध्यम से राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 सेक्शन 65(1) और 35 ए के शिड्यूल आर्टिकल 17 और 35 बी में एक संशोधन लेकर आये हैं। 65 ए की उपधारा में विद्यमान परन्तुक तथा पूर्व में संशोधित परन्तुक सैकण्ड के मध्य नया परन्तुक जोड़ रहे हो आप। परन्तुक क्या जोड़ रहे हैं। पहले प्रावधान यह था, सभापति महोदय, आईजी स्टाम्प या उसके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी अगर किसी आदेश से वह पीड़ित होता है या कोई व्यवहारी पीड़ित होता है तो चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू आफिसर, जो एक तरह से अध्यक्ष, टैक्स बोर्ड होता है, उसके समक्ष अपील करने का अधिकार पहले 90 दिन था, बाद में आपने संशोधन करके उसको 180 दिन किया। अब आप उसको असीमित कर रहे हो। मतलब किसको कर रहे हो, अकेले उस व्यापारी को नहीं, साथ में अधिकारी को भी अधिकार दे रहे हो कि वह असीमित समय में कभी भी अपने द्वारा किये गये उस असेसमेंट को री-ओपन कर सकता है। एक अधिकारी आज है, उसका ट्रांसफर हो गया, वह अधिकारी कहेगा कि पिछली बार जो तेरा असेसमेंट हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। या तो अन्डर टेबिल आ जा, वरना मैं री-ओपन कराऊंगा। कौनसा पैण्डारा बाक्स खोलना चाहते हो आप? क्यों इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देते हो? जब आपकी ये सारी अपीलें टैक्स बोर्ड में जायेंगी, जरा असेसमेंट तो कर लो कि टैक्स बोर्ड की आज हालत क्या है।

इसी में एक और अमेंडमेंट लेकर आये हैं आप आर्टिकल 17 में, जो सेक्शन 3 में है। उसमें पहले प्रावधान क्या था कि सार्वजनिक नीलामी पब्लिक, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, जब होती थी और कोई सम्पत्ति बेची जाती थी तो उस सम्पत्ति में बाजार मूल्य या सम्पत्ति छोड़ी गयी है आखिरी नीलामी पर, दोनों में से जो ज्यादा हो, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। अब आप संशोधन क्या लेकर आये हो। नहीं, अगर पब्लिक प्रोपर्टी कोई भी बेची जायेगी, कोई सम्पत्ति पब्लिक आक्शन में होगी तो जो बाजार मूल्य आयेगा, उस बाजार मूल्य पर जो आपका अधिकारी प्रमाण-पत्र दे देगा नीलामीकर्ता अधिकारी, उस पर आप स्टाम्प ड्यूटी लेंगे। मतलब क्यों जी? क्यों आप स्टाम्प ड्यूटी के अंदर लीकेज करना चाहते हो? इसका मैं निवेदन करूं, कोई छोटी-मोटी जगह नहीं, हम सबको मालूम है, आज सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि यह जो नेशनलाइज बैंक, शिड्यूल्ड बैंक,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ग्रामीण बैंक से जिन किसानों ने लोन लिया, 30 नवम्बर, 2018 तक लोन लिया और जिनको वन टाइम सेटलमेंट करने की बात थी, कल्ला साहब, आप तो उस कमेटी पर ऐसे विराजे कि उतर ही नहीं रहे हो, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। उनको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सदन के अन्दर यह बात लिखी जाये कि रोडा एक्ट, 1974 के सैक्शन 13 और 14 के अन्दर, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आपके भी वहां हैं, एक नहीं, 1 लाख 35 हजार खाते एन.पी.ए. हुए हैं। सभापति महोदय, 1 लाख 35 हजार जो खाते एन.पी.ए. हुए हैं, इनकी जमीन जब नीलामी की ओर जायेगी तो उसके अन्दर रैकेट बनेंगे, 1, 2, 3 होगा, किसान की जमीन जायेगी। वह जमीन भी औने-पौने दामों में जायेगी। उसके अन्दर भी बाजार मूल्य नहीं, नीलामीकर्ता जो छुड़ायेगा, उससे करेगा। मैं समझता हूं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है?

दूसरा, जो आप स्टाम्प एक्ट में संशोधन लेकर आये हैं, 35 बी के अंदर, उसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसको एलएलपी कंपनी कहते हैं, उसमें इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी पहले 0.5 परसेंट थी, यह मंत्री महोदय, आज के नौजवान सब्मिट करते हैं, जिलों में जाती है, यह एलएलपी कंपनी में नये नौजवान इस कारोबार को बढ़ाते हैं। इसी को देखते हुए 08 मार्च, 2017 को 2 परसेंट जो स्टाम्प ड्यूटी थी, उसको वसुन्धरा जी ने 0.5 परसेंट किया। अब आप क्या कर रहे हो? आप वापस उसको बढ़ाकर के 2 परसेंट कर रहे हो। आप राजस्थान के औद्योगिकीकरण की बात करते हो। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो जी.एस.टी. एक्ट है, उस एक्ट में आप एक संशोधन लेकर आये हैं। जी.एस.टी. एक्ट की धारा 174 की उप धारा 2 (क) के पश्चात् उप धारा 3 में एक नई उपधारा, और उसमें क्या कर रहे हैं कि जब जी.एस.टी. एक्ट 2017 से पहले, जो कानून जी.एस.टी. में शामिल हो गये, चाहे वह वैट एक्ट से था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, टोबेको टैक्स था, 30.06.2017 के बकाया प्रकरणों में एक्स पार्टे असेसमेंट हो गया या उसको री-ओपन कराने की 4 साल तक छूट थी। अब आप उसमें मल्टीपल छूट कर रहे हो। मतलब, उसको अनलिमिटेड कर रहे हो। इससे क्या फायदा होगा? सवाल इस बात का है कि 2017 के अन्दर जो आपकी कट आफ तारीख थी, मुझे बतायें कि यह किसकी मांग पर, किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? कितने-कितने व्यवहारी इसके अन्दर आते हैं?

सभापति महोदय, इसमें आप एक और संशोधन कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप 5 मिनट में अपना कन्क्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं 7 मिनट 13 सैकण्ड के अन्दर ऐसे बैठूंगा, इतनी जल्दी कोई नहीं बैठा होगा।

सभापति महोदय, जी.एस.टी. एक्ट में एक और संशोधन लेकर आये हैं। उसमें मल्टीपल टैक्सेज में जिन व्यापारियों की मांग निकाली, जो अनट्रेसेबल होंगे, उन व्यापारियों की मांग निकलती है जो अच्छा व्यापार करते हैं। अनट्रेसेबल हो गये। अब आप एक तरह से उनकी राशि को राइट आफ करना चाहते हैं। क्यों? किसान जिसने फसली ऋण नहीं दिया, उसकी तो जमीन नीलाम हो रही है। उन महानुभावों को, कारण बता दो मुझे, किसको लाभ देना चाहते हो? सी.एस.टी. के अन्दर जो अनट्रेसेबल थे, जो मल्टीपल टैक्सेज में अनट्रेसेबल थे, राइट आफ, हिडन एजेंडा क्या है? कौनसे मिनी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेरे उस भाई के टैक्स बकाया है, उसके लिए यह करो।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो वैट एक्ट है, मैं निर्धारित समय में पूरा करूंगा, उसके अन्दर वैट की जो पुरानी वसूली योग्य राशि है, उसको माफ करने के लिए एक अमेंडमेंट लेकर आये हैं। ए.सी.टी.ओ. पहले 10 हजार तक कर सकता था, उसको अब 1 लाख तक, सीटीओ 25 हजार तक था अब 5 लाख तक कर दी, डीसी 1 लाख था वह अब 25 लाख, कमिश्नर तो बड़े आदमी हैं, 5 करोड़ तक करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि आपका इन देनदारियों को माफ करने के पीछे हेतु क्या है?

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर अब मैं जो बात कर रहा हूं उससे बड़ा कोई मजाक नहीं हुआ होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं मेरी बात भी समाप्त करूंगा। यह जो 2022 के अन्दर, जो वैट 2003 में जो संशोधन 33 और 34 में लेकर आये हैं, यह का यह संशोधन मंत्री महोदय, आप वित्त विधेयक, 2021 में 25 मार्च, 2021 को लेकर आये इसी सैक्शन 33 और 34 में, हम सभी ने पारित किया। अब मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, अब विधि मान्य, मतलब वह 1 साल तक विधि मान्य नहीं था। नेता, प्रतिपक्ष यह पहला मौका होगा जब सदन में पारित किया गया संशोधन जो कानून बन गया, एक साल तक अधर में लटका रहा। विधि मान्य नहीं था। उसमें क्या लिखा आपने? कतिपय आदेश को विधि मान्य करना, जो लाये हैं न संशोधन, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन सम्मिलित माल के सम्बन्ध में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021, मैंने पहले इंगित किया, अधिनियम संख्या 3 की धारा 9 और 10 में क्रमश: राजस्थान मूल्य परिवर्तित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर अधिनियम 2003 की धारा 33 में स्थापित उप धारा 4 (क) और 34 की उप धारा 3 (क) के अधीन किये गये आदेश विधिमान्य होंगे। क्या है यह? मैं आश्चर्य चकित हूं।

सभापति महोदय, इससे बड़ा सदन का अपमान हो नहीं सकता। एक साल पहले एक अमेंडमेंट सदन पारित करे और रसद मंत्री जी, एक साल बाद विधि मान्य का प्रस्ताव सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लेकर आयें और हम उसको पारित करें। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अन्त में मैं यही कहूंगा कि राजस्थान के अन्दर उद्योग के लिए सबसे महंगी बिजली है। राजस्थान में तेलंगाना के बाद सर्वाधिक महंगा वैट है। आज राजस्थान जिस प्रकार की आपाधापी और आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के अन्दर एक्साइज रेवेन्यू कम होती जा रही है क्योंकि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये, आरएमएल कंपनी को फायदा पहंचाने के लिये, एक बाटलिंग प्लांट को फायदा पहुंचाने के लिये आपने एक्साइज पालिसी में संस्थागत भ्रष्टाचार तक कर डाला।

सभापति महोदय, अन्त में यही कहूंगा कि आज तक सदन के नेता ने मेरे कहने पर मेरी एक भी मांग पूरी नहीं की। मैं सदन के माध्यम से पहली और आखिरी मांग इसलिए कहूंगा कि दुबारा शायद इस प्रकार का मौका आयेगा नहीं। हमारे चूरू में ऐतिहासिक गढ़ है जहां से हमारे पूर्वज निकले थे। जिस गढ़ से चान्दी के गोले चले थे। आज तक मैंने कभी मांगा भी नहीं और उन्होंने मुझे दिया भी नहीं। मेरी एक मांग है कि यह गढ़ ढहता जा रहा है, इसके लिये 5 करोड़ रुपये दिला दो। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। मैंने मेरी सारी बातों से सिद्ध किया, आपने कपोल-कल्पित बजट प्रस्तुत किया। आप बजटीय घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। आपने जितना इस मेज को थपथपाया है, जनता में जाओगे तो उतनी ही छाती पीटने को मजबूर होगे। यह मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेन्स बिल पर बोलने का

(श्री संयम लोढ़ा)

मौका दिया। प्रतिपक्ष के हमारे विद्वान उप नेता और उनके साथ ही प्रतिपक्ष के नेता, सदन की स्थिति को लेकर चिन्ता प्रकट कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, सिरोही की जनता के आशीर्वाद से जब इस सदन में मैं पहली बार आया तो भैरोंसिंह जी शेखावत इस सदन में पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में मौजूद थे। जब इस विधान सभा की बैठक 11 बजे चालू होती थी और जब सदन स्थगित होता था, उम्र की सीमा के बावजूद भैरोंसिंह जी शेखावत सदन में बैठते थे। बैठे हुए रहते थे। मेरे जैसे नौजवान सदस्य, जो पहली बार तब चुनकर आये थे, उनकी भी गतिविधि पर वह ध्यान रखते थे। उनका मार्गदर्शन करते थे। उनको सिखाते थे। क्या मैं प्रतिपक्ष के उप नेता से पूछ सकता हूं कि राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया कहां पर हैं? क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह चिन्ता इस सदन की स्थिति को लेकर है या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठकों में घटती हुई संख्या को लेकर है? क्या वह पूर्व मुख्य मंत्री आपकी पार्टी के अनुशासन से ऊपर हैं?

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के प्रति सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। इस सदन का 70 साल का गौरवशाली इतिहास मौजूद है। इस पवित्र सदन के माध्यम से अनेकानेक क्रान्तिकारी कानून हमारे जन प्रतिनिधियों ने व्यापक चर्चा के साथ पारित किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता का मैंने उद्बोधन सुना। उनके पास आज बोलने को कुछ था नहीं। क्या इनकी तीन साल के सरकार के कामकाज की तुलना अशोक गहलोत की सरकार के तीन साल के कामकाज से करने की हिम्मत वो रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्व घाटे का और राजकोषीय घाटे का जिक्र किया। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा 2020-21 के एक्चुअल्स क्या थे? रेवेन्यू डेफिसिट के 4,402 और 2021-22 का रिवाइज एस्टिमेट क्या हुआ? 35,689 करोड़ रुपये और इस साल बजट एस्टिमेट क्या प्रस्तुत किया गया 23,489 करोड़ रुपये, इसमें कहां आपत्ति की बात है? अशोक गहलोत की जब-जब सरकार रही है, उन्होंने वित्तीय अनुशासन की पालना करने की कोशिश की है। प्रतिपक्ष के नेता जब बोलने के लिए खड़े हों तो जवाब दे दें कि 2008 से 2013 के बीच में तो अशोक गहलोत की सरकार रही, पूरे पांच साल एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों का उन्होंने पालन किया कि नहीं किया? आप उत्तर दे देना कि

(श्री संयम लोढ़ा)

2014 से 2018 के बीच में आपकी सरकार रही, किस रूप में आपने वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ायीं और राजस्थान में राजकोषीय घाटा बढ़ता चला गया।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से तुलना कर रहे थे, भारत सरकार के 35 लाख करोड़ रुपये के बजट में बोरोइंग कितनी है? 18 लाख करोड़ रुपये, 51 परसेंट बोरोइंग है। माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करूंगा आपको, 2020-21 का भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट क्या है, 9.2 परसेंट, हमारा क्या है 5.8 परसेंट। वर्ष 2021-22 का भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट क्या है, 6.4 परसेंट, हमारा क्या है, 5.3 परसेंट। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, माननीय सभापति महोदय, आज स्टेट घिरे हुए हैं, चारों तरफ से, सरकार की आवक चारों तरफ से घटी है, उसके बीच में भी केन्द्र सरकार गला पकड़ने की चेष्टा कर रही है स्टेट्स का, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? कितनी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, जो पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 75 और 100 के रेश्यो पर चलती थीं, उन सारी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को आपने 40 परसेंट पर, 50 परसेंट पर, 60 परसेंट पर लाकर खड़ा कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, क्या स्टेट के पास इतना पैसा है? मैं विनती करूंगा कि पिछले तीन साल में जितने स्कूल खोले, आप अपने तीन साल की सरकार के कामकाज से उनकी तुलना कर सकते हैं, कितने कालेज खोले, उनकी तुलना कर सकते हैं, कितनी सरकारी नौकरियां दीं, उससे तुलना कर सकते हैं, पानी में जो रियायतें दीं, उनसे तुलना कर सकते हैं, बिजली में जो रियायतें दीं, सामाजिक सुरक्षा में जो बढ़ोतरी की, इनकी तुलना कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, खेलों में पहले उसी खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिलती थी जिसके टी-शर्ट पर पीछे लिखा हुआ होता था 'इंडिया'। इस सरकार ने वो नियम बदला, आज जिस खिलाड़ी के टी-शर्ट के पीछे 'राजस्थान' लिखा हुआ है, उसको हमने सरकारी नौकरी देने का प्रयत्न किया है। इन तीन सालों के अन्दर 400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी। आज जवाब दें तो खड़े होकर बता देना कि आपकी सरकार के पांच साल में कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी।

माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक टिप्पणियां की गयीं। अभी चार

(श्री संयम लोढ़ा)

राज्यों के अन्दर परिणाम आ गये, ठीक है, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि यह जनता माई-बाप है, उत्तर प्रदेश में आपके प्रजेंट उप मुख्य मंत्री को उसके ठिकाने लगा दिया। गोवा के अन्दर आपके डिप्टी सीएम को ठिकाने लगा दिया। विधायकों की भी अगर आप तुलना करेंगे तो आज भी देश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नम्बर पर विधायकों की संख्या आज भी कांग्रेस पार्टी की है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आप कांग्रेस के नहीं हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कांग्रेस का सिम्पेथाइजर हूं। निर्दलीय हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको कि देश के तमाम बड़े राज्यों से आप तुलना करें, जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उनसे अगर तुलना करें तो जो फिगर आपके पास उपलब्ध हैं, सामान्य श्रेणी के राज्यों का जी.एस.डी.पी. का टोटल एक्सपेंडिचर 15.15 परसेंट रहा, राजस्थान में वो 18.95 परसेंट है, दूसरे राज्यों से तुलना करें तो।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पर नरेन्द्र मोदी साहब नई शिक्षा नीति जरूर लेकर आये और जिसमें कहा कि जी.एस.डी.पी. का 6 परसेंट हम शिक्षा पर खर्च करेंगे लेकिन इन सात सालों के अन्दर आप खड़े हों तो जवाब दे देना कि क्या आप इस दिशा में आगे बढ़ पाये? दुनिया के दूसरे राष्ट्र हैं, ब्राजील है, यूके है, 5 से 6 परसेंट अपनी आय का शिक्षा पर खर्च करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस साल भी केन्द्र के बजट में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। हम उम्मीद करते थे कि 6 परसेंट होगा, आज राजस्थान के स्कूलों को हम ठीक करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे कमरे मिलें, हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलें, हमें 12,500 करोड़ रुपये चाहिए। हमने भारत सरकार से मांगा, देते कितना हैं, 194 करोड़ रुपये, 2000 करोड़ की डिमांड करो आप और 194 करोड़ रुपये मिलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता से यह भी विनती करूंगा कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद आपकी पार्टी के जिताकर दिये हैं, आप लीड लीजिये। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं और राजस्थान के बच्चों की यह आधारभूत कमी है, उसको दूर करने में मौजूदा सरकार का सहयोग कीजिये। माननीय सभापति महोदय, जो स्टेट्स हैं, उनका एजुकेशन पर खर्चा है 15.91

(श्री संयम लोढ़ा)

परसेंट और राजस्थान की सरकार ने 17.73 परसेंट खर्चा किया है, ये 2019-20 के एक्चुअल फिगर हैं। मेडिकल में भी दूसरे स्टेट का एक्सपेंडिचर का फिगर 5.21 एवरेज है, जनरल कैटेगरी के स्टेट, राजस्थान का है 6.28 परसेंट, तो माननीय सभापति महोदय, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी मौजूदा सरकार नहीं रख रही है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि अभी भी राजस्थान का बजट एलोकेशन एजुकेशन का आप देखेंगे तो इस साल 2022-23 में 18 परसेंट है, पिछले साल के बजट एस्टिमेट 15.2. परसेंट से कहीं ज्यादा है। मेडिकल में भी पिछले साल 6 परसेंट था, जिसको बढ़ाकर इस साल 7.4 परसेंट किया गया है। इसी के साथ ग्रामीण विकास में भी पिछले साल 5.7 परसेंट था, उसको बढ़ाकर 10.3 परसेंट किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, मेरे ठीक आगे इसके मंत्रीजी बैठे हैं, क्या हाल है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट स्कीम, ग्रामीण आजीविका मिशन, इर्रिगेशन इन डेजर्ट एरिया, एनएचएम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी योजनाएं स्टेट के माथे पड़ रही हैं क्योंकि 2014 में नरेन्द्र मोदी की चुनी हुई सरकार आने के बाद हर योजना में एक ही काम किया, अगर 10 परसेंट स्टेट का शेयर था तो 90 परसेंट यूनियन आफ इंडिया का था, उसको घटा दिया। इस कारण से कई योजनाएं बन्द होने के कगार पर आ गयीं। आयुष्मान भारत, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ये क्या करते हैं, माननीय सभापति महोदय, सीलिंग लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। उसके बाद यदि आपको करना है तो आप स्टेट फंड से करिये। आज आप भी गांव से आते हैं और मैं भी एक ग्रामीण कांस्टीट्यूएंसी से आता हूं। हमारे घरों में नई बहुएं आ रही हैं हमारे जो बच्चे नये पैदा हो रहे हैं, हम खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि लिमिट लगा रखी है, पोर्टल खुलता नहीं है, उस कारण से राजस्थान में हजारों लोग, इनके लाभ से वंचित हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नीति आयोग ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर जिलों को चिह्नित किया है कि किस-किस जिले में क्या-क्या कमियां हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री संयम लोढ़ा)

हम जो पिछड़े जिलों से आते हैं, हमारे जिलों पर आपको खास फोकस करने की जरूरत है हैल्थ, मेडिकल, शिक्षा, इन सब ग्राउंड पर लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से विनती करना चाहूंगा कि ये इतना ओवर लोडेड डिपार्टमेंट है कि उन तक बातें ही नहीं पहुंचती हैं। क्या आपकी जानकारी में है कि जिन स्कूलों में 'जीरो' नामांकन हैं उनमें टीचर लगे हुए हैं? शिक्षा विभाग में इस बारे में पिछले तीन साल में कोई प्रयास नहीं हुआ कि जहां पर 'जीरो' नामांकन है वहां से टीचर को हटाकर दूसरी जगह पर लगा दें। हमारे जैसे पिछड़े जिलों के इलाकों में पचासों ऐसे स्कूल्स हैं, जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। यदि वह टीचर बीमार हो जायेगा, छुट्टी पर चला जायेगा तो वे बच्चे कहां पढ़ने जायेंगे? माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि राजस्थान के सबसे ज्यादा निरक्षर लोग मेरे जिले में हैं। लड़कियों की साक्षरता में भी राजस्थान में जालौर के बाद हम दूसरे नम्बर पर हैं। भारत सरकार ने हमें चिह्नित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में सरकार के ठोस प्रयास नहीं होते। नये टीचर्स आपके पास आते हैं, आप जो सीटें ऑनलाइन शो करते हैं खाली, उसमें भी आपने एक पैरामीटर डाल दिया कि जिस जगह नामांकन ज्यादा है, वह ही शो होगी। हमारे यहां पचासों ऐसे स्कूल्स होंगे, जहां नामांकन कम होगा। ऐसे में पद खाली के खाली रह जाते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि इस बात पर खास ध्यान दें, जिससे इन पिछड़े जिलों को भी हम उस दिशा में आगे बढ़ा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, राजस्थान में क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट शुरू हुआ और इस रूप में शुरू हुआ कि आम जनता के हजारों करोड़ रुपयों का निवेश उन्होंने आमंत्रित किया। लोग भी लालच में आ गये, क्योंकि वे इतना ज्यादा ब्याज देते थे। आज राजस्थान के लाखों नागरिकों का अरबों रुपया उनमें पडा हुआ है। हम लगातार आपके और अन्य माध्यमों से इस बात को उठाते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि अभी तक राजस्थान सरकार के पोर्टल पर 93,724 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं मल्टी स्टेट क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी के। जो स्टेट की सोसाइटीज हैं, स्टेट में रजिस्टर हुई हैं, इनके खिलाफ 1,416 प्रकरण रजिस्टर हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन

(श्री संयम लोढ़ा)

परिवादों में कितना पैसा इन्वाल्व है- 1,875 करोड़ रुपये लोगों के इसमें इन्वाल्व हैं। Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के जो रूल्स अप्रूव हुए हैं, राजस्थान सरकार ने अभी तक उन्हें नोटिफाई नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से उन्हें नोटिफाई करने की विनती करूंगा। इस सम्बन्ध में मंत्री की लीडरशिप में आप एक उच्चाधिकार समिति गठित करें, जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात करे, क्योंकि उन्होंने तो सबसे बड़ी जो मल्टी स्टेट सोसाइटी है, उसमें गुजरात के एक रिटायर्ड आई.ए.एस. को बैठा दिया और उन्हें कोई स्टाफ दिया नहीं। वे किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकते नहीं। लोग उन्हें पूछते हैं तो वे अपनी लाचारी दिखा देते हैं कि मैं क्या करूं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग में एक नया फार्मूला लेकर आये हैं कि ब्लाक सी.एम.एच.ओ. इतने साल के एक्सपीरियंस का लगेगा, सी.एम.एच.ओ. इतने साल के एक्सपीरियंस का लगेगा, ज्वाइंट डायरेक्टर इतने साल के एक्सपीरियंस का लगेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप 2018 के जिलों के फिगर्स उठाकर देख लें, कौन-सा जिला चाइल्ड ट्रैकिंग हैल्थ सिस्टम में कहां पर खड़ा था, कौन-सा जिला परिवार कल्याण में कहां पर खड़ा था, इस सरकार के तीन साल के काम-काज में कौन-सा जिला किस रूप में उठकर कहां तक आया? जिन लोगों ने अच्छा काम किया है और जिलों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, आज ये इस तरीके के आप लेकर आयेंगे? फिर, आप इन तीन पदों के लिये तो लेकर आ गये, जिले में और भी अधिकारी हैं। आपके स्टेट में भी अधिकारी हैं, उनके लिये क्या एक्सपीरियंस रखा आपने? डायरेक्टर के आठ पद हैं। आपको पालिसी लानी चाहिये तो समग्र रूप से पूरे डिपार्टमेंट की लानी चाहिये। डायरेक्टर के आठ पद हैं, क्या आपने उनके लिये कोई एक्सपीरियंस रखा? एडिशनल डायरेक्टर के आपके छह पद हैं, क्या आपने उनके लिये कोई एक्सपीरियंस रखा? जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, 8700 की ग्रेड-पे का आदमी भी मेडिकल आफिसर के रूप में पीएचसी पर बैठा हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, इसलिये ये जो पदस्थापन के निर्णय हैं, इन्हें परफोर्मेंस बेस्ड करिये। फिर, आप 2011 के बाद से प्रमोशंस

(श्री संयम लोढ़ा)

ही नहीं कर रहे हैं। आर.पी.एस.सी. ने कोई आपके यहां प्रमोशंस किये नहीं। आप खाली डीएसीपी के आधार पर निर्णय करना चाह रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 8700 की ग्रेड-पे का आदमी एमओ लगा हुआ है। आप इन अधिकारियों के चक्कर में मत आएं। आपका तो ध्यान इस पर होना चाहिये। आपके हास्पिटल में सफाईकर्मी डिलीवरी करा रहा है और रिकार्ड पर है यह। प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर टांके लगा रहा है। आपकी कितनी ऐसी पीएचसीज हैं जिनमें डॉक्टर्स हैं लेकिन इसके बाद भी एक डिलीवरी नहीं होती है। सरकार का ध्यान इन कमियों को दूर करने पर होना चाहिये बजाय इसके कि हम एक नया फार्मूला लाकर एक नयी व्यवस्था खड़ी कर दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अशोक गहलोत साहब ने बहुत संवेदनशीलता के साथ राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की समस्या को देखा। माननीय सभापति महोदय, 2015 में माउंट आबू का जोनल मास्टर प्लान लागू हुआ और अशोक गहलोत साहब जब 2019 में बामनवाड़जी आये तो उनके ध्यान में यह लाया गया कि बिल्डिंग बाय-लॉज माउंट आबू के नहीं बने। उन्होंने वहीं उस बैठक में वायदा किया कि मैं इन बिल्डिंग बाय-लॉज को नोटिफाई करूंगा। माननीय सभापति महोदय, वे बिल्डिंग बाय-लॉज नोटिफाई हुए, चार जोन्स में माउंट आबू को बांटा गया और एस-2 जोन में नये निर्माण की अनुमति दी गयी। अब जब बोर्ड की बैठक हुई और पूरी तैयारी हो गयी कि लोगों को अनुमति दी जाये तो एस-2 के सीमांकन की नयी बात लाकर एक नया प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया, जबकि 2019 में ही वह प्रस्ताव नगरपालिका द्वारा भेजा जा चुका था। अब 18 महीने हो गये, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी उस एस-2 जोन के सीमांकन को नोटिफाई करने का प्रकरण लेकर बैठे हुए हैं। आज पचासों साल से जो लोग नये निर्माण का इन्तजार कर रहे थे, अशोक गहलोत साहब ने हिम्मत दिखाकर यह निर्णय किया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना आखिरी फैसला दे दिया, जिसमें उन्होंने फार्म हाउस कान्सेप्ट को अलाउ किया। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार को इस पर तत्परता से ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यह तो माउंट आबू सिटी का है, माउंट

(श्री संयम लोढ़ा)

आबू के ग्रामीण क्षेत्र के लिये एस-1 और एस-4, दो नये जोन्स अशोक गहलोत साहब के द्वारा किये गये नोटिफिकेशन के माध्यम से बनाये गये। वहां पर कोई रोक नहीं है, किसी का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यू.आई.टी. आबू रोड ने एस-1 और एस-4 जोन्स में अभी तक एक आदमी को भी निर्माण की इजाजत नहीं दी। परेशान आदमी क्या करेगा? परेशान आदमी हाई कोर्ट में जायेगा। आप उसे निर्माण की अनुमति ही नहीं दे रहे। लोग हाई कोर्ट में भी गये, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि जो एस-2 का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, हाई कोर्ट से भी अनुमति नहीं मिली, इसलिये मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इस समस्या का समाधान करें।

माननीय सभापति महोदय, जब हम राजनीतिक यात्रा पर जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में थे, वहां आदिवासी दिवस मनाया गया और हमने तब मुख्य मंत्री जी से विनती की कि मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का आप गठन करें। यह जो जनजातीय परामर्शदात्री समिति बनी हुई है, जोधपुर सम्भाग के आदिवासियों की क्या स्थिति है, क्या नौकरियों में स्थिति है, क्या शिक्षा की स्थिति है, क्या हैल्थ की स्थिति है, क्या पोषण की स्थिति है? माननीय सभापति महोदय, कोई अध्ययन उस जनजातीय परामर्शदात्री समिति के द्वारा नहीं किया गया और न किया जा रहा है। हमने मुख्य मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाया कि आप यह मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड बनाइये, जिससे इस मारवाड़ के क्षेत्र में जो आदिवासी, भील, मीणा, गमेती, गरासिया रहते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया जा सके। हम मुख्य मंत्री महोदय के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गठन किया, लेकिन अभी तक भी वह बोर्ड ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि उस बोर्ड को गतिशील करें, जिससे मारवाड़ के आदिवासियों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा, आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी तो उसने श्रम कानूनों में अनेक श्रम विरोधी बदलाव किये। तब हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसका विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा में यह वादा किया गया है कि हम कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। मैंने स्वयं ने जन-घोषणा पत्र का बिन्दु पेपर साथ लगाकर मुख्य मंत्री जी को व्यक्तिश: पत्र दिया कि कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मण्डियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों का कोई धणी-धोरी नहीं है, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनकी कोई पारिवारिक सुरक्षा नहीं है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के खिलाफ वसुन्धरा राजे ने पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत करके जो श्रम कानूनों में बदलाव किये हैं कि जो पावर वाले यूनिट हैं उनमें 10 से 20, बिना पावर वाले हैं उनमें 20 से 40 और अगर इस कानून के प्रावधान का कोई वायलेशन हो तो कोई भी अधिकारी कार्यवाही नहीं कर सकता, आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके अन्दर आफेंस को कम्पाउंड करने की भी फैक्ट्री एक्ट में इन्होंने प्रोविजन कर दिया।

इसी तरीके से इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 300 कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। पहले 100 का प्रोविजन था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 300 कर दिया। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी। मजदूर किसी भी वक्त उस फैक्ट्री के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता था, लेकिन अब पिछली सरकार ने तीन महीने का उसके लिए समय निर्धारित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मजदूरों की जो यूनियन बनती है, किसी भी फैक्ट्री के पहले 15 परसेंट लोग यूनियन बना सकते थे, फिर वसुन्धरा राजे ने उसको बढ़ाकर मजदूरों की 30 परसेंट संख्या कर दी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर स्थिति यह है कि मजदूर संगठन खुद पूंजीपतियों के दलाल बन गये हैं और पूंजीपतियों के हिसाब से चलते हैं। जो इन पूंजीपतियों के खिलाफ जाकर यूनियन बनाते हैं उनका पुलिस के बल पर दमन किया जाता है। यहां तक कि राजस्थान सरकार के द्वारा जिन लेबर यूनियन को मान्यता दी गयी है, स्वीकृति दी गयी है, उनको भी फैक्ट्रियों का प्रबन्धन मंजूरी प्रदान नहीं करता, उसके खिलाफ भी कोर्ट में जायेगा। साधारण मजदूर आदमी लड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें।

अब कांट्रेक्ट लॉ, वसुन्धरा राजे ने प्रावधान कर दिया कि 50 से ज्यादा पर ही लागू होगा। मतलब किसी आदमी ने 49 लोग रखकर कोई मजदूरों का कांट्रेक्ट किया हुआ है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा जबकि यह संख्या पहले 20 थी।

श्री सभापति: पांच मिनट में पूरा करें, प्लीज। फाइव मिनिट्स।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करता हूं, सर। माननीय सभापति महोदय,

(श्री संयम लोढ़ा)

ये मजदूरों का कोई रिकार्ड नहीं रखते। न इनका पीएफ कटता है, न ईएसआई कटता है। माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा सिलिकोसिस से पीड़ित मेरे जिले में हैं। मैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि भारत सरकार उसके बाद देश के 29 श्रम कानूनों को एक करते हुए चार कोड लेकर आयी और उसके अन्दर जो जन-विरोधी प्रावधान किये गये हैं, वे पार्लियामेंट ने पारित कर दिये। मैं आपसे विनती करूंगा कि जो उनमें जन-विरोधी प्रावधान हैं, उनको आप लागू नहीं करें। फैक्ट्री के मालिक को उसमें अलाउ कर दिया है कि वह मजदूर से 12 घंटे तक काम ले सकता है। माननीय सभापति महोदय, ये सारी परिस्थितियां श्रमिकों के विपरीत माहौल का निर्माण कर रही हैं इसलिए सरकार को आगे बढ़कर इसमें कदम उठाने चाहिए और श्रमिकों के हित में प्रावधान करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लोग कहते हैं कि कलियुग है, मुझे तो लगता है कला का युग है, कला का युग है। अब आप देखिये, चाय वाले प्रधान मंत्री बन गये, मठ वाले मुख्य मंत्री बन गये और लाफ्टर चैलेंज में जो सबको हंसाने का काम कर रहे थे वे भी मुख्य मंत्री बन गये। न पढ़ेगा इण्डिया, न बढ़ेगा इण्डिया, हिन्दू-मुस्लिम पर लड़ेगा इण्डिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक गरीब आदमी प्रधान मंत्री बन गया, क्या गरीब आदमी प्रधान मंत्री नहीं बनना चाहिए? गरीबों के खिलाफ हो न? हम तीन और हमारे तीन के हो न आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये कैसा काम कर रहे हैं, वह अभी बताता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कैसा कटाक्ष है? देश के प्रधान मंत्री का नाम लेकर कह रहे हैं कि चाय वाला प्रधान मंत्री बन गया। हमें गर्व है कि 56 इंची सीने वाला और विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता देश का प्रधान मंत्री है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गर्व कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको विनती करूंगा कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहां पीएचडी और एमफिल की 1174 सीटें थीं, उनको घटाकर 194 पर ले आये। माननीय सभापति महोदय, आईआईटी की जो फीस है उसको बढ़ाकर 122 परसेंट की, उसमें बढ़ोतरी कर दी और जो 90 हजार लगते थे उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिये।

श्री सभापति: दो मिनट में पूरा करिये। टू मिनट्स, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, स्टेट स्पोन्सर घृणा के बल पर देश में हुकूमत का आप ख्वाब देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक पत्रकार ने लिख दिया था कि स्कूल में बच्चों को रोटी के साथ नमक खिलाया गया तो उस पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। उसको छिपना पड़ा, दिल्ली में जाकर रहना पड़ा और बाद में कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश किया। मैं, आपके माध्यम से यही विनती करना चाहता हूं कि जब धर्म, जाति, घृणा के आधार पर वोट मिल रहे हैं तो काम करने की क्या जरूरत है और आपने काम किया होता तो कहां है स्किल इण्डिया? कहां है डिजिटल इण्डिया? कहां है स्मार्ट सिटी? माननीय सभापति महोदय, कहां है बुलेट ट्रेन? हमारे बाप-दादा और हमारे पुरखों की मेहनत से जो एयरपोर्ट बनाये गये वे बेच दिये, जो इंश्योरेंस कम्पनियां बनायी गयीं वे बेच दीं, जो बैंक बनाये गये वे बेच दिये, जो रेलगाड़ियां बनायी गयीं वे बेच दीं, जो स्टेशन बनाये गये वे बेच दिये। माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि देश की पार्लियामेंट को 45 दिन तक इन्होंने सिर्फ फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर ठप किया था। फिर सत्ता में आने के बाद क्या किया? इंश्योरेंस में एफडीआई ले आये, उसी डिफेंस के अन्दर एफडीआई ले आये, उसी रेलवे के अन्दर एफडीआई ले आये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से देश के नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं कि जाति और धर्म के इस बहकावे में नहीं आयें, अपने मुद्दों के आधार पर लड़ें और अपने मुद्दों के आधार पर, नीतियों के आधार पर सरकार को समर्थन दें। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख (अनुपस्थित)। श्री बलवान जी पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, यह राजस्थान का चौथा बजट था और इस बजट में जब ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की गयी तो चारों तरफ लोगों ने खुशियां मनायीं, बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए। एक अख़बार में एडिटोरियल छपा और उसमें यह लिखा कि यह सी.एम. साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उदारीकरण की नीतियों पर देश जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरे से पहले माननीय सदस्य संयम जी बोल रहे थे कि जहां देश की, केन्द्र की सरकार निजीकरण को बहुत आगे तक ले जाना चाहती है, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

(श्री बलवान पूनियां)

इस बात की चर्चा न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि विकासशील देशों में है और इस बात की चर्चा सुबह-शाम देश के हर नागरिक को करनी पड़ेगी। जो नौकरी की इच्छा रखता है, जो भविष्य सिक्योर करना चाहता है उसको दोनों टाइम इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को खुश करने का नहीं है, यह फैसला उस निजीकरण पर चोट है जो कम्पनियां आज भी कह रही हैं कि दे दो तो हमें ही चाहे ओल्ड पेंशन से ही ले लो लेकिन यह पैसा हमें दे दो जो कर्मचारियों का प्रत्येक महीने कटता है।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि दो कदम और आगे बढ़ो बिजली के क्षेत्र में। आज बिजली के क्षेत्र में 2000 में जो कम्पनियां बनायी गयीं यह कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा है। राजस्थान जैसा प्रदेश, जिस प्रदेश में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि सौर ऊर्जा से दुनिया भर की बिजली हम पैदा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश को भी हम बिजली दे सकते हैं। इस परिस्थिति में सरकार को और आगे बढ़कर सरकारी कम्पनियों को वापस स्थापित करके सरकार को बिजली का काम हाथ में लेना चाहिए, जो बिजली कम्पनियां आये दिन दाम बढ़ाती हैं और घाटा दिखाती हैं, इस बात पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, प्रदेश में जो बिजली के घरेलू उपभोक्ता हैं जिनकी स्थाई शुल्क और बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी। मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद, बजट में थोड़ा सुधार तो किया लेकिन अभी और सुधार करने की गुंजाइश है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिजली कम्पनियों के बजाय राज्य सरकार बिजली को हाथ में ले।

सभापति महोदय, मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसी बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे बिरानी गांव को नहरी घोषित किया है और एक आशा जगायी उन गांवों में जिन गांवों के लोग प्यासे थे और जिनकी धरती प्यासी थी। मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो नोहर-भादरा के हिस्से के लिये आगामी दिनों में आपको थोड़ा-सा बजट और खर्च करना है। हमारा 0.67 एमएएफ पूरा पानी है। अभी तो हमें 0.17 एमएएफ पानी नहीं मिला, आपने हमें पिछले बजट में 84 करोड़ रुपये भी दे दिये, हमारे खाळे निर्माण को भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन आप टुवाणा से लेकर राजस्थान के पॉर्शन तक सिद्धमुख नहर की दुबारा मरम्मत कर दीजिये, जिससे हमारे हिस्से का पानी मिल जाये और डैम से 0.17 एमएएफ पानी जो अभी 0.67 एमएएफ बनता है, वह पानी लेने में कामयाब हो जायें

(श्री बलवान पूनियां)
और हम बीबीएमबी की बैठक में ठोककर कह सकें, राजस्थान कह सके कि हमारा नहर सिस्टम दुरुस्त है, अब हमें पूरा पानी दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि निजीकरण के दौर को वापस चैक करना पड़ेगा। नहरी तंत्र में भी निजीकरण आया और नहरी तंत्र में जल उपभोक्ता समितियां बनीं। उन समितियों के चुनाव, किसान से किसान को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सरकार सिद्धमुख नहर प्रोजेक्ट में 722 कर्मचारी लगाये और जो चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को खतम करे और निजीकरण को खतम करे।

सभापति महोदय, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान हुआ है। किसान को आपस में लड़ाने का काम किया गया है। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे भादरा क्षेत्र में और हमारे इलाके में कुछ ऐसी चीजें, जो अभी बाकी हैं, जो जनता के लिये जरूरी हैं, आने वाले समय में सरकार इस पर ध्यान दे। आरएए कोर्ट स्थापित करे, डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है, जहां आम काश्तकार जा नहीं सकता है। भादरा में एडीएम का कार्यालय भी खोला जाये, भादरा में बिजली विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय भी खोला जाये, भादरा में जलदाय विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोला जाये, भादरा के डूंगराणा में बिजली विभाग का एईएन कार्यालय खोला जाये। भादरा से जासल सड़क का सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण किया जाये। पिछले दो बजटों से हम जिसकी मांग कर रहे हैं। भादरा में नर्सिंग कालेज भी खोला जाये, भादरा में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, जिसको अभी एक संस्था चला रही है, उसको ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नाम से सरकारी कन्या महाविद्यालय घोषित किया जाये।

सभापति महोदय, प्रयोगशाला सहायक भर्ती को सरकार ने आगे तो बढ़ाया है, लेकिन उसके कुछ पदों में कटौती कर दी है। उन पदों को वापस बहाल किया जाये और उसकी अन्तिम सूची जारी की जाये।

सभापति महोदय, शिक्षा विभाग ने 2016 के, एसएलपी दाखिल करके 2016 के परिणाम को एक बार रोका था, लेकिन सरकार ने एसएलपी वापस ले ली। अब अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय के सैकड़ों पद रिक्त हैं, सरकार उन पर नियुक्ति देने का काम करे।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मुस्लिम मिरासी समुदाय की डाढ़ी, मांगणियार, नगारची, लंगा, मीर, राणा, बायती, बारोट जातियों को आरक्षण प्रदान कर, उनको बराबरी का दर्जा देने का काम करे।

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग में 2018 की भर्ती में संगणक व स्टेनोग्राफर के पद बढ़ाये जायें। भादरा में एग्रीकल्चर कालेज खोला गया है, जो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक है, आने वाले दिनों में हमारा वह एग्रीकल्चर कालेज बहुत परफोर्मेन्स करेगा। वहां एग्रीकल्चर के साथ-साथ हार्टिकल्चर सब्जेक्ट दिया जाये। भादरा के स्कूलों में और राजस्थान के बहुत सारी स्कूलों में जहां साइन्स की मांग है, एग्रीकल्चर की मांग है, सरकार उन पर काम करे। भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोला हुआ है, उसका नाम भगत सिंह के नाम से करें। शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम से और साइन्स सब्जेक्ट खोले जायें।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले चार साल में जो बजट राजस्थान की सरकार ने पेश किये हैं, क्या इस बजट में संविधान के प्रिएम्बल को ध्यान में रखते हुए, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है? सभापति महोदय, राजस्थान में अभी एक घटना हुई। जितेन्द्र मेघवाल का सिर्फ इस बात के लिये मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गयी कि उसने मूंछों पर ताव दे दिया। आज अगर कोई बच्चा अपने घर का काम करके, मूंछों पर ताव देता है...

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त करिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हां, पांच मिनट में कर दूंगा। कोई आदमी मूंछों पर ताव देता है और उसका मर्डर 550 किलोमीटर दूर से आकर के, कोई मोटर साइकिल पर आकर मर्डर करके चला जाता है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इस घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मैंने सदन में बार-बार यह मांग उठायी है कि यह जो घृणा, जातीय विद्वेष, कौन लोग हैं जो फैला रहे हैं? इनको चिन्हित करने की जरूरत है। सरकार का इस पर बयान आना चाहिये, सरकार को बाकायदा कहना चाहिये कि समाज में ऐसे कौन से लोग हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद लोग उनकी वाहवाही भी करते हैं।

सभापति महोदय, पिछले दो-तीन दिन से लगातार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और कुछ पत्रकार ड्रामा कर रहे थे कि सालासर में उसका

(श्री बलवान पूनियां)

द्वार तोड़ दिया गया। मैं घटना की निन्दा करता हूं। आप किसी की मूर्ति को विखण्डित नहीं कर सकते हैं। आप किसी की मूर्ति का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन अपमान करा किसने और गड़बड़ किसने की? अरे कुछ लोग तो सदन में स्थगन प्रस्ताव भी लगा गये। इतने पुराने-पुराने पार्लियामेंटेरियन साथी, जिनको यह पता नहीं कि एन.एच.ए.आई. कर रही थी। एन.एच.ए.आई. की आप सारे दिन बड़ाई करते हो। सभापति महोदय, इससे बड़ी जुल्म की बात नहीं हो सकती। इन्हीं घटनाओं का परिणाम है कि दंगे हो जाते हैं। इन्हीं घटनाओं का परिणाम है कि समाज में विद्वेष फैलता है। वैज्ञानिक युग है, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर पता नहीं कितने आगे तक चले गये लोग, एक मिनट में बात का पता कर लेते हैं। सभापति महोदय, ऐसी घटनाओं पर राजस्थान सरकार को गम्भीरता से काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आधी मिनट मेरी खराब हो रही है। समाज के आखिरी वर्ग में, जो विकलांग आदमी है, चार विकलांगों पर एक शिक्षक होना चाहिये। मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से कि विशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट में धाणक और धाणका दो जातियों के प्रमाण-पत्र जारी हो रहे हैं। मेरे वहां 125 प्रमाण पत्र धाणका जाति एससी के जारी हुए। मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में जो धाणक के नाम से जाति प्रमाण-पत्र जारी होता है, उसको शिड्यूल्ड ट्राइब धाणका के नाम से जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाये।

सभापति महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि प्रशासन की ढिलाई पर जिस तरीके से विपक्ष के साथी कई बार निशाना साधते हैं, प्रशासन की ढिलाई को गम्भीरता से लेना चाहिये। मैंने 8 महीने पहले एक करोड़ रुपये सीएचसी भादरा के लिये लिखे थे एमएलए लैड से, स्वीकृति दस दिन पहले अब आयी है। वह भी मंत्री जी और हम पीछे पड़े, ऐसी ढिलाई नहीं होनी चाहिये। एक-एक करोड़ रुपये जनता की खून-पसीने की कमाई, ये तो मुख्य मंत्री जी ने पांच करोड़ रुपये कर दिये, जिससे हम लोगों की सुविधाएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि ऐसी ढिलाई पर सरकार ध्यान दे और गम्भीरता से जनता के काम को आगे बढ़ाये।

सभापति महोदय, मेरे यहां पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताऊं, सरकार ने

(श्री बलवान पूनियां)

प्रस्ताव मांगे कि हर जिले की तीन बड़ी-बड़ी सड़कें दें, वे सड़कें जो टूटी हुई हैं जर्जर हैं। पीडब्ल्यूडी के गंगानगर में एसई बैठते हैं, हनुमानगढ़ में एसई बैठते हैं। वे एक बार भी दौरा करने मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आये, टूटी हुई सड़क की बजट में घोषणा नहीं हो पायी। सभापति महोदय, भादरा से जासल सड़क जो कभी भी रिनुअल नहीं हुई, मेरी 44 साल उम्र है, उस सड़क के रिनुअल करने की चौड़ाईकरण करने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, कोरोना की विदाई तो हो गयी और वापस जिक्र भी चल रहा है कि कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय उड़ान खोल दी, लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं केन्द्र की सरकार से आपके माध्यम से कि सेना भर्ती रैली पर जो आपने रोक लगा रखी है, उस रोक को खोलिये। आप क्या चाहते हैं कि देश के नौजवान को रोजगार नहीं मिले? देश के नौजवान का सेना के प्रति जो लगाव है, वह लगाव धीरे-धीरे लुप्त हो जाये, क्या आप यह चाहते हैं? इसलिए केन्द्र की सरकार से मांग करता हूं कि सेना भर्ती को पूर्ण रूप से खोले।

सभापति महोदय, दो मिनट, दो बातें कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, कृषि पर्यवेक्षक फसल बीमा और दूसरे कामों में बहुत काम करते हैं। उनको न स्टेशनरी भत्ता मिलता है और एक-एक कृषि पर्यवेक्षक के पास पांच-पांच पंचायतें हैं। उनको दूसरा भत्ता भी दिया जाये, यह मेरी मांग है।

सभापति महोदय, पशुपालन विभाग में 6 करोड़ से ज्यादा पशु हैं और विभाग में पद रिक्त हैं, उनको भरने की मांग और जो उनके पदनाम की फाइल आयी हुई है, उनका एलएसए के बजाय उनको अधिकारी के रूप में, जैसे वीडीओ का नाम किया है, उनका अधिकारी के रूप में नाम पुकारा जाये और वैटेरिनरी असिस्टेंट के वेतनमान में कटौती हुई, प्रमोशन के बाद दो सौ रुपये की कटौती हुई है, उस कटौती को वापस लिया जाये।

सभापति महोदय, दो छोटी-छोटी बातें और बची हैं। एक तो यह कि जो काले कानून आये थे, उन कानूनों के खिलाफ लोग लड़े थे, साढ़े सात सौ कुर्बानी हुई और लोगों ने कहा इसमें काला क्या है? मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि केन्द्र के बहकावे में मत आ जाना। हरियाणा की 6 मण्डियां बन्द कर दीं, हरियाणा की सरकार ने आदेश निकाला है कि 6 मण्डी बन्द होंगी और सीधा का सीधा अन्न जो थोड़े दिनों में बाजार में आयेगा, मण्डी में आयेगा, सीधा अडाणी के गोदाम में ले जाओ। यह आदेश हरियाणा सरकार ने निकाला है।

श्री सभापति: बैठिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ऐसा आदेश गलती से राजस्थान की सरकार नहीं निकाले और इन काले कानूनों की मुखालफत करे। सभापति महोदय, राजस्थान समेत साढ़े चार सौ वेयरहाउस रिलायंस को दे दिये गये। जो वेयरहाउस हमारे यहां गेहूं इकट्ठा करते थे, लदान का काम होता था, हमारा मजदूर करता था। एफ.सी.आई. का गेहूं वहां होता था, वह एफ.सी.आई. से छीनकर रिलायंस को दे दिये गये। इन काले कानूनों के खिलाफ हम सदन में पुरज़ोर मांग करते हैं कि यह निजीकरण का दौर बन्द करें।

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): देश के सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करें। संविधान की प्रिएम्बल को मजबूत करें, प्रस्तावना को मजबूत करें। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अशोक लाहोटी।

(समय: 14.00 बजे)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से जो डिबेट हो रही है, उसमें उप नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और उसके बाद सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण भी दिये। आज जिस बिल पर अपन चर्चा कर रहे हैं सभापति महोदय, हर बजट के बाद समेकित निधि से बजट को विनिर्दिष्ट राशियों में उपयोजित करने हेतु विनियोजन करते हैं, यह उसी का बिल है परन्तु आज बजट पेश हुए एक माह भी नहीं हुआ और इस बिल को देखो इसमें 8,920 करोड़ रुपये की राशि बढ़ गई। सभापति महोदय, एक महीने के इतने छोटे से अन्तराल में 8,920 करोड़ रुपये की राशि बढ़ गई। जब बजट पेश किया तब यह राशि 2 लाख 94 हजार करोड़ रुपये थे विद वेज एंड मीन्स मिला लें तो 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये थी लेकिन आज इस बिल में ये कह रहे हैं कि यह 3 लाख 55 हजार करोड़ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए लोग और जो मंत्री जी इसको नोट कर रहे हैं यह अपने जवाब में जरूर समझायें कि हमेशा से तो उसी में से विनियोजन समेकित करते हैं जो बजट का आकार होता है उससे एक्स्ट्रा लेकर पहले ही

(श्री अशोक लाहोटी)

इसी विनियोजन बिल में लेकर आना और वह भी 8-8, 9-9 हजार करोड़ रुपये बढ़ा देना यह मैं समझता हूं कि अच्छी स्थिति नहीं है।

सभापति महोदय, आपने उस दिन वेज एंड मीन्स में यह कहा था कि 52 हजार करोड़ रुपये इसमें माना था और 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये किया था जबकि मैंने उस दिन भी कहा था कि यह फीगर फ्रैक्चर्ड है। यह फीगर अलग-अलग जगहों पर लिखा गया है केवल एफआरबीएम की धाराओं को सेट करने के लिए, लोन के आकार को दिखाने के लिए, जीएसडीपी के आकार को बढ़ाकर दिखाने के लिए इस फ्रैक्चर्ड में लिखा गया और इसको अकाउंटिंग में अलग-अलग सिस्टम से अकाउंटिंग की गयी है जबकि स्पष्ट फीगर यदि आप देखो तो बजट पेश कर रहे हैं 2022-23 का उसमें लोन का फीगर दे रहे हैं एक्चुअल में 2020-21 का। बजट 2022-23 का और लोन का फीगर आप दे रहे हो एक्चुअल्स का उठाकर 2020-21 का तो फिर बजट भी 2020-21 पर ही चर्चा करो।

सभापति महोदय, लोन अमाउंट करंट लेना चाहिए और यदि आप इसको देखो लोन अमाउंट को तो आज इसमें जो बजट दिया था 2020-21 का उसके बाद में उस समय भी मैंने कहा था कि 2020-21 के बजट में कुल लोन राजस्थान पर 4 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का हो गया और उस समय इन्होंने कहा कि 52 हजार करोड़ रुपये मानकर 3 लाख 46 हजार करोड़ माना और आज ये खुद कह रहे हैं कि 9 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया, यानी वह कौन सा बढ़ा, आज भी इन्होंने टिल दिसम्बर, 2019 को लिया है और वह भी केवल डिस्कोम को जोड़ा है जबकि इन्हीं के उसमें आज एफआरबीएम की यह जो आर्थिक सर्वेक्षण की किताब है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि टोटल यदि अपन राजकीय उपक्रम को जोड़ें तो 94 हजार 448 करोड़ रुपये का लोन है तो यह फीगर आज भी सच क्यों नहीं बता रहे हैं। जब आप 9 हजार करोड़ रुपये बढ़ा कर बता रहे हो तो इसको एक्चुअल बढ़ा कर आज का फीगर लो। 2022-23 के बजट में 2022-23 का फीगर नहीं लेना चाहते और 2020-21 का फीगर भी जोड़ते हो यह 5 लाख 66 हजार करोड़ चला जाता है।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट बनाते समय जो अधिकारी कलाकारी दिखाते हैं जैसे माननीय उप नेता जी ने कहा कि बजट एक्चुअल्स तो आयेगा तीन साल बाद फिर हम आरई ले आयेंगे। हमें जो मर्जी कुछ भी लिख लें कोई पूछने वाला है नहीं और तीन साल बाद हम उन चीजों

(श्री अशोक लाहोटी)

को भूल जायेंगे। लोक कल्याण के लिए यदि कोई बजट लेते हैं और उसमें यदि घाटा बढ़ता है तो इसकी कोई बुराई नहीं है क्योंकि यदि ओवरड्राफ्ट बढ़ता है और उससे जनता को फायदा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि कोई बुराई नहीं है लेकिन यह ओवरड्राफ्ट किसमें बढ़ रहा है, यह सदन के सामने स्पष्ट करे सरकार कि जनता की भलाई में ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपंडीचर में ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है या ब्याज और पेंशन पर ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, यहां अभी जो बात आ रही थी कि ...(व्यवधान) मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं लेकिन कैपिटल एक्सपंडीचर के पक्ष में हूं। (व्यवधान) माननीय नेता, आपने अपना भाषण दे दिया, अब दुबारा मत दो आप।

सभापति महोदय, 2021-22 का बजट, आपने जीएसडीपी पर करंट प्राइसेज में 25 प्रतिशत की वृद्धि मान कर बनाया था। मैं आज पूछना चाहता हूं सदन में कि आज बजट अन्तिम चरण में है, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विद्वान सदस्य 25 प्रतिशत करंट प्राइसेज में बढ़ोतरी मानकर 2021-22 का बजट बनाया था। आज आप जवाब दे दें कि यह बजट 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर चल रहा है क्या? 2021-22 का बजट 11.6 प्रतिशत की करंट प्राइसेज पर चल रहा है यानी वह बजट औंधे मुंह गिरेगा, उस बजट की घोषणाएं औंधे मुंह गिरेगी। अगले साल एक्चुअल आयेगा तब तक सब चुनाव के मोड पर चले जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार आपने 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी की और वह किस पर की, वह फिर काल्पनिक फीगर पर की। या तो यह फीगर कर्जा लेकर बढ़ेगा, यह फीगर आपकी रेवेन्यू लेकर रेवेन्यू से आप बढ़ायेंगे लेकिन रेवेन्यू की स्थिति क्या है? आपने 2021-22 में कहा कि हम 1 लाख 73 हजार करोड़ रुपये लेकर आयेंगे और लाये कितने आप एक्चुअल्स में 1 लाख 34 हजार करोड़ यानी आपकी घोषणा से 23 प्रतिशत कम। इसका मतलब यह तो तय है और पिछले साल के दिसम्बर तक का आंकड़ा भी ऐसा ही है। यह तो तय है कि आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है तो आप लोन लेकर बजट को पूरा करेंगे और मैंने कहा कि लोक कल्याण के लिए लोन लेते हो तो कोई बुराई नहीं है लेकिन लोन लेने की गुंजाइश कहां है आपके पास? मैं धन्यवाद दूंगा केन्द्र सरकार को कि जो कोरोना की महामारी थी उस काल में इस सरकार को ब्लेसिंग इन डिसगाइज का एक वरदान मिला

(श्री अशोक लाहोटी)

जो 3 प्रतिशत एफआरबीएम की छूट थी आपको 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिली 5 प्लस 1 प्रतिशत कुछ कंडीशंस के साथ मिली। 6 प्रतिशत एफआरबीएम की छूट में आपने पूरा किया। राजस्थान ने भारी भरकम लोन लिया, कोई बात नहीं, आपने योजनाएं कुछ बनाई होंगी, कुछ जनता की मांग पूरी की होगी लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब इस बार की बजट की घोषणा आपने की, आपकी रेवेन्यू बढ़ नहीं रही, आपको एफआरबीएम की छूट मिल नहीं रही, लोन नया ले नहीं सकते तो आपको उलटा क्या करना पड़ेगा, एफआरबीएम को 1 प्रतिशत कम करना पड़ेगा और आपको 72 हजार करोड़ रुपये लोन चुकाना पड़ेगा। अब सरकार किस दुविधा में है, आप 72 हजार करोड़ रुपये लोन भी चुकाओगे और बजट घोषणाओं को पूरा करने की असत्य बात भी कर रहे हो और रेवेन्यू आपकी बढ़ नहीं रही, यह किसको बेवकूफ बना रहे हो? सदन में केवल असत्य भाषण देकर चले जाना, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कौन आता है, कौन नहीं आता, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि कौन कितने समय आये, किस-किस सरकार में आपके नेता कितनी बार आये, कितनी बार गये।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये भूल गये कि इनकी लोन की क्षमता तो कब की ही पूरी हो चुकी है, अब तो री-पेमेंट का समय आ गया है और सभापति महोदय, उदाहरण के लिए आप देखो कि इनके 2020-21 के एक्चुअल्स को देखो कि 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये जब इनकी इन्कम हुई थी तो इनकी तनख्वाह, ब्याज और पेंशन पर 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए, यानी केवल इन तीन खर्चों को पूरा करने के लिए 44 हजार करोड़ रुपये लोन लेना पड़ा और यही हाल इस बार है। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि यह लोन लेने के लिए एफआरबीएम को हमने सेट किया और एक बार भी नहीं कहा कि केन्द्र सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। केन्द्र सरकार को धन्यवाद इन्होंने नहीं दिया। धन्यवाद दो मोदी जी को कि आपको 35 हजार करोड़ रुपये एक, पच्चीस हजार करोड़ रुपये एक, कुल साठ हजार करोड़ रुपये केन्द्र से मिले और इसके अलावा आपको आयुष्मान भारत में, मुफ्त राशन में, स्वच्छ भारत अभियान में, नेशनल केब में, एन.एच.ए.आई. में, किसान सम्मान निधि में, आवास में मुख्य मंत्री आवास योजना जो आप चला रहे हो केन्द्र के पैसे से चला रहे हो, स्वच्छता में, उज्ज्वला में, रमसा में, एन.आर.एच.एम. में ऐसी अनेकों योजनाओं में इन सबके अलावा पैसा आपको मिल रहा है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, केवल असत्य आंकड़े रखने से नहीं होता है। सभापति महोदय, अभी बात आई सीएजी की रिपोर्ट की, मैं इसके आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाना चाहता पर आप देखो कि सीएजी के लास्ट पेज पर बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति क्या है। यह तो एक्चुअल 2020 का है 31 मार्च का। इनकी स्थिति क्या है सभापति महोदय, 5 साल से लेकर 3 साल तक 3644 केसेज बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या है। बकाया लेखा पर्यवेक्षण में यदि आप जाओगे तो 17119 और इसमें कितनी राशि है 24,383 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रत्युत्तर के अभाव में इनकी क्या स्थिति है कि बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 587 जिनका प्रत्युत्तर बाकी है। बकाया अनुच्छेदों की संख्या है 2580 और इसमें राशि कितनी है 23270 करोड़ रुपये, यह सीएजी की रिपोर्ट है। सभापति महोदय, इसके साथ आप यह देखो कि जिन ठेकेदारों से बीमा प्रस्तुत करना था, यह सीएजी लिख रहा है राज्य सरकार के काम को उसमें 197 करोड़ रुपये के बीमा प्रस्तुत करने थे उन ठेकेदारों को जिन्होंने नहीं किये।

सभापति महोदय, यह इस प्रकार से राजकीय उपक्रमों की जो अनदेखी की जा रही है, अभी चिकित्सा मंत्री जी यहां हैं नहीं, मैं एक ऐसा मामला आपके सामने रख रहा हूं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। राजस्थान में एक नर्सिंग कालेज और स्कूल्स का एक फैडरेशन बना हुआ है जो गवर्नमेंट के अण्डरटेकिंग में बना हुआ है इसमें 30 मार्च, 2020 को इनकी फैडरेशन मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखती है कि फैडरेशन में सौ करोड़ रुपये पड़े हैं और आप कोविड में यह पैसा ले लीजिये। वित्त विभाग फैडरेशन को पत्र लिखता है कि यह पैसा ट्रांसफर कर दीजिये। सभापति महोदय, हद तो तब हो गई जब फैडरेशन यह कहता है कि यह जो पैसा है यह हमारे पास है ही नहीं। यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का फैडरेशन और वह वित्त विभाग को असत्य जवाब दे देता है। वित्त विभाग उसको स्वीकार कर लेता है और उसके बाद आनन फानन में एक निर्णय होता है कि अजमेर जिले के केकड़ी में एक मॉडल नर्सिंग कालेज व स्कूल बनायेंगे। एक छोटे से कस्बे केकड़ी में ले जाकर एक मॉडल नर्सिंग कालेज फैडरेशन की तरफ से बनेगा और उसमें 62 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैंने उसमें देखा कि कितना कंस्ट्रक्शन है, 20 करोड़ रुपया एडवांस भी दे दिया और कंस्ट्रक्शन है मात्र 70 हजार स्क्वायर फीट। सभापति महोदय, 8870 रुपये स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, सुनने पर धरती खिसक जाती है।

(श्री अशोक लाहोटी)

8870 रुपये स्क्वायर फीट दुनिया में कौनसा कंस्ट्रक्शन है, 2500 रुपये स्क्वायर फीट में तो सतवार तक लग जाता है। यदि इक्विपमेंट के भी 2 करोड़ रुपये जोड़ लो, तो भी 8600 रुपये स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन। वह इसके लिये 20 करोड़ रुपये जारी कर देता है। मैंने पूछा ऑडिट रिपोर्ट कहां है? तो राजाखेड़ा के माननीय सदस्य, मुझे एक पन्ने की सीए की एक ऑडिट रिपोर्ट दी। खुद के ही पेरोल पर रखे हुए सीए की रिपोर्ट को कह रहे हैं कि यह ऑडिट रिपोर्ट है। मैं सदन में मांग करता हूं कि इस प्रकार के जो फैडरेशन बने हुए हैं, यह उन लाखों बच्चों का 100 करोड़ रुपया है जो मुख्य मंत्री जी को कोविड के फंड में लेना चाहिये था। उन्होंने मांगा भी लेकिन फैडरेशन की हिम्मत देखो कि फैडरेशन का रजिस्ट्रार और अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी के पत्र पर लिख देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है जबकि उस दिन उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपये था। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा ब्लंडर राजस्थान में नहीं है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिये और जांच होकर इसकी सीएजी से ऑडिट करवाई जाय और इस तरह के जितने भी फैडरेशन बने हुए हैं, सोसाइटीज बनी हुई हैं उन सब सोसाइटीज में आरएएस लेवल के अधिकारी को उनके अधीन करना चाहिये ताकि इस तरह से पैसों की बंदरबाट न कर सकें।

सभापति महोदय, अभी भादरा से आने वाले माननीय सदस्य भाषण देकर चले गये। वह कह रहे थे कि आप किसके पक्ष में हो? मैं एक चीज के पक्ष में हूं, मैं राजस्थान की जनता के कैपिटल एक्सपेंडीचर के पक्ष में हूं। राजस्थान की जनता को बजट से क्या मिला? उसको सड़क मिली, नाली मिली, बिजली मिली और पानी मिला, मैं उसके पक्ष में हूं। बजट को सरकार ने 12 भागों में बांटा है। मैं दो मिनट में आपके सामने एक स्थिति रखता हूं। सभापति महोदय, हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर में बजट दिखाया 20111 करोड़ रुपये लेकिन जनता के लिये 3100 करोड़ रुपये, मात्र 1.6 परसेंट, यह हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर है। इसी प्रकार एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट एण्ड कल्चर के मद में आपने रखा 49626 करोड़ रुपये और जनता के लिये 1881, यानी 0.63 परसेंट। सभापति महोदय, वाटर सैनिटेशन एण्ड अरबन डवलपमेंट में मैंने उस दिन भी कहा था कि इस डिपार्टमेंट में 21 परसेंट बजट की कटौती की। आपने इसमें 8728 करोड़ रुपये रखा और उसमें भी जनता के लिये 0.62 परसेंट,

(श्री अशोक लाहोटी)

केवल 1831 करोड़ रुपये। वेलफेयर आफ एससी, एसटी एण्ड ओबीसी में सत्ता पक्ष से आने वाले लोग बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया। यह बजट आपकी गवाही दे रहा है। आपने एससी, एसटी एण्ड ओबीसी वेलफेयर की सारी स्कीम में कुल बजट रखा मात्र 2567 करोड़ रुपये और उसमें 0.11 प्रतिशत। मैं अभी एक टेबल भी दूंगा कि देश में इसमें हमारी स्थिति क्या है। 0.11 प्रतिशत केवल 340 करोड़ रुपये और बजट का आकार था 346000 करोड़ रुपये, उसमें से केवल 340 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, लेबर वेलफेयर में, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लेबर की बात कर रहे थे, पुरानी सरकार की बात कर रहे थे। यह आपकी टेबल है, यह आंकड़ा है। इसमें आपने रखा मात्र 1555 करोड़ रुपये। हद तो तब हो गई जब उसके कैपिटल एक्सपेंडीचर पर, लेबर वेलफेयर के एक्सपेंडीचर पर जीरो बजट। यह 1555 करोड़ रुपये केवल ब्याज, तनख्वाह, पेंशन है, बाकी जीरो बजट है। (व्यवधान) क्यों नहीं होगा? वेलफेयर के लिये क्यों नहीं होगा? आप जवाब देना क्या-क्या नहीं होगा। इसके लिये डिबेट रख लो कि क्या-क्या होगा और क्या नहीं होगा।

श्री सभापति: आपस में नहीं। आपका टर्न आये तब बोलना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अभी मैं बोल रहा हूं, जब आपका नंबर आये तब आप जवाब देना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज ऐसे नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, इस बात को टेबल करो कि लेबर के वेलफेयर की कोई जरूरत नहीं है। उनके कैपिटल एक्सपेंडीचर की कोई जरूरत नहीं है। आप यह बात सदन में रखो, कैसी बात कर रहे हो आप। (व्यवधान) भाषण दे रहे हो।

श्री सभापति: बीच में नहीं। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): डिपार्टमेंट केवल ब्याज, तनख्वाह के लिये है क्या? डिपार्टमेंट लेबर के वेलफेयर के लिये बना हुआ है। इसमें से वेलफेयर शब्द हटा दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, डिस्टर्ब वह कर रहे

(श्री अशोक लाहोटी)

हैं, मैंने नहीं किया है। यह मिनट आप मेरे समय में जोड़ देना। सभापति महोदय, सोशल वेलफेयर एण्ड न्यूट्रिशियंस में 17306 करोड़ रुपये, बजट तो बहुत बड़ा दिखा और इसमें कैपिटल है मात्र 136 करोड़ रुपये, 0.46 परसेंट। सभापति महोदय, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड एक्टिविटीज में 13595 करोड़ रुपये। मैंने उस दिन भी सदन में कहा था कि राजस्थान के किसानों के साथ मजाक है। इसमें पिछली बार से आपने 10 करोड़ रुपये बजट कम किया है। किसान बजट की अलग से घोषणा की, मंत्री जी ने जाकेट बनवा ली। बजट पढ़ने का तो मौका नहीं मिला, पर इसमें आप किसानों के सम्मान में एक रुपया तो बढ़ा देते। आपने इसमें 10 करोड़ रुपये बजट कम किया। (व्यवधान) जाकेट मंत्री जी ने सिलवाई। (व्यवधान) मैं तो साथ गया था।

सभापति महोदय, इर्रिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल में आपने 8309 करोड़ रुपये बजट रखा। इसमें जरूर सम्मानजनक रखा है। नये-नये मंत्री जी बने थे, उनकी इज्जत रख ली। इसमें आपका 2.2 परसेंट कैपिटल एक्सपेंडीचर है जो अब तक के बजट में सबसे ज्यादा है 5965 करोड़ रुपये। माननीय सदस्य, अब आप सुनोगे कि एनर्जी में कितना रखा है? 26750 करोड़ रुपये, हमारा घाटा है 92000 करोड़ रुपये का, जीएसएस बनेंगे, यह बनेंगे, इतना कैपिटल एक्सपेंडीचर होगा, गांव-गांव में ऐसे बनेंगे। कितना रखा है, मात्र 3929 करोड़ रुपये। यह अडाणी को देंगे, खुद लेंगे, सैस में लगायेंगे, किसमें करेंगे, यही नहीं पता। केवल 3929 करोड़ रुपये और घाटा है 92000 करोड़ रुपये का। हमारे समय तो ब्याज हम चुकाते थे, अब डिस्काम खुद चुका रहा है। हमने ब्याज सरकार के ऊपर ले लिया था।

सभापति महोदय, इसी प्रकार साइंस एण्ड एनवायर्नमेंट एण्ड टेक्नोलोजी पर सरकार बिल लेकर आई। इसमें बजट दिया है मात्र 10 करोड़ रुपये का। 34 करोड़ रुपये का कुल बजट और कैपिटल एक्सपेंडीचर केवल 10 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास में आपने 28000 करोड़ रुपये का बजट रखा लेकिन केपिटल एक्सपेंडिचर केवल 1000 करोड़ रुपये का। अब मैं पूछना चाहता हूं कि रूरल में केवल 1000 करोड़ रुपये का बजट है, राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 3 लाख 46 हजार करोड़ के बजट में से मात्र 1000 करोड़ रुपये।

सभापति महोदय, अभी कई सदस्य कह रहे थे कितना किया। देश की स्थिति में भी एक बार आकलन देख लो कि सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशियंस में

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान का खर्चा मात्र 6.7 परसेंट और जबकि पूरे देश में 15.4 से लेकर 6.9 परसेंट मिनिमम है, हम लोएस्ट हैं। एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड एक्टिविटीज में हमारा खर्चा है 5.1 परसेंट, हाईएस्ट है 17.2 और मिनिमम है 6.7 और हमारा है 5.2। रूरल डवलपमेंट में हमारा खर्चा है 6.9 परसेंट, हाइएस्ट 20.3 है, मिनिमम 7 परसेंट है और हमारा 6.9 परसेंट। सभापति महोदय, रोड और ब्रिजेज में हमारा खर्चा है 3.4 परसेंट लोएस्ट इन इंडिया। नेशनल एवरेज 4.7 है, हाईएस्ट 12.7 से 4.7 परसेंट है। पुलिस में राजस्थान का खर्चा मात्र 3.2 परसेंट है। हाईएस्ट 10.3 से लेकर 4.6 परसेंट है, वी आर लोएस्ट इन इंडिया। सभापति महोदय, राजस्थान का इर्रिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल में केवल 2.7 परसेंट हमारा बजट है, जो मैंने अभी कहा भी था। नेशनल एवरेज 3.6 है, हाईएस्ट 8.5 से लेकर 4 परसेंट तक है। हम इसमें भी लोएस्ट हैं। एक भी मद बतायें जिसमें हम राजस्थान में हाईएस्ट हों और हम सीना तान कर कह सकें कि हम देश में सर्वाधिक उन्नति इस क्षेत्र में कर रहे हैं।

सभापति महोदय, क्योंकि हमने बजट काल्पनिक माना, मैंने कहा कि काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर बजट की घोषणा करना अलग बात है लेकिन बजट में खर्चा तो उतना ही करोगे जितना आपकी जेब में होगा। बच्चा भी कहता है कि चंदा मामा ला दो। लाना खिलौने वाली दुकान से ही पड़ता है, वह चंदा मामा आता नहीं है और ठीक कांग्रेस सरकार ऐसे ही कर रही है। वह राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता को चंदा मामा खिलौने की दुकान वाला ही देना चाहती है, बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं करना चाहते।

सभापति महोदय, अरबन डवलपमेंट में हमारा खर्चा है 3.7 परसेंट, नेशनल एवरेज है 3.9 परसेंट, देश में हाईएस्ट है 6.1 परसेंट। वेलफेयर आफ एससी, एसटी, ओबीसी में मैंने पहले ही कहा कि हम देश में सबसे कम 0.9 परसेंट हैं जबकि देश का नेशनल एवरेज है 3 परसेंट, हाईएस्ट है 13.1 परसेंट और लोएस्ट में 2.4 से नीचे कोई स्टेट नहीं है और हम एक परसेंट से भी नीचे 0.9 परसेंट। वाटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन में हमारा खर्चा है मात्र 4.3 परसेंट और हाईएस्ट 9 परसेंट से लेकर 4.5 परसेंट है।

सभापति महोदय, आज ही मंत्री जी ने कुछ लोगों को यहां पर सस्पेंड करने की बात कही थी। हाउसिंग में राजस्थान का खर्चा 0.1 परसेंट और नेशनल एवरेज है 1.5 परसेंट। देश का इंडेक्स 5.6 से लेकर 1.3 परसेंट है। सभापति महोदय, हम कहां खड़े हैं? इस पर मनन यदि सदन नहीं करेगा, मैं

(श्री अशोक लाहोटी)

ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम तो नये लोग हैं जो पुराने लोग बोलेंगे, जिस प्रकार का बजट हम देखेंगे, उसी प्रकार से हम बजट की बात करेंगे।

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, पहली बार नीति आयोग ने एक नया गोल इंडेक्स दिया है, जो कि देश में पहली बार दिया है। यदि हम इस गोल इंडेक्स को देखें तो इसमें बड़ी बात है कि हम रेड जोन पर कहां-कहां खड़े हैं? मैं केवल उन गोल्स पर बात करूंगा, जिनमें हम रेड पर खड़े हैं। इन्होंने केवल यह माना कि केवल खर्चा करना ही हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है। किसी आदमी की यदि इनकम ज्यादा हो और सारा खर्चा ही कोरोना में मेडिकल पर चला गया तो उसकी इनकम क्या काम आयी? इसके लिए उन्होंने एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया है। उसमें हम कहां खड़े हैं? नो पोवर्टी के सेक्टर में हमारे 100 में मात्र 63 नम्बर हैं, जबकि सारे राज्यों का एवरेज 80 है। मैं केवल उन्हीं सेक्टर की बता रहा हूं, 28 में से 8-9 सेक्टर, जिनमें हमारी स्थिति खराब है और जिन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिये। इसी प्रकार से क्लीन एयर एण्ड सेनिटेशन में हमारा स्कोर 100 में से 54 है, इसमें हम रेड जोन में हैं। रिड्यूसी इक्वलीलेशंस में हमारा स्कोर 100 में से 45 पर है, इसमें भी हम रेड जोन में हैं। लाइट एंड लैंड में हमारा स्कोर 43 है, इसमें भी हम रेड में हैं। क्लाईमेट एक्शन में, क्लाईमेट चेंज की बात पूरी दुनिया में हो रही है, उसमें हमारा इंडेक्स 49 है और इसमें भी हम रेड इंडेक्स में खड़े हैं। यदि हम जेण्डर इक्वेलिटी की बात करें तो हमारा स्कोर देश में अभी भी पीछे है, हम केवल 39 पर हैं, 39 के साथ देश में सबसे पीछे खड़े हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्री, इंफ्रा एंड इनोवेशन में, जिसके बारे में मैंने उद्योग की डिमांड में पहले भी कहा था कि हम 45 मार्क्स के साथ रेड जोन में खड़े हैं। अभी भूख की बात की, नो पावर्टी की बात की, जीरो-हंगर में हम 100 में से 53 नम्बर के साथ रेड जोन में हैं। यदि हम सारे इंडेक्स का कम्पोजिट देखें तो हमारा स्कोर 60 है, जबकि सारे स्टेट को देखें तो केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सबका स्कोर 75 से ऊपर है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही निवेदन

(श्री अशोक लाहोटी)

करूंगा कि आपने बजट अच्छा दिया। अच्छा बजट देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो घोषणा करनी है। लेकिन यह बजट धरातल पर उतरे, यह सबसे बड़ी चुनौती है। जो मैंने कहा कि न तो आपकी आय बढ़ रही, न आप नया लोन ले सकते। न ही एफआरबीएम आपको छूट दे रही है, तो बजट की ये घोषणाएं आप कहां से पूरी करेंगे, यह सदन को जरूर समझायें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सदन में की हुई प्रत्येक घोषणा राजस्थान की जनता के हित में पूरी हो, लेकिन पूरी करने के लिए सदन के माननीय नेता यह बतायें कि वे कौनसी एक्ट से पूरी करेंगे या कौनसा जादू है, जिससे राजस्थान में ये घोषणाएं पूरी होंगी? पिछले साल की पूरी कर दें, उससे पिछले साल की पूरी कर दें। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का 14वां बजट है। इस सत्र का चौथा बजट है, जो पहला बजट पेश किया था, उसकी घोषणाएं आज की पूरी नहीं हुईं। वह फ्लोराइड मुक्त पानी कहां है? कहां है वह भिखारी मुक्त शहर? कहां है, राजस्थान की जनता के लिए वे सुख-सुविधाएं? कहां गयी, राहुल गांधी जी के मुंह से निकली हुई वर्ल्ड क्लास सिटी? आज पांच बजे जब सदन के नेता जब जवाब दें तो इन सब चीजों पर जरूर जवाब दें कि वे तमाम घोषणाएं जो पिछले बजट में की हैं, उनका क्या हश्र हुआ और इस बार की जो घोषणाएं हैं, उनका क्या हश्र होगा? आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का जो वित्तीय कुप्रबन्धन है और उसका खामियाजा जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है तो सीधे-सीधे मुख्य मंत्री जी की जिम्मेवारी होती है कि वे अपने प्रबन्धन को दुरुस्त करें। माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय प्रदेश के लिए समय कम दे पा रहे हैं, उनका सारा का सारा समय केन्द्र में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बिगड़ती हुई छवि को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि प्रदेश की जनता ने आपको मुख्य मंत्री बनाया है। उनकी छवि कैसे ठीक होगी, यह चिन्ता आप कम करें और प्रदेश का विकास कैसे, उस पर थोड़ा समय लगायें।

अभी आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के दो बयान प्रेस के जरिये सुने होंगे। बड़े अजीब बयान थे। एक बयान आया, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, योगी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आदित्य नाथ का देश में अगर कोई राजनेता मुकाबला कर सकता है तो वे एक मात्र राहुल गांधी हैं। यह हमारे मुख्य मंत्री जी का प्रेस में दिया हुआ बयान है। दूसरा बयान आया, यूपी में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय के बाद भी उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व को सराहा कि सोनिया जी ने 403 सीटों पर कांग्रेस के कैंडीडेट तो खड़े कर दिये। उसमें भी वे खुश हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह मजाक देश या प्रदेश की जनता नहीं सुनना चाहती, प्रदेश की जनता राजस्थान का विकास चाहती है। मैं उनके वित्तीय कुप्रबन्धन के कुछ नमूना बताऊंगा। ये मेरी ओर से नहीं हैं। कुछ नमूने उप नेता प्रतिपक्ष ने बताये, कुछ सांगानेर से आने वाले विधायक ने बता दिये। मैं उनसे हटकर, जो कैग ने टिप्पणी की है। वर्ष 2019-20 में 165 योजनाओं के तहत जिनका बजट प्रावधान किया गया था, उन योजनाओं में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। यह कैग ने लिखा है। यह राशि कितनी थी? यह राशि 2766.33 करोड़ थी। आपने उसका बजट में प्रावधान किया, पर खर्चा शून्य। इसमें और भी गम्भीर बात यह है कि इसमें एसटी के विकास हेतु 250 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा था, अनुसूचित जनजाति के लिए, पर खर्चा शून्य किया। उनके हितों की भी चिन्ता नहीं। बी.पी.एल. और ओ.बी.सी. के सहयोग हेतु भी 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, पर सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर पायी। इससे ज्यादा दु:खद बात इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, कैग ने यह भी लिखा कि हमें जो सेंट्रल से ग्रांट मिलती है, उसे भी हम समय पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो पैसा हमारे पास पड़ा है, सरकार ने हमको विकास और मदद के लिए दिया है, पर हमारा वित्तीय कुप्रबन्ध देखो कि हम उसमें से भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समेकित निधि की बात की थी। स्टेट के पार्ट में 2019-20 में 23 हजार 574 करोड़ ट्रांसफर होने थे और 4 हजार 936 करोड़ की राशि हमें मार्च, 2020 में प्राप्त भी हो गयी, पर साथ में यह भी डर कि खर्चा नहीं करने से कहीं यह राशि लैप्स नहीं हो जाये तो नियम विरुद्ध काम जरूर किया। इस राशि को उन्होंने पीडी खाते में ट्रांसफर कर दिया जबकि उन्हें इसे योजनाओं में खर्च करना था। कैग ने टिप्पणी की है कि स्टेट बजट मैनुअल के तहत के किसी भी ग्रांट को लैप्स होने से बचाने के लिए पीडी अकाउंट में ट्रांसफर करना गैरकानूनी है। यह कैग

(श्री ज्ञानचंद पारख)

की टिप्पणी है। यह एसबीएम प्रोविजन के विरुद्ध है, पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं। हम खर्चा भी नहीं करेंगे, जो केन्द्र का पैसा है, वह वापस नहीं लौटायेंगे, चाहे उसे पीडी खाते में काला-सफेद करना है, वह करेंगे। कैग की एक और टिप्पणी है। मैं उन टिप्पणियों को छोड़ रहा हूं, जो कि पहले बता चुके हैं। राज्य सरकार योजना अनुसार पीडी खाते का बैलेंस मेंटेन नहीं करती। फाइनेंस के सारे नियम बने हुए हैं कि योजना के अनुसार आपको पीडी खाता मेंटेन करना होगा, पर पता है कि हम खर्च नहीं कर पायेंगे। एकाउंट ही ऐसे बनाओ ताकि हमें कहीं कुछ इधर-उधर करना हो तो हम आसानी से कर सकें। राज्य सरकार पीडी खाते का बैलेंस मेंटेन नहीं करती, जिसमें योजना अनुसार कितनी राशि खर्च हुई इसका सेंट्रल को पता ही नहीं चलता। यह राशि नियमानुसार सरेंडर भी नहीं की गयी। अगर खर्च नहीं हुई तो उसे सरेंडर करना होता है पर नियमानुसार सरेंडर भी नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, कैग ने एक और गम्भीर टिप्पणी की है कि मई, 2020 तक 940.61 करोड़ की यू.सी. राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं करायी गयी। अगर आपने काम कर दिया, सरकार को यू.सी. जमा कराने में क्या दिक्कत आ रही है। सरकार यदि समय पर यू.सी. जमा करायेगी तो एडिशनल ग्रांट देने का प्रावधान भी भारत सरकार में है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि राज्य सरकार की यू.सी. लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य सरकार एवं अधिकारियों की अनदेखी साफ नजर आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, यदि कैग की राज्य सरकार के विरूद्ध टिप्पणियां देखें तो लगता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी के प्रति गम्भीर नहीं है और केन्द्र में किस प्रकार कांग्रेस बच जाये? जो सम्भव नहीं है, उसकी चिन्ता में माननीय मुख्य मंत्री जी दिन-रात एक किये हुए हैं। आज जब यह सदन स्थगित होगा तो राज्य सरकार को अधिकार मिला जायेगा राशि खर्च करने का। आपने बजट घोषणाएं करके वाहवाही तो लूट ली और यह भी कह दिया कि हमने सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित करके लाभ पहुंचाने का काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, चाहे कोमा में जा चुकी कांग्रेस पार्टी को बजट रूपी वेंटिलेटर के सपोर्ट से जीवित करना चाहते हैं, परन्तु अब ये सम्भव नहीं है। अब तो जो बाकी राज्यों में हालात हो रहे हैं, जैसा यू.पी. में हुआ, वह आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान की धरती पर भी देखने को मिलेंगे। भारत अब ठान चुका है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का और वह आने वाले कल में होगा।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, कुछ प्रश्न खड़े रह जायेंगे। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले कहा था, ये आपके विकास पथ क्यों रुक गये? हर साल में एक देने की बात की थी और एक साल में ही आपके ये विकास पथ रुक गये। खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का काम, ये जो काम है उम्मीद लगाये बैठे हैं सारे लोग। अभी-भी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि इनको लाभ मिले। लेबर कार्डधारी को शुभ शक्ति योजना का लाभ जो वसुन्धरा जी की सरकार में भरपूर मिला है, तीन साल हो गये लेबर कार्डधारी को शुभ शक्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली सहायता राशि, ये सारे सरपंच ठान कर बैठे हैं कि जिस सरकार ने हमको राशि के लिये तरसा दिया है, चुनाव आने दो, वोटों के लिये इतना तरसा देंगे कि यू.पी. से भी बुरी गत राजस्थान में होगी।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार बात करती है कि कोरोना से हुई मौतों पर हमने बहुत बड़ी राशि दी है। जिनकी आरटी.पी.सी.आर. रिपोर्ट पॉजिटिव थी, राशि दी, आपको धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे। आपको देनी ही थी परन्तु ऐसी भी हजारों मौतें हैं हो सकती हैं जिनकी आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट नेगेटिव हो, परन्तु बाकी जो लक्षण थे, चाहे सी.टी. स्कोर हो, वह इस बात को इंगित करता था कि ये कोरोना है, चाहे आक्सीजन लेवल की कमी, वह भी प्रमाणित करता था कि ये कोरोना का मरीज है, उसको कोरोना प्रोटोकाल के तहत आपके द्वारा या सरकार के डाक्टर्स के द्वारा इलाज भी दिया गया। आर.टी.पी.सी.आर. में तो स्वयं आई.सी.एम.आर. और डब्ल्यू.एच.ओ. ने माना था कि इसकी 72 परसेंट रिपोर्ट ही सही है, बाकी 28 परसेंट फाल्स आ सकती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद ने एक बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की थी कि मात्र आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट के आधार पर ही आप अपने आपको सुरक्षित या असुरक्षित नहीं समझें। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जिनका कोरोना प्रोटोकाल के तहत इलाज हुआ है और उनकी मृत्यु हो गयी, उनके परिवारों पर भी कुछ रहम करें। हो सकता है कि उनको उतनी राशि नहीं दें जितनी आपने उनको दी है। कोई न कोई एक ऐसी राशि दे दें ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, ये बेसहारा पशुओं के लिये नन्दी शाला, लगातार तीन साल से सदन में आया, कई बार प्रश्न के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कहीं भी नन्दी शाला नहीं खोली गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने

(श्री ज्ञानचंद पारख)

अपने पहले बजट में मुख्य मंत्री कन्यादान योजना की घोषणा की थी कि हथलेवा के रूप में मुख्य मंत्री जी की ओर से उसको राशि देंगे। ये चौथा बजट है माननीय मुख्य मंत्री जी का, इस कन्यादान योजना का अभी तक कोई अता-पता नहीं। उसका अभी तक आवेदन या प्रोफार्मा कैसा है? उसके बारे में ही किसी को जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो मांग आई, इस मांग के दौरान कई सारे मैटर सरकार की जानकारी में आये। ये नवजीवन योजना जो माननीय मुख्य मंत्री जी की खुद की महती योजना थी, जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार जिक्र कर चुके हैं। मेरे खुद के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार की जानकारी में आ गया कि जितना बजट प्रावधान इसका है, उसका मात्र साढ़े तीन परसेंट ही खर्च कर पाये। साढ़े तीन परसेंट ही। यह योजना किसके लिये? जो परिवार अवैध दारू के निर्माण या बेचान में लगे हुए हैं, उनको इस धंधे से मुक्ति दिलाना। सरकार शायद गम्भीर नहीं है इस विषय को लेकर और अवैध दारू के धंधे को लगातार शायद वह प्रश्रय देना चाहती है इसलिए इस योजना में वह इतनी राशि खर्च नहीं कर पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा है आपको कि सरकार एस.सी./एस.टी. के हितों के प्रति भी गम्भीर नहीं है। पूर्व में स्वच्छकार पुनर्वास योजना चलती थी परन्तु कुछ सालों में इसका कोई भी बजट प्रावधान नहीं। हमारे वाल्मीकि समाज के बन्धु, जो गन्दगी को दूर करके हमें एक स्वच्छ व सुन्दर वातावरण देते हैं, जिन्होंने कोरोना काल में इस प्रकार का काम किया, मौत से बेखौफ होकर कि कहीं गन्दगी इकट्ठी नहीं हो, बीमारी ज्यादा नहीं फैले। सबसे ज्यादा यदि किसी ने महती काम किया है तो उस वाल्मीकि समाज के बन्धु ने किया। उसकी जो ये स्वच्छकार पुनर्वास योजना है, इसमें राशि का कोई प्रावधान नहीं। पहले बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु होती थी, अगर उसकी आयु 59 साल से कम है तो सामान्य मृत्यु पर 30 हजार की राशि और दुर्घटना मृत्यु पर 70 हजार की राशि दी जाती थी। पिछले तीन सालों में इस योजना के तहत किसी को भी लाभान्वित नहीं किया गया जबकि कई बी.पी.एल. परिवार के मुखिया जो पात्र थे, उनकी मृत्यु हुई है।

माननीय सभापति महोदय, अनुजा निगम के ऋण, जो हमारे एस.सी./एस.टी. के बन्धु हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के बन्धु हैं, वे अपना खुद का

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रोजगार खड़ा कर सके, सरकार लोन देती थी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वसुन्धरा जी को जिन्होंने राजस्थान के हजारों ऐसे ऋणी जो किसी कारणवश व्यापार ढंग से नहीं कर पाये और लोन अदायगी नहीं कर सके तो उन्होंने सबका ऋण माफ कर दिया था। यह सरकार तो उस योजना पर भी एक प्रकार से, अगर कहूं तो कुंडली मारकर बैठ गयी, कोई काम नहीं। जन कल्याण, गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं इस सरकार के आने के बाद में फाइलों में दफन हो गयीं। मुख्य मंत्री जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिये। कहते हैं हमने सबको दिया है। सभी वर्गों को दिया है। क्यों नहीं आप इनको दे देते? आप नई योजना मत लाइए। जो पहले की योजनाएं चल रही हैं, उनमें पर्याप्त बजट का प्रावधान करके लगातार लाभान्वित करते रहें। ये काम तो उनको करना होगा। मान लीजिए कि केन्द्र सरकार ने आपको लिमिट कर रखी है कि खाद्य सुरक्षा में इससे ज्यादा नाम नहीं जुड़ सकते तो आपने नरेगा के तहत राज्य मद से 25 दिन और बढ़ाने की घोषणा की तो खाद्य सुरक्षा योजना में भी ऐसे पात्र परिवार जो केन्द्र सरकार की सीमा के बाहर आ जाते हैं तो राज्य मद से आप बजट प्रावधान कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, पैसा खूब है आपके पास। उसमें करवा दीजिए आप।

माननीय सभापति महोदय, पशुओं के लिए टैंकरों से पानी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी हो गयी है। यह जो आपका आपदा कोष है, उसमें तो एक लिमिट कर रखी है कि अकाल के दौरान जब राहत कार्य चलेंगे और टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवाया जायेगा तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 लीटर पानी। हमारे इलाके में पशुधन इंसानों की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। आपके पास इस गो सैस का 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा पड़ा है जो आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने नन्दी शाला खोली नहीं। खर्च हुआ नहीं। जब आपके पास 500 करोड़ से भी ज्यादा राशि गो सैस में पड़ी है जो आपको गायों के लिए ही खर्च करनी है तो मुख्य मंत्री जी से विनती रहेगी मेरी कि जब आज रिप्लाई दें तो जहां पशुधन ज्यादा है, आपके तहसीलदार, पटवारी से जांच करवा दीजिए, वहां टैंकरों के माध्यम से पशुधन को पानी मिल जाए, ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, सवा तीन साल से ऋण माफी के इंतजार में किसान बैठा है। वह अभी तक आस लगाये बैठा है कि हो सकता है मुख्य मंत्री जी को कुछ रहम आ जाये। माननीय राहुल गांधी जी की वे इतनी प्रशंसा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी की राजस्थान की जनता को की गयी घोषणा, आज जब वह नई घोषाणा करें, तो उस समय इस ऋण माफी की घोषणा कर देंगे तो हो सकता है राजस्थान के किसान जो कई वर्षों से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसको भी राहत मिल जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो भी बजट घोषणा की, यह सारा का सारा केन्द्र सरकार का कहीं न कहीं योगदान है। अगर केन्द्र सरकार एफआरबीएम एक्ट में प्रावधान करके आपकी ऋण सीमा को नहीं बढाती तो आप न तो घोषणा की वाह-वाही लूट पाते, न ही इतनी घोषणा कर पाते।

माननीय सभापति महोदय, कहां राजस्थान और कहां भारत जा रहा है। भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह मैं नहीं कह रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2013-14 में हमारे पास विदेशी मुद्रा का भण्डार मात्र 200 अरब डॉलर था। आज, सात साल में बढ़कर 600 अरब डॉलर हो गया। कहीं न कही ईमानदारी से काम किया, देश हित में काम किया, यह उसका परिणाम है कि हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार तीन गुना बढ़ गया। वरना, एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिये, हमारे देश का सोना, हमें बाहर विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। इतनी शर्मनाक स्थिति कांग्रेस के काल में आई थी।

माननीय सभापति महोदय, आप हमारा जी.डी.पी. देखो। आप केन्द्र सरकार का कमाल देखो। 2013-14 में 1 लाख 10 हजार करोड़ था। वह बढ़कर 2 लाख 30 हजार करोड़ हो गया। सात साल में दुगुना हो गया। ऐसे होता है काम, ऐसे चलता है शासन। आप निर्यात देखो, 2013-14 में 2 लाख 85 हजार था, अब बढ़कर 4 लाख 70 हजार हो गया। कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ सम्भावनाएं हैं हमारे प्रदेश में भी, पर करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिये। अगर वह पैदा कर देंगे तो राजस्थान तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हम यहां बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 2013-14 में, देश में इनकम टैक्स पेयर की संख्या 3 करोड़ 79 लाख थी। वह 2020-21 में बढ़कर 8 करोड़ 23 लाख हो गयी है, लगभग पौने तीन गुना। जनता को इस बात के लिये प्रेरित भी किया कि आप देश हित में भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दें। उसी का परिणाम है कि हम पौने तीन गुना ज्यादा इनकम टैक्स पेयर इन सात सालों में कर पाये हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आप प्रति व्यक्ति आय देख लो। 2014-15 में देश में प्रति व्यक्ति आय 88 हजार 533 रुपये थी, जो 2021-22 में बढ़कर, 1 लाख 50 हजार रुपये, लगभग दुगुनी। दुगुने से थोड़ा कम होगा, पर प्रति व्यक्ति आय भी लगभग-लगभग दुगुनी हुई है, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में। आप जी.एस.टी. का कलेक्शन देखोगे न, जिसका फायदा हमको भी मिल रहा है। जी.एस.टी. का कलेक्शन 2020-21 में 11 लाख 37 हजार करोड़। इस वर्ष आप देखो, हमने कितनी लम्बी छलांग लगाई है। फरवरी, 2021-22 तक हमने 13 लाख 43 हजार, 542 करोड़ की आय जी.एस.टी. के माध्यम से पैदा कर ली। हमको भी हिस्सा मिलेगा उसका। राजस्थान को भी उसका लाभ होगा। वाकई में अगर काम के प्रति जिम्मेदार हो।

मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दूंगा जो 24 में से 20 घंटे काम करते हैं। उनके मंत्री, अगर उनकी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं देते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, मंत्रिमण्डल से बाहर करना है, तो उसके लिये भी वह हिचकते नहीं। हमको ऐसी ही सख्ती दिखानी पड़ेगी। इतना ही समय राजस्थान के लिये देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, कई बार क्या होता है, करता कोई है और बदनामी दूसरे के माथे डालने का प्रयास करता है। डीजल और पेट्रोल की वजह से महंगाई बढ़ी, यह डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों का गुनाहगार कौन है, उसकी सच्चाई जानोगे तो आपको अपना खुद का चेहरा नजर आयेगा। यूपीए सरकार ने 2005 से 2010 के बीच, आयल बाण्ड के नाम से 1.40 लाख करोड़, मामूली रकम नहीं है। 1.40 लाख करोड़ आयल बाण्ड के नाम से राशि एकत्रित की। डर था, कहीं रेट बढ गई, कोई सरकार को बदनाम न कर दे। उन्होंने रेट्स को स्थिर रखा, पर ऋण लेकर। अगर उस समय यह ऑयल बाण्ड नहीं लेते तो आज जो दरें हैं, उससे भी काफी दरें कम होती। नाराजगी हमारे ऊपर कि एनडीए की सरकार आने के बाद तेल व डीजल की रेट बढ़ी है। भार भी हमारी सरकार के ऊपर जबकि हमने, पिछले सात सालों में इस बाण्ड के 70 हजार 196 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है, हमारी सरकार के आने के बाद। आपने लिये। 70 हजार 196 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है। इस वर्ष हमने 10 हजार करोड़ का तो मूल ऋण, वह भी चुकाया है। 2023 में, 23 हजार करोड़ का री-पेमेंट भी हमारी सरकार के माथे ही आने वाला है, वह हमको ही चुकाना पड़ेगा। पाप करे कोई और भरे कोई, यह हालत हो गयी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

है। धीरे-धीरे जनता को सब सच्चाई पता लग गयी कि किसकी सरकार के समय कैसे-कैसे पाप हुए।

सभापति महोदय, आप कब तक पाप छुपाओंगे? कश्मीर में 22 साल पहले जो पाप हुआ, आपने अब तक दबाये रखा। आज जब यह घिनौना पाप, हिन्दुस्तान की जनता की नज़रों में आ गया तो मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है, मुंह दिखाना। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करके कि यह हमने नहीं किया, पर हिन्दुस्तान की जनता जान गयी है, कश्मीर में जो घिनौना काम हुआ उसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है।

माननीय सभापति महोदय, मात्र कश्मीर नहीं, आसाम में बोडो आदिवासियों के साथ भी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, दो बार नरसंहार का प्रयास किया था। एक बार कांग्रेस का शासन था। क्या हालत हुई थी बोडो आदिवासियों की? सरकार ने उनकी अनदेखी की। लाखों की संख्या में बोडो आदिवासी, बांग्लादेश के आदिवासी आसाम की धरती पर कब्जा जमाकर बैठ गये। दूसरी बार प्रयास किया, जब बीजेपी की सरकार थी। हमारी पिछली सरकार के काल में। हमारी सरकार ने ऐसी सख्ती दिखाई...

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सारे के सारे बांग्लादेशी, वहां जो घुसपैठिये थे, जो अपराध फैलाते थे, हमारा शासन था, हमने आदिवासियों को सुरक्षित ही नहीं किया, उनकी पहले छिनी गयी जमीनें थीं, वह भी उनको दिलवाकर उस धरती से बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर कर दिया। माननीय मंत्री जी, यह शासन का अन्तर होता है। यह मामूली शासन नहीं है। आपको सोचना होगा।

आप कोई भी कल्पना कर दो। इनकी कल्पनाएं कैसी हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है, उसके कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गयीं। अब तो नरेन्द्र मोदी को घेरने में मजा आयेगा। सारे के सारे, एक ही बात कहते थे कि यूपी के चुनाव हैं, इसलिये केन्द्र सरकार तेल की दरें नहीं बढ़ा रही है। सात तारीख को पोलिंग खतम होगा और 25-30 रुपये बढ़ेंगे। आज 7 से 21 हो गया, एक पैसा भी नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। मोदी के विरुद्ध, आप कुछ भी कर लो, यह मोदी तो निरन्तर शक्तिशाली होना है। आप चाहे कितना भी घेरना चालू करो, उसके कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह मोदी विश्व का आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है। उसको चुनौती दे नहीं सकते। सिर्फ भारत ही नहीं,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

भारत के जो बाहर रहते हैं, चाहे भारतवासी हैं या चाहे विदेशी हैं, कई देशों में तो लोग आहें भरते हैं कि हमारे पास भी काश मोदी जैसा नेता हो जाये और पाकिस्तान के एक नहीं बड़े-बड़े, पाकिस्तान के एक नहीं तीन बड़े नेताओं ने अपनी टी.वी. डिबेट में यह कह दिया कि काश, हमारे पास भी कोई नरेन्द्र मोदी जैसा नेता होता तो आप सबको भी यह गौरव करना चाहिए कि हमारे देश को इतना श्रेष्ठ। इतना अच्छा नेता मिला है, पर पता नहीं आपको यह डर लगता है कि मोदी रहेगा तो हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता आये या नहीं आये पर यह देश सुरक्षित रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार कश्मीर में 22 साल पहले हुआ, 23 साल पहले 1989 में, 32 साल पहले, ऐसा हिन्दुस्तान में किसी और प्रान्त में नहीं हो उसके लिए यह जरूरी है कि कोई शक्तिशाली नेता इस देश पर शासन करे और माननीय मुख्य मंत्रीजी किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। देश को सम्भालना कोई मामूली काम नहीं होता, देश को सम्भालना है तो मन में देश प्रेम की भावना कूट-कूटकर भरी होनी चाहिए और यह मोदी एक मात्र ऐसा नेता है, उसके बाद हमारे पास नेताओं की लाइन लगी हुई है पर शीर्ष नेता में मोदी एक मात्र ऐसा नेता है जो देश को सुरक्षित ही नहीं शक्तिशाली बनाकर पूरे विश्व में पहले नम्बर पर लायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी महादेव का अवतार है। महादेव का अवतार। अगर आप देख लोगे न तो किसी जमाने में हर-हर महादेव की बोली बोली जाती थी, उसके बाद में सैकड़ों नेता इस देश में हुए होंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सैकड़ों नेता हुए होंगे, सैकड़ों हमारे इष्ट हुए होंगे पर उसके बाद में अगर कोई नारा लगा है तो वह हर-हर मोदी के नाम का नारा लगा है। कभी हर-हर राम और हर-हर कृष्ण भी नहीं लगा पर हर-हर मोदी के नाम का नारा लगा है। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मेरे नम्बर बढ़े हुए हैं भाई, चिंता मत करो मेरी।

श्री सभापति: कंटीन्यू प्लीज, कंटीन्यू।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट में बात कर लूंगा। माननीय सभापति महोदय, महादेव ने विषपान किया था, इस मोदी को भी देश के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से विषपान करवाया, विषपान करवाया पर कभी कोई मन में नहीं रखकर ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह मंदिर के ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सारे जहर को पीकर भी, सारे जहर को पीकर उसने राष्ट्र हित में जो-जो काम करना था, वे सारे काम किये।

माननीय सभापति महोदय, जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है न तो प्रलय होता है और यह मोदी की तीसरी आंख खुली न तो कश्मीर से और देश से आतंकवादियों का सफाया हो गया। (व्यवधान) यह तीसरी आंख खुली न तो पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो गयी और माननीय सभापति महोदय +++ ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह महादेव और मंदिरों का अपमान है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, अब समाप्त करिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री...(व्यवधान)

श्री सभापति: जस्ट।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नरेन्द्र मोदी के बारे में कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह हमारे देश के गौरवशाली व्यक्ति हैं। इन्होंने देश का मान, सम्मान, गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट। माननीय सदस्य।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: बोलिये आप।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): कैसे किसी भगवान का नाम लेकर आप कैसे किसी इंसान के लिए यह कह सकते हो कि महादेवजी की जगह हर-हर मोदी करो, कैसे कह सकते हैं? इनको तो महादेवजी को पूजना नहीं है, आपको तो महादेवजी को पूजना नहीं है और आप अनर्गल बातें किये जा रहे हैं यहां खड़े होकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह कार्यवाही से बाहर होना चाहिए, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह डिलीट करिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैंने महादेव की त्रुटि नहीं की है, मैंने मोदी के कार्यों की तुलना महादेव के ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह महादेवजी का अपमान है। यह भगवान शिव का अपमान है। (व्यवधान) आप इसलिए कह रहे हैं कि आप महादेव को नहीं पूजते। आप महादेवजी को नहीं पूजते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उसको आप नकार नहीं सकते। (व्यवधान) क्या बात करते हो आप? इससे मोदी छोटा नहीं होगा।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): लगातार अपमान कर रहे हो आप। लगातार अपमान कर रहे हो आप। आप अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाकर बोलो कि महादेवजी की मूर्ति हटाकर मोदीजी की लगा दो। आप बोलिये जाकर। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, have you concluded it? आपने पूरा कर लिया?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, ये बीच में मुझे व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में, एक मिनट में समाप्त कर दीजिए, एक मिनट में।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये प्लीज। बैठिये। (व्यवधान) आप पूरा करिये अपना एक मिनट में। एक मिनट में पूरा करिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): आप हाउस को आर्डर में ले आओ, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: आप बोलिये न।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, हम राजस्थानी होने के साथ-साथ हम भारतीय भी हैं और हमारे भारत के लिए यदि कोई भी नेता सर्वश्रेष्ठ काम करता है तो हर भारतीय को यह चाहिए कि उसके अच्छे काम को वह थपथपाये, उसकी पीठ को थपथपाये और कोई भी गलत काम करता हो तो चाहे वह अपना भी हो उसको तिरस्कृत करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रफीक खान। आप बोलिये। आप बैठिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, सुनिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी-अभी जो विधायक महोदय बोल रहे थे, वह कायदे से कार्यवाही से डिलीट होना चाहिए और जो ये कह रहे थे कि जो अच्छे काम हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो निर्देश देने थे आसन से, वह मैं दे चुका हूं। जो निर्देश देने थे, मैं दे चुका हूं। प्लीज, बैठिये। बोलिये आप। प्लीज, बैठिये। (व्यवधान) आप बोलिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह अभी कह रहे थे कि अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए, मैं सहमत हूं इस बात से। दस करोड़ रुपये की सड़कें मिली हैं हर विधान सभा क्षेत्र में, एक आदमी की आवाज नहीं आ रही आपकी। पांच करोड़ रुपये एक-एक एम.एल.ए. को मुख्य मंत्री ने दे दिये, एक आदमी ने शाबाशी नहीं दी, धन्यवाद नहीं दिया। हर आदमी के लिए, आम

(श्री रफीक खान)

आदमी के लिए चिरंजीवी योजना को पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये कर दी, एक आदमी धन्यवाद नहीं दे रहा है। अच्छे काम की प्रशंसा करो। प्रशंसा करना सीखो और अपने साथियों को बताओ कि अच्छे काम की प्रशंसा किया करो ताकि आपकी बात मानी जाये और सुनी जाये। अच्छे काम की प्रशंसा करो, आपकी ही बात दोहरा रहा हूं। (व्यवधान)

मैं अच्छे काम की ही बता रहा हूं। आप खा रहे हो उसकी गिनाओ। राजस्थान विधान सभा में बैठे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राजस्थान की विधान सभा में बैठे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये। प्लीज, आप बैठिये। आप उनको इन्वाइट मत करिये, आप अपनी बात इधर कहिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, दस करोड़ रुपये की सड़कें, दस-दस करोड़ रुपये की यह सड़कें हर विधान सभा क्षेत्र में दी हैं, इर्रेस्पेक्टिव आफ कांग्रेस और बी.जे.पी. ...(व्यवधान) आप तारीफ करो, धन्यवाद दो।

श्री सभापति: बैठिये। जब अपने इधर के साथी बोले तो इन्होंने सुना। अब वे बोल रहे हैं तो सुनिये न आप, कहां दिक्कत है?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बयानबाजी कर रहे हैं, साहब।

श्री सभापति: आप मेरी तरफ करिये। बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापतिजी को देखकर बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, दस-दस करोड़ रुपये की सड़कों का यह धन्यवाद देते तो अच्छा लगता। आज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल है। आगे आने वाले साल का लेखा-जोखा है कि क्या बजट दिया गया है। पूरे हिन्दुस्तान में, जब यहां पर बजट दिया गया तो पूरे हिन्दुस्तान में यह बात उठी कि मुख्य मंत्री हो तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जैसा हो और बजट के बारे में यह चर्चा हुई कि ऐसा बजट आज तक किसी ने नहीं दिया तो इनके पास बजट के ऊपर बोलने को तो कुछ नहीं किसी के पास में, कोई हर-हर महादेव, कोई घर-घर की बात, कोई योजना बजट में क्रिटिसाइज की बात करते, बजट पर कोई सजेशन देते। आज

(श्री रफीक खान)

मुख्य मंत्री का रिप्लाई है, कोई ऐसी चीज आती जो जनता के भले की होती और उसको एड कर सकते तो हम सबको खुशी होती लेकिन आपको सजेशन नहीं देना है। आपको सजेशन नहीं देना, आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फाइनेंस का मामला है और हम पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी से लेकर 2004 तक और 2004 तक का डवलपमेंट और 2004 से 2014 तक का डवलपमेंट और 2014 से लेकर आज तक की स्थिति पूरी दुनिया के सामने है। इस हाउस में जितने आदमी बैठे हैं और जो भी आदमी इस बात को सुन रहा है, हर आदमी की अगर मालिकाना हैसियत बनी तो 2004 से 2014 के अन्दर बनी और 2014 के बाद में क्या हुआ? 2014 के बाद में न केवल आम आदमी की हैसियत में गिरावट हुई बल्कि हमारे हिन्दुस्तान की करेंसी की भी आधी गिरावट हो गयी। हमारी वैल्यू आधी रह गयी पूरी दुनिया की नजर में। जो डालर 55-56 रुपये का था, इस

(समय: 15.00 बजे)

बजट सत्र के चलते-चलते 2 रुपये बढ़ गया और आज 77 रुपये क्रास कर गया। ये बात कर रहे हैं डवलपमेंट की। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंहजी प्रधान मंत्री थे, आधार कार्ड पर इन्होंने बहुत हंगामा मचाया, नरेगा के ऊपर बहुत हंगामा मचाया, आज उन्हीं बातों का पालन कर रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं। एक आदमी की हिम्मत नहीं है कि उसके अगेंस्ट चले जायें। चाहे राइट टू इन्फोरमेशन हो, चाहे राइट टू फूड हो। अगर किसी भी चीज की शुरुआत हुई तो मनमोहन सिंहजी के समय हुई और मनमोहन सिंहजी के समय ही हर आदमी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। ठेले वाले के पास पैसा है, बैलगाड़ी वाले के पास पैसा है। हर आदमी के पास, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर किसी आदमी की मालिकाना हैसियत में इजाफा हुआ तो 4 से 14 के बीच में हुआ। मैं उस दौर से वाकिफ हूं और उस दौर से ये भी सारे लोग वाकिफ हैं। चाहे एग्रीकल्चर जमीन हो, चाहे किसी के मकान का मामला हो, किसी की सम्पत्ति अगर 20 लाख की थी तो उसकी 4 से 14 के बाद में 20 लाख की सम्पत्ति 2 करोड़ की हो गयी। 2 करोड़ वाले की 20 करोड़ की हो गयी। यह कोई जाति, धर्म विशेष की नहीं हुई, यह पूरे हिन्दुस्तान की, हर आदमी की हुई और पूरे हिन्दुस्तान ने अगर तरक्की करी तो 4 से 14 के पीरियड में करी। अभी ये बहुत ऊंची-ऊंची

(श्री रफीक खान)

बात बोल रहे थे। यहां पर उप नेता, प्रतिपक्ष भी बैठे हुए थे। बोले कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और +++ मैं पूछना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं। देखिए, आप किसी भी प्रकार के एनिमल से इंसान की तुलना नहीं कर सकते।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं इस बात का जवाब दूंगा।

श्री सभापति: वह बात हमने इसमें से डिलीट करवा दी। आप अपनी बात कहिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि डी-मोनिटाइजेशन हुआ। आपने रघुराम राजन को यहां से भगा दिया, पर मैं यह नहीं कहता कि आपने किस +++ को लाकर बैठाया। किस परपज से बैठाया आपने। एक शेर से तुलना कर देता हूं इस बात की। 'वो दौर भी देखा है, वो जब्र भी देखा है, वो जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पायी।' नोटबन्दी की सज़ा हिन्दुस्तान की इकोनामी को, जब-जब हिन्दुस्तान की इकोनामी बीमार होगी तो इस नोटबन्दी की याद हमेशा पूरे सदन को आयेगी।

सभापति महोदय, चूंकि एप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंस का मामला है, मैं दो-तीन बातें जयपुर के विस्तार और राजस्थान की इण्डस्ट्री के लिए बोलना चाहूंगा। पिछले बजट की घोषणा है और मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किया कि जेम बोर्स की स्थापना की जानी चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि जेम बोर्स की स्थापना के लिए बहुत बड़ा प्रपोजल आया है और यह आलमोस्ट फाइनलाइजेशन पर है तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि उसको न केवल फाइनल किया जाए बल्कि एक रीजनेबल रेट पर जेम बोर्स के लिए जमीन अलाट की जाये जिससे पूरे राजस्थान की पूरे इकोनामी की ग्रोथ हो सके। हमारे यहां राजस्थान के अन्दर कलर स्टोन का बहुत बड़ा बिजनेस है सभापति महोदय। कलर स्टोन का जयपुर से जो बिजनेस होता है उसकी संख्या करीब 8 हजार करोड़ रुपये है। 4 हजार करोड़ का तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और 4 हजार करोड़ रुपये का बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में होता है। अगर जेम बोर्स यहां बड़े लेवल पर बन जाता है और सब्सिडाइज रेट पर जमीन मिलती है तो हम आज जो 8 हजार करोड़ रुपये का काम कर रहे हैं, उसकी संख्या हम 80 हजार करोड़ रुपये तक ले जा सकते हैं और पूरी दुनिया के अन्दर जयपुर और राजस्थान का नाम रोशन कर सकते हैं।

(श्री रफीक खान)

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि डायमण्ड इण्डस्ट्री और कलर स्टोन इण्डस्ट्री की बहुत बड़ी डिपेंडेंस जयपुर के ऊपर है। जयपुर में पूरी दुनिया से हम कलर स्टोन इम्पोर्ट करते हैं और जयपुर में मैन्युफेक्चरिंग होती है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस इण्डस्ट्री को हम और सुविधाएं दे दें। कलर स्टोन की मैन्युफेक्चरिंग अगर कहीं होती है तो वाल सिटी के अन्दर होती है। सेन्ट्रल जेल एक बहुत बड़ी जगह है, जेल के हिसाब से अनुपयुक्त है और इनसिक्योर भी है। मैंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी और मैं आज सभापति महोदय, आपके और सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल जेल को यहां से शिफ्ट कर दिया जाये और वहां पर ज्वैलरी वाले इण्डस्ट्री वाले लोग जो कलर स्टोन की मैन्युफेक्चरिंग वाल सिटी के अन्दर करते हैं, उनको छोटे-छोटे प्लाट अलाट कर दें। सभापति महोदय, जो भी ग्राहक बाहर से, आउट आफ इण्डिया से या इण्डिया के दूसरे शहरों से आता है, उसको एक प्लेटफार्म पर सारी चीजें नहीं मिल पातीं। वह किसी एक घर में जाता है तो उसके पड़ोसी के माल का उसको आइडिया नहीं होता तो एक प्लेटफार्म ऐसा तैयार हो जाये जहां सारे माल की अवेलेबिलिटी हो और वहां से सारे माल का ग्राहक को आइडिया मिले और उसकी डिमाण्ड पूरी हो सके। हम आज भी पूरी दुनिया में अपना बहुत अच्छा मुकाम रखते हैं। अगर हमने इस ओर ध्यान दिया तो हम इस इण्डस्ट्री को चार चांद लगा सकेंगे और बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, रसद मंत्रीजी यहां नहीं हैं, अभी उधर से भी आवाज आ रही थी, राशनकार्ड की संख्या जयपुर शहर में 8 लाख 88 हजार है और कवर्ड संख्या है, 1 लाख 44 हजार लोगों को हम राशन खाद्य सुरक्षा के अन्दर देते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोविड जैसे समय में भी जब हम सबको राशन दे रहे थे तो उस वक्त केन्द्र सरकार ने हमारे 50 लाख लोगों का राशन काट लिया और राजस्थान सरकार ने अपनी जेब से दिया। जयपुर में इसकी संख्या सबसे कम है। 16 परसेंट कवर्ड है तो मेरी सदन से गुजारिश है कि सब लोग मिलकर इस बात पर सोचें कि जिस जिले में सबसे कम रेशो है, रिक्वायर्ड रेशो 60 परसेंट है, दूसरी जगह की ज्यादा तादाद होने से कहीं 80 परसेंट कवर हो गया, कहीं 70 परसेंट कवर हो गया, कहीं 60 परसेंट कवर हो गया लेकिन जयपुर में बहुत कम जुड़े हुए हैं।

(श्री रफीक खान)

(समय: 15.06 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मेरी गुजारिश है कि कम से कम 60 परसेंट का रेशो कवर करते हुए जयपुर में तमाम लोगों को राशन की सुविधाएं दी जायें जिससे आम आदमी को राशन मिल सके, आम आदमी को सुविधा मिल सके। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिन 50 लाख लोगों को राशन और मिलना चाहिए था और हमने अपनी जेब से दिया है। केन्द्र सरकार ने काट लिया। आप लोगों को हमारे साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि राशन के मामले में भेदभाव मत करो किसी स्टेट के साथ में। राशन दो सभी आदमियों को। जितने राशनकार्ड लोगों के बने हुए हैं, उन सबको राशन मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात और है जल जीवन मिशन से लेकर। केन्द्र सरकार की पालिसी है जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको हम 90 परसेंट तक कान्ट्रीब्यूशन देते हैं और राजस्थान की स्थिति पानी के मामले में ऐसी है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है और पानी की उपलब्धता कम है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन लाना-ले जाना बहुत बड़ा खर्चा है तो जिस तरह का मर्तबा बैकवर्ड स्टेट्स को दिया जाता है या पहाड़ी इलाके को दिया जाता है उससे ज्यादा, कायदे से तो इनको 100 परसेंट फण्डिंग राजस्थान में देनी चाहिए लेकिन जो दूसरे स्टेट को मिल रही है, बैकवर्ड स्टेट को, पहाड़ी स्टेट्स को 90 परसेंट शेयर मिल रहा है। ऐसी ही राजस्थान का भी 90 परसेंट शेयर मिले तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय हो और पूरे राजस्थान को पहले जो हर घर नल स्कीम होती थी, जल जीवन मिशन के तहत हम हर आदमी के घर में पानी ले जाकर दे सकें। आम आदमी का उद्धार हो सके, आम आदमी को पानी मिल सके, ऐसी सुनिश्चितता हमको करनी चाहिए और सबको मिल जुलकर बियोंड पार्टी लाइन आवाज उठानी चाहिए कि राजस्थान को जल जीवन मिशन में 90 परसेंट का शेयर दो ताकि हम हर आदमी को पानी की सप्लाई कर सकें और वह पानी से महरूम नहीं रहें और पानी उनको मिल सके। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, स्कूल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहां स्कूलें सब जगह हैं और बहुत सारी स्कूलें हम नई खोलने जा रहे हैं और

(श्री रफीक खान)

महात्मा गांधी स्कूल जो मुख्य मंत्रीजी ने दीं, पिछले साल 150 स्कूल खोलीं, इतना अच्छा मैसेज कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने शुरू कर दिये। मेरे यहां एक महात्मा गांधी स्कूल है। महात्मा गांधी स्कूल होने से पहले 150 बच्चे होते थे। आज एक हजार से ऊपर बच्चे हैं। 60 स्टूडेंट के लिए 4-4 हजार फार्म आते हैं। 60 स्टूडेंट लेने होते हैं और 4 हजार फार्म आते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने संज्ञान लिया, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संज्ञान लेकर 2 हजार स्कूलें आगामी वर्ष में इंग्लिश मीडियम खोलने की घोषणा की। एक छोटी सी समस्या इन स्कूलों में है। मेन्टिनेंस के नाम पर, पिओन के नाम पर, साफ-सफाई के नाम पर 5-6 हजार रुपये महीने के मिलते हैं। इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए ताकि स्कूलों के अन्दर मेंटिनेंस का, एक बहुत पुरानी परिपाटी चली आ रही है, छोटी सी फण्डिंग है, उसमें मेंटिनेंस नहीं हो पाती और स्कूलों में जो मैनेजमेंट का काम है और जो साफ-सफाई का काम है, वह पूरी तरह ठीक तरीके से नहीं हो पाता तो मेरी गुजारिश है कि जितनी भी रकम एप्रोप्रिएट हो, जितनी जरूरत पड़े एक बड़ी स्कूल में, जिस स्कूल में हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार बच्चे, मेरे यहां एक स्कूल है जिसमें 4500 बच्चे हैं तो इतने से पैसे से उनका काम नहीं चलता है। वहां कुछ आदमी आपको इस काम के लिए देने चाहिए। कुछ फण्डिंग देनी चाहिए ताकि उससे स्कूल की मेंटिनेंस और काम बराबर चल सके। मेरी आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट है।

सभापति महोदय, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मुख्य मंत्रीजी ने एक कालेज की घोषणा की और मेरे यहां एक कालेज जामड़ोली में सैंक्शन की, उसकी जमीन आबंटन में कुछ समस्याएं हैं तो उसकी जमीन मिले और उसमें कुछ फण्डिंग हो जाये। अगर उस कालेज के लिए 20 करोड़ रुपये हमें मिल जायें तो मैं यह डिमांड करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 20 करोड़ रुपये हमें एडिशनल मिलेंगे तो हम कालेज की बिल्डिंग बना पायेंगे और कालेज को अच्छे ढंग से डवलप कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपयों की सड़कें दीं। हम वाल सिटी की सड़कें नई बना पा रहे हैं। आगरा रोड पर हमारा एक विलेज जामडोली और 3 पंचायतें हैं। पंचायतें चूंकि जेडीए रीजन में आ गयीं, पंचायत क्षेत्र बस्सी लगता है, वह हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। जेडीए कहता है कि पंचायत करेगी और

(श्री रफीक खान)

पंचायतें कहती हैं कि जेडीए करेगी। मेरी सदन से गुजारिश है कि वहां चारों जगह एटलिस्ट 10-10 करोड़ रुपये अगर सड़कों के लिए मिलेंगे तो हमारे यहां डवलपमेंट होगा। जब भी मुख्य मंत्री जी रिप्लाई करेंगे और यह बात अगर संज्ञान में आयेगी तो पूरे क्षेत्र को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और डवलपमेंट की शुरुआत होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमें जिस तरह का बजट मिला और मेरे यहां एक सैटेलाइट हास्पिटल बनी। अगर सैटेलाइट हास्पिटल के लिए थोड़ी-बहुत फंडिंग मिल जाये तो हमारे एरिये की ग्रोथ हो जायेगी। जो मोबाइल सर्जिकल एक हास्पिटल थी, जिसको सैटेलाइट हास्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। यह कहना चाहता हूं कि वहां भी अगर थोड़ा स्टाफ अवेलेबल हो जाये तो आम आदमी को, मेरे इलाके के लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जायेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिता भदेल। माननीय श्री रोहित बोहरा। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेन्स बिल पर बोलने का मौका दिया।

अभी सभी माननीय सदस्यों को मैंने सुना। पहले हमने बजट पर चर्चा की। अभी हम फाइनेन्स बिल पर चर्चा कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बजट में कुछ प्रावधान करने मात्र से किसी राज्य का, किसी राज्य की जनता का भला हो सकता है? यदि बजटीय प्रावधानों से ही भला हो गया होता तो 75 साल, आजादी के 75 साल बाद भी गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये, जब बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उस दिन सदन के 52 माननीय विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। इसके पीछे जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता पड़ता है कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं, जिनकी सामाजिक सेवाओं में गिनती होती है, वो भी आज तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आंकड़ों में

(श्रीमती अनिता भदेल)

विश्वास नहीं करती हूं। विपक्ष के उप नेता महोदय ने जिस बात की ओर संकेत किया कि यह बजट जो हमें दिया गया, उस बजट के पैरा नम्बर 127 पर जो बात कही गयी है, उसमें और इस एप्रोप्रिएशन बिल में कितना अन्तर है? इस अन्तर से हम जान पायेंगे कि इस बजट की कितनी सच्चाई है और कितने अच्छे मन से इसको हम लागू कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आप देखिये बजट का पैरा नम्बर 127, जिस पैरे में आपने कहा है कि हम कितनी राशि खर्च करेंगे और अब आप जो यह बिल लेकर आये हैं, इस बिल में जिस राशि का आप उल्लेख कर रहे हैं वह 355222 करोड़ 43 लाख 6 हजार रुपये है। इसमें और बजट की जो राशि लिखी गयी है उसमें 8920 करोड़ रुपये का अंतर है। अभी तो बजट आज पूरी तरह से पारित होगा। इसके बाद में सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह इस राशि में से अपना खर्चा कर पायेगी। लेकिन यदि 10-15 दिन की स्थिति में यह अंतर है तो आने वाले एक साल के अन्तर से हम क्या सीख ले सकते हैं?

अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि काल्पनिक आधार पर आपने बजट के प्रोविजन किये हैं। आपके पाकेट में एक पैसा नहीं है, लेकिन आपने इतनी बढ-चढ़ करके घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को आप कैसे पूरा करेंगे? एक विशेष बात जिसकी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि मैंने पूरे भारत भर में एक सन्देश दिया है। मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। अच्छी बात है। मैं भी इस पुरानी पेंशन योजना का स्वागत करती हूं। माननीय सभापति महोदय, जो इस नयी पेंशन योजना में 2004 से लेकर के अब तक कर्मचारी के अंशदान के रूप में जितनी राशि एकत्रित की गयी है, उसके बारे में क्या मुख्य मंत्री महोदय आज जब शाम को जवाब देंगे तो उसका उल्लेख करेंगे? पिछली बार नेता, प्रतिपक्ष ने भी यह बात कही थी।

पिछली बार जब वसुन्धरा जी थीं और अशोक गहलोत जी पूर्व के कार्यकाल में थे, तब विपक्ष के नेता महोदय ने कोई बात कही है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी इस सदन के नेता महोदय की हुआ करती थी। लेकिन मैं पिछले 4 वर्षों से देख रही हूं कि वही अशोक गहलोत जी हैं, जो जवाब नहीं देते हैं। उसको गोलमाल करके, राजनीतिकरण करके जवाब प्रस्तुत

(श्रीमती अनिता भदेल)

करते हैं। एक भी बात का जवाब नहीं है। एक भी सवाल का जवाब नहीं है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि उनके पास स्वयं इन सवालों के जवाब नहीं हैं इसलिए वह बचते हुए इनको केन्द्र सरकार पर गोल कर देते हैं कि केन्द्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है।

अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जी.एस.टी. कितनी अधिक बढ़ी है। उन्होंने उसका उल्लेख भी किया। यह जो जी.एस.टी. बढ़ी है, क्योंकि जब वैट लगता था तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मैंने इनके पिताजी को देखा है, जब वह सदन में आया करते थे, मैं 2003 से 2008 के बीच की बात कर रही हूं तो किस तरह से एक-एक चीज को क्लासीफाई करते हुए फाइनेन्स के ऊपर बात करते थे। आप देखिये, उस समय स्टेट जब रेवेन्यू कलेक्शन करता था तो स्टेट के इतने सारे लीकेज होते थे कि हम सोचते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन तो हम 100 परसेंट करेंगे लेकिन 50 परसेंट के आसपास रेवेन्यू कलेक्शन हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जी.एस.टी. के आने से, चूंकि जी.एस.टी. में हमारा हिस्सा है, केन्द्र सरकार जितना जी.एस.टी. कलेक्शन करेगी उतना बड़ा हिस्सा हमें मिलने वाला है। यह तो स्टेट्स के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता है और जी.एस.टी. के रूप में हमें जो पैसा मिलता है, उससे हम प्रदेश के सोशल वैलफेयर के लिए खर्च कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे 2-3 विषयों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। यह जो फाइनेन्स बिल है, इसमें पहला है राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998, दूसरा है राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017, तीसरा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और चौथा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, इसको संशोधन करने के लिए बिल लाया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि पंजीयन और मुद्रांक विभाग राजस्थान के रेवेन्यू कलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जी.एस.टी. के बारे में तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि हमारा इतना अंशदान बन रहा था, वह हमें केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस कोविड से आप प्रभावित हो, उसी कोविड से केन्द्र ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित था। ऐसी स्थिति में जो जी.एस.टी. कलेक्शन होना था, वह नहीं हो

(श्रीमती अनिता भदेल)

पाया। इस कारण से उस अनुपात में, हमने सहमति दी है, इसलिए वह हमारा थोड़ा-बहुत कटा होगा। मैं तो यकीन नहीं करती कि कुछ कटा भी होगा लेकिन जिस हैड में हम कलेक्शन कर सकते हैं, उस हैड में हम क्या कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, स्टाम्प ड्यूटी के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। स्टाम्प ड्यूटी जिससे रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो राज्य की सामाजिक सेवाओं में काम आती है, अभी पिछले दिनों की अखबारों की कटिंग मैं देख रही थी, ई-ग्रास चालान से करोड़ों की हेराफेरी मामले में जयपुर के 3 सब रजिस्ट्रार कार्य मुक्त, 7 लिपिक एपीओ, यह हमारी कौनसी कार्य प्रणाली है? जो डिपार्टमेंट हमको इतना सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है, हम उस एक डिपार्टमेंट को नहीं सम्भाल पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं आपको सुझाव देना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी हालांकि एमनेस्टी स्कीम माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट भाषण में कही है, लेकिन वो जो एमनेस्टी स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ उन मामलों पर है जो कोर्ट में लम्बित हैं और जो डिसाइड अभी हुए नहीं हैं और होंगे और ब्याज रहित यदि वो पैसा जमा करवायेंगे, यही कहा है आपने बजट में इसलिए मेरा निवेदन है कि महिलाओं के प्रति, देखिये, मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि राजस्थान में पुरुषों के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 6 प्रतिशत और महिलाओं के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है। अभी आपने दो चीजों की घोषणा की है कि 100 वर्ग गज तक प्लाट पर और 50 वर्ग गज तक के कामर्शियल प्लाट पर आपको स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी, पर यह आलओवर होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यूपी में महिला और पुरुषों के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 5-5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय है, बराबर है। इसी प्रकार दिल्ली में महिलाओं के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 4 प्रतिशत और महाराष्ट्र में पुरुषों के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के पक्ष में 3.5 प्रतिशत, गुजरात में भी ऐसा ही है। इस तरह से आलओवर यदि इंडिया में हम देखें माननीय मंत्री महोदय, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वसूली जा रही है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस स्टाम्प ड्यूटी को कम से कम महिलाओं के पक्ष में जो दस्तावेजों को पंजीयन कराया जाता है उसकी स्टाम्प ड्यूटी में छूट देनी चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, यदि आप राजस्थान में रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट में इंवेस्टमेंट करना चाहिए। मुख्य मंत्री जन आवास योजना के तहत आपने घोषणा की कि हम 60 लाख मकान बनायेंगे लेकिन वो मकान कैसे बनेंगे? जब आप स्टाम्प ड्यूटी में इस तरह से छूट देंगे तो निश्चित रूप से इसमें बूम भी आयेगा और आप रोजगार भी दे पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अतिरिक्त हमारे स्थानीय निकाय भी हैं। जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, बीकानेर और कोटा नगर निगम, हो क्या रहा है कि वहां पर रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, उसको रोकने की दिशा में आप कोई काम कर रहे हैं क्या? आप देखिये माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी चूंकि मैं अजमेर नगर निगम से आती हूं, अजमेर में आपने रूल्स बहुत सारे बनाये हैं, परन्तु उन रूल्स का वायलेशन करके एग्रीकल्चर लैंड पर कामर्शियल भवन स्वीकृतियां जारी करके बहुत अधिक मात्रा में गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आनी चाहिए उस रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है और उसके कारण से हमारा जो बजटीय घाटा है वो इसी कारण से है क्योंकि जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उतना हम कर नहीं पाते इसलिए हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से बिजली की बात मैं करना चाहूंगी। बिजली ने इस प्रदेश को पूरी तरह से बीमारू प्रदेश और विकास की दृष्टि से अन्तिम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इतनी महंगी बिजली, इंडस्ट्री मिनिस्टर यहां बैठी हैं, मैं उनको भी आग्रह करना चाहूंगी कि इंडस्ट्री तभी फलीभूत होगी, यहां बनाया गया माल तभी मार्केट में बिकेगा जब उसकी प्रोडक्शन लागत कम होगी। प्रोडक्शन लागत कम करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है बिजली की लेकिन बिजली हमारे यहां सबसे ज्यादा महंगी है। महंगी है जो महंगी है, लेकिन मिल भी नहीं रही है। हम इतने वर्षों से कह रहे हैं कि हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जायेंगे, बिजली में आत्मनिर्भर हो जायेंगे, जब आत्मनिर्भर हो जायेंगे तो फिर इंडस्ट्रीज को आप बिजली क्यों नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, घरेलू बिजली और एग्रीकल्चर बिजली,

(श्रीमती अनिता भदेल)

जी.डी.पी. में किसी भी स्टेट या सेंटर की जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान होता है। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप बिजली उपलब्ध कराते हैं तो ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना निवेदन या सुझाव है कि एग्रीकल्चर में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा तो की है, घोषणाओं में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, इतनी घोषणाएं, इतनी घोषणाएं, वर्ष 2008 का पहला बजट और आज 2022 का बजट, ये उठाकर देख लो, मैं गिनती करके बता सकती हूं कि कितनी बजट घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की हैं, उनका ये नौवां बजट है। तीसरे बार के मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल का उनका नौवां बजट है, लेकिन इनमें 60 परसेंट घोषणाएं अभी तक भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय पूरी नहीं कर पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट कितना कारगर साबित होगा इसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि पिछले बजट जो 2021 का, 2019 का बजट था। 2019 के बजट में जनता क्लिनिक खोलेंगे, कहां घोषणा पूरी हुई, हुई नहीं। विकास पथ बनायेंगे, घोषणा हुई, वो भी घोषणा पूरी नहीं हुई। ऐसी कितनी ही घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं तो हम बजट में प्रावधान नहीं करेंगे तो वो घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? 2008 से 2013 के बीच में माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो कालेज खोलकर गये थे उनके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था और उसकी वजह से 2013 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया, वसुन्धराजी को उनके लिए बजट प्रावधान करने के बाद, उन घोषणाओं को पूरा करना पड़ा। हम तो चले जायेंगे, हमको तो कुछ करना नहीं है और आने वाली सरकार इसको भुगते और यही कारण है कि हम ऋण बार बार लिये जा रहे हैं। आपको एफआरबीएम एक्ट में 3 परसेंट की आपको छूट है कि आप ऋण ले सकते हैं लेकिन कोरोना के कारण इसको 5 परसेंट किया, 5 परसेंट के कारण से आपने ऋण ले लिया, ऋण ले लिया लेकिन आप उसको पूंजीगत व्यय में लगाइये, लेकिन आप कर्मचारियों की तनख्वाह में उसको लगायेंगे तो आपने जो ऋण लिया है वो स्टेट के वेलफेयर के किसी भी प्रकार से काम आने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति की जब हम बात करते हैं तो मैं वापस उन आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगी, आप बिल भी लाने वाले हैं, कल ही वो बिल आने वाला है। आप अनुसूचित जाति

(श्रीमती अनिता भदेल)

और जनजाति के लिए रेशनल आधार पर बजट का प्रोविजन करते हैं और रेशनल आधार पर बजट का प्रोविजन करके आप कहते हैं कि हमने इतना बजट रखा है लेकिन एक्चुअल में कितना बजट खर्च हुआ? उसकी आज तक समीक्षा नहीं करते। इसलिए एक्चुअल बजट पर जायेंगे तो निश्चित रूप से उन जातियों का हम कल्याण कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में मैं पुन: करना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदय, हमने बहुत सारे उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये लेकिन होना तो यह चाहिए किसी भी राज्य के लिए कि हमारी आलरेडी चल रहे हैं, हास्पिटल्स चल रहे हैं, जो मेडिकल कालेजेज चल रहे हैं, उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाये। जो कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र था आज वो जिला चिकित्सालय बन गया, आज जो जिला चिकित्सालय है वो कल मेडिकल कालेज बनने जा रहा है, लेकिन उनके पदों की स्थिति है उसको हम देखेंगे तो जो जिला चिकित्सालय आज बनाया है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भांति उन्हीं पदों के साथ काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे हमारे स्टेट को वेलफेयर स्टेट बना पायेंगे? यदि हम मेडिकल की सेवाओं का वास्तव में विस्तार करना चाहते हैं तो जो मैन पावर है उस मैन पावर को उसके अकोर्डिंग हमको बढ़ाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इंडस्ट्री की बात की, उसी तरह से आबकारी की बात करना चाहती हूं। ये जो आबकारी विभाग है, इस आबकारी विभाग के बारे में हमने कहा कि एक परसेंट हम अवैध शराब बनाने वालों के लिए व्यवस्था करेंगे लेकिन एक परसेंट का भी मैं समझती हूं कि 100वां हिस्सा भी नव जीवन योजना जिसको कहते हैं, उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या हम इसको सैस के रूप में लगाकर पूरा का पूरा फंड उसके लिए कंसोलिडेट कर दें तो हमको इसका पूरा अमाउंट मिलेगा ताकि हमें कोई बहाना नहीं मिले कि आबकारी विभाग की ओर से या समाज कल्याण विभाग की ओर से हमारे पास प्रस्ताव नहीं आये हैं और नहीं आने की वजह से हम इसको खर्च नहीं कर सके।

माननीय सभापति महोदय, बीपीएल, ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति, यह प्रदेश का ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है राज्य के बजट में कि उसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिले लेकिन महत्वपूर्ण स्थान की

(श्रीमती अनिता भदेल)

बजाय उसे सबसे अन्तिम पंक्ति में कितना मिनिमम से मिनिमम बजट इसका रखना चाहिए वो हम उसमें रखते तो कम से कम बजट आपको रखना है तो आप ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लीजिये। इसमें आपने कहा कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, जो वसुन्धराजी के समय में सब्सिडाइज बिजली मिलती थी वो आपके तीन साल बाद आपने देना शुरू किया और उसके लिए भी इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाये। किसान के वेलविश की बात जब तक आप नहीं करेंगे तब तब आप आगे नहीं बढ़ सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो तीन पाइंट कहकर सीधा समाप्त करूंगी। मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कोविड के समय में जो राज्य कर्मचारी हैं, जो पत्रकार हैं, उनको 50 लाख रुपये देने की बात कही थी कि यदि उनकी मृत्यु कोविड में काम करते हुए हो जाती है तो हम उनको 50 लाख रुपये देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि उन परिवारों के लोग, वे पत्रकार जिनकी डैथ हो गयी, वो आज भी आस लगाये हुए बैठे हैं कि सरकार इस काम को पूरा करेगी लेकिन सरकार ने इस काम को आज तक पूरा नहीं किया है इसलिए उसको पूरा करने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, आप पत्रकार पेंशन देते हैं लेकिन बहुत सारे प्रकरण आज भी पत्रकार पेंशन के पड़े हुए हैं जिनको आप बजट के अभाव में स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, तो जब आपने कोई योजना बनायी है और उस योजना में अधिसूचित पत्रकारों को शामिल किया है तो निश्चित रूप से ऐसे पत्रकारों को उनका हक, उनकी पेंशन मिलनी चाहिये।

अन्त में, खाद्य सुरक्षा के बारे में निवेदन करूंगी। खाद्य सुरक्षा के लिये आपने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में यह लिखा कि जितने पात्र परिवार होंगे, आपने परसेंटेज नहीं लिखा, आपने लिखा कि जितने पात्र परिवार होंगे, उन्हें हम खाद्य सुरक्षा के पोर्टल से जोड़ेंगे। अब जब कोई भी माननीय सदस्य खाद्य सुरक्षा का सवाल उठाता है तो आपका सीधा-सादा जवाब होता है कि केन्द्र से अनुमति नहीं मिली। आप केन्द्र पर क्यों जा रहे हैं? घोषणा यदि मैंने की है तो मैं अपने संसाधनों से उसकी व्यवस्था करूं। अपने संसाधन से व्यवस्था नहीं कर सकते तो साफ मना कर दें कि हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

कर सकते, लेकिन जी.एस.टी. का इतना पैसा लेने के बाद हर चीज को केन्द्र के पाले में डाल देना ठीक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी किस तरह 'ease of doing' में हमारे भारत को कहां से छलांग लगाकर किस स्टेज तक ले गये, लेकिन हमारा प्रदेश 'ease of doing' में कौन-से स्थान पर है, यह देखने की जरूरत है, तभी हम इस स्टेज को आगे पहुंचा पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, इतना ही कहकर आपको धन्यवाद करती हूं।

श्री सभापति: माननीय रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान राज्य का 2022-23 का बजट पूरी तरह से इन्क्लूजिव एवं राज्य अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिये अभूतपूर्व प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि हर विधान सभा क्षेत्र में, हमारे विपक्षी माननीय विधायकों के क्षेत्र में भी सभी वर्गों के लोगों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों ने बजट के बारे में तथ्यों से परे कई बातें जो कही हैं, उन पर मैं सदन में आपके समक्ष कुछ रख रहा हूं।

सबसे पहले मैं शुरू करता हूं साहब 2015 से, जब यह मोदी सरकार आयी थी। मोदी सरकार आयी थी तो 2015 में उन्होंने कहा कि हम अमृत महोत्सव मनायेंगे। अमृत महोत्सव मनाना था, जब इंडिपेंडेंस का 75वां साल शुरू होना था 2022 में। उसमें 7-8 पाइंट हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय अरुण जेटली साहब ने रखे थे। उसमें यह कहा गया था कि किसानों की आय डबल कर दी जायेगी। उस समय 8 हजार थी तो इस साल 21 हजार रुपये का टारगेट रखा गया था, जो नहीं पूरा हुआ। न ही वित्त मंत्री इस बार के बजट में इस बारे में कुछ बोलीं। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि 2 करोड़ हाउसेज अरबन एरिया में, 4 करोड़ हाउसेज रूरल एरिया में, कुल 6 करोड़ हाउसेज बनाने का उन्होंने एक वादा किया था कि 2022 तक ये हाउसेज बनकर पूरे हो जायेंगे। इस बार के बजट में क्या आता है? हम 80 लाख घर बनायेंगे, 48 हजार करोड़ के उस प्रोजेक्ट का प्रोविजन किया।

वे भूल गये कि अमृत महोत्सव 2022 में चल रहा है। हमें तो उस अमृत महोत्सव की बात करनी थी 2022 में। एक बार भी उन्होंने पूरे बजट भाषण में बात नहीं की। यह बोला गया था कि हर आदमी को एम्प्लायमेंट

(श्री रोहित बौहरा)

दिया जायेगा और उसे यदि एम्प्लायमेंट नहीं मिला तो लाइवलीहुड का कोई न कोई संसाधन दिया जायेगा। हर हाउस में 24 घण्टे इलेक्ट्रिसिटी आयेगी, बेसिक रोड फैसिलिटी होगी, यह सब कहां गया साहब? 1,78,000 इनहैबिटेंट्स के लिये उस टाइम रोड्स नहीं थीं साहब तो बोला गया कि हम एक लाख किलोमीटर रोड बनायेंगे, उन 1,78,000 इनहैबिटेंट्स को रोड देंगे और इसके अलावा एक लाख किलोमीटर रोड और बनायेंगे, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा। यह अमृत महोत्सव था सर।

2015 में जब अमृत महोत्सव की बात की गयी थी, तब यह बोला गया था कि 80 हजार सैकंडरी स्कूल्स सीनियर सैकंडरी स्कूल्स कर दिये जायेंगे और 75 हजार मिडल स्कूल्स को सैकंडरी स्कूल कर दिया जायेगा। अमृत महोत्सव चला गया 2022 में, बजट चला गया 2022 का, कोई बात नहीं की गयी साहब। किसी ने कोई बात नहीं की। यह था कि स्टार्ट-अप हम फंड करेंगे और our people will not be, जॉब लेने वाले नहीं होंगे। They will be job creators. They will not be job seekers. They will be job creators. कहां गया साहब? आज की डेट में अनएम्प्लायमेंट सबसे ज्यादा है इस प्रदेश में और इस देश में। इस प्रदेश में भी है और इस देश में भी। करीब-करीब 50 करोड़ जनता अनएम्प्लायड है, आपने क्या किया साहब?

अमृत महोत्सव की बात की थी। अब अमृत महोत्सव खतम कर दिया साहब 2022 में आते ही। अब एक नयी बात शुरू की गयी, जो मोदी जी की खास आदत है कि एक बात करो, उससे ध्यान हटाओ, फिर तुरन्त दूसरी बात कर दो, जिससे पूरे देश के लोगों का ध्यान हट जाये। ये ही टैक्टिक्स हैं। अब बात की अमृत काल की। अमृत महोत्सव खतम। कुछ नहीं हुआ। अमृत महोत्सव के जो टारगेट्स बनाये थे, वे खतम। अब अमृत काल की बात करना शुरू कर दिया। अमृत काल में क्या होता है साहब? अमृत काल में बोलते हैं, गति शक्ति योजना पर हम एक लाख करोड़ खर्च करेंगे, कैपेक्स करेंगे एक लाख करोड़ रुपये का। कहां गया साहब एक लाख करोड़ का कैपेक्स, इस बजट में ही नहीं दिखा? सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल कैपेक्स साढ़े 7 लाख करोड़, उसमें से निकाल दिया गया 51 हजार करोड़ की जो एयर इंडिया की लायबिलिटीज आपको चुकानी हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो चुकाते नहीं हैं।

अकाउंट्स की जगलरी करने में बहुत उस्ताद लोग हैं साहब। तीन साल से अकाउंट्स की जगलरी कर रहे हैं। कह रहे हैं कैपेक्स करेंगे, कैपेक्स नहीं करते। पिछले साल भी एयर इंडिया का 61 हजार करोड़ का जो लोस था,

(श्री रोहित बौहरा)

वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना था, उसे कैपेक्स में डाल दिया। उससे पहले डेढ़ लाख करोड़ का जो एफसीआई का पैसा था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सेट आफ होना था, वह नहीं किया। अकाउंट्स की जगलरी करने में मास्टर हैं। अनाउंसमेंट करने में मास्टर हैं। धरातल पर क्या है, उसका कुछ नहीं। वह डेढ़ लाख करोड़ भी कैपेक्स में से चला गया। 61 हजार करोड़ भी कैपेक्स में से चला गया। साढ़े 7 लाख करोड़ का कैपेक्स है, उसमें से 51 हजार करोड़ एयर इंडिया का चला गया, बचा आपका 7 लाख करोड़। उसमें से भी एक लाख करोड़ आपको स्टेट्स को देना है। बचा कितना, 6 लाख करोड़।

हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक कह रहे थे, 3 लाख करोड़ में से सिर्फ 10 परसेंट कैपेक्स हो रहा है, तो यह तो पूरे इंडिया का बजट है, टोटल 6 लाख करोड़ में यदि 40 लाख करोड़ करते हैं तो 15 परसेंट भी नहीं होता साहब। हम तो फिर भी बेटर आफ हैं आपसे। पूरे देश में आपका Capex is not even 15 per cent of your total budget.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): भाई, राजस्थान की विधान सभा में बोल रहे हैं आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मुझे पता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये सेंटर का बजट है कि राजस्थान सरकार का बजट है?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जो आप बार-बार बोलते हैं न ...(व्यवधान) मुझे पता है, इसीलिये बताना चाह रहा हूं, जो आप मिथ्या भाषण कर रहे थे, उसी मिथ्या भाषण का जवाब दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपकी आपके पापा से शिकायत करूंगा।

श्री सभापति: माननीय, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): टोटल 15 परसेंट खर्च कर रहे हैं साहब, बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं। आज बात की इन्क्लूजिव ग्रोथ की, इसी में उन्होंने चार पाइंट रखे साहब, अमृत काल जो आयेगा, उसमें इन्क्लूजिव ग्रोथ होगी। इन्क्लूजिव ग्रोथ क्या करेंगे साहब? गति शक्ति का आपके पास बजट नहीं है, वह तो गया साइड में। उसके बाद मैडम बोलती हैं सैकंड इन्क्लूजिव ग्रोथ होगी। इन्क्लूजिव ग्रोथ कैसे होती है? 2,37,000 करोड़ रुपया हम एमएसपी के लिये देते हैं खरीदने के लिये, 1268 मैट्रिक टन खरीदा जायेगा गेहूं और धान और उसमें इस साल का बजट क्या रख दिया, 2,35,000 करोड़, यानी down

(श्री रोहित बौहरा)

by 13,000 crores. इस बार आपकी जो एमएसपी पर खरीद होगी, वह और कम होगी, क्योंकि एमएसपी की प्राइस बढ़ जायेगी।

आपने जो बात की थी पिछले साल कि मिलेट्स और पल्सेज को हम एमएसपी पर खरीदेंगे, वह भूल ही गये। वह था ही नहीं। जो आप बात कर रहे थे कि हम सब्सिट्यूट करेंगे आयल सीड्स का, वह सब खतम हो गया। पहली बार हुआ है, जब किसान आन्दोलन हुआ, किसान आन्दोलन हुआ, फर्टीलाइजर सब्सिडी डाउन हो गयी। एग्रीकल्चर का बजट, यदि इन्फ्लेशन लें तो वह भी घट गया साहब। गैस सब्सिडी खतम कर दी। उज्ज्वला योजना तो खतम हो गयी, अब अन्धेरे वाली योजना आ गयी। लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सब्सिडी मिलनी बन्द हो गयी। जो बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, उन पर अब लगा दिया उज्ज्वला की तरह ''अन्धेरी योजना'', बीजेपी की अन्धेरी योजना क्या है कि अब आपको गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, खतम। कहीं आप 35 हजार करोड़ की गैस सब्सिडी देते थे, आज की डेट में वह 5 हजार करोड़ की भी नहीं बची। खतम कर दी आपने। आपका मेन एजेंडा था लास्ट टाइम चुनाव में कि उज्ज्वला योजना में हम यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं पर खतम हो गयी न। यह इसलिए गिना रहा हूं कि जो ये बात करते हैं वह चन्द दिनों में ही भूल जाते हैं। इसी के साथ इन्होंने स्किल डवलपमेंट की बात की, ये सब कीं पर सब चीजें खतम हो गयीं। स्किल डवलपमेंट का अब नाम ही नहीं सुनते हो। जो करप्शन करना था वह कर लिया स्किल डवलपमेंट में और उस कहानी को खतम कर दिया। मेड इन इण्डिया खतम कर दिया। मेड इन इण्डिया कहीं दिख रहा है क्या? एम.एस.एम.ई. को कुछ आपने हाथ में दिया क्या? उनको सिर्फ आप लोन की गारंटी दे रहे हो और कुछ भी नहीं दे रहे हो। एक एम.एस.एम.ई., टाइनी सेक्टर और स्माल स्केल सेक्टर को आपने किस तरह से मदद की कोरोना काल में? एक आदमी भी बता दे तो मैं मान जाऊं। आपने सिर्फ लोन की गारंटी कर दी। लोन की गारंटी से क्या होता है?

सबसे बड़ा हास्यास्पद तो यह हुआ कि मुद्रा लोन इन्होंने चालू किया और बड़े जोर-शोर से चालू किया कि हम मुद्रा लोन में पैसा देंगे। आज की डेट में 25 हजार करोड़ के एनपीए हो गये मुद्रा लोन के अन्दर। क्या हुआ? मुद्रा लोन ही खतम हो गयी। इनकी कुनीतियों की वजह से जो मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 50 हजार रुपये की हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को देना चाह रहे थे कोरोना काल में, वह ठप हो गयी, बिकाज इन्होंने

(श्री रोहित बौहरा)

ऐसी योजना शुरू की जिसमें एनपीए हो गये। अब इनके नीचे सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स लोन देती नहीं हैं क्योंकि उनके इतने एनपीए हो गये तो उस क्रेडिट कार्ड योजना में आज की डेट में दस करोड़ रुपया क्रेडिट कार्ड का बैंक्स के पास पड़ा हुआ है जो बैंक्स नहीं कर रही हैं। मैं तो इधर से आने वाले माननीय सभी सदस्यों से और माननीय सांसदों से यह विनती करता हूं कि वह क्रेडिट कार्ड योजना जो हमारी थी उसको चालू करवायें। हमारे वेंडर्स को कोरोना काल में जो 50 हजार रुपये नहीं मिले उनको चालू करें। आप भी तो इस प्रदेश से ही एमएलए बनकर आये हैं मेरे ख्याल से और आप इतना भी नहीं बोल सकते। वे इतना नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी जी गुस्सा हो जायेंगे, टिकट कट जाये इसलिए कोई कुछ इसके लिए बोलना नहीं चाहेगा। मैं राजस्थान का ही बोल रहा हूं।

आज की डेट में हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस बजट को आप किस तरह से फाइनेंस करेंगे, किस तरह से आप पैसे लेंगे। वे बोल गये हैं, we are dictated under FRBM limit by the Centre. हमें जितना पैसा मिलता है वह सेंटर से एफआरबीएम लिमिट के तहत ही मिलता है। एक लाख 22 हजार करोड़ का जो हम लोन लेंगे वह एफआरबीएम लिमिट के तहत ही लोन लेंगे। यह आपका गलत नोशन है कि 3 परसेंट एफआरबीएम लिमिट है। FRBM limit has not been increased to 5 per cent. 15th फाइनेंस कमीशन ने चार उसमें धाराएं लगा रखी हैं जो पूरी कर दें तो आप 5 परसेंट तक एफआरबीएम लिमिट में पैसा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।

मैं अब कुछ कम्पेरिजन करना चाहता हूं आपके सामने। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट लेती है और किस तरह से फाइनेंस करती है और राजस्थान गवर्नमेंट अपना बजट लेती है और किस तरह से फाइनेंस करती है। 2019-20 में सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर था 26.86 लाख करोड़ का और उन्होंने लोन लिया 9.33 लाख करोड़। दैट मीन्स करीब-करीब 34.73 परसेंट उनका लोन फीगर था। इसी तरह से 2020-21 में 18.18 लाख करोड़ का टोटल लोन था और 35 लाख करोड़ का उनका टोटल बजट था। इसमें टोटल जो बोरोइंग्स थीं and that was approximately 51.8 per cent, to be more precise, 51.8 per cent. इसी तरह से 2021-22 में टोटल बजट साइज में एक्सपेंडिचर था 37.70 लाख करोड़ और आपने लोन लिया

(श्री रोहित बौहरा)

15.91 लाख करोड़ का। इसका मतलब आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर था 42.2 परसेंट का आपने टोटल लोन लिया बजट सपोर्ट करने के लिए। 2022-23 में इस साल जो इनका बजट एस्टिमेट है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे अगर गलत साबित करना चाहें तो कर सकते हैं, बता दें यदि मैं कोई गलत चीज बोल रहा हूं तो। 39.44 करोड़ का टोटल बजट है और टोटल लोन लिया 16.61 करोड़ का। यह आता है 42.11 परसेंट।

इसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट का मैं बोलना चाहता हूं। 2019-20 में हमारे टोटल बजट का एक्सपेंडिचर था 2.01 लाख करोड़ और हमारी लोनिंग 46174 थी। इसमें 22.9 परसेंट हमारा बोरोइंग फीगर था। इसी तरह से 2020-21 में हमारा टोटल बजट साइज था 2.35 लाख करोड़, हमने लोन लिया 89964 का, यह 38.28 परसेंट था। कहां 51 परसेंट, कहां 38 परसेंट। इसी तरह से 2021-22 में इनका 42 परसेंट था हमारा टोटल साइज बजट का 3.18 लाख करोड़, हमने लोन लिया 1.18 करोड़ का और यह 37 परसेंट का आया। इस साल हमारा टोटल बजट साइज, ये बार-बार बोल रहे थे कि 3.46 से 3.55 कर दिया, यह एप्रोप्रियेशन है, एप्रोप्रियेशन लाया ही इसलिए जाता है and what is budget? It is just an estimate. It is not the correct figure. It can always change. That's why we always get R.E and Actual. It can always change. इसमें कौन सी नयी बात है? सांगानेर से आने वाले, अजमेर से आने वाले माननीय विधायक बड़े जोर से बोल रहे थे कि दस दिन में ही चैंज हो गया। It can change anytime. It is just an estimate. यह हमारा इस साल का 35.26 परसेंट है। केन्द्र सरकार से यदि आप कम्पेयर करें और हमारे पास, we are governed by FRBM limit. They don't follow the FRBM limit. They are not following FRBM limit. वह मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पिछली बार का देख लें। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में भारत सरकार का वर्ष 2020-21 में 9.2 परसेंट था और 2021-22 में 6.4 परसेंट था और इस बार का फिस्कल डेफिसिट जो ये 2021-22 का बता रहे हैं वह और बढ़ जायेगा क्योंकि एलआईसी का आईपीओ नहीं आया। इनको एलआईसी के आईपीओ से करीब 50 हजार करोड़ रुपये मिलते। आपने लास्ट बजट में कहा था कि 1 लाख 75 हजार करोड़ का डिस-इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आप कर ही नहीं पाये। आप सिर्फ 8 परसेंट कर पाये तो फिर वह बजट आपका कहां गया? कहां गया वह बजट आपका? आप सिर्फ 8 परसेंट कर पाये तो इस बार का जो 6.4

(श्री रोहित बौहरा)

परसेंट आप बोल रहे हैं वह भी हमारे से बहुत ज्यादा है। यह करीब 7 परसेंट पर आ जायेगा क्योंकि 50 हजार करोड़ रुपया इनको एलआईसी के आईपीओ से मिला ही नहीं।

इसी तरह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वह क्रमश: 5.8 परसेंट और 5.3 परसेंट था। ठीक है, एफआरबीएम लिमिट से थोड़ा ज्यादा हुआ, मैं मानता हूं बट एक बार कोरोना काल था, दूसरे साल भी कोरोना का इफेक्ट आया, बट इनसे तो हम बहुत अच्छे थे। हम लोग इनसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर थे।

एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो इनकी लाइबिलिटी हैं, इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबलिटी है as a percentage of revenue receipts, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की as a percentage of revenue receipts, जो इनकी लाइबिलिटी है, 2011-12 में 36 परसेंट थी और आज की डेट में यह 43 परसेंट हो गयी। 36 परसेंट से 43 परसेंट हो गयी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटी है, यह मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब 2014 में कांग्रेस का राज खतम हुआ था तब 53 लाख करोड़ थी। As we finished 31st March, 2022, हमारी टोटल लाइबिलिटी 1 लाख 35 हजार करोड़ हो जायेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर आदमी पर एक लाख रुपये का लोन यह सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़कर जायेगी और आने वाले एक साल में यह और बढ़ जायेगा। इसके लिए कौन रेस्पोंसिबल है? कोई बात ही नहीं करता। बात तो हमें सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की ही करनी है, हमें हिन्दू-मुस्लिम की करनी है, हमें बात इकोनोमिक्स की करनी ही नहीं है। हमें तो तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, हमें बात ही नहीं करनी इन सब चीज की।

अब मैं राजस्थान के ऊपर आ जाता हूं जो अपन राजस्थान पर बात कर रहे हैं। हमें करना क्या है? What do we need? किस तरह से इकोनोमी में स्पर आयेगा, किस तरह से ग्रोथ आयेगी, यह भी तो हमें कुछ विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से आयेगी। You have to tax the corporate. You have to tax the superrich. आज एक परसेंट लोगों की जो माली हालत है वह डबल हो गयी और हमारे यहां जो इन-इक्वलिटी है वह भी डबल हो गयी। inequality between the rich and the poor डबल हो गयी। पैसे वाला पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस पर केन्द्र सरकार क्या कर रही है? इस पर कोई एजेण्डा नहीं है, क्योंकि

(श्री रोहित बौहरा)
इनके तो दो ही दोस्त हैं अम्बानी और अडाणी। उनकी कैपिटल बढ़ती रहे, बीजेपी खुश होती रहे। क्यों साहब, ठीक है न। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं इंडस्ट्रियल कैपेसिटी सिर्फ 60 परसेंट पर चल रही है। Capacity build up ही नहीं हो रही है। बैंक से क्रेडिट बढ़ ही नहीं रहा है। WPI inflation, Wholesale inflation is going to 14 per cent and, Consumer Index inflation to going to 6 per cent. ये बड़े खुश हो जाते हैं, हमारा जी.एस.टी. कलेक्शन बहुत बढ़ गया। जी.एस.टी. कलेक्शन तो आपका अपने आप बढ़ेगा। आप कर क्या रहे हो जी.एस.टी. कलेक्शन के लिये? आयरन की प्राइस डबल हो गयी, प्लास्टिक की प्राइस डबल हो गयी, आपके एल्यूमिनियम की प्राइस डबल हो गयी, आपके कॉपर की प्राइस डबल हो गयी, आपके कॉल की प्राइस डबल हो गयी। आपकी सभी कमोडिटीज की प्राइस डबल हो गयी। When you talk of real terms, tonnage के इंक्रीज की बात करते हो, tonnage तो इंक्रीज नहीं हुआ है। Tonnage डिक्रीज हुआ है कंजम्प्शन डिक्रीज हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, आम आदमी के हाथ में कुछ पैसा दिया ही नहीं जिससे कि उनका कंजम्प्शन बढ़ सके, जिससे डिमाण्ड बढ़ सके, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सके, वह कुछ नहीं किया है। बेसिक मुद्दा क्या है? जो सब कंट्रीज कर रही हैं, वह बेसिक मुद्दा है किसी तरह से कामन आदमी के हाथ में पैसा दिया जाये, कामन आदमी के हाथ में पैसा रहेगा तो डिमाण्ड बढ़ेगी, डिमाण्ड बढ़ेगी तो नया एम्प्लायमेंट आयेगा, नया एम्प्लायमेंट आयेगा तो बैंक लोन्स बढ़ेंगे, सब चीज पूरी इकोनोमी आपकी चेंज होती जायेगी, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

सबसे बढ़ी त्रासदी यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इनको तो एक चीज नजर आ गयी है Capex, Capex करते रहो और पता नहीं क्या हो जायेगा? Capex से कुछ नहीं हो रहा है। Capex will take seven months. पचास करोड़ गरीब जनता आज बिना नौकरी के है, बिना एम्प्लायमेंट के वह 70 करोड़ पर आ जायेगी, क्या होगा उस गरीब जनता का? उससे मतलब ही नहीं है। आप उनको फ्री राशन देकर लुभा लेते हो, कभी हिन्दू, मुस्लिम पर लुभा लेते हो, आपको तो सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दो महीने के लिये जायेंगे, गरीब जनता को बहला-फुसलाकर आ जायेंगे।

आज जो मुख्य मंत्री जी ने किया, सबसे इंपोर्टेंट पाइन्ट जो मुख्य मंत्री जी ने किया, वह था इन्दिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। शहरी गारंटी योजना से हम करीब-करीब साढ़े आठ सौ रुपया

(श्री रोहित बौहरा)

खर्च करेंगे और सौ दिन का एम्प्लायमेट करके, इसी तरह से मनरेगा में, इन्होंने तो बजट कम कर दिया। 98 हजार करोड़ से बजट 73 हजार करोड़ कर दिया था और उसमें से भी 15 हजार करोड़ की पुरानी लायबिलीटी हैं, यदि आप वो मानकर चलोगे तो करीब-करीब सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये बजट रह जायेगा। Demand driven है, देना पड़ेगा, पर बजट में नहीं डालना चाहते। क्यों नहीं डालना चाहते, इसका अभिप्राय क्या है, यह किसी को स्पष्ट नहीं है, क्यों नहीं डालना चाहते? Demand driven है, आपको डाल देनी चाहिये थी। आप पुरानी लायबिलिटी भी carry forward कर रहे हो इस साल में, उसका भी पेमेन्ट करोगे। यहां पर 6-6 महीने हमारे सरपंचों को पक्के कामों का पेमेंट नहीं मिलता, किसको रोयें जाकर? 25 सांसद हमने दे दिये पर एक सांसद ने भी आवाज उठायी? 6-6, 7-7 महीने पक्के कामों का पैसा नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बैठ जाइये, अभी आपको आगरा नहीं जाना है। इन्दिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इनकी मुद्रा योजना फेल होने से बहुत प्रोब्लम में आ गयी। हमारी इन्दिरा क्रेडिट कार्ड योजना चल ही नहीं पा रही है, क्योंकि मुद्रा योजना में इतने एनपीएज हैं, हमारी कर्मिशयल बैंक हमारे नीचे नहीं है, इसलिए we can't do anything about it.

मुख्य मंत्री जी ने आज जो करने की चेष्टा की है, वह एक डिमाण्ड क्रिएट करने की कोशिश की है। आप देखें, 550 करोड़ रुपया दूध डेयरी के संगठनों को हमने दिया। वह क्यों दिया कि हम उन आदमियों के हाथ में पैसा दे दें, जिससे रूरल डिमाण्ड क्रिएट हो, सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस कहां है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस है रूरल इण्डिया में। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आज आप देखें टू व्हीलर्स जो इंडिया की सबसे बड़ी डिमाण्ड हुआ करती थी। वह रूरल डिमाण्ड थी, वह खतम हो गयी, वह इंडस्ट्री doldrums आ गयी, वहां माल ही नहीं बिक रहा है। इतनी हालत खराब है।

इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने एमएसएमई को interest subvention में 150 करोड़ रुपया दिया, जिससे जो नये एंटरप्रिन्योर्स हैं, उनको कम ब्याज पर पैसा मिले, जिससे नयी इंडस्ट्री लगे, नयी इंडस्ट्री लगेगी तो कम से कम उनको नया एम्प्लायमेंट मिलेगा।

(श्री रोहित बौहरा)

साहब, आप मेरा टाइम काट रहे हैं तो मैं तीन-चार बातें वो बोल रहा हूं, जो सरकार को करनी चाहिये। मैं चाहता हूं सरकार के पास जो रीको की जमीन है, जो लीज डीड पर चल रही है। उससे सरकार को पैसा भी मिलेगा। मैं चाहता हूं रीको वाली जमीन, जो लीज डीड पर है, उसको ओपन कर दे, उसमें बहुत सारी प्रोब्लम है। वह यह है कि पैसा अटक जाता है, फैमिली में डैथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, फिर रीको के चक्कर काटो, ब्यूरोक्रेसी के चक्कर काटो। उसको क्लीयर कर दें, लैण्ड टाइटल को क्लीयर कर दें, 10 साल की लीज ले लें, 20 साल की लीज ले लें। उस लीज लैण्ड को हमारे नाम कर दें, उस पर से लीज हटा दें और उसको ओपन कर दें। हम उसका पैसा देने के लिये तैयार हैं। यह करीब-करीब पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स की आर्गेनाइजेशन हैं, उनकी डिमाण्ड है कि इसको इस तरह कर दिया जाय।

इसी तरह से, यूडीएच मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। रीको हमसे सर्विस चार्ज भी ले रहा है, यूडी टैक्स किस बात का रीको इंडस्ट्रीयल एरिया में? साहब, आप दो चार्जेज कैसे ले सकते हो? इधर तो आप चाहते हो, यूडी टैक्स भी दे दें और इधर आप चाहते हो, सर्विस चार्ज भी और ले लें और 10 परसेंट हर साल सर्विस चार्ज भी बढ़ा दो। रीको यदि सर्विस चार्ज के रूप में पैसा लेता है तो कम से कम वाटर सप्लाई का ध्यान रखे, स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखे और रोड्स का ध्यान रखे। ये तीनों चीजें बिलकुल नगण्य हैं। सब रीको इंडस्ट्रियल एरियाज में, रीको इंडस्ट्रियल एरियाज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सर, नहीं है। बहुत हालत खराब है। धौलपुर में हम ट्रेवल भी नहीं कर पाते। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति: माननीय।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, फायर एन.ओ.सी. का ऐसा एक और सिस्टम है। फायर एन.ओ.सी., जिसके पास 6 हजार स्क्वायर मीटर का प्लाट है, उससे आप फायर एनओसी देने के लिए 72 हजार रुपये ले रहे हो, आज की डेट में। आप टाइनी और एम.एस.एम.ई. सेक्टर्स को तो इससे बाहर निकालो। मंत्री जी, यदि आप इसको बाहर निकाल दोगे, यदि 10 साल आपको पैसा देते रहेंगे 72 हजार रुपये तो इतने में तो हम अग्निशमन यंत्र ही खरीद लेंगे, एक गाड़ी खरीद लेंगे 7 लाख 20 हजार रुपये की।

साहब, टाइनी और स्माल स्केल इंडस्ट्री इसको अफोर्ड नहीं कर

(श्री रोहित बौहरा)

सकती, इसको खतम करो। इस पर सीरियसली ध्यान देना हैं, उद्योग मंत्री इस पर आप सीरियसली ध्यान दें। इसको आप हटाओ, प्लीज। एक ही चीज आप चार्ज करें या तो यूडी टैक्स करें या सर्विस चार्ज करें, both things you cannot charge.

श्री सभापति: माननीय कंक्लूड करें, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, एक चीज और उद्योग मंत्री जी से कहूंगा, जो डीआईसी आपकी नोडल एजेंसी बनी हुई है। आप हमको सब्सिडी देते हैं, यूथ को जिनको नये पैसे मिलते हैं, नये उद्योग खोलने के लिये, नये धन्धे खोलने के लिये, जिनको आप पैसा देते हो। वह पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आता है, सब्सिडी के रूप में। मैं यह चाहता हूं कि एंटरप्रिन्योर रोज-रोज उसके लिये नहीं भागे। Why should entrepreneur? डीआईसी, डीआईसी उसको कॉर्डिनेट करे। उसके अकाउंट में डायरेक्ट डलवाये, जिससे यह कहानी खतम हो कि रोज-रोज एंटरप्रिन्योर को डीआईसी नहीं भागना पड़े कि मेरी सब्सिडी आयी, नहीं आयी। ये बैनिफिट आप डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। सब्सिडी बैंक में आ जाये, बैंक को एक अंडरटेकिंग दे दी जाये कि यह पैसा आ जायेगा, उससे उसके इंट्रेस्ट का सब समायोजन हो जायेगा।

श्री सभापति: प्लीज, फिनिश।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पांच मिनट।

श्री सभापति: लास्ट प्लीज, 4 बजे तक आपको बोलना है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आखिर में, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज इतना अच्छा बजट जो मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है। उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, शानदार बजट, लोगों का शानदार डवलपमेंट, लोगों में बजट के प्रति पूरा उत्साह और यह जो नयी पेंशन स्कीम उन्होंने चालू की है। मैं जानता हूं कि ये लोग उसकी बुराई भी नहीं कर सके, पर जो नयी पेंशन स्कीम स्टार्ट की है, वह एक सोशल सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट को आपने दे दी है, जिससे अब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आने से कतरायेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी सोशल सिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी। आपका तहे दिल से शुक्रिया, राम-राम सा, जय हिन्द जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

(समय: 16.00 बजे)

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

मुझे बोलने के लिए बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे तो मैं तीसरे वाचन पर बोलना चाहता था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि मैं अभी बोलूं।

मैं एक स्पष्टीकरण पहले देना चाहता हूं कि यहां दण्ड प्रक्रिया संहिता पर एक चर्चा हुई थी, संशोधन आया था, मैंने उसको एक इन्नोसेंट लेजिस्लेशन मानकर उसका समर्थन किया था। अखबारों में यह आया कि कैलाश मेघवाल ने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर के अपना भाषण दिया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो दिल्ली की हमारी पार्टी में इसका विरोध का तय हुआ, न राजस्थान की पार्टी में विरोध का तय हुआ, न विधायक मण्डल में तय हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति में वह जो समाचार छपा...

(समय: 16.01 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष जी, आपके आदेश से मैं पहले बोल रहा हूं, वैसे मैं तीसरे वाचन पर बोलने वाला था।

श्री अध्यक्ष: मैं आप ही को सुनने के लिए आया हूं।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): आपका आदेश था कि मैं पहले बोलूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बिलकुल नये विषय पर बोलना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाये उनकी एक मंशा उसमें यह रहती थी कि अंग्रेजों का राज यहां स्थायी रहे, जाये नहीं, चाहे वह सीआर.पी.सी. थी, चाहे वह सी.पी.सी. थी, चाहे वह एविडेंस एक्ट था, चाहे वह इण्डियन पीनल एक्ट था या और कोई एक्ट था। इस इच्छा के कारण यहां पर जो स्थिति बनी, क्योंकि जो संविधान सभा बैठी थी, उस संविधान सभा में जितने भी लोग बैठे थे वे सब ब्रिटिश राज पद्धति से प्रभावित थे। वे सब ब्रिटिश की जो जुडिशियरी थी उससे भी प्रभावित थे और इसलिए संविधान ऐसा बनाया कि जिससे हमेशा हम ब्रिटिशर्स को फोलो करते रहें। यह एक ऐसी स्थिति बनी है और मैं यह बात इसलिए आपकी निगाह में रखना चाहता हूं कि यूके. में एक सुप्रीम कोर्ट है, छोटा-सा यू.के., क्षेत्रफल कम, जनसंख्या कम। यू.के. में हाई कोर्ट्स अलग-अलग हैं और वह एक ही कोर्ट है, उसकी बैंचेज नहीं बनती और उसी स्थिति को आज हम अपनाये हुए हैं। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। केरल का आदमी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

में पहुंचेगा तो कितना खर्चा लगेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप भी सोचिये और इसलिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट के खण्डन होने चाहिए और जगह-जगह आठ-दस सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए क्योंकि हमारा नारा है कि सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय दिया जाये। इसकी पूर्ति तभी हो सकती है कि हम जुडिशियरी का विकेन्द्रीकरण करें। विकेन्द्रीकरण हम नहीं करते। इंग्लैंड की परिपाटी ले ली। आपके हाई कोर्ट्स, एक हाई कोर्ट, बड़ी मुश्किल से जयपुर में आयी दूसरी हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं आपके सामने इसलिए कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। 2020 की समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट में 58,659 मामले पेंडिंग थे और इस तारीख को अगर ये देखें हम कि 4 सितम्बर, 2021 के ये आंकड़े हैं, जुडिशियल डेटा बेस ग्रिड जो है उससे मैंने लिये हैं। अब उसकी प्रामाणिकता तो सारे देश में मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 59,956 केसेज और 15 सितम्बर, 2021 को देश के सभी कोर्ट्स में 4 करोड़ 50 लाख मुकदमे पेंडिंग थे। अब यह पेंडेंसी कई तो पचास साल पहले की है, कई चालीस साल पहले की है, कई तीस साल पहले की है। यह मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आज हमको सम्पूर्ण जुडिशियल सिस्टम इस देश का है उस पर पुनर्विचार करना है और पुनर्विचार करने का उद्देश्य रहना चाहिए कि हमारी जो एक नीति है इसमें कि जस्टिस डिलेड-जस्टिस डिनाइड, तो आज जो जस्टिस डिले हो रहा है जगह-जगह उसे जस्टिस का डिनाइल माना जाये तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण जुडिशियरी का भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य को स्वीकार नहीं किया, न यहां की स्टडी की और उन्होंने यह सिस्टम हमको दे दिया, जिस सिस्टम के कारण यह पेंडेंसी बढ़ती जा रही है।

मैं मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पेंडेंसी को, राजस्थान की पेंडेंसी भी मैं आपको बताऊंगा और उस पेंडेंसी के आधार पर हाई कोर्ट में जितने केस पेंडिंग हैं उनमें 21 प्रतिशत केसेज दस वर्ष से अधिक के हैं और अधीनस्थ कोर्ट्स में जितने केस पेंडिंग हैं उनमें 23 प्रतिशत केसेज पांच साल से अधिक के हैं। मुकदमों में सम्पूर्ण न्याय प्रणाली, अब इस प्रणाली को ठीक करने के लिए हमने लोक अदालतों का रास्ता भी अपनाया लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। हमने ग्राम न्यायालयों का एक्ट भी पास किया 2008 में, उससे भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो हमको ऐसी एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए कि जिससे कि यह त्वरित न्याय, गरीब को न्याय, सुगम न्याय मिल सके।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राजस्व मण्डल, किसानों के जितने भी मामले हैं, वे राजस्व मण्डल में हैं। राजस्व मण्डल में आप किसी को नियुक्त कर देते हैं तो उसका मन नहीं लगता। वे मन करके काम करते नहीं हैं, मुकदमों का फैसला नहीं करते हैं। किसानों से सम्बन्धित 64,736 मुक़दमे 31.1.2022 को लम्बित थे और अधीनस्थ न्यायालयों में 4 लाख 90 हजार 663 प्रकरण पेंडिंग हैं तो यह पेंडेंसी किसानों की, देश के गरीबों की है। आज न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता हो गयी है, सम्पूर्ण राजस्व मण्डल तो आपका है, इसको आप कैसे सुधारें। आप भेजते हो, आपके पास रोज सिफारिशें आती हैं कि वापस ले लो, हमको जयपुर, सचिवालय में ले लो। मैं भी जानता हूं, तीन बार मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। वहां रहने में मन नहीं लगता है तो आखिर ऐसी व्यवस्था करो आप कि वहां मन लगे और किसानों को लाभ मिले। अब इसका नतीजा क्या हुआ, देश में समानान्तर न्यायिक प्रणाली विकसित हो गयी, वह है अण्डरग्राउंड, उसमें है माफिया। सारे देश में, सारे राजस्थान में गांव-गांव चले जाइये, कस्बे-कस्बे में चले जाइये, आपको मिलेगा कि हर जगह माफिया है, किस बात का, दुकान खाली करानी है तो तैयार बैठे हैं लोग, प्लाट पर कब्जा कराना है तो तैयार बैठे हैं लोग, गवाहों को धमकाना है तो तैयार बैठे हैं लोग। यह जो माफिया विकसित हुआ है इसका कारण है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वह सिस्टम फैल्योर हो गया और उस फैल्योर की वजह से जगह-जगह हर तरह के माफिया हैं। आज हम आजाद हिन्दुस्तान में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन आम नागरिक हमारी अदालतों से, हमारी न्यायिक प्रणाली से असंतुष्ट है। अब यह असंतोष कैसे दूर किया जाये, यह सोचने का विषय है। मैं इस बारे में भी बहुत स्पष्ट हूं कि आज सारे देश की जो स्थिति है, अब यह विषय केन्द्र का भी है जैसा मैंने कहा कि जुडिशियल सिस्टम तो यह केन्द्र और राज्य मिल करके एक ऐसी स्थिति पैदा करें, जिससे कि हमको आगे बढ़ने का मौका मिले।

अध्यक्ष महोदय, परसों एक बिल आयेगा शिड्यूल्ड कास्ट/शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए बजट का अलग से प्रावधान। मैं इसका जोरदार समर्थन करूंगा और मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 75 साल से एक कमी थी, मैं परसों इस पर विस्तार से अपने विचार रखूंगा, लेकिन उसके लिए आज उनका धन्यवाद करता हूं कि एक कमी जो थी वह उन्होंने पूरी की है।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद, मुख्य मंत्री जी आपके बजट की बहुत तारीफ हो रही है। अब आप करवा रहे हैं या कौन करवा रहा है, यह तो कौन जाने। प्रायोजित है या प्रायोजित नहीं है, यह भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन तारीफ बहुत हो रही है पर उसकी एक ही आलोचना है कि लागू कैसे होगी? जो मैं देखता हूं हमारे इधर के लोग भी, दूसरे लोग भी और सब जगह की टिप्पणी आती है तो एक ही बात कहते हैं कि लागू कैसे होगी। अब लागू कैसे होगी, एक सूत्र मैं आपको देता हूं और वह सूत्र है विकेन्द्रीकरण आफ दी एडमिनिस्ट्रेशन। आप जो यह प्रशासन है, इसका विकेन्द्रीकरण कर दीजिये। हमने एक परमेश चंद्र कमेटी बनाई थी। उससे नये जिले खोलने की रिकमंडेशन मिली थी लेकिन उसको आपने दबा दिया और अपनी कमेटी बना दी। किसी भी विषय को टालना हो तो आयोग और कमेटी बना दो और टल गया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपका यह खुशनुमा, इमेजरी बजट है, अगर इसको हकीकत में लाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन का आप विक्रेन्द्रीकरण कर दीजिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मेरा भी प्रपोजल है भीलवाड़ा का शाहपुरा। शाहपुरा एक अच्छी पुरानी रियासत थी, उसकी गरिमा भी बनी रहे और शाहपुरा में एक कलेक्टर आ जायेगा तो आसपास के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरह जगह-जगह जहां कलेक्ट्रेट की मांग हो रही है, उसको भी और उसके बाद और भी कहीं मांग हो, उसको निश्चित रूप से पूरा कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार बदल गई, चलती हुई योजनाएं बदल गईं। मैंने शाहपुरा में बड़ी मुश्किल से एक बाई पास की योजना बनवाई थी। उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी। सारी समस्याएं भी हुईं। जमीन चिह्नित भी हो गई और अब आपने उसको रोक दिया। शाहपुरा का बाई पास बहुत आवश्यक है। उसके कारण हमारे शहर में रोज एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जाम भी लग रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो प्रक्रिया चालू है उस प्रक्रिया को आप पूरा कीजिए। मैंने उसको पूरा करवाकर छोड़ा था।

दूसरी एक और स्थिति आपने पैदा की, अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट में कोई निर्णय होता है, उसको पूरा करने की औपचारिकता होती है। मेरे यहां कैबिनेट मंत्री लालचन्द जी कटारिया आये थे। शाहपुरा में जोरदार तरीके से

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

किसानों ने और मैंने भी स्वागत किया और मांग रखी कि फूलियाकलां गांव में एक कृषि कालेज आप दे दीजिए। उन्होंने जोरदार घोषणा की कि फूलियाकलां गांव में अगले बजट में मैं कृषि कालेज दूंगा। बड़ी तालियां बजीं। मैंने आपको भी चिट्ठी लिखी थी कि यह व्यवस्था मत कीजिए, मंत्री की गरिमा मत गिराइए। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने एक घोषणा की है, उसको पूरा कीजिए। मैं आपसे यह कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं कि पांच साल तक मैंने आदरपूर्वक मेरे चैम्बर में बुलाकर आपको कितनी बार चाय पिलाई, आपने एक भी बार पिलाई? मैं वयोवृद्ध एमएलए हूं, ग्रांड फादरनुमा हूं, कभी बुलाकर चाय तो पिला देते, अध्यक्ष जी आप ही पिला देते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: मतलब अगला चुनाव लड़ने का मूड है! माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बजट के बारे में जिसने सुना, जिसने पढ़ा, सबने इसकी प्रशंसा की, लेकिन मैंने पिछली बार भी इस बारे में बात करने का प्रयास किया कि जो ये पैर आपके 2019 से चले हैं और जिस दिशा में पड़ रहे हैं, वे इस बात को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। यह मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसको आप जमीन पर नहीं उतार सकेंगे, नहीं उतार सकेंगे। कितना अच्छा लगा कि आज मुख्य मंत्री जी आये तो हाउस में भी हैं और उधर लॉबी में भी हैं। बाकी हम सब यहां चिल्लाते रहते हैं। लॉबी में कोई भी जिम्मेदार आदमी नोट करके कुछ भी करने को तैयार नहीं। इस 15वीं विधान सभा में अब की बार जो दृश्य मैंने देखा, इसका मुझे बहुत दुःख है।

मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपके चैम्बर में भी बात कही। आपका यह विनियोग विधेयक मैं लेकर आया हूं। मैं समझ नहीं पाया, या तो आपके अधिकारी मुझे समझा दें तो मैं समझने के लिये तैयार हूं। आपका यह 2020 का विनियोग विधेयक है और एक 2021 का और एक 2022 का है, यह तीनों मेरे सामने हैं। 2020 में जब आपने बजट पढ़ा था, उस समय उसमें आपने पढ़ा था कि 2,25,764 करोड़ का प्लान है। यह विनियोग विधेयक जो उस समय आपने रखा, उसमें आपने इसको बढ़ा कर 2,32,000 करोड़ बना दिया। यह 8 हजार करोड़ रुपया किस बात का बढ़ा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहां बढ़ा, कैसे बढ़ा, हमारी समझ से परे है। ऐसा का ऐसा ही आपने 2021 का विनियोग विधेयक (संख्या 2) रखा है, उसमें भी आपने जो बजट पेश किया वह तो आपने 2,50,000 करोड़ का किया और विनियोग विधेयक जो आपने रखा है, इसमें आपने लिखा है कि 2,58,000 करोड़। यह 8,000 करोड़ रुपया हमें इस फिगर में मिल नहीं रहा, अगर आपको समझ में आये और कोई बताना चाहे तो बता दें।

आज जो राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 2) विधेयक, 2022 रखा है, आपने जो हमें बजट की किताब दी, इस बजट की किताब के 119 पेज पर आपने लिखा है बजट साइज, मतलब टोटल बजट, 3,46,182 करोड़ और आज जो आपका विनियोग विधेयक हमारे सामने आया है, इसमें आपने लिखा है 3,55,222 करोड़। इसमें भी लगभग वही 8-9 हजार करोड़ का अंतर आ रहा है। यह फिगर जब आपने हमको 23 तारीख को दिये थे, उस दिन तो यह 3,46,000 करोड़ था और आज अपन जब इसको एंड कर रहे हैं, आज बजट का लगभग समापन सा ही होगा, एक तरह से पास करेंगे, उसमें आपने इसको बढ़ाकर 3,55,000 करोड़ किया। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस कारण से आया और यह जो बदलाव हुआ है, आप जब जवाब दें तो बता देना। हम कोशिश करते हैं हमारी तरफ से बात रखने की, लेकिन आपके पास जो रटा रटाया लिखकर देते हैं, उसको आप पढ़ देते हैं। न तो यह नोट करते हैं, आज दिन भर किसने क्या कहा, किसका जवाब आपको बजट रिप्लाई में देना है, नहीं देना है, वह लिखकर दे दें, उसको आप पढ़ देना, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में लिखा है तो हम यह भी बर्दाश्त करेंगे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कदम गलत दिशा में पड़ रहे हैं और इसलिए मैं आपको बार-बार सचेत कर रहा हूं। बजट तो राजस्थान की जनता का बहबूदी का रास्ता है और राजस्थान की करोड़ों की जनता आपको और मुझे जो यह खजाना सुपुर्द करती है, यह केवल एक मुनीम की तरह, ट्रस्टी के रूप में देती है, आप उसके मालिक नहीं हो। मालिक तो राजस्थान की वह गरीब जनता है जो टैक्स के पैसे से खजाने को भरकर चाबी आपके हाथ में देती है और लोकतंत्र के तकाजे में चूंकि आपका बहुमत है इसलिए चाबी आपके हाथ में देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उस पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो। मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी राजस्व प्राप्तियां, जब आपके विद्वान साथी बैठकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बजट एस्टीमेट करते हैं, कैसे बजट का एस्टीमेट करते हैं, कैसे आरई में जाते हैं और एक्चुअल में आते ही वे कहां चले जाते हैं? इन तीनों में अगर इतना बड़ा अंतर रहता है, इसका मतलब या तो बजट बनाने में मेहनत नहीं हुई या चाहे जिस प्रकार से आंकड़ों को फिटिंग करने का प्रयास किया, मुझ से कोई भी माननीय सदस्य अगर इस विषय पर सहमत नहीं हो तो कोई चिंता नहीं। मैं मेरी तरफ से मेरा प्रयत्न कर रहा हूं, बाकी तो आपको करना ही है।

आपने 2019-20 में जो बजट पेश किया, उसमें राजस्व प्राप्तियां थीं 1 लाख 64 हजार और 1 लाख 40 पर इसका एंड हो गया। 1 लाख 64 हजार आपने माना और 1 लाख 40 पर एंड हो गया। यह 23 हजार करोड़ रुपये का अंतर, बीई में से एक्चुअल में जब आया तो आपके कदम दिखा रहे हैं कि आप मेजें थपथपाने के लिये इन आंकड़ों का जाल बनाने का प्रयास करते हो, ऐसा आपका हर साल का बजट बता रहा है।

अब आप आइए 2020-21 में, 2021-22 में आपने रेवेन्यू रिसीट बताया है 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ रुपये। आपका एक्चुअल 1 लाख 34 हजार करोड़ आया। रेवेन्यू का आपके पास जो कुछ भी साधन हैं, उनका आकलन किया और 39 हजार करोड़ रुपये आपकी रेवेन्यू में कमी आई। 2021 -22 में आपने 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ का बीई रखा। अभी जो आपने आरई बनाई है, उसमें आप इसको 1 लाख 89 हजार ले गये और आपके अब तक का रेवेन्यू रिसीट हुआ, उसको मैंने उस दिन भी बताया था, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि बजट बनाते समय, आरई में जाते समय और एक्चुअल जाते समय अगर इतना बड़ा अंतर आता है तो इसका मतलब बजट बनाने में कहीं न कहीं कमी रही है। आपने 1 लाख 89 जो आपने आरई माना है, उसकी जगह अभी तक केवल 1 लाख 16 आया है। अभी लास्ट में कितना आ गया, यह आपके विद्वान साथियों के पास हो तो एक स्लिप आपके पास पहुंचा दें। 31 मार्च को इस साल का भी एंड हो जायेगा। कम से कम इनके पास फरवरी के आंकड़े तो आ गये होंगे कि कितना रिसीव हुआ, कृपा करके वह बता दें तो समझ में आयेगा। पिछली बार आपकी जो रेवेन्यू रिसीट 1 लाख 34 हजार करोड़ थी, अब आप सीधे ही 2 लाख 14 हजार करोड़ पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 80 हजार करोड़ रुपये की अधिक रेवेन्यू आप पिछले साल और इस साल के इन 12 महीने में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कमा लेंगे। ऐसा कौनसा जादू है? ऐसा कौनसा साधन आपके पास मिल गया, जो इतने दिन गुम रहा था, वह आपने ढूंढकर निकाला, वह समझ में नहीं आता।

अब राजस्व घाटा। यहां मेज थपथपाने के लिए आप जब राजस्व घाटा घोषित करते हो, तो 2019-20 के राजस्व घाटे में आपने 2019-20 में बजट के समय जो किताब पकड़ायी थी, उसमें 27 हजार करोड़ का समझा था। साल का जब अन्त हुआ तो राजस्व घाटा 36 हजार 300 करोड़ रुपया पहुंच गया। 27 हजार का आपने अनुमान किया और बजट का एग्जेक्ट आया तो 36 हजार हो गया। इसी तरह से 2020-21 में राजस्व घाटा, मतलब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू इंवेस्टमेंट, इन दोनों का अन्तर राजस्व घाटा है, वह आपने 12 हजार 345 बताया। हमने मेज थपथपायी, प्रशासन का बहुत अच्छा काम हुआ। अब की बार रेवेन्यू रिसीट जो कि सामान्यत: नहीं होनी चाहिये। बजट यह चाहता है कि रेवेन्यू में कम से कम किसी प्रकार का घाटा न हो, वह सबसे बढ़िया बजट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हर समय होता है। आपका 12 हजार सोचा था, वह 44 हजार हो गया। आपने 12 हजार का जो घाटा सोचा था तो मार्च, 2021 जब खतम हुआ तो वह एक्चुअल में 44 हजार करोड़ हो गया। इसके बाद आपने फिर 2021-22 में वही 23 हजार 700 सोचा, अभी आरई है। एक्चुअल तो आपके विद्वान साथी बतायेंगे। आज की तारीख में 35 हजार 689 करोड़ रुपया। इसी तरह से आप मेजें थपथपा रहे हैं कि राजस्व घाटा इस बार 23 हजार करोड़ रुपये होगा। मैं आपको आज कह रहा हूं कि यह 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक जायेगा। यहां केवल आंकड़ों का मायाजाल बनाकर तालियां पिटवा सकते हो, लेकिन जमीन के ऊपर विकास नहीं जायेगा तो वह भाटा आपको जरूर याद करेगा कि मुझे यहां पर लगाकर गये हो, पूजन करके गये हो, मैं अभी तक यहां जंगल में बैठा-बैठा रो रहा हूं। यह स्थिति जो कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं।

इसी तरह से आपने देखा होगा, पूंजीगत प्राप्तियां। ये तो सारा कर्जे से ही है और सरकार सारा इधर-उधर से लेकर एडजस्ट करती है, उसमें भी बहुत बड़ा अन्तर है। आपने 2019-20 में 69 हजार करोड़ का सोचा था, आपको 4 हजार करोड़ अतिरिक्त लेकर 73 हजार करोड़ करके अपनी योजनाओं को बिठाने का काम करना पड़ा। इसी तरह से 2020-21 में 52 हजार करोड़ की सोची कि 52 हजार करोड़ की हम पूंजीगत प्राप्तियां समझते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं, 52 की जगह 1 लाख 703 करोड़ रुपये हुई। इसका मतलब लगभग 48 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर अपनी जो रेवेन्यू रिसीट घटी थी, उसको आपने एडजस्ट करने के लिए लिया, उसके बाद भी आपका घाटा बढ़ा।

इसी तरह से आप अब की बार कमाल कर रहे हैं। बीई में 66 हजार करोड़ आये हैं। अभी बी.ई. की जगह जब 2021-22 आर.ई. आयी है। आर.ई. कितनी गयी है? आर.ई. 1 लाख 29 हजार करोड़ गयी है। आपने 66 हजार करोड़ का सोचा था, उसकी जगह आर.आई. 1 लाख 29 हजार करोड़ बनी। यानी कि 93 हजार करोड़ एकदम बढ़ी है। मैं सोचता हूं कि अगर बजट बनाने में इस तरह का चमत्कार होता है, इतने विद्वान साथी हैं। 93 हजार करोड़ रुपया इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा तो यह बड़े कमाल की बात है। 2022-23 पर आप सीधे 1 लाख 31 हजार करोड़ पर गये। आपकी जो पिछली बार की प्राप्ति रही, वह 66 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 31 हजार करोड़ पर जा रही है, यानी कि डबल।

इसमें पूंजीगत व्यय जो कि विकास को दिखाता है। पूंजीगत व्यय का मतलब, विकास पर किया हुआ खर्च। विकास के खर्च में 2019-20 में आपने सोचा था कि 19 हजार करोड़ का खर्चा होगा, मात्र 14 हजार करोड़ खर्च हुए। इसी तरह से आपने 2020-21 में सोचा कि 21 हजार करोड़ खर्च होंगे, 15 हजार करोड़ ही खर्च हुए। इसी तरह से आपने पिछली बार 2021-22 में 24 हजार करोड़ का सोचा था, इसको आप आरई में 28 हजार करोड़ ले गये जबकि अभी आपका 31 दिसम्बर तक का जो पूंजीगत व्यय हुआ है वह केवल 16 हजार 518 करोड़ है। अब आप दो-तीन महीनों में क्या चमत्कार करेंगे, जिसके कारण से इसकी पूर्ति हो जायेगी, यह मेरी समझ के बाहर है। मुझे बहुत दुख है कि आप एफ.आर.बी.एम. एक्ट को एडजस्ट करने के लिये अपने आंकड़े के मायाजाल को फिट करने का प्रयास करते हैं कि जो लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के परसेंटेज से ज्यादा का हमारा कर्जा न हो।

मैं आपको बता रहा हूं। 2019-20 में आपने हमको जो बजट दिया था, उस बजट में आपने माना था कि 3 लाख 39 हजार 368 करोड़ रुपये का कर्जा होगा, यह आपने माना। एक्चुअल में 3 लाख 53 हजार करोड़ का कर्जा हुआ। इसी तरह से आपने 2020-21 में माना कि 3 लाख 75 हजार करोड़ का कर्जा होगा, 4 लाख 10 हजार करोड़ हुआ। मतलब, बी.ई. में क्या बनाते हो और एक्चुअल में आता है तब तक क्या होता है? अब की बार आपने 2021-22 में बताया कि हमको 4 लाख 57 हजार करोड़ का घाटा होगा, जब बजट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पेश किया। वास्तव में आपने अभी जो आर.ई. बनायी है, वह 4 लाख 72 हजार करोड़ की बनायी है और मेरी गारन्टी है कि यदि आपको हिसाब दें तो आज की तारीख के 5 लाख करोड़ से अधिक राजस्थान में कर्जा हो चुका है। अब आप इसको एडजस्ट करने के लिये अगली बार कर्जा 5 लाख 31 हजार करोड़ रुपये बता रहे हैं, इस बजट में, जिसमें आप हमें विनियोग विधेयक दे रहे हैं। मैं आपको आज कह रहा हूं कि यह कर्जा 6 लाख करोड़ से अधिक जायेगा। इसमें आपने बिजली विभाग और बाकी विभाग को मिलाया, जिनकी आपने गारन्टी दे रखी है तो यह कर्जा 8 लाख करोड़ के आसपास जायेगा। जो गारन्टी में हैं और विशेषकर बिजली का, आप लगभग एक लाख करोड़ के घाटे में वापस पहुंच गये हो। यह लगभग है, हो सकता है 10-20 कम हो या ज्यादा हो। इसी तरह से जो पिछले बजटों का आधार मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर इस बजट को आप किसी कीमत पर पूरा नहीं कर सकते, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। मेरी गारन्टी है, केवल और केवल वैसी होगी, जैसी कि एक्चुअल में जब बजट फाइनल होगा तो ऐसी स्थिति आयेगी।

आपका सामाजिक सेवाओं का व्यय भी ऐसे ही बताता है। आपके जो पिछले कदम हैं, वे जिस दिशा में गये हैं, वह केवल और केवल जनता को गुमराह करके झुनझुना पकड़ाने वाला काम है। आपने कहा था कि सामाजिक सेवाओं पर हम 84 हजार 815 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, एक्चुअल में आपने 73 हजार 800 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मतलब एक तरह से आपने 11 हजार करोड़ रुपये कम खर्च किये हैं। 2020-21 में आपने सोचा था कि 85 हजार 753 करोड़ रुपये हम सामाजिक सेवाओं में खर्च करेंगे, 81 हजार करोड़ रुपये खर्च किये, मतलब 4 हजार करोड़ कम। फिर आपने 2021-22 में कहा कि 99 हजार 244 करोड़ खर्च करेंगे, अभी आप आरई में बता रहे हैं कि 1 लाख 3 हजार 990 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 31 दिसम्बर, जो कि गया है, उस समय तक आपके पास सामाजिक सेवाओं में जो खर्च किया है, वह मात्र 52 हजार 588 करोड़ रुपये खर्च किये हैं तो 48 हजार करोड़ रुपये सामाजिक सेवाओं में किस तरह से इन दो महीनों में खर्च कर देंगे, यह हमारी समझ के बाहर है। जिस कलाकार ने भी यह बजट बनाया होगा, उसने क्या किया कि 1 लाख 3 हजार आरई में आ गये, इसलिये कुछ तो इससे बढ़ेगा ही। इसलिये सीधे 1 लाख 13 हजार पर लाकर, अब की सामाजिक सेवाओं पर खर्च करेंगे, ताकि लोग झुनझुना बजायें। आप और हम सब ताली बजायें। बहुत अच्छा बजट है, पर, पूर्ति होगी उसकी दिशा नहीं देखी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आर्थिक सेवाएं, जिसमें एग्रीकल्चर और सब आ जाते हैं। आर्थिक सेवाओं में 2019-20 में आपने 66 हजार करोड़ रुपये खर्च का सोचा था, उसकी जगह 60 हजार करोड़ रुपये खर्च कर पाये। आपने 2020-21 में सोचा था कि 58 हजार करोड़ खर्च करेंगे, केवल 51 हजार करोड़ रुपये खर्च कर पाये। अब की बार 2021-22 में 64 हजार करोड़ का सोचा और अभी आपकी आरई में 80 हजार करोड़ आये। मतलब आप उससे ठीक एक कदम पीछे हैं। एक तरह से आर्थिक सेवाओं में 51 हजार करोड़ खर्च करते हैं और एकदम बढ़ाकर 80 हजार करोड़ कर देंगे। मतलब एक साल में आप एकदम 29 हजार करोड़ रुपये का खर्चा बढ़ा देंगे, इतना चमत्कार होगा। आपको केवल आगे का आंकड़ा एडजस्ट करना था। अब ये जो आपने 80 हजार का आरई सोचा, आपका मैंने दिसम्बर का आंकड़ा निकाला है, इसमें अभी तक आर्थिक सेवा पर आप जो खर्च कर पाये हैं, वह केवल 41 हजार 145 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। अब ये 41 खर्च किया है और आपको 80 करना है बराबर, जो काम आपने दस महीने में किया, नौ महीने में किया, वह काम आप दो महीने में बराबर 40 हजार करोड़ का कर देंगे। ये चमत्कार ही दिखता है मुझे, इससे अधिक कुछ नहीं दिखता है।

अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े आपके हैं, इससे आपको थोड़ी बोरियत तो होती है लेकिन हकीकत को आप समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में हम बजट जो पेश कर रहे हैं, उसको हम धरातल पर कितना उतार पा रहे हैं या नहीं उतार पा रहे हैं? सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभिन्न मदों में राजस्व व्यय, अब आप इसमें देखिए ग्राम विकास के लिए आपने जिस प्रकार से इस बार बजट बढ़ाया 27 हजार करोड़ रुपया, एकदम से, जबकि आपका पुराना क्या है? 13 हजार था, 12 खर्च कर पाये, 12 था 11 ही खर्च कर पाये, अबकी बार एकदम 11 से उठाकर 27 हजार करोड़ रुपया आप ग्राम विकास पर खर्च करेंगे। अब आप उद्योग को देखिए। आपने सोचा था 556 करोड़ करेंगे, 402 करोड़ कर पाये। उसके बाद आप उद्योग में नीचे आये। 414 ही आपने बजट रखा और 268 ही खर्च कर पाये। 414 का ही बजट रखा था 2020-21 में और खर्च क्या किया? कोई भी बजट की मॉनिटरिंग तो करता नहीं है। पैसा आपके पास होते हुए अगर वह खर्च नहीं होता है या उद्योग का विकास नहीं होता है या खनिज का नहीं होता है तो इसका मतलब या तो डिपार्टमेंट सो रहा है या मॉनिटरिंग करने वाला सो रहा है। दोनों में से कोई न कोई जरूर सोया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने देखा होगा कि 2021-22 में अभी जो आपने 774 खर्च करने का सोचा। अभी जो आपकी आर ई है, आप की ही आर ई है, आपकी आर ई ही 473 बता रही है। 774 तो आप बजट में लाते हैं और जब आर ई आती है तो इसमें आपकी 473 करोड़ हो जाती है। मतलब, उद्योग और खनिज घट जाएगा, विकास की दृष्टि से। अबकी बार आपने इसीलिए इसको 487 किया। इसका मतलब बाकी सभी में बढ़ा और उद्योग, खनिज में आपने इसको घटाया, इसके पीछे कोई राज है तो समझा देना। इसी प्रकार बाकी परिवहन की और सभी आर्थिक सेवाओं के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि मैंने हर चीज को इसमें लेने का प्रयास किया है। अब जो आपका पूंजीगत व्यय है। ये सीधा-सीधा विकास करता है। डवलपमेंट इसी से होता है। इस डवलपमेंट में आपने ग्राम विकास पर 450 करोड़ का सोचा था 2021-22 का, सब नहीं पढ़ रहा हूं और अभी आप आर ई में आये तो इस 450 को बढ़ाकर सीधा ही 1000 करोड़ कर दिया। क्या तो बजट बनाया? बी ई क्या बनाया? फिर आर ई में आप जस्ट डबल कैसे हो गये? इसको एडजस्ट करने के लिये, क्योंकि आगे भी 2022-23 का बजट बनाना है, इसीलिए इसको एक हजार करोड़ किया है। लगभग आपके सारे आंकड़े इसी प्रकार से हैं। पुराने जितने भी आंकड़े हैं, सभी में जो आपने सोचा उससे माइनस, कम खर्चा आपने किया। इसमें आप कैसे बढ़ाकर प्लस, प्लस करेंगे। मेरी समझ से बाहर है। ऊर्जा में भी आप ज्यादा करेंगे। हर एक में ज्यादा बताया है।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा आपके समक्ष आंकड़ा रखना चाहता हूं कि वास्तव में हम किस तरह से बजट बनाते हैं? केवल थोड़ा-सा आपको नमूना देना चाहता हूं। ये जो 2021-22 का बजट है, इसमें राजस्व प्राप्ति इन्होंने 1.84 जो सोची थी, जो इन्होंने आर ई में 1.89 की है, 31 जनवरी तक के आंकड़े मुझे मिल गये। अभी तक आपके पास 1 लाख 32 हजार रुपया कुल आया है, 1.84 आपने सोचा।

इसी तरह से आपने कर राजस्व में सोचा था कि हमको 1 लाख 30 हजार करोड़ मिलेगा। केवल 92 हजार मिला। 71 परसेंट बजट हुआ। राजस्व में आपने सोचा था कि हमको 17 हजार 698 करोड़, जबकि केवल 12 हजार करोड़ रुपया मिला। इसका मतलब आपने सोचा था कि 2 लाख 33 हजार 158 हमको मिलेगा प्राप्तियां, राजस्व व पूंजीगत दोनों मिलाकर, उसमें से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केवल 1.70 आपके पास आया है। पिछली बार तो इससे भी कम था। एक तरह से सभी में ही आपका ये ही है। पूंजीगत में भी इसी प्रकार से आपने सोचा था कि 27 हजार मिलेगा 2021-22 में, लेकिन मिला 18 हजार। ये 31 जनवरी तक का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। 27 हजार की जगह 18 हजार, मतलब 9 हजार करोड़ रुपया, आप केवल और केवल दो महीने में अर्न कर देंगे, पूंजीगत व्यय में खर्च कर लेंगे, समझ से परे है। इसी तरह से सामाजिक में, सभी में इसी प्रकार का आपका ये आंकड़ा बताता है कि आप इस प्रकार से कर देंगे।

अब आप सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य का राजकोषीय घाटा, मतलब दोनों ही रेवेन्यू का भी और पूंजीगत जो घाटा है, उस घाटे की स्थिति आप थोड़ा-सा आंकड़ों से देखने का प्रयास करें। आपने 2019-20 में सोचा था कि हमको जो टोटल जी डी पी होगी राजस्थान की, वह 10 लाख करोड़ होगी। वास्तव में जब आपका एक्चुअल आया तो ये एक तरह से 9 लाख 98 हजार करोड़ हुई, जी डी पी कम हुई। उस समय आपने आंकड़ा एडजस्ट करने के लिये जो कर्जा है आपका वह 32 हजार 678 करोड़ रुपया माना था क्योंकि ये 3.2 पर रखना था। लेकिन ये जाकर जब आपका जी डी पी घटा और इधर से आपका राजकोषीय घाटा 37 हजार करोड़ हो गया तो 3.8 हो गया। मतलब वहां एडजस्ट करने के लिए 3.2, फिर जब आप एक्चुअल में आये तो 3.8 हो गया।

इसी तरह से आप 2020-21 की बी ई देखिए। इसमें आपने माना था कि हमारी जी डी पी होगी 11 लाख और जो कर्जा होगा, वह 33 हजार 922, मतलब 3 परसेंट होगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जब इसका एक्चुअल आया तो ये जी डी पी घटा। 11 लाख की जगह 10 लाख हो गया और उधर आपका जो कर्जा था, जो आपने 33 हजार सोचा था वह 59 हजार हो गया। इसका मतलब एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत 5.9 पर जाकर आपका कर्जा बैठा है। आप इस आंकड़े को जोड़ने के लिये कि दुनिया न जाने कि हम एफ.आर.बी.एम. एक्ट के बाहर निकल गये इसलिए आंकड़े मिलाने की जो पैतरेबाजी है, ये राजस्थान की जनता का भला नहीं करेगा। आपका और मेरा ताली बजाने में तो भला हो सकता है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि 2021-22 का, वर्ष 2021-22 में जब आपने इसमें 11 लाख का माना था हमारा जी डी पी और 47 हजार का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर्जा माना, ये 4 परसेंट माना था आपने कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत ठीक है लेकिन जब इसकी आर ई बनायी तो आपका जी डी पी घटा 200 करोड़ रुपया और उधर कर्जा हो गया 62 हजार 15 करोड़, मतलब 5.2, वहां 4.1 दिखाया और यहां आप एफ आर बी एम एक्ट से ऊपर चले गये, 5.2 हो गया।

अब की बार आपने फिर कलाकारी की है कि अब की बार हमको 13 लाख करोड़ की होगी, हमारी जी डी पी इतनी होगी। हमें समझ में नहीं आया कि जो पिछली एक्चुअल जी डी पी आपकी है, वह 10 लाख की है। 10 लाख से जी डी पी राजस्थान की 13 लाख पर पहुंच जायेगी। ये आंकड़े की कलाकारी के अलावा कुछ नहीं साबित होगा। मैं आज कह रहा हूं आपको। ये प्रमाणित होगा सच्चाई के आधार पर कि क्या हो रहा है? आपने इसका कर्जा 58 हजार सोचकर 4.4, एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत रखने के कारण से, ये पहुंचेगा 6 परसेंट। ये आज कह रहा हूं मैं। ये सब जो विद्वान आपके साथी यहां पर हैं, उनको कहना कि मैंने ये कहा है, ये सही है या गलत है? साल जब गुजरेगा तब बता देना।

अब आप आउटस्टेंडिंग लायबिलिटीज के बारे में, जो मैं बता चुका हूं। एक तरह से हमारा जो ये कर्जा है 33 परसेंट, 34 परसेंट इसकी लास्ट लिमिट है। 34 परसेंट से अधिक कर्जा अगर होता है हमारी जी डी पी का तो इसका मतलब हम दिवालिया होने की ओर जा रहे हैं। आपकी हालत यही है। 2019-20 में जो एक्चुअल आया है, वह 35.31 परसेंट आया है, एक्चुअल। इसी तरह से 2021-22 का जो एक्चुअल आया है, वह 42.7 परसेंट आया है कर्जा, 42.7, जबकि लिमिट आपकी 34 परसेंट है। कर्जा लेओ मौज करो। अभी आप बता रहे हैं हमको 2021-22 की, ये जो बी ई अभी आपने 2022-23 की रखी है, इसमें आप हमको 5 लाख 31 हजार करोड़ कर्जा बता रहे हैं, यह तो 6 पहुंचेगा और अभी आप जी डी पी 13 लाख जो बता रहे हैं, ये जी डी पी कम होगी तो ये जो आपका 39.8 परसेंट बता रहे हैं कर्जे की परसन्टेज, वह आपकी पहुंचेगी लगभग 45 प्रतिशत। मैं आज कह रहा हूं नोट करें और नोट करने के बाद अगर इनमें से कोई आपको बनाकर दे सकें तो इनको कहना कि बनाकर दीजिए, क्या है।

अध्यक्ष महोदय, आपने और हमने भी विधान सभा में कई बार इस बात को बार-बार उठाया कि हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं जो हम शुरू कब करते हैं, एंड कब होती है। प्रारम्भ करते हैं तब कितना पैसा सोचते हैं, अंततोगत्वा खर्च कितना हो जाता है? यह डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग की कमी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है तो क्या है? अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो जनता का पैसा जाता है। आपका और मेरा तो कुछ नहीं। कागज पर जो लिख देते हैं, हम राज करते हैं, इसलिये लिख देते हैं। आखिर देने वाली जनता तो राजस्थान की है। जो अपने खून पसीने से टैक्स देकर, आपकी इन योजनाओं को आगे बढ़ाती है। मैं बताता हूं।

नर्मदा नहर, इस योजना को 1996 में शुरू किया था। मार्च, 2003 में इसे पूरा होना था। इसकी मूल स्वीकृति 467 करोड़ रुपये थी। संशोधित खर्चा आया वह 3 हजार 124 माना। इस पर, अब तक आप 2 हजार 969 करोड़ रुपये खर्च कर चुके। आज भी कार्य अपूर्ण है। जो आपने ओरिजिनल 467 की योजना सोची, मार्च 2003 में पूरी हो जानी चाहिये थी, वह आज तक भी पूरी नहीं हुई और आप उस पर 2 हजार 969 करोड़ रुपये खर्च कर चुके।

इसी तरह से ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना। मई, 2007 में यह ली थी। 2013 में इसको पूरा होना था। 44 करोड़ की योजना थी, संशोधित 204 हो गई। आपका वास्तविक व्यय इस पर 215 हो चुका। अतिरिक्त व्यय के बावजूद, अपूर्ण है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी, योजना अपूर्ण है। इसका मतलब, विभाग के अधिकारी या तो चिन्ता नहीं करते हैं, ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट, आपका और मेरा काम यही है कि जनता के द्वारा दिये हुए धन को, सही ढंग से खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी देखभाल करना।

राजगढ़ मध्यम परियोजना, यह आपकी जून, 2012 में प्रारम्भ हुई। 2015 में इसको पूरा होना था। 192 करोड़ की थी। आपने 386 करोड़ का रिवाइज्ड किया। 429 करोड़ रुपये खर्च हो गये। अतिरिक्त व्यय के बाद भी आज यह योजना अपूर्ण है।

भैंसासिंह आपकी सिरोही की है, लघु सिंचाई योजना है, अक्टूबर, 1978 में, पूरी होनी थी 1981 में, खर्चा था 50 लाख, केवल 50 लाख। आपने संशोधित बजट किया 18 करोड़। वास्तविक व्यय 15 करोड़ हो गया। यह आज भी अपूर्ण है। यह पीएचईडी को ट्रांसफर करके, डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया।

पीपलाद मध्यम योजना। अगस्त, 2006 में शुरू हुई, 2011 में पूरी होनी थी। यह 33 करोड़ की थी 51 का आया, 71 करोड़ रुपये खर्च हो गया। सात साल के विलम्ब के बाद भी, पूर्ण नहीं हुई। डिपार्टमेंट की यह जो वर्किंग है, इस वर्किंग पर निगाह डालने की कोशिश करो। जनता के द्वारा दिया हुआ पैसा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपन कर्जा लेते हैं, यह कर्जा आप किस तरह से ले रहे हो, आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजार से हम जो उधार ले रहे हैं, उस पर ब्याज ज्यादा लगता है। बाकी जगह से हम पैसा लेते हैं, उस पर हमारा ब्याज कम लगता है। हमने 2018 में कर्जा लिया, उस पर हमारा एक तरीके से 52 प्रतिशत हिस्सा उसका था, 100 परसेंट हम जो कर्जा लेते हैं राजस्थान में, उसमें 2018 में 52 परसेंट केवल बाजार से उधार था। उसके बाद 2019 में 59 परसेंट हो गया। उसके बाद 2020 में 65 परसेंट हो गया। उसके बाद 2021 में 71 परसेंट हो गया। आज की तारीख में, बाजार से लिये हुए कर्जे में, 75 परसेंट, केवल हम बाजार से कर्जा लेकर, हैवी ब्याज दे रहे हैं। मैं सोचता हूं, सब राजस्थान की जनता चुकाएगी। न आप चुकाएंगे, न मैं चुकाऊंगा। जनता चुकाएगी, उस पर कुछ मेहरबानी करो। उसके ऊपर कृपा करो, कि उसके साथ यह अन्याय नहीं हो।

विभाग में किस प्रकार की चोरियां, अनियमितताएं, बजट को बरबाद करने का काम करते हैं, वह आपने देखा होगा। अभी सीएजी की 2020 वाली रिपोर्ट आई है। राजस्व विभाग में 55 प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें 1259 करोड़ रुपया वेस्टेज हुआ है। कोई देखेगा ही नहीं, वेस्टेज हुआ तो किसने किया, क्यों किया। कई बार हम, पैरा डिस्कस करने के बाद, हम रिपोर्ट भी बनाते हैं, उसके बाद पालना भी नहीं।

शिक्षा विभाग, 171 ऐसे प्रकरण हैं, जिसमें 5 हजार 91 करोड़ की चोरी या लीकेज हुआ है। चिकित्सा विभाग में 69 प्रकरण हैं, 722 करोड़ रुपये का लीकेज हुआ है। सार्वजनिक निर्माण में 21 मामले ऐसे हैं, जो एजी ने पकड़े हैं, 477 करोड़ रुपये का वेस्टेज हुआ है। सब मिलाकर, मैंने 16 विभागों का निकाला है, आपके 796 प्रकरण हैं और 11 हजार 886 करोड़ रुपये का चोरी, गबन या लीकेज हुआ है, उसके कारण से एजी ध्यान में लाये। मैं आपको बार-बार, हमेशा कह रहा हूं कि यह डिपार्टमेंट लास्ट दो महीनों में पैसों का एडजस्टमेंट करके खानापूर्ति करके आपको आंकड़ा दिखाता है और आप भी थपथपाओ, हो गया पूरा काम।

अब मैं थोड़ा नमूना बताता हूं। यह 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ, जहां तक मेरे पास आंकड़े आये हैं। 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत व्यय, केवल और केवल मार्च के महीने में हुआ है। केवल और केवल मार्च के महीने में। वे विभाग हैं जिनमें 50 परसेंट से अधिक व्यय, केवल इस मार्च के महीने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में, 2020 का कह रहा हूं। आज का नहीं है, क्योंकि आज का आंकडा तो नहीं मिला हमें। इसमें जिला पुलिस का 95 परसेंट पैसा, एक योजना का, केवल और केवल इस मार्च में हुआ है। इसी तरह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 59 परसेंट हुआ है। पेयजल योजना, नर्मदा परियोजना का क्लस्टर बनाने का जो पैसा आपको मिला, उसमें 56 प्रतिशत पैसा, केवल और केवल मार्च में लगा है।

राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी, इसका 54 परसेंट पैसा केवल इस मार्च में। आपने 2020 में, या तो इस फण्ड से उठाकर उस फण्ड में डालकर, उसकी पूर्ति की है। नाबार्ड के तहत माध्यमिक शिक्षा का जो पैसा आपको मिला, उसमें से 73 परसेंट पैसा, केवल मार्च के महीने में ही आपने एडजस्ट किया है। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का 56 परसेंट पैसा। चिकित्सालय महाविद्यालयों का 92 परसेंट पैसा, चिकित्सा महाविद्यालय आपने खोले हैं, इनका केवल और केवल मार्च के महीने में, 92 परसेंट पैसे का एडजस्टमेंट हुआ है। सिंचाई में 84 प्रतिशत।

कुछ तो इससे भी कमाल के हैं। ये विभाग ऐसे हैं, जिनमें 100 प्रतिशत पैसा, केवल और केवल मार्च में ही हुआ है। केवल और केवल मार्च में। वह है शिक्षा, कला संस्कृति, नाबार्ड के तहत जो योजना है। जनजाति विकास विभाग के मंत्री महोदय, आपका सहकारी संस्थाओं का ब्याज का भुगतान, इसी मार्च में हुआ है। स्मार्ट सिटी का पैसा मार्च में ही 100 परसेंट, इस खाते से उठाकर उस खाते में। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का भी इसी तरह से हुआ है।

ऐसी भी कुछ हैं, जिनका बजटीय प्रावधान का उपयोग ही नहीं हुआ। आश्चर्य है। ऐसी 165 योजनाएं चिह्नित कीं, जिनके लिये आबंटित बजट राशि 2 हजार 766 करोड़ में से साल समाप्त होने तक, एक भी रुपया, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। यह डिपार्टमेंट भी मेरे पास लिखे हुए हैं पर समय की सीमा है।

मैं सोचता हूं, डिपार्टमेंट के इतने बडे-बड़े अधिकारी, योग्य व्यक्तियों को बैठा रखा है, ये करते क्या हैं? अगर ये इस बजट को ही नहीं देखते हैं, तो आप और हम तो यहां ताली बजाकर, जनता को भरोसा दिलाकर निकल जाते हैं। वहां जाकर देखो, तो पैसा पड़ा है, लेकिन उसमें किसी प्रकार से व्यय नहीं होता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। आप बार-बार कहते हैं कि केन्द्र हमको पैसा नहीं देता, क्योंकि केन्द्र आपसे उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगता है। आप अगर उसको सबमिट करते हो तो अगली किश्त देता है। अगर आप सबमिट नहीं करते हो, तो आपका जो अगला पैसा बनता है, वह नहीं देता है। मेरे पास लास्ट फिगर जो मिला, वह 2018-19 का ही मिला है। सारे मिलाकर 770 प्रकरण हैं। जिनके 940 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनकी अभी तक यूसी नहीं गयी है। यह मैं 2018-19 का पढ़ रहा हूं। अगर इसके बारे में, आपकी कोई लैटेस्ट जानकारी हो, तो वह बता दीजिये।

मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। खनन पट्टों का मामला है, प्रधान व अप्रधान खनिज के बारे में। अपना चूना पत्थर है, चूना पत्थर को पहले एक तरह से अप्रधान खनिज में मानते थे। अब 2015 से, केन्द्र ने कानून में बदलाव करके, इसको प्रधान खनिज। जो भी प्रधान खनिज है, उसको आप नीलामी से ही कर सकते हो। राजस्थान में हमारी 445 ख़ानें हैं। जो ख़ानें, केवल चूना बनाते हैं और मकानों को बनाने के काम में आते हैं, वह संख्या अब बहुत कम हो गई। बाकी सारा का सारा यह पत्थर है, वह सीमेंट फैक्ट्रियों को जा रहा है। सीमेंट फैक्ट्रियों को जाने वाले, अभी आपने 8 ब्लाक ही नीलाम किये हैं, उसमें आपको हज़ारों करोड़ रुपये मिले। आपकी 455 लीजें हैं। इस लीज को भी इसके आधार पर देकर, आप इसको ओपन आक्शन पर करें, तो मैं सोचता हूं राजस्थान को, हमें बजट की जो कमी महसूस होती है, उसकी पूर्ति होगी।

आप बार-बार, हर बार कहते है, हमने यह बांट दिया, हमने यूं कर दिया। यह प्रधान मंत्री जी का बड़प्पन समझो कि देश में कोरोना आने के बाद, हंसने की जरूरत नहीं है, सच्चाई को सच्चाई कहने की आदत बनाओ। नहीं तो, ये तो आते हैं और चले जाएंगे दो दिन बाद। इसको ठीक तरह से समझो। यानी, मैं यह सोचता हूं कि यह जो आत्मनिर्भर भारत में 26 मार्च के दिन, 26 मार्च, 2020 के दिन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अन्दर 81 करोड़ 35 लाख लोगों के लिए एक तरह से मुफ्त अन्न योजना निकाली। वह उनको, जिनको राशन मिल रहा था उसके अलावा, उनको एक्स्ट्रा पांच किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल दी है और यह कितने समय तक दी? आठ महीने तक पहले और आठ महीने तक अभी, सोलह महीने तक आपको अनाज दिया फिर भी उसके लिए एक शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं लिखा है कि उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए हमने किसी को भूखे नहीं मरने दिया। काकाजी ने दिया था वहां से? मतलब, एक शब्द नहीं बोल सकते आप लोग कि इतना उन्होंने दिया। मैं बताता हूं आपको कि कितना अनाज दिया? उसके बाद भी एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है और फिर कहते हो कि हमको दिल्ली लेकर चलें। रोज तो आप मुझे सूई चुभाओ और फिर कहो कि गुलाबजी, मेरी तरफ देखो तो मैं आपकी तरफ क्या देखूंगा? समझ में नहीं आया।

2020 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान को भारत सरकार ने किया 17 लाख 65 हजार 776 मैट्रिक टन और उसमें से राजस्थान ने 17 लाख 58 हजार 521 मैट्रिक टन उठाया है। इसी तरह से 2021 में आपको 14 लाख 76 हजार 363 मैट्रिक टन दिया, उसमें से 14 लाख 53 हजार 725 आपने उठाया है। इन सब का योग मिलकर बनता है 32 लाख 42 हजार 139 मैट्रिक टन, आपको खाद्यान्न केन्द्र सरकार ने इस अन्न योजना के तहत राजस्थान को दिया और राजस्थान ने 32 लाख 12 हजार 246 टन यह गेहूं उठाया है और आप यह कहते हैं। यह सारा अनाज अगर वे आपको नहीं भेजते तो क्या आप अपने यहां पैदा करके भेज देते? कम से कम सच्चाई को कहना सीखो।

यह मैंने पहले भी कहा आपको कि कोई इस डिपार्टमेंट को देखने का प्रयास नहीं करता है कि पैसे को यहां से हटाकर यहां पी.डी. खाते में डाल देते हैं। डिपार्टमेंट को यह लगता है कि मेरे पैसे का यूज हो गया और आपका अकाउंट यह बता देता है कि शिक्षा विभाग में इतना पैसा था, इतना यूज हो गया लेकिन यह जो पी.डी. खातों में ट्रांसफर होता है लास्ट के समय में, उनकी हालत देखो। 31 मार्च, 2021 को कुल 1928 पी.डी. खाते थे, बाद में 77 और बढ़े और 49, को आपने, पांच साल से अधिक समय हो गया इसलिए वे खतम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इस सारे में मिलाकर इस पी.डी. खाते में 37714 करोड़ रुपये जमा है। 37714 करोड़ रुपया और उसमें से आपने यह जो 26900, 70 परसेंट जो है न, यह तो संचित निधि से है, जो हमारी संचित निधि है, उसमें से आपने यह पी.डी. खाते में डाला है और आज की तारीख में भी राजस्थान में 14383 करोड़ रुपया पी.डी. खाते में पड़ा है, यह एक तरह से जब पैसा बच जाता है और खर्च नहीं कर पाते हैं तो यह एक सुरक्षित खाता बन गया जिसके अन्दर ट्रांसफर करके आप अपने बजट की, यह बता देते हो कि हमने इसमें यह पूर्ति कर दी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सार्वजनिक क्षेत्र के ये जितने उपक्रम हैं, अब आपको नाराजगी तो होती है लेकिन इन हाथियों को बांध कर डूबने से क्या अच्छा है, समय रहते इसका ठीक उपयोग करो या इसको राइट आफ करने का प्रयास करो। कब तक राजस्थान की जनता इस तरह से पैसे देती रहेगी? मैं आपको 46 सार्वजनिक उपक्रमों में से बताता हूं जिनके ऊपर कर्जा, घाटा 95591 करोड़ रुपये का, आज की तारीख में वे घाटे में हैं, जिसमें अपन रोडवेज भी डिस्कस करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी हैं। आप चाहें तो ये सारे डिपार्टमेंट भी मेरे पास लिखे हुए हैं तो जिन डिपार्टमेंट्स में इस प्रकार से यह घाटा हुआ। अब आपको एक, जैसे बजाओ ताली। आप सब लोगों ने कहा बजाओ ताली, मैं आपको कह रहा हूं। यह जो आदेश है न, यह आपकी ताली को बजा रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नेता की ही नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ताली बजाओ और ये ताली ही नहीं बजा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आपके कहने से नहीं बजाएंगे, बैठ जाओ। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा जनता में चले जाओ, तब जाकर पता लगेगा। इतनी हेकड़ी करने की भी जरूरत नहीं है कम से कम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, इधर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कभी-कभी क्या है न, उनको यह लगता है न कि समय से पहले जो ऊंचे हो जाते हैं तो पैर जमीन से छूट जाते हैं। समय बतायेगा, समय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रगड़ाई नहीं हुई इनकी, रगड़ाई। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): रगड़ाई नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 15.03.2022 का एक आदेश निकला है। वह निकाला है हमारे कानारामजी, निदेशक, शिक्षा विभाग ने, इसको पढ़कर आपको ताली बजाने का समझ में आ जायेगा। यह आदेश यह है कि विद्यालय क्रमोन्नत के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाने का श्रम करें। इसका मतलब, सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी बनाने का सेंट-परसेंट पैसा केन्द्र सरकार ने अपनी योजना में देकर आपको तो डाइरेक्शन दिया है। हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह तीन हजार कर दिये, क्या कर दिये? यह तो केन्द्र सरकार की योजना के तहत आपको यह प्रस्ताव बनाकर उनको भेजना है और उसके तहत होगा। आप यह बजाओ ताली, ये बजा लेते हैं।

मैं फिर आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं। मुख्य मंत्री महोदय, एक तो आप पधारा करो, इस हाउस का डेकोरम रहेगा और दूसरा आप इन अधिकारियों को कहो कि हम यहां फालतू बोलने के लिए नहीं आते हैं। हम समस्या को सुलझाने के लिए आते हैं और हमारे सुझाव से आपके डिपार्टमेंट का अधिकारी उसको ठीक प्रकार से समझकर करे। यह पूरी ब्लेंक रहती है, खाली। कोई भी आदमी नहीं रहता। ये तो आप पधारे हैं न, आपको शक्ल दिखाने के लिए आये हैं। यह हमारी विधान सभा को शक्ल दिखाने नहीं आते हैं क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि नहीं हैं! हम जन-प्रतिनिधि नहीं हैं! हमने मुख्य मंत्री की शपथ नहीं ली, यह तो सच है लेकिन हम भी जनता के चुने हुए हैं विधायक की शपथ तो यहीं आपने दिलायी थी न, तो हम लोग, क्या इतने लोग जो आते हैं वे कोई अपने दिल-दिमाग से काम करने के लिए नहीं आते, हम आपकी मदद करने के लिए नहीं आते? हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्ताव हो रहा है न यह बर्ताव उचित नहीं है।

मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस हाउस का डेकोरम खतम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका दु:ख है और मैं यह चाहता हूं कि यह केवल और केवल जादूगरी दिखाने से बजट नहीं बनता है, यह आपने बजट में जादूगरी दिखायी, इस जादूगरी का खेल जमीन पर उतार दो तो हम पहले आदमी होंगे जो आपका खुलकर समर्थन और सहयोग और आपकी तारीफ करेंगे लेकिन केवल और केवल झुनझुना पकड़ाकर भाटे लगवा दो और यह कि यहां आ रहा है, आ रहा है। क्या आ रहा है? यह भाटा आया है अभी तो। 17-17 साल तक योजनाएं पड़ी रहती हैं और मैंने कुछ नमूने आपको बताये हैं, इस प्रकार के नमूनों की जांच कौन करेगा, इसको कौन देखेगा, कौन इसको ठीक करेगा?

मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि इस बजट के, जो आपने पुराने पेश किये, जो 2019 से मेरे पास उपलब्ध हुए हैं, वे मैंने आपके सामने रखे हैं। ईमानदारी से उनकी पूर्ति नहीं हुई, इसकी पूर्ति भी नहीं होगी, यह भी वैसा ही है जैसा केवल झुनझुना पकड़ाकर लोगों को केवल भाव आने के लिए तैयार कर दो, सच्चाई से यह बहुत दूर है, बिलकुल जनता को गुमराह करने वाला है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जैसी आपकी यह परिपाटी पड़ी हुई है दस दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं, जमीनें बिक रही हैं। आपने कहा कि सब लड़कों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वह भटक रहा है। वैसी ही दुर्गति इस बजट की होगी, यह मैं आज आपके सामने इस सदन में कह रहा हूं। रिकार्ड पर नोट करवा रहा हूं। इसका परिणाम खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा निकलेगा इसमें से। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022

एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2022

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पक्ष एवं विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है, फाइनेंस बिल पर भी और एप्रोप्रिएशन बिल पर भी और नेता, प्रतिपक्ष तो खैर, कहां गये? आ तो रहे हैं? आ तो रहे हैं न? हां, हमेशा की तरह वे अपने अन्दाज में बोलते हैं। अन्दाज को बदलना भी चाहिए कभी-कभी, ठीक है क्योंकि ये पूरा समय ले लेते हैं, आंकड़ों के अन्दर ले लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने यह कहा था कि आंकड़े बहुत जरूरी हैं। आंकड़ों के आधार पर ही योजनाएं बनती हैं और योजनाएं आगे बढ़ती हैं। हम लोग आंकड़े छिपाते नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 के चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के तो

(श्री अशोक गहलोत)

एन.एस.एस.ओ. जो भारत सरकार का एक संगठन है, उन्होंने आंकड़ों को दबा लिया, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। उनकी पोल खुल गयी थी कि बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप से फैल चुकी है इस देश के अन्दर। आंकड़े छिपा लिये और वह संगठन ऐसा है, कभी छिपाये जाते नहीं हैं, कभी छिपाये नहीं जाते। मैंने यह देखा कि कोई 20-25 अखबारों के सम्पादकीय में उसकी आलोचना हुई।

(समय: 17.00 बजे)

ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। आंकड़ों के आधार पर ही तो भारत सरकार के विभिन्न विभाग आगे का प्लान बनायेंगे और उनके आधार पर ये प्लान बनते हैं और ये आंकड़े छिपा दिये। जैसे ही चुनाव हुए मोदीजी चुनाव जीते और आंकड़े प्रकट कर दिये गये। हम उन लोगों में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के आधार पर बजट बनते हैं। आपके और हमारे वक्त में बजट बनाने वाले वही लोग होते हैं। हम लोगों को समय-समय पर गाइड करते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति और जो सोच होती है, उसको हम लोग प्रकट करते हैं। उसके आधार पर बजट प्रिपेयर्ड होते हैं। आप पूरा भाषण ही आंकड़ों पर दोगे तो कैसे काम चलेगा। पत्थर याद करेगा। आपने तो पत्थर में जान डाल दी। कारीगरी कितनी बड़ी आप में है। पत्थर में जान डाल देते हो आप तो। पत्थर लगे हुए होंगे, पत्थर याद आयेंगे। पत्थर में ही यदि जान पड़ गयी तो फिर कहने ही क्या हैं। मेरी समझ से परे हैं कि आप ये आंकड़े लाते कहां से हैं? हम ही देते हैं आपको। हमें ही आप वापस पढ़ाते हो। उसका क्या फायदा? आप गहराई में जाने की कोशिश करो तो आपको सत्य मालूम पड़ेगा। आपके शासन और हमारे शासन के वक्त की तुलना करेंगे तो आप पायेंगे कि चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, रात-दिन का फर्क है, बल्कि आप यह पायेंगे कि जब-जब हमारी गवर्नमेंट आयी है, आप भारत सरकार से कम्पेयर कर लीजिए, फिस्कल डेफिसिट हमसे बुरा उनका है, ज्यादा है। कर्जे कई गुना ज्यादा उनके हैं। प्रतिशत में अन्तर है। फिर आपकी गवर्नमेंट आती है उल्टा होता है। हमारी गवर्नमेंट वहां पर आती है, तो सीधा होने लग जाता है। ये आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों का जवाब देने लगूंगा तो दो-तीन घंटे लग जायेंगे। आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं, लम्बे समय तक का राजनीतिक जीवन है, वह थोड़े में ही समझ जायेंगे। ज्यादा लम्बा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, बजट आज हम पास करेंगे पर मैंने

(श्री अशोक गहलोत)

आपको पहले भी कहा था कि हमने अभी कम समय में ही, जो वायदे हमने किये बजट के अन्दर 100 प्रशासनिक स्वीकृतियां हमने निकाल दी हैं। आप बार-बार बोलते हैं कि धरातल पर कैसे लाया जायेगा और आपके देखा-देखी प्रतिपक्ष के हमारे जो माननीय सदस्यों ने भी पूरे हाउस में रट लगायी हुई है कि बजट का क्या होगा, पैसा कहां से आयेगा, लागू कैसे होगा? अभी भी आप बोल रहे थे। हमें मालूम है कि आप जान-बूझकर बोल रहे हैं। हमें मालूम है कि आपकी पार्टी की देश के अन्दर इसमें मास्टरी है, मार्केटिंग करने की। काम कम करो, मार्केटिंग ज्यादा करो। हम लोग काम शानदार करते हैं। मार्केटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे तो खटके ऐसे ही हैं। शुरू से ही हैं। काम करते रहो, काम करते रहो। इसीलिए हम देश को यहां तक लेकर आये हैं। 70 साल में जो देश यहां तक आया है, इसीलिए आया है। हम मार्केटिंग में नहीं लगे रहे, हम काम में लगे रहे। आपको सोचना पड़ेगा, आपने जान-बूझकर माहौल बना दिया हाउस के अन्दर, कि बजट धरातल पर कैसे आयेगा। उसके कारण से बजट की जो मूल भावना थी, इतना शानदार बजट था। अभी कैलाशजी मेघवाल खुद बता रहे थे कि पूरी तारीफ हो रही है देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर। वह उससे कैसे भटकें। बजट लागू नहीं होगा, धरातल पर नहीं आये, इसी में अटक कर रह जायें। यह आपकी चाल थी। उस चाल में अभी तक आप पूरी बहस कर रहे हो। मैं यह समझ पा रहा हूं। इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे कोई फायदा भी नहीं है।

आप कह रहे हो कि 2021-22 में जो आर.ई. है, नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप सुनना, 1 लाख 90 हजार 431 करोड़ के विरुद्ध फरवरी तक लगभग 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये अर्थात् 84.46 परसेंट राजस्व प्राप्त हो चुका है। कैसे आयेंगे, कहां से आयेंगे, आ चुका है और अध्यक्ष महोदय, मार्च का महीना तो इम्पोर्टेंट होता है, आपको तो मालूम ही है, मार्च महीने में ज्यादा प्राप्ति होती है, चाहे आपका कार्यकाल था 2018-19 में 16.36 परसेंट थी। 2019-20 के अन्दर 12.66 और 20-21 के अन्दर 19.42 था तो मार्च का औसत करीब 16.15 प्रतिशत हो गया। इनको आधार बनाकर ही हम लोग चल रहे हैं। ये पहले के आंकड़े हैं और इसलिए पूरा विश्वास है कि हमने जो कहा है, वह हम करके दिखायेंगे और आरई के जो रखे हैं हमने, इसीलिए जान-बूझकर इसी आधार पर रखे हैं। आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा कि जो मैंने बताया, रेवेन्यू रिसीट्स की बात की गयी 2021-22 में और 2022-23 के अनुमानों में 13.48 परसेंट की वृद्धि

(श्री अशोक गहलोत)

अनुमानित की गयी है आरई के अन्दर। ठीक है क्योंकि भारत सरकार की जी.डी.पी. जो है, उसमें जो ग्रोथ दिखाई गयी है, उसको और जीएसटी का भारत सरकार का 14 परसेंट का कमिटमेंट है राज्यों को, हर वर्ष बढ़ाना है, वह तो बढ़ेगा ही, उसको आधार बनाकर हम लोगों ने 2022-23 के अन्दर 13.48 परसेंट की वृद्धि दिखायी है। नम्बर 3, सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय कि जो एक्सपेंडिचर है, वह कम समय के अन्दर कैसे हो पायेगा, आपको विश्वास करना चाहिए क्योंकि अभी हमने तीन साल तक करके दिखाया है। अभी इस बजट में दिखा रहे हैं हम लोग। 85 परसेंट तो फरवरी तक हो चुका है तो क्यों नहीं होगा। आपको आशंका क्यों होती है।

ये जो संशोधित अनुमान है आर.ई., इसमें 3 लाख 19 हजार 94 के विरुद्ध में फरवरी, 2022 तक 2 लाख 45 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इसका मतलब कि 76.78 परसेंट खर्चा हो चुका है। पिछले पांच वर्षों का हम लोग इतिहास देखें तो मार्च महीने के अन्दर 23 परसेंट खर्च होता है। इस बात को तो आप समझ सकते हो। यह पांच सालों का एवरेज है। 2016-17 आपका, 24.71 परसेंट, 2017-18 आपका, 28.95 परसेंट मार्च के अन्दर, 2018-19 आपका, 23.79 परसेंट, 2019-20 हमारा, अच्छी प्रोग्रेस करने लग गये हम लोग, 21.22 परसेंट और 2020-21 में 16.92 परसेंट। यह एवरेज होता है 23.92 परसेंट तो अब आप बताइये, अध्यक्ष महोदय, आंकड़े इनके सामने हैं, अभी पूरे महीने के आंकड़े आने बाकी हैं और 23 परसेंट एवरेज है, आपके वक्त में ज्यादा होता था खर्चा। 24 भी हुआ, 28 भी हुआ, 23 परसेंट भी हुआ है तो फिर आप किस लिहाज से सदन को इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि आप लोग विद्वता के साथ में अपनी बात कर रहे हैं। पता नहीं, कितने बड़े आर्थिक एक्सपर्ट होंगे आप। ऐसी भाषा, बोलने की तरकीब आपकी ऐसी है, बोलने की अदा आपकी ऐसी है कि सब सोचते होंगे कि वास्तव में ठीक बोल रहे दिखते हैं। मुझे मेरी पार्टी के लोग कहते हैं कि कटारिया जी अच्छा बोले थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके ही कागज हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुनो, डिस्टर्ब मत करो। कटारिया जी अच्छा बोले थे। मुझे कहते हैं मेरी पार्टी के लोग कि कटारिया जी बहुत अच्छा बोले थे। आपकी तारीफ भी होती है। लेकिन तारीफ होती है बिना कोई खेल किये हुए। आप ऐसा बोलते हैं भावुक होकर के, कभी भावुकता, कभी क्या

(श्री अशोक गहलोत)

कहते हैं, कभी कठोरता, पता ही नहीं पड़ता, ऊपर-नीचे बीपी चलती रहती है आपकी। कृपा करके बीपी को कंट्रोल रखो आप। आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि बीपी कंट्रोल रहे आपकी, वरना आपके घरवाले मुझे ओलमा देंगे कि आप इनका ध्यान नहीं रखते हो। अब सदन का नेता हूं तो नेचुरली इतना अधिकार तो बनता है आपके फैमिली वालों का मुझ पर। कृपा करके ध्यान रखियेगा बोलते वक्त कि क्या बोल रहे हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, बड़ी इंट्रेस्टिंग बात आप बोल जाते हो, करें क्या?

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? मैं दावे के साथ यह कहता हूं, आप यह दावे कैसे कर सकते हो? दावे कैसे कर सकते हो? हर बात पर ही दावा कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो? अभी आर.ई. के अन्दर 13.48 परसेंट यह सामान्य वृद्धि हमने रखी है। उसको रखकर के हम लोगों ने यह कैलकुलेशन की है। उसी ढंग से हमने बजट में 2022-23 के बजट में 23,488 करोड़ अनुमानित किया है। इसके लगे-टके रहेगा, यह हमारा मानना है। 23 परसेंट के आसपास हमने इसको रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आपने कैपिटल रिसीट्स की बात की, ऋण लेने की, बोरोइंग की बात की गयी। आपने कहा 2021-22 के अन्दर बजट अनुमानों में कैपिटल रिसीट्स 66 हजार रखी गयी थी। बिलकुल ठीक कहा आपने। अब जो समझने की बात है, एक बात तो मेरी भी आप समझ जाएं तो ठीक रहेगा। जो संशोधित अनुमानों में 1,29,667 कैसे कर दी गयी? 2022-23 के बजट एस्टिमेट में आपने 1,31,324 करोड़ अनुमानित कर दी। यह कैसे कर दिया? कोई जादू है क्या, आप बोल रहे थे। पता नहीं कहां का जादू है।

अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बात दिमाग में रखें, आप गहराई में जाते डाक्यूमेंट्स में और फिर आकर यहां बोलते तो मेरे ख्याल से यह नौबत नहीं आती। सामान्य वृद्धि के साथ ही 2 छूट दी गयी हैं आरबीआई ने, 2018 में जब आपकी सरकार थी तब आरबीआई ने जो मीटिंग बुलाई, उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वह वेज एंड मीन्स को काम में लें, जिसमें 3 महीने के लिए कर्जा मिलता है। ब्याज 1-2 परसेंट मुश्किल से होता है। एक तो होता है वेज एंड मीन्स और एक होता है स्पेशल ड्राइंग फैसेलिटी देते हैं एक महीने के लिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद पायेंगे कि जो आंकड़े आपने बताये हैं वह आंकड़े वह नहीं हैं, वास्तव में आंकड़े 66 हजार के अगेंस्ट

(श्री अशोक गहलोत)

में 82,484 करोड़ 36 लाख रुपये और 2022-23 के अन्दर जो हमने प्रपोज किया है बीई को वह 79,324 करोड़ 99 लाख रुपये अनुमानित है।

अब आप बताइये, असलियत तो यह है कि अगर हम इसको शामिल करते हैं तो आपको बड़ा लगता है। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, यह वित्तीय प्रबन्धन की बात है, शानदार वित्तीय प्रबन्धन की बात है। बजाय कि हम कर्जा लें बड़ा, लोंग टर्म कर्जा लेवें तो नुकसान, लोंग टर्म कर्जा हो गया। नम्बर दो, उसका ब्याज दो। नम्बर तीन, अगर आप इसका उपयोग करो दोनों सुविधाओं का, जो आरबीआई ने कहा है तो उसके कारण से आपको एक तो इंट्रेस्ट रेट बहुत कम लगेगी। वह हम लोग शानदार वित्तीय प्रबन्धन कर रहे हैं। आपको लगते हैं बड़े फिगर बढ़े हुए जबकि वह असलियत में हैं नहीं। असलियत में दूसरी बात है। अब उसी रूप में हम लोग अपने डाक्यूमेंट्स को बनाये हुए हैं। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसका उपयोग करके हम लोगों ने इस प्रकार से संशोधित बजट पेश किये हैं और जिस प्रकार से हमने बीई लागू की है 2022-23 के लिये, उसमें असली चीजें मैंने आपको बता दी। आप ज्यादा ध्यान लगाकर देखियेगा कि मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं है। यह निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय, ऋण लेकर 21 परसेंट ऋणों का पुनर्भुगतान कैसे करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं। अभी तक कभी हुआ ही नहीं आज तक, आपने भी यह बात कही। होता भी नहीं है। इसमें भी वही बात आती है जो मैंने आपको पहले कही, वेज एंड मीन्स और स्पेशल ड्राइंग फैसेलिटी, यह जब आप मिलाते हैं तो आपको फिगर्स बड़े लगते हैं, वरना 21 परसेंट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा बड़े विनम्र शब्दों के अन्दर कि आप जिस रूप में अपनी बात कहते हैं, पर मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके पूरी गहराई में जाकर स्टडी करने के बाद में अगर आप कहेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। वह 21 परसेंट के बजाय सिर्फ 7 परसेंट ही है। जो आपको लगता है कि 21 परसेंट कैसे भुगतान करेगी सरकार? वह नौबत नहीं आयेगी, 7 परसेंट ही उसके अन्दर है।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबन्धन शानदार हो रहा है राजस्थान के अन्दर। पिछले तीनों बजट हमने पेश किये और उन्हें लागू भी किया। बार-बार आशंका आपको हो रही है या आप पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? कोई जवाब है? बार-बार, कैसे लागू होगा? चिन्ता हमें होनी चाहिए। सरकार में हम लोग हैं। नहीं लागू करेंगे तो बदनाम हम होंगे। आरोप

(श्री अशोक गहलोत)

जनता हमारे पर लगायेगी कि आपने वादा किया स्कूल का, कालेज का, सड़क का, पानी का और बिजली का। क्यों नहीं होगा? वह हम करेंगे। आप मेरी चिन्ता करो हाउस के अंदर? हमारी सरकार की?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आगाह कर रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप क्या आगाह करोगे? (व्यवधान) तर्क लगता हो। अब मैं तो आंकड़े बता रहा हूं आपको। यह आंकड़े मेरे भी नहीं हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। अब मैं आंकड़ों पर आता हूं। आप देखिये, जो जी.डी.पी. है भारत सरकार की और जो कर्जे भारत सरकार पर हैं, राजस्थान सरकार पर हैं, उसमे देखिये आप। 2019-20 के अन्दर राजस्थान का आउट स्टैंडिंग डेट एज परसेंट आफ जीएसडीपी 35.30 और भारत सरकार का है 50.21, 2020-21 के अन्दर हमारा 40.51 परसेंट है जी.डी.पी. का, भारत सरकार का 61.17 है। 2021-22 का हमारा 38.15 है और भारत सरकार का 60.96 परसेंट है। 2022-23 का जो एस्टिमेट किया गया है, हमने किया है 39.80 और उन्होंने 58.98 परसेंट किया है। अब बताइये, यह हमारा वित्त प्रबन्धन नहीं है?

हमारे अधिकारियों को आपने कोसना शुरू कर दिया। हम कोई बजट बनाना चाहते नहीं हैं। आंकड़े कहां से लेकर आ गये? आंकड़े कैसे लेकर आ गये? मैंने तो, आपको तो कम से कम कोट करना चाहिए था कि हमने 100 तो सर्कूलर जारी कर दिये, नम्बर वन। मैंने सचिवालय में चीफ सैक्रेटरी, एडिशनल चीफ सैक्रेटरी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, सैक्रेटरी की मीटिंग बुला ली। आपकी चिन्ता को देखते हुए बुलायी। वह बार-बार चिन्ता कर रहे हैं, ध्यान रखो। टाइमली पूरा करना बजट को। मीटिंग बुला ली। सबको जिम्मेवारी सौंप दी। परफोर्मेंस बेस पर पाबन्द कर दिया। आपने कहा मुझे खुशी होगी, अच्छा लगा, आपने यह बात कही। मुझे खुशी होगी अगर आप यह बजट धरातल पर ले आओ तो। मैं आपकी उस खुशी का इंतजार करूंगा अगले साल यहां पर।

अध्यक्ष महोदय, अब हमारा रेवेन्यू में आर.ई. है, जो हमारे एस्टिमेट थे उसके अकोर्डिंग, रिवाइज हो चाहे वह बजट एस्टिमेट हो, खर्चा भी हो रहा है। जब खर्चा हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि काम भी हो रहा है। वह पैसा कहां जायेगा?

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा, एक पाइंट और बताना चाहूंगा आपको कि पिछले आंकड़े थे वह कर्जे के थे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के। अब मैं बताऊंगा कि फिस्कल डेफिसिट में कितना बड़ा फर्क

(श्री अशोक गहलोत)

है। उसमें आपकी भी पोल खुल जायेगी। आपकी मतलब, आपकी सरकार की। वर्ष 2009-10 में जब हमारी गवर्नमेंट आयी थी तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.8 परसेंट, भारत सरकार का था 6.4 परसेंट, वर्ष 2010-11 में 1.22 हमारा, भारत सरकार का था 4.9 परसेंट, वर्ष 2011-12 में 8.3 फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार का था और हमारा 5.7, वर्ष 2012-13 में हमारी गवर्नमेंट का था 1.73 और भारत सरकार का था 4.8 परसेंट फिस्कल डेफिसिट, वर्ष 2013-14 में हमारा था 2.76 परसेंट और भारत सरकार का था 4.4 परसेंट। अब आपकी सरकार आती है 2014-15 में तो आपका फिस्कल डेफिसिट 3.09 और भारत सरकार का 4.1 परसेंट, फिर आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया 9.25 परसेंट और भारत सरकार का था 3.9 परसेंट। आप देखिये कि वर्ष 2015-16 में आपका होता है 9.25 परसेंट और भारत सरकार का होता है 3.9 परसेंट, 9.25 परसेंट आपका फिस्कल डेफिसिट, वर्ष 2016-17 में होता है आपका 6.09 परसेंट और भारत सरकार का होता है 3.5 परसेंट, वर्ष 2017-18 में आपका होता है 6.04 परसेंट और भारत सरकार का होता है 3.5 परसेंट, वर्ष 2018-19 में आपका होता है 3.78 परसेंट और भारत सरकार का होता है 3.4 परसेंट, यहां कम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमारी गवर्नमेंट आ गयी, आप सबकी दुआओं से, वर्ष 2019-20 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.77 परसेंट और भारत सरकार का 4.6 परसेंट, हमसे ज्यादा। वर्ष 2020-21 के अन्दर 5.86 परसेंट हमारा और भारत सरकार का हो गया 9.2 परसेंट, वर्ष 2021-22 रिवाइज के अन्दर 5.18 परसेंट हमारा और 6.9 परसेंट भारत सरकार का है। अब हमने जो रखा है एस्टिमेट, हमने रखा है, 4.36 परसेंट का और भारत सरकार का 6.4 परसेंट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बताइये कि इस प्रकार से एफआरबीएम एक्ट तो हमारे ऊपर भी लागू होता है और उनके ऊपर भी लागू होता है फिर भी आप हमारा मैनेजमेंट देखिये कि कितना शानदार है, उसके कारण से भारत सरकार को कहने का मौका नहीं मिलता है। उसी रूप में हम लोग जो पैरामीटर्स हैं भारत सरकार के, आप बार-बार चिन्ता प्रकट करते हैं, मैं कहना चाहूंगा, देखो, आपको भी मालूम है कि बिना भारत सरकार की परमिशन के और परमिशन तब मिलती है जब शानदार वित्तीय प्रबन्धन होता है, रेवेन्यू का, फिस्कल डेफिसिट का, रिसीट का, एक्सपेंडिचर का, तब जाकर आपको

(श्री अशोक गहलोत)

परमिशन मिलती है, जी.डी.पी. पर मिलती है, जी.डी.पी. आपके हाई होगी तो आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। अब आप बताइये कि जब सुविधाएं मिल रही हैं, कर्ज लेने की परमिशन तब मिलती है आप उसी लिमिट में ले सकते हो जितनी आपको एफआरबीएम एक्ट के अन्दर भारत सरकार देती है, तो ज्यादा ले नहीं सकते, तो आप कैसे कह सकते हो कि भार बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद एक्सपर्ट हो, पूरी सरकारें ही इसी तरह से चलती हैं। देश भर की पूरी सरकारें, भारत सरकार, दुनियां की सरकारें, कोई चाइना की तरह हों उनको तो छोड़ दो, अमेरिका तक भी भारी कर्जे से अपना विकास करते हैं। यह पूरी दुनियां के अन्दर एक प्रकार की अप्रूवल्स हैं, कोई नई बात नहीं है। कर्जा उसी लिमिट में लिया जाता है जिस लिमिट में आपकी कैपेसिटी हो, आपकी औकात हो कर्जा चुकाने की, कर्जा चुकाने की औकात हो, हमारी औकात है कर्जा चुकाने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट साइज हमारी उसकी तुलना में 8.2 परसेंट और बीई में हमने रखा है वर्ष 2022-23 में 8.7 परसेंट। यह रियलिस्टिक है। पहली बार आपने कहा था कि यह कैसे, किस प्रकार रख दिया, 27 परसेंट वृद्धि का कैसे रख दिया? 27 नहीं रखी गयी है, हमने 8.2 परसेंट रखी है, और वह भी इसलिए रखी है कि आपका वर्ष 2021-22 में जो आरई है उसमें परसेंटेज बिना वेज एंड मींस के उसके हिसाब से 8.43 आती है, वर्ष 2022-23 के अन्दर 8.20 आती है, उसके हिसाब से हमने रखा है, हमने कोई ज्यादा नहीं रखा है। आंकड़ों के आधार पर रखा है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। 27 परसेंट वृद्धि की जो बात की गयी वो बिलकुल गलत है, यह सम्भव ही नहीं है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि बजट के अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो प्रयास किया है, हमारे प्रयास को नेता प्रतिपक्ष महोदय को, तमाम साथियों को एप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली बार देश के अन्दर मैंने कहा था कि कृषि बजट लायेंये। हमने कहा और बजट आ गया पहले तमिलनाडु का, तमिलनाडु ने उसका रख भी दिया और अब मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है और राज्य सरकारें भी रखे, यह अच्छी बात है। कम से कम कृषि का बजट अलग हो तो कृषि, पशुपालन सेक्टर को कम से कम थोड़ी तवज्जोह मिल जाती है। हो सकता है कि कुछ कमियां रही होगी हमारे में, अगली बार ठीक

(श्री अशोक गहलोत)

करेंगे। आप लोगों के सुझाव आये हैं उनको देखेंगे हम लोग, पर यह मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो वर्ष 2018-19 का बजट था कृषि का, उससे लगभग डबल हमने किया है, डबल किया है। आपके 23,790 करोड़ रुपये था, हमने 46,145 करोड़ रुपये किया। बाकी कोआपरेटिव, जहां हम 20 हजार करोड़ रुपये के लोन देते हैं बिना ब्याज के, नाबार्ड के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, सब मिला लो तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा 78,938 करोड़ रुपये का एक कृषि विकास एवं कृषक कल्याण के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। एक नई शुरुआत हमने की है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं अपेक्षा करता हूं आपसे, सबसे, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि कृपा करके आप हमें समर्थन दें, सहयोग करें, क्योंकि भारत सरकार का जो रवैया है वो राज्यों के साथ उचित नहीं है, उचित नहीं है। ये मैं आंकड़े भी बताऊंगा आपको, कई आंकड़े बताऊंगा, क्योंकि आंकड़ों का खेल तो मैंने कहा है ही इम्पोर्टेंट लेकिन पूरे आंकड़े ही हो जाये तो काम नहीं चल सकता। ये आंकड़े हैं कि फाइनेंस कमीशन जो था, 14वां फाइनेंस कमीशन, उसने 32 परसेंट बढ़ाकर केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, सब राज्यों का हिस्सा वो 41 परसेंट कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया, जो सीएसएस की टेबल थी, 90:10, 80:20, 70:30, उनमें ज्यादा पैसा भारत सरकार से आता, राज्यों का हिस्सा कम होता था। उसको उन्होंने बराबर कर दिया करीब-करीब, वो टेबल मेरे पास में है, टाइम लग जायेगा अगर मैं पढूंगा तो पर दो-तीन का बता सकता हूं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मिशन में भी, 25:75 था तो 40:60 कर दिया, ग्रामीण सड़क में 0:100 था, 100 परसेंट भारत सरकार का आता था वो आपने 40:60 कर दिया। पूरी टेबल मेरे पास में है। सारा सीएसएस का केन्द्र का अंश था उसमें कमी कर दी और राज्यों का अंश बढ़ा दिया। अब आप बताइये कि जो हमें 14वें फाइनेंस कमीशन से 32 परसेंट से 41 परसेंट पर लाये वो भारत में, देश के सब राज्यों में, केन्द्रीय करों में हिस्सा देने का और यह संविधान के अन्तर्गत होता है, संविधान के अन्तर्गत बनता है फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमंडेशन माननी पड़ती है। नहीं मानी गयी, नम्बर एक।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, जो मैंने पहले भी निवेदन किया था, आपको याद नहीं, आप बायकाट कर गये थे, दुर्भाग्य से मेरी बात आप तक नहीं पहुंची होगी कि पेट्रोल-डीजल के अन्दर 4 तरह की एक्साइज ड्यूटी

(श्री अशोक गहलोत)

हो गयी है। बेसिक एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और सैस नया लगा दिया अभी, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी उस पर हिस्सा मिलता राज्यों को, पूरे देश के राज्यों को, उसको तो आप 100 से ले आये 5 पर और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसको ले आये, 5 से ले आये 100 पर, वही बात की आपने, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी पर, और सैस नया लगा दिया। इससे जो पैसा मिलता था राज्यों को वो नहीं मिल पायेगा फिर भी आपको मालूम है कि अपन ने पहले में 2 परसेंट कम किया था, तब देश में किसी ने नहीं किया था, हमने किया था। उसके बाद में फिर भारत सरकार ने कम किया तो अपने आप ही हमारा खुद का कम हो गया। यदि भारत सरकार कम करेगी तो स्वत: ही कम होगा राज्यों का, फिर सब की भावना देखी मैंने हमारे सभी माननीय सदस्यों की, तब हमने और 5-7 रुपये कम किये उसके अन्दर, पेट्रोल-डीजल के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हम तो कर रहे हैं, पर यह भारत सरकार का रवैया उचित नहीं है। जो डिविजिबल पूल था राज्यों का बंटवारा करने वाला एक्साइज बेसिक, उसको उन्होंने नहीं के बराबर कर दिया। यह उनका रवैया उचित नहीं है।

नम्बर 3, केन्द्रीय करों में जो कटौती की गयी है हमारी, 15 हजार करोड़ तो बजट में कर दिये और 19 हजार करोड़ का कर दिया अगले बजट में, जब अभी आयेगा 1 अप्रैल से, उसमें 19 हजार करोड़ और कम कर रहे हैं। आप बताइये, कहां का न्याय है? आर्टिकल 280 के अन्तर्गत फाइनेंस कमीशन बनता है। उसकी रिकमंडेशन थी, उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार से...। आज आपको जानकर दु:ख होगा, सदन के माननीय सदस्यों को कि 2022-23 के अन्दर केन्द्रीय संग्रहण रहा 27,58,000 करोड़, राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिये था 68 हजार करोड़ का और मिलेगा 49 हजार करोड़ का।

आप कह रहे हैं, भारत सरकार खूब दे रही है, खूब दे रही है, अन्न दे रही है, पानी दे रही है। वह तो उनकी ड्यूटी है। जो दे रही है, वह तो सब को दे रही है न। अगर राजस्थान को आपके कारण, मेरे कारण अलग से दिया हो तो आप मुझे बताइये उसके लिये। आप जो बात कहते हैं, वह बात तो पूरे देश के लिये लागू होती है। आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? हम कोई केन्द्र सरकार के खिलाफ हैं, केन्द्र सरकार कोई विदेशियों की है क्या? पर क्या

(श्री अशोक गहलोत)

हमारा हक नहीं है कि हम सच्चाई बताएं उन्हें, दबाव बनाएं। दबाव बनाने में आप हमारा साथ देते ही नहीं हैं, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा कम करने की बात हो, आप बोलते नहीं हैं। 25 एमपी जिता दिये जनता ने आपको, तब भी नहीं बोलते हैं आप, कार्रवाई नहीं करते।

आप चलें हमारे साथ। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कम से कम ईआरसीपी को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा दें। मंत्री भी राजस्थान के ही हैं। पता नहीं मोदी जी से और अमित शाह जी से ऐसा भय बैठ गया आप लोगों को। उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बड़े-बड़े नेताओं की। बाकी तो मार्गदर्शक मण्डल बन गया, अलग बात है। बाकी नेताओं की भी हिम्मत नहीं है, अपाइंटमेंट लेकर उनसे मिल लें और दो टूक बात कर लें। यह स्थिति है। ऐसा पहले कभी हुआ करता था क्या? यह स्थिति है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि हालात जो बने हैं, उससे नुकसान है हम लोगों को। कहां तो 68, कहां 49 मिलेंगे हमें खाली। कृपा करके आप हमारा साथ दीजिये।

सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस को आप लागू करवाने के लिये आगे आइये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमें 6.02 परसेंट मिलना चाहिये था पैसा, हमारा हिस्सा बनता है 41 में और दे रहे हैं हमें खाली 49 हजार, 19 हजार हमारे काट लिये, कोई तुक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो आज-कल नयी अप्रोच रखी है भारत सरकार ने, जिसमें क्या किया है, जितनी सीएसएस योजनाएं हैं और अन्य योजनाओं का पैसा है, जैसे जेजेएम है, यह पैसा पहले समेकित निधि में होता था। आप तो लम्बे समय तक मंत्री भी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं। कम से कम कंसोलिडेटेड फंड में होता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। टाइमली पेमेंट करना है, काम के बदले या कोई खर्च करना है स्कीम के पेटे, आपने क्या किया, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट खोलो अलग से, उसमें पैसे ट्रांसफर करो। जितना पीडी अकाउंट का पैसा है, उसे ट्रांसफर करो। कमाल है।

जेजेएम का पैसा भी बैंक अकाउंट खोलकर उसमें डालो। स्टेट गवर्नमेंट का समेकित फंड बना होता है, उसे यूज कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं उसके अन्दर। तमाम सीएसएस योजनाएं हों या अन्य योजनाएं हों, सब पैसा उसके अन्दर जा रहा है तो इससे नुकसान क्या है? यह पैसा बैंकों में आइडल पडा रहेगा, कोई फायदा नहीं उसका। लिक्विडिटी होती है सरकार की, वह

(श्री अशोक गहलोत)

खतम हो गयी। पेमेंट्स टाइम पर नहीं हो पायेंगे। ब्याज अलग देना पड़ेगा। जब आपने वहां जमा करवा दिया स्टेट नोडल बैंक अकाउंट में तो फिर हमें उधार लेना पड़ेगा लान्ग टर्म, उसका भी ब्याज भरो। नुकसान ही नुकसान है, फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से, भारत सरकार हमारी बात को मानने के लिये तैयार नहीं हो रही है।

चाहे वह नरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शहरी आवास, समग्र शिक्षा अभियान, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सबका पैसा बैंकों में होगा। इतना अविश्वास भारत सरकार का राज्यों पर क्यों है, यह मैं पूछना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। कोई जवाब है आपके पास में? किसी के पास नहीं है, क्योंकि तरीका क्या है, आप बैंकों में क्यों जमा करवा रहे हैं भई, समझ के परे है। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी कम्पनसेशन, उसके अन्दर जीएसटी का पैसा टाइम पर मिलता नहीं है। हमारी मांग है कि जीएसटी को आप पांच साल और बढ़ाएं, क्योंकि जीएसटी के अन्तर्गत पैसा टाइम पर मिल नहीं रहा हमें और कम भी कर रहे हैं उसे। जब सैस लगा दिया आपने देश के अन्दर तो आप हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आप पांच साल बढ़ायेंगे, क्योंकि नया -नया एक्ट बना है, नये एक्ट में राज्य सरकारों की तमाम कर वसूली खतम हो गयी है, उसके अन्दर अगर यह समाप्त हो जायेगा 2022 में तो हमें तकलीफ होगी। राज्यों का काम कैसे चलेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पायेगा, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी आप विचार करें।

कम से कम एक ओपिनियन बनाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है, विपक्ष की भी कि भई राजस्थान की जनता क्या सोचती है, राजस्थान की सरकार क्या सोचती है, यह फीडबैक जाता है हाईकमान के पास में, आपके हाईकमान के पास में, तो नहीं-नहीं करते असर पड़ता है। मुझे तो लगता है कैलाश मेघवाल ही हिम्मत करें तो करें, बाकी तो किसी की हिम्मत लगती नहीं मुझे जो दिल्ली जाकर बात कर ले और भारत सरकार को कोई कमी भी नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, सैस लगा दिया है, उन्हें भी कोई कमी नहीं आने वाली है। उन्हें कोई भी रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि सैस लग चुका है। खाली ये पांच साल बढ़ा देंगे तो राज्यों का भला हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न कैनाल और राष्ट्रीय कैनाल प्रोजेक्ट आपका

(श्री अशोक गहलोत)

है, वसुन्धरा जी के वक्त का है। क्या वसुन्धरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गयी है कि आप उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिये मदद नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी नाराजगी है क्या आपकी? छोटी-मोटी नाराजगी तो, राठौड़ साहब, जब आप सरकार में थे, तब भी थी, मुझे मालूम है। कोई नयी बात नहीं है। यह नाराजगी कहां से आ गयी? यह नाराजगी तो थी ही नहीं। कटारिया साहब के तो बड़े अच्छे सम्बन्ध थे। अब नेता ही ये हैं। क्या कारण है कि आप बोल नहीं रहे हैं?

प्रधान मंत्री जी जयपुर आकर बोलते हैं, अजमेर में बोलते हैं, राष्ट्रीय धरना देने की बात कहते हैं। और 16 योजनाएं चल रही हैं देश के अन्दर, पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। अभी यूपी चुनाव आये, केन-बेतवा योजना लागू कर दी मध्य प्रदेश-यूपी की। इतना हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपके केन्द्रीय मंत्री भी राजस्थान के हैं। अब पता नहीं भावी उम्मीदवार वे हैं, वसुन्धरा जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब जैसे भले आदमी हैं, राठौड़ साहब हैं, मेघवाल साहब हैं, देखें आज आये नहीं आपके, पूनियां साहब हैं? और कोई साहब हैं क्या? हां, ओम बिरला जी हैं, ओम माथुर जी हैं और हमारी अजमेर विधान सभा से मैम्बर देवनानी जी, आप बताएं मैं किनको कहूं? एक नेता हो तो मैं खुद जाकर बात करूं, मैं ही जाकर मिल लूं। उनको पटा लूं मैं किसी ढंग से, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अध्यक्ष महोदय, 13 जिलों का मामला है यह। उनकी सिंचाई का, पानी का मामला है। हम दम लगा देंगे सब लोग मिलकर। सब लोगों को मिलकर दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली जायेंगे हम लोग। जहां जाना पड़ेगा, वहां जायेंगे। प्रधान मंत्री जी के पास चले जायेंगे कि आप कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करें, वरना आप लोग 13 जिलों में साफ हो जायेंगे अगले चुनावों में, देखना, ध्यान रखना आप लोग। वादा करने के बाद नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब बताइये, सीकर-झुंझुनूं हैं यमुना का पानी आना है, केन्द्र को कोई मतलब ही नहीं है। झुंझुनूं-सीकर कुम्भाराम हमारी योजना तभी लागू होगी, तभी वहां पानी आ पायेगा पूरा वरना इन्दिरा गांधी कैनाल थोड़ा-बहुत ले चलो भले ही। कैसे काम चलेगा, बताएं। कोई मतलब नहीं है आप लोगों को।

25 लोग बैठे हैं जीतकर दिल्ली के अन्दर, कटारिया साहब, आपका तो मान-सम्मान पार्टी के अन्दर भी है, आप तो आरएसएस कैडर के भी हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, आपकी बात को कौन टाल सकता है, पर आप कहने की

(श्री अशोक गहलोत)

हिम्मत ही नहीं करते हैं। आप जाकर बैठ जाओ प्राइम मिनिस्टर के यहां कि यह क्या बात है। वे क्या बिगाड़ लेंगे आपका? मिल लो जाकर और कह दो कि राज्य का मामला है इसलिए मैं आपके पास आया हूं। वे आपका मान-सम्मान भी करेंगे पर अगर आपके अन्दर भय घुस गया है तो उस भय को निकालो और घुस जाओ वहां जाकर। मुझे विश्वास है कि आपकी बात का वज़न होगा। वसुन्धरा जी का हो या नहीं हो, मुझे पता नहीं है पर आपकी बात का वजन होगा क्योंकि आप कैडर के आदमी हो, वे भी प्रचारक रहे हुए हैं। आप कहेंगे कि हम सब की भावना है, जाकर कहियेगा कि मेरी पोजिशन वहां हाउस के अन्दर आकवर्ड हो रही है इसलिए कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, यह आप जाकर कहियेगा उनसे।

अध्यक्ष महोदय, एन.के. सिंह साहब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और राजस्थान में जोधपुर के अन्दर उनका ससुराल है। उन्होंने खुद ने इंटरेस्ट लिया एज ए फाइनेंस कमीशन चेयरमैन और अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दस रिकमंडेशन स्पेशल की राजस्थान की।

1. जोधपुर में एकीकृत जल प्रबन्धन

2. जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट

3. राजस्थान में लोक स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण- चिकित्सा महाविद्यालय में संगराध केन्द्रों के साथ उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना का विकास

4. राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय

5. राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर की स्थापना

6. कयासा (अलवर) में औद्योगिक उपनगर

7. प्रोजेक्ट जोधपुर इनिशिएटिव (आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर बी.एस. मूर्ति द्वारा की गयी पहल)

8. नीमराना औद्योगिक केन्द्र परियोजना

9. पारम्परिक लोक कलाकारों और गायकों जैसे मंगानिया या कालबेलिया को सहायता

10. समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास

2300 करोड़ रुपये के उन्होंने ये दस प्रोजेक्ट दिये। सिफारिश कर दी

(श्री अशोक गहलोत)

और सिफारिश किसने की? फाइनेंस कमीशन ने की जिसकी मानना बाध्य होती है एक प्रकार से। अब बताइये, अब अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो हमारी तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। रोक दिया उन्होंने, सब रोक दिया और कुछ नहीं दे रहे हम लोगों को तो कृपा करके मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से नेता, प्रतिपक्ष से कि आप आंकड़ों से बाहर आओ और जाकर दिल्ली बात करो, हमारी मदद करो, हम आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, नरेगा में 1,500 करोड़ रुपये मैटेरियल कम्पोनेंट के बाकी हैं जो मिल नहीं रहे हैं। सीएसएस की योजना में पैसे बाकी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता है। 25 मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, मंत्रियों को बना रखा है और फिर इसके बाद भी अगर कोई पैरवी नहीं करे तो फिर आप बताइये कि कैसे काम चलेगा, यह मैं पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब कुछ जो माननीय सदस्यों के सुझाव मेरे पास आये हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने सरकार पर विश्वास किया है पक्ष-विपक्ष ने, पूरी जनता विश्वास कर रही है खाली कटारिया जी को छोड़कर, तो आप बताइये कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कटारिया साहब को तो कन्वींस करूंगा। चाहे मैं आपसे मिलकर करूं, आप मेरे घर चाय पीने आइये या आप मुझे बुलाइये, मैं आ जाता हूं और हम बैठकर बात करेंगे। मैं अधिकारियों को लेकर आऊंगा और आपको कन्वींस करके रहूंगा कि आप हमारे वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष हैं। नेता, प्रतिपक्ष का मान-सम्मान करना हम सबका फर्ज है और यह गरिमा की बात होती है। व्यक्ति कोई भी हो, जो पद पर होता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका मान-सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो मैं केन्द्र सरकार से अपेक्षा करता हूं वह मैंने आपको ब्रीफ किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि कैसे इसको लागू करवायें।

अध्यक्ष महोदय, कुछ मांगें आयी हैं जिनकी मैं घोषणा करना चाहता हूं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1. बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कालेजों में एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से कैथलैब स्थापित की जायेंगी।

2. शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों और अल्प आय वर्ग के मोहल्लों में

(श्री अशोक गहलोत)

आमजन को अपने घर के नजदीक त्वरित एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुलभ कराने के उद्देश्य से हमने 100 जनता/मोहल्ला क्लिनिक पीपीपी मोड पर बनाने की शुरुआत की थी। अभी तक सिर्फ 13 मोहल्ला क्लिनिक ही स्थापित हो सके हैं। पीपीपी मोड अथवा भामाशाहों के सहयोग से मोहल्ला क्लिनिक बनने की धीमी रफ्तार के चलते, अब हम स्वीकार कर रहे हैं कि धीमी रफ्तार है, बताइये आप, अब हमने सरकारी धनराशि से इन्हें शुरू करने का निर्णय लेते हुए 135 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस कड़ी में आगामी वर्ष, 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। मैं माननीय विधायकगण से निवेदन करूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना होने वाले 90 लाख रुपये के एकबारीय खर्च में से 50 प्रतिशत राशि विधायक कोष से उपलब्ध करवाने पर उनके द्वारा चयनित स्थान पर प्राथमिकता से मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया जायेगा।

3. कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने-कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग (SFC) की राशि से कोविड हैल्थ असिस्टेंट्स एण्ड कोविड हैल्थ कंसल्टेंट्स लगाये गये थे। आगामी वर्ष से इस कार्य हेतु एसएफसी से राशि नहीं ली जायेगी तथा इन कोविड कर्मियों के द्वारा किये गये कार्य को देखते हुए मेडिकल हैल्थ वालेंटियर फोर्स का गठन करना मैं प्रस्तावित करता हूं।

4. प्रदेश में नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज/जिला चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञों को केरेटोप्लास्टी का प्रशिक्षण दिये जाने के साथ-साथ आगामी वर्ष में 5 लाख कोर्निया कलेक्शन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

5. प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से-

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सदस्यों के इसमें सुझाव थे उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, लिस्ट बहुत लम्बी है इसलिए मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

6. हाल ही में रूस एवं यूक्रेन के मध्य चल रही समस्या के कारण प्रदेश के कई छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान आना पड़ा। भविष्य में प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई प्रदेश में ही करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने, वर्तमान मेडिकल कालेजों के विस्तार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए नयी नीति लाया जाना प्रस्तावित करता हूं।

7. प्रदेश में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारे द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सतत रूप से चलाने के दृष्टिगत डायरेक्ट्रेट आफ फूड सेफ्टी स्थापित किया गया है। इसी प्रकार आमजन को उचित रूप से दवाइयां प्राप्त हो सकें, यह और अधिक संवेदनशील बिन्दु है। अत: हम इसे भी सतत रूप से चलने वाले अभियान में जोड़ेंगे। इस कारण अब मैं, फूड सेफ्टी निदेशालय एवं ड्रग कंट्रोल संगठन का आमेलन करते हुए और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त करते हुए फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट स्थापित करने की घोषणा करता हूं।

8. प्राकृतिक योग एवं आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की सोसायटी के तत्वावधान में पायलट बेसिस पर नाथद्वारा (राजसमन्द) में मेडिटूरिज्म वेलनैस सेंटर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

9. मेरे पिछले कार्यकाल के वर्ष 2010 में पीबीएम अस्पताल, बीकानेर में भामाशाह के सहयोग से हल्दीराम मूलचन्द कार्डियो वेस्क्यूलर साइंसेज सेंटर बनाया गया था। अब मैं इसको जन-सहयोग के माध्यम से कार्डियो वेस्क्यूलर सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा करता हूं।

10. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में 6 स्नातक (यूजी) विभागों को स्नातकोत्तर (पीजी) विभागों में क्रमोन्नत करते हुए 50 बैड क्षमता की वृद्धि की जायेगी।

शिक्षा

11. मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय स्कूल शिक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विद्यालयों के क्रमोन्नयन सम्बन्धी घोषणाएं की गयी थीं। इस क्रम में माननीय सदस्यगण से विद्यालयों में नये विषय खोलने तथा प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सीनियर सैकण्डरी क्रमोन्नयन करने के प्रस्ताव अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में इस सम्बन्ध में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

(श्री अशोक गहलोत)

आगामी वर्ष 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं। साथ ही 500 राजकीय विद्यालयों में नये विषय/संकाय प्रारम्भ करना भी प्रस्तावित करता हूं।

12. राइट टू एजुकेशन एक्ट के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक पढ़ाई निरन्तर जारी रहे, इसके लिये इन्दिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्भरण किये जाने की घोषणा करता हूं। इससे प्रतिवर्ष 18 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होंगी। इस हेतु 18 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान किया जायेगा।

13. ऐसी किशोरियां और महिलाएं, जो पारिवारिक या अन्य कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती हैं, उन्हें डिस्टेन्स एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिये 'बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना' लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज आदि हेतु देय शुल्क का पुनर्भरण किया जायेगा। इस पर 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

14. प्रदेश के 254 विद्यालय, जिनमें व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) के पद स्वीकृत हैं, उनमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारम्भ किया जायेगा।

15. आज के परिदृश्य में डिजीटल लर्निंग का महत्व बढ़ गया है। अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, इस दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिये ई-लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

16. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु मैं विभिन्न महाविद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं, क्योंकि बहुत लम्बी लिस्ट हो जायेगी पढ़ने के लिये:-

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

20. आज के परिवेश को देखते हुए बालिकाओं का मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त होना अतिआवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकारी स्कूलों में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस व जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया

(श्री अशोक गहलोत)

जा रहा है। इस वर्ष लगभग 30 हजार बालिकाओं को ट्रेनिंग दी गयी है। आगामी वर्ष रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।

21. वर्ष 2021-22 के बजट में महात्मा गांधी के सिद्धान्त, आदर्श और दर्शन की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए 'शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय' को स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी। इस निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आदि पर 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

22. साथ ही, प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से:-

I. खादी क्षेत्र के कामगारों यथा-कतिनों, बुनकरों एवं कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाये जाने के उद्देश्य से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी। इसके अन्तर्गत लगभग 20 हजार खादी कामगार लाभान्वित होंगे। इस हेतु आगामी वर्ष 18 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर सम्भाग में कतिन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिये ट्रेनिंग सेन्टर शुरू किये जायेंगे।

युवा, खेल एवं रोजगार

23. प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला को-आपरेटिव बैंक-राजस्थान महिला निधि की स्थापना राजीविका के माध्यम से करने की घोषणा करता हूं। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। प्रारम्भिक रूप से, इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को गति देने की दृष्टि से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह का समस्त कार्य राजीविका के माध्यम से ही कराया जाना प्रस्तावित है।

24. आदिवासी बहुल एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास के क्रम में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु RIPS-2022 के अन्तर्गत विशेष पैकेज का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

25. प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिये गत बजट में मेरे द्वारा ग्रामीण ओलम्पिक्स कराने की घोषणा की गयी थी। कोरोना के कारण इस वर्ष ये खेल नहीं हो पाये। अब आगामी वर्ष में ग्रामीण ओलम्पिक्स का आयोजन करने के साथ-साथ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराया जाना भी प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

26. साथ ही, ग्रामीण ओलम्पिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कांट्रेक्चुअल कैडर के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने की घोषणा करता हूं।

27. खेलों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओलम्पिक, एशियन व राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों/पैरा खिलाड़ियों/कोच के लिये आगामी वर्ष से स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू करना प्रस्तावित करता हूं। इसके अन्तर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20 हजार रुपये की पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी।

28. राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने एवं शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से:-

I. माउंट आबू-सिरोही में साहसिक एडवेंचर खेलों के लिये 10 करोड़ रुपये की लागत से एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एवं माउण्टेनियरिंग सेंटर स्थापित किया जायेगा।

II. प्रत्येक जिला स्टेडियम में ओपन जिम स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, सवाई मानसिंह स्टेडियम-जयपुर व बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम-जोधपुर सहित सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर स्टेट आफ दी आर्ट जिम एण्ड फिटनेस सेन्टर्स स्थापित किये जायेंगे। इस पर लगभग 35 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

III. उमरैण-अलवर में खेल स्टेडियम का निर्माण करावाया जायेगा। साथ ही, कुचामन, नागौर व बून्दी के खेल स्टेडियम में विकास कार्य करवाये जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा

29. मेरे द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान के लिये डिनोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी)

(श्री अशोक गहलोत)

पालिसी लाये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में गाडोलिया, बन्जारा, कालबेलिया, भोपा नायक, गाड़िया लुहार, पारदी, भेड़कुट, रैबारी, मोगिया, सिकलीगर, सीगडीवाल, रंगास्वामी (शनि महाराज के भक्त), नाथ, भाण्ड, राणा, बाजीगर, गुजराती, बागरिया, सांसी, कंजर, जंगलिया इत्यादि समुदाय के उत्थान एवं पुनर्वास हेतु इन्हें नवजीवन योजना में सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है एवं इनकी बस्तियों में शिक्षा के प्रसार में विशेष कार्य किया जायेगा।

30. भवन निर्माण की लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए गाडिया लोहारों के लिये संचालित महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को 70 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में 5 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

31. राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी व ईबीसी के कालेज छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू की थी। अब इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया जायेगा।

32. ऐसे विशेष योग्यजन, जिन्हें अपने दैनिक कार्य के लिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त एक हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा करता हूं।

33. प्रदेश में ऐसे एनएफएसए परिवार, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा नि:शक्त हैं, जिसके कारण से स्वयं राशन लेकर आने-जाने में असमर्थ हैं, उन्हें बिना किसी बाधा के राशन की नि:शुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिये योजना लागू की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। साथ ही, प्रदेश के कोने-कोने में एनएफएसए परिवारों को घर के निकट ही राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से आगामी वर्ष 5 हजार नयी राशन की दुकानें खोलने की घोषणा करता हूं।

34. राजकीय विद्यालयों में मिड-डे-मील के पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष से सप्ताह में दो दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(श्री अशोक गहलोत)

35. राज्य में बिजली की सुविधा से वंचित 43 हजार 60 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण विद्युतीकरण किये जाने की घोषणा करता हूं। इसके लिये 21 करोड़ 53 लाख रुपये का एकमुश्त तथा मासिक विद्युत व्यय हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

36. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये की लागत से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराइजेशन, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

37. वाल्डलाइफ सर्विलांस परियोजना के अन्तर्गत वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु झालाना, सरिस्का, रणथम्भौर, मुकुन्दरा में व्यवस्था की गयी है। इस सुरक्षा का विस्तार करते हुए संरक्षित क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जायेगा। इस पर 30 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

38. सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क एवं पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

39. प्रदेश में सीवरेज एवं कचरे की समस्या के समुचित निस्तारण के लिये:-

I. कोटपूतली-जयपुर, नोखा–बीकानेर, केशोरायपाटन-बून्दी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा-बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमन्द एवं भरतपुर में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज व अन्य कार्य कराये जायेंगे।

(समय: 18.00 बजे)

II. रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, पीपाड़ सिटी (बिलाड़ा)-जोधपुर में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य कराये जायेंगे। साथ ही श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य की डीपीआर बनायी जायेगी।

III. सपोटरा में पानी भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नाली का निर्माण व अन्य कार्य कराये जायेंगे।

IV. शहरों में गीले कचरे (Liquid Waste) को process कर बायोगैस/मीथेन का उत्पादन किया जायेगा। इस पर 125 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

V. समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर solid एवं liquid waste management सम्बन्धी कार्य कराये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

आधारभूत संरचना:

40. 17 जून, 1999 के बाद शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर आवास बना कर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजनों को राहत प्रदान किये जाने की दृष्टि से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उप धारा 8 में संशोधन कर मंत्रिमण्डल ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार कच्ची बस्ती के आवासियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से-

I. सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कटआफ डेट 15.08.2009 से बढ़ा कर 31.12.2021 किये जाने की घोषणा करता हूं।

II. पट्टे अहस्तान्तरणीय होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में यह प्रावधान किया गया था कि पट्टा जारी होने के 10 वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तान्तरणीय हो सकेगा। इस 10 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष किये जाने की घोषणा करता हूं।

III. 110 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर, जो भी कम हो, की 10 प्रतिशत की दर पर उक्त अतिरिक्त भाग का पट्टा दिये जाने की घोषणा करता हूं।

साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को इन राहतों का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से वर्तमान में चले रहे 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2023 तक किया जाना भी प्रस्तावित है।

41. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1 हजार 260 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं अन्य आधारभूत कार्य करवाये जाना प्रस्तावित हैं। इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कार्य हैं

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

42. जयपुर में इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर से बस्सी तक की सड़क का पचास करोड़ रुपये की लागत से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व उदयपुर में पुलां चौराहे से फतेहपुर चौराहे होते हुए सुखाड़िया सर्किल तक एलीवेटेड रोड का 120 करोड़ की लागत से यूआईटी द्वारा निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, बीकानेर शहर के कोट गेट एवं सांखला गेट फाटक की समस्या के समाधान हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

43. राजगढ़, अलवर में LC-142 पर आरयूबी के स्थान पर आरओबी व श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में नारसीसर से कुचौर रास्ते में आरयूबी का निर्माण करावाया जायेगा। साथ ही, चूरू में सिद्धमुख-चागड़ा व भौजान-हमीरवास में आरयूबी निर्माण हेतु डीपीआर बनायी जायेगी। इसके अतिरिक्त, काठूवास (नीमराणा)-अलवर में फुट ओवरब्रिज व बयाना-भरतपुर में अण्डर पास का निर्माण करावाया जायेगा।

44. गांधीनगर-जयपुर स्थित ओल्ड ट्रांजिट हॉस्टल कैम्पस के पुराने 40 क्वार्टर्स को dismantal कर प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों का निर्माण किया जायेगा। इस पर 44 करोड़ 25 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

45. सालमसागर तालाब (पोकरण)-जैसलमेर के सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, अजमेर में आनासागर स्कैप चैनल की पुलिया का निर्माण करवाया जायेगा।

46. अन्ता-बारां में बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण में खाड़ी का चौड़ाईकरण, सौन्दर्यीकरण मय पुलिया, प्रोटेक्शन वाल सहित कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, बारां-अटरू शहर में भी बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

पेयजल एवं भूजल:

47. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विधायकगणों, प्रदेश के सरपंच साथियों के साथ-साथ ग्रामीण अंचल के आमजन ने समय-समय पर जनता जल योजना से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत कराया है। पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पेयजल Schemes चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के साथ ही Technical Manpower के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी समस्या आती है। अत: जनता जल योजना के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के सुचारु संचालन की दृष्टि से इन योजनाओं को PHED विभाग को दिये जाने की घोषणा करता हूं।

48. जयपुर शहर में चारदीवारी, अन्य क्षेत्रों में जर्जर पाइपलाइन तथा उपभोक्ता जल कनेक्शन बदलने व संवर्द्धन कार्यों हेतु लगभग 283 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, जयपुर के हवामहल के नजदीक स्थित नालों को ढंकने के कार्य हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

49. हमेरा बांध-चित्तौड़गढ़ से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 16 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

50. बगड़ी (सोजत)-पाली में कनिष्ठ अभियन्ता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय तथा मालाखेड़ा-अलवर, आंधी (जमवारामगढ़)-जयपुर, गंगरार-चित्तौड़गढ़ व लोसल (धोद)-सीकर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जायेंगे।

ऊर्जा:

51. हमारे द्वारा पवन एवं सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए लायी गई नीतियों की सर्वत्र सराहना हुई है तथा इस कारण प्रदेश Renewl Energy के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। Renewal Energy के माध्यम से प्रदेश के विकास को अधिक गति मिल सके, इस दृष्टि से इन नीतियों के अन्तर्गत भविष्य में निवेशकों द्वारा Power उत्पादन का एक हिस्सा प्रदेश को ही मिले, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

52. ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न जीएसएस और विद्युत इकाइयों की सूची पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:

53. पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों जैसे- मीरा स्मारक (राव दूदागढ़), मेड़ता-नागौर, मूसी महारानी की छतरी व नीलकंठ-अलवर, अजीत विवेक म्यूजियम, खेतड़ी-झुंझुनूं, राजकीय संग्रहालय-भरतपुर, मोलेला (खमनोर)-राजसमन्द आदि को विकसित किया जायेगा। इस पर 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

54. जोगेश्वर धाम (नावां)-नागौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही, गोठ मांगलोद (जायल)-नागौर व सुईया धाम (चौहटन)-बाड़मेर में पर्यटन विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, जोधपुरिया (निवाई)-टोंक में श्रीदेवनारायण पेनोरमा बनाया जायेगा।

55. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मन्दिरों, मस्जिदों, दरगाह, गुरुद्वारे, चर्च तथा अन्य धर्मों के स्थलों का सर्वे कराकर चयन करते हुए आधारभूत संरचना के कार्य करवाये जायेंगे। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जयपुर के आराध्य श्री गोविन्द देव जी मन्दिर के पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। साथ

(श्री अशोक गहलोत)

ही, जयपुर के गलता गेट के समीप स्थित ईदगाह क्षेत्र के मार्गों का जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। इन समस्त कार्यों के लिए तीस करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

56. हमारे द्वारा वर्ष 2013 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गयी थी। वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के अन्तर्गत दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराये जाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु कोविड-19 के प्रतिबन्धों के चलते पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले पाये। आगामी वर्ष में इस प्रकार तीर्थ योजना से बढ़ी हुई संख्या वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना में तीस करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है।

57. कोविड-19 महामारी से प्रभावित राज्य के पर्यटन उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से कोविड-19 की दूसरी लहर में जिस अवधि में पर्यटन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित थीं, उसी अवधि में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान को देय किराया/ मासिक लाइसेंस फीस में पूर्ण छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, उक्त प्रतिबन्ध समाप्त होने की दिनांक से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि में पर्यटकों की आवक में कमी के आधार पर देय किराया/मासिक लाइसेंस फीस में आनुपातिक छूट दिया जाना भी प्रस्तावित है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र:

58. प्रदेश में बोरवट-बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, नगर-भरतपुर, बस्सी-चितौड़गढ़, बहरावण्डा (सिकराय)-दौसा, बरावण्डा खुर्द (खण्डार)-सवाईमाधोपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे।

59. रोतहड़िया (महवा)-दौसा में कृषि उपज मण्डी विकसित की जायेगी।

60. ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायतों पर 'पंचायत मिनी सचिवालय' स्थापित करना प्रस्तावित करता हूं जिससे सम्बन्धित विभागों- राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी। प्रथमत: ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में लिये जायेंगे जहां माननीय सदस्यगण अपने MLA LAD Fund से बीस लाख रुपये स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष पचास परसेंट राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

61. साथ ही, पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से Contractual Service Rules के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु पचास हजार पद सृजित करते हुए पंचायत Cadre का गठन भी किये जाने की घोषणा करता हूं।

62. गैर अधिसूचित (Non Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मण्डी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.50 प्रतिशत यूजर चार्जेज लगाया गया था। मुझे इस यूजर चार्जेज की राशि को कम करने के संबंध में विभिन्न मंडियों के व्यापारियों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। अत: इस यूजर चार्जेज को 0.50 से घटाकर 0.25 किया जाना प्रस्तावित है।

63. राज्य में काश्तकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थायी लगान (भू-राजस्व) को (खरीफ संवत् 2075) वित्तीय वर्ष 2018-19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व का भी बकाया स्थायी लगान समाप्त किये जाने की घोषणा करता हूं।

64. नयावास ढाणी ग्राम बिठोली के पास (बामनवास)- सवाईमाधोपुर व अनास नदी पर गराड़िया (गांगडतलाई)-बांसवाड़ा में एनिकट निर्माण कराये जायेंगे। साथ ही किशनगंज-बारां में हथवारी-खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिंडालिया एनिकट की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त तामड़िया (चाकसू), अजमेरीपुरा (कोटखावदा)-जयपुर व रिस्का की नाल (चौरासी)-डूंगरपुर के एनिकट निर्माण की डीपीआर बनाई जायेगी।

65. डोराई बांध-चित्तौड़गढ़ की नहरों/माइनर एवं एलएमसी/स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जायेगा। साथ ही माछली बांध (नैनवां)-बूंदी की ऊंचाई बढ़ायी जानी प्रस्तावित है।

66. राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिये 'गोचर भूमि विकास बोर्ड' का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

67. प्रदेश में उत्तम नस्ल के गोवंश की वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से आगामी दो वर्षों में अनुदानित दर पर sex sorted semen का उपयोग करते हुए 40 लाख artificial insemination कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

68. 23 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत बजट में मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को देय अनुदान राशि 5 रुपये प्रति लीटर किये जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया, किन्तु मेरी जानकारी में आया

(श्री अशोक गहलोत)

है कि कुछ डेयरी संघों ने दूध की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अत: इस बाबत आरसीडीएफ को पाबंद किया जायेगा कि मिल्क यूनियन को निर्देशित कर दूध की दरें नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें तथा जहां पर बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं, वहां पर इस बढ़ोतरी को विथड्रा किया जाय।

69. बारां में जिला दुग्ध संघ बनाये जाने के साथ ही मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी की जायेगी।

70. प्रदेश की दुधारू देशी नस्लों के गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटरिनरी कालेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलाजी, (ETT) प्रयोगशालाएं स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालयों सहित जोजावर (मारवाड़ जंक्शन) पाली के पशु चिकित्सालयों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

71. मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन खारे पानी में झींगा उत्पादन एवं निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जायेगा। चूरू में जो किला ढह गया है और जो ढह रहा है, उसके लिये 5 करोड़ रुपये दिये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

72. वर्तमान में पशु-पक्षियों के बर्ड फ्लू आदि रोगों के डाइग्नोसिस व कन्फर्मेशन हेतु भोपाल (मध्यप्रदेश) स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में सेंपल भेजे जाते हैं। प्रदेश में भी इस प्रकार की लैब की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लैब-3 (BSL-3) की स्थापना की जायेगी।

73. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिये मैं विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन की पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

74. प्रदेश में कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु-

(1) मेरे द्वारा 3 मार्च, 2022 को प्रदेश के नगरपालिका मुख्यालयों पर स्थित शेष रहे 42 एसआई स्तर के पुलिस थानों को सीआई स्तर के थानों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं प्रदेश में समस्त

(श्री अशोक गहलोत)

पुलिस थानों को सीआई स्तर के बनाने की दृष्टि से शेष रहे उप निरीक्षक (SI) स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक (CI) स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं।

(2) गत बजट में मैंने प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु सहायक उप निरीक्षक के पदों को कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10 हजार किये जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से 2,000 और सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद और बढ़ाये जाना प्रस्तावित करता हूं।

(3) पुलिस थानों में महिलाओं की उपस्थिति और अधिक बढ़ाने के दृष्टिगत महिला एएसआई का कैडर गठित कर इनमें से 1,000 पद महिला एएसआई के लिये निर्धारित किये जाने की घोषणा करता हूं।

(4) मेरे द्वारा 23 फरवरी, 2022 का बजट प्रस्तुत करते समय 10 हजार होम गार्ड्स को राजकीय कार्यालयों में लोजिस्टिकल कार्यों हेतु लिये जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में लगभग 2,000 अतिरिक्त होम गार्ड जवानों को कानून, यातायात व्यवस्था एवं अन्य कार्यों के लिये तैनात किया जायेगा।

(5) सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु विशेषकर महिलाओं के लिये राज्य में संचालित यात्री वाहनों (बस, टैक्सी) व एंबुलेंस में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कट्रोल सेंटर स्थापित किया जायेगा।

75. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न पुलिस थानों एवं चौकियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-06 देखें)

76. प्रदेश की लगभग 25 सेंट्रल/डिस्ट्रिक्ट जेल घनी आबादी के मध्य स्थित हैं, जिससे जहां एक ओर ऐसी जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, वहीं दूसरी ओर स्थान की कमी के कारण बंदियों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसी जेलों को घनी आबादी से पृथक खुली जगहों पर स्थानांतरित करने के लिये सभी 25 जेलों के लिये डीपीआर बनायी जानी प्रस्तावित है। साथ ही इन जगहों का वैकल्पिक उपयोग भी डीपीआर के माध्यम से तय किया जा सकेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

77. आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिये-

(1) भरतपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोला जायेगा।

(2) सीमलवाड़ा-डूंगरपुर व जायल-नागौर में अपर जिला एवं सैशन कार्यालय के कैम्प कोर्ट खोले जायेंगे।

(3) अपर जिला एवं सैशन न्यायालय कोर्ट कैम्प कुशलगढ़-बांसवाड़ा को स्थायी किया जायेगा।

(4) आहोर-जालौर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जायेगा।

सुशासन

78. हमारे द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाएं आमजन को प्रदेश के कोने-कोने में मिल सके, इसके लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं। विशेषकर प्रदेश के दूरस्थ हिस्से में भी चिकित्सा एवं शिक्षा की समुचित सुविधा प्राप्त हो सके, यह आम आदमी का हक है, ऐसा मेरा मानना है। इस दृष्टि से आगामी वर्ष सभी लगभग 3,500 चिकित्सा संस्थानों, लगभग 70 हजार राजकीय विद्यालयों में रिपेयर एवं मेंटीनेंस सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही समस्त चिकित्सा संस्थानों में सुलभ संस्था के माध्यम से शौचालय का रखरखाव किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों को करने के लिये 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

79. ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें, उनके लिये मैं 'मुख्य मंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना के अंतर्गत यदि ऐसा चिह्नित परिवार टोल फ्री सीएम हैल्प लाइन 181 पर फोन मात्र कर देगा, तो हमारा सेवा प्रेरक (service facilitator) घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत कराये जाना सुनिश्चित कर सकेगा।

80. साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं से कोई परिवार वंचित न रहे, इस हेतु योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। इसमें ग्रामवासियों एवं लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड़ नाटक, सामग्री वितरण एवं प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

81. आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी समुचित सामाजिक सुरक्षा मिल सके इस दृष्टि से मेरे द्वारा पत्रकारों हेतु पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में अब मैं आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिये प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं।

82. विभिन्न विभागों में भामाशाह/ट्रस्ट/सोसाइटी/एनजीओ द्वारा सहभागिता से करवाये जाने वाले जनोपयोगी कार्यों, जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50 प्रतिशत अथवा अधिक है, के क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु आरटीपीपी नियम 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

83. वर्तमान समय में विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा भूमि पर कब्जा, Real Estate, बैंक बीमा, जमापूंजी धोखाधड़ी, झूठे दिवालियेपन, मनी लांड्रिंग, फर्जी कम्पनियों के गठन आदि के कारण आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। कुछ समय से Cooperative Credit Societies scams जैसी घटनाएं बढ़ी हैं और आम आदमी को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वे इनकी ठगी का शिकार न बनें। जन सामान्य को त्वरित कार्यवाही के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इस हेतु मैं वित्त विभाग के अधीन Directorate of Economic Offences बनाये जाने की घोषणा करता हूं।

84. जयपुर शहर में ग्रह निर्माण समितियों द्वारा अनधिकृत पट्टे दिये जाने की गम्भीर समस्या बनी हुई है। इससे जहां एक ओर शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आमजन के धोखाधड़ी के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के सामाधान के लिये Rajasthan Societies Registration Act, 2001 में यथोचित संशोधन करते हुए प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

85. प्रदेश की नव सृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर आम जन की सुविधा के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये CBEO, CDPO व BCMHO कार्यालय खोले जायेंगे।

86. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-07 देखें)

(श्री अशोक गहलोत)

87. राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी समस्या दूर करने के लिये-

(i) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा Annual Performance Appraisal Report (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किये जाने की दिशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जायेगी।

(ii) आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की जा सकेगी।

(iii) विभागीय स्तर पर ही DPC की व्यवस्था भविष्य में सुनिश्चित की जायेगी।

88. Placement Agency (ठेका प्रथा) के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कार्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य संविदाकर्मियों के अनुरूप 10/20/30 Bonus Marks दिये जाने का प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूं।

89. हमारी सरकार वृद्धजन, राजकीय पेंशनर्स एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में RGHS के अन्तर्गत कैशलेस नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में spouse एवं विकलांग पुत्र/पुत्री ही सम्मिलित थे। मैं पेंशनर की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित (Dependent) सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इस पर सालाना लगभग 157 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

90. प्रदेश के विभिन्न बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं जैसे RSMM, RTDC, तिलम संघ, विद्युत कम्पनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा मेरे समक्ष पेंशन न मिलने अथवा पेंशन के विकल्प सम्बन्धी समस्या लायी गयी है। ऐसी राजकीय संस्थाओं में पेंशन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

91. राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक यदि पूर्णत: निशक्त/अयोग्य (Disabled) होने एवं साथ ही, उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिये जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

92. प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों को वेतन भत्तों के चुकारे हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्त वर्ष में निकाय की निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एकबारीय अनुदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

93. आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 लाख रुपये, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 1 लाख रुपये, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75 हजार रुपये, सेना मेडल धारक को 50 हजार रुपये तथा मेंशन इन-डिस्पेच धारकों को 25 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

94. अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 फरवरी, 2022 को वर्ष 2022-23 का बजट माननीय सदन में प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी, 2004 और उसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी (1 अप्रैल, 2022) से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आम जन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों की NPS (National Pension Scheme) सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु OPS लागू करने के औचित्य, मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष यह आपके लिये है, क्योंकि उस समय मेरे से शंकाएं प्रकट की थीं कि इनके पैसे का क्या होगा, इनकी कटौती होगी कि नहीं होगी? क्या वापस मिलेंगे? जमा हो गये उनका क्या होगा? आपने बहुत शंकाएं प्रकट की थीं। आज मैं चाहता हूं और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए मैं सदन को और सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है?

(i) जैसा कि विदित है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसम्बर, 2003 में NDA की केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर 01 जनवरी, 2004 से NPS लागू की गयी थी।

(ii) इस प्रकार लागू की गयी नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर insecurity का भाव पैदा हो गया।

(iii) वर्तमान में NPS के अन्तर्गत 5 लाख 22 हजार 962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2 हजार 146 कार्मिक NPS से Exit हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाममात्र की पेंशन राशि मिल रही है।

(श्री अशोक गहलोत)

(iv) NPS के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केन्द्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एक बात तो यह है कि मानवाधिकार तो खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस दिखाओ।

(v) साथ ही, सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अन्तर्गत कर्मचारियों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की गारन्टी को लेकर सवाल उठाये गये हैं, इनके बिन्दु प्रमुख हैं। यह सीएजी ने कहा है, जिसके लिये हमारे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट रहे जो दिल्ली में सीएजी बन गये थे, उन्होंने इसके खिलाफ में एक आर्टिकल लिखा था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है, वह खुद भी, जो कि मैं आगे पढ़ रहा हूं। इनकी रिकमंडेशन थी, एज-ए-सीएजी, रिटायर होने के पहले। वे आर्टिकल लिख रहे हैं कि यह लागू नहीं होनी चाहिये, यह मेरी समझ के परे है। पता नहीं किन के दबाव में उन्होंने यह आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे है। हो सकता है कि दिल्ली से केन्द्र सरकार का दबाव पड़ा हो कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामला कुछ बैलेंस हो, मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, मोदी जी को भी और सब राज्य को भी। रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें बताकर अपनी बात खतम करूंगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें नम्बर एक मानवाधिकार आयोग क्या कह रहा है? सीएजी क्या कह रहा है, आप सुनिये।

(a) NPS के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आप बताइये।

(b) इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकिक मूल्यांकन (Actuarial Evaluation) किया गया है तथा न ही फंड की व्यावहारिकता (Viability) के आकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तन्त्र अपनाया गया है।

(c) इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100 प्रतिशत कवर किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

नंबर 5 में यह भी है कि जल, थल, वायु सेना के कार्मिकों के लिये नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गयी। क्यों? और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं, उनको जो है, जल, थल, वायु सेना वालों को तो पुरानी पेंशन और बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. इत्यादि के कार्मिक, वे भी ये ही काम करते हैं, उन्हें भी एन.पी.एस. के तहत कवर किया। उनके लिए ओल्ड पेंशन लागू नहीं रखी।

केन्द्र व राज्य सरकारों के कर्मचारी जो पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का। ऐसी स्थिति में दो अलग-अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना, न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिन्दु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (सैकण्ड नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन) ने भी 6 फरवरी, 2020 को दी गयी अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिये, तमाम जजेज के लिये, सभी के लिये ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। ज्यूडिशियरी कमीशन और सी.ए.जी., जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जन सेवा को समर्पित करता है, उसके लिये सरकार का दायित्व है कि उसका रिटायरमेंट होने पर उसके लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले।

यहां यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक को अपने सेवाकाल में अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवाकाल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा तथा एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि ओ.पी.एस. का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोयेंगे उस वक्त में 2038 में पता नहीं, रोयेंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा। इसका मतलब आप सब ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ हो, आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ हो आप लोग। खुलकर कहो कि खिलाफ हैं हम लोग। खुलकर नहीं बोलते हैं आप लोग। खुलकर बोल नहीं रहे हैं। टैक्स का पैसा जायेगा, उस वक्त में किसको जायेगा? यह तो मैनेजमेंट है। बिना केन्द्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो हैं, उसके अलावा कोई कर्ज ले नहीं सकता है तो कैसे जायेगा?

(श्री अशोक गहलोत)

कैसे आयेगा? नंबर एक। नंबर दो, 70 साल तक वह रही है, 50 साल तक रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी, उस वक्त कोई पूछे कि देश यहां तक पहुंचा है, उसमें कर्मचारियों की भूमिका भी रही होगी। वो ही अधिकारी, वो ही कर्मचारी, उन्होंने गवर्नेंस की है देश के अन्दर, आज देश यहां तक पहुंचा है। आप ये क्यों मान लेते हैं कि उस वक्त में बहुत तकलीफ आयेगी? ये तो जितना गहराई में जायेंगे, मैं समझता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी, क्योंकि आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते-होते आप उछल जाते हैं, वह अलग बात है, आप भी कन्वींस होंगे कि वास्तव में यह फैसला ठीक किया। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

यह मानवीय दृष्टिकोण से किया है हमने, सोशियल सिक्योरिटी से किया है हम लोगों ने ये फैसला। इतना भयंकर वैलकम हो रहा है इसका, कोई सोच ही नहीं सकता। आंखों में आंसू आ रहे हैं लोगों के। उनके परिवारों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, कोई सोच ही नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी क्योंकि आपने इनसिक्योर कर दिया उन लोगों को कि पता नहीं उसका क्या होगा? पैसा कहां लगा रहे हैं, शेयर मार्केट के अन्दर। पता नहीं स्कीम किसने बनायी वाजपेयी जी के वक्त में, क्या सोचकर बनायी, मेरे समझ के परे है। म्यूचुअल फंड, आप बताइए, पता नहीं नीचे जायेगा, ऊपर जायेगा। उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी। उस वक्त में पेंशन होगी, ये पता नहीं है कि जो पुरानी पेंशन है, वह भी अभी 2050 तक लागू रहेगी। जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और जो 2004 में बने हैं, 1 जनवरी को, कितना फर्क है? जो आज नयी पेंशन वाले लोग हैं, पिछले महीने में नौकरी लग गयी उसकी, उसको ओल्ड पेंशन मिलेगी। वह रिटायर कब होगा? 2004 वाला होगा, उसके एक साल पहले होगा। कोई सोच ही नहीं रहा।

पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार पड़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहां यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी, उस समय भी देश में प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण किसी तरह के विकास, जन कल्याण के कार्यों में कटौती हमने प्रस्तावित नहीं की है।

मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गयी घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रैल, 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये

(श्री अशोक गहलोत)

इम्पोर्टेंट पाइंट है कटारिया साहब, ये आपके पाइंट का जवाब दे रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गयी घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रैल, 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इन भ्रांतियों को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं, 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10 प्रतिशत मासिक कटौती को 1 अप्रैल, 2022 को देय वेतन, मतलब एक अप्रैल आने वाली से समाप्त करने की घोषणा करता हूं। सुनियेगा, साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को, उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड (आर.जी.एच.एस. फंड) की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जी.पी.एफ. पर देय इंटरेस्ट रेट के साथ एकमुश्त लौटाया जाना प्रस्तावित करता हूं।

1 अप्रैल, 2022 से एन.पी.एस. के अन्तर्गत होने वाली कार्मिक की प्रतिमाह 10 प्रतिशत कटौती बन्द होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। मतलब एक तारीख से ही मिलने लग जायेगा। पता नहीं आप देखेंगे जो इसका फायदा है वो क्या मिलेगा? कोई कल्पना नहीं कर सकता उनकी, 25 हजार से लगाकर 60 हजार तक। मोदी जी ने जिस दिन कर दिया आल इंडिया सर्विसेज के लिये तो उनको अलग मिलेगा। अभी तक उन्होंने किया नहीं है। यह उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो अधिकारी, कर्मचारी हैं आल इंडिया सर्विसेज वाले, ये तीस साल बाद में रिटायर होंगे तो कैबिनेट सैक्रेट्री भी होंगे, फायनेंस सैक्रेट्री भी होंगे, उस वक्त में स्थिति यह बनेगी कि जो आज हमने किया है, वो काम फिर वह अपने हाथ से करेंगे बैक डेट के अन्दर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए, हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिये पूरे देश के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर मासिक 2 हजार 300 से लेकर 10 हजार रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2 हजार 300 से 10 हजार प्रतिमाह। हमारे सभी कार्मिकों को ओ.पी.एस. के अन्तर्गत लाने के निर्णय के पश्चात् मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसके लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस सम्बन्ध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ-साथ केन्द्रीय (सेंट्रल) एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को भी रिटायरमेंट पश्चात् आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय प्रधान मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी माननीय सदस्यों को, कैलाश मेघवाल जी के कालेज की बात, आपका तो इशारा ही बहुत होता है। आप देख नहीं रहे थे कि आप खड़े हो गये, आप खड़े हुए तो कम से कम तालियां किधर से बजी, इधर से बजी थी। जब मैं अन्दर घुस रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि तालियां इधर से क्यों बज रही हैं, इधर से क्यों नहीं बज रही हैं। समझ गये। साहब, बुजुर्ग हैं और इन्होंने 5 साल तक हाउस चलाया है। मेरी शिकायत है इनसे, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने भूमिका निभाई अपनी लायल्टी रखते हुए आप लोगों के साथ में, ये वह व्यक्तित्व हैं, परवाह नहीं की हम लोगों की। उस वक्त में भी मेरी शिकायत इनसे थी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातें कहीं।

अन्त में, वापस विश्वास दिलाता हूं कटारिया साहब को, तमाम हमारे साथियों को, जो पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आप निश्चित रहें, निश्चित रहें, निश्चित रहें। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, कमिटमेंट के साथ किया गया है, हम इसको लागू करके रहेंगे। लागू करके रहेंगे, लागू करके रहेंगे। धन्यवाद।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 का पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सालासर स्थित मुख्य द्वार की ध्वस्ती प्रकरण में राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग भी पुनरावृत्ति से बचे

माननीय सदस्य, आज सुबह चूरू के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था, सालासर मन्दिर के सम्बन्ध में। मैंने कुछ व्यवस्था दी थी। मुझे ध्यान में कुछ आप बात लाये। मैं आपकी भावना को समझते हुए राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कहूंगा कि भावना को समझते हुए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हों, यही बात मैं इसमें करेक्ट करना चाहता था। यह निवेदन करना चाहता हूं।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.41 बजे मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहाड़ा में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर कनेक्शन

349. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंचाने के लिए कितने कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा अब तक कितने कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत कितना बजट व्यय किया गया व कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए? कार्यों की धीमी गति के क्या कारण रहे तथा सरकार ने इसके लिए क्या कार्रवाई की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण होगा? क्या सरकार निश्चित समय पर कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सम्मिलित 262 आबाद राजस्व ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजना (262 ग्रामों हेतु आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं 198 ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली का कार्य) एवं अन्य जल योजनाओं (कुल सम्मिलित 64 ग्राम) अंतर्गत क्रमश: 34,000 एवं 8,581, इस प्रकार कुल 42,581 घर-घर क्रियाशील जल संबंध दिये जाने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध क्रमश: 1,600 एवं 3,825, इस प्रकार कुल 5,425 जल संबंध दिनांक 11.03.2022 तक जारी किये गये हैं।

उक्त वृहद् पेयजल परियोजना एवं अन्य जल योजनाओं के अंतर्गत ग्रामों हेतु निर्धारित एवं जारी किये गये जल संबंधों का ग्राम पंचायतवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजना एवं अन्य जल योजनाओं के संबंध में वांछित विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के 262 ग्रामों सहित तहसील सहाड़ा, रायपुर एवं सुवाणा के कुल 335 आबाद राजस्व ग्रामों को चम्बल-भीलवाड़ा

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के पैकेज संख्या-4 के अंतर्गत उक्त मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति करने हेतु, परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 02.07.2021 को आयोजित 25वीं बैठक द्वारा राशि रुपये 277.00 करोड़ तथा तकनीकी स्वीकृति दिनांक 21.01.2022 को राशि रुपये 232.67 करोड़ की जारी की गई।

उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही उक्तानुसार प्रक्रियाधीन होने के कारण, इस पर कोई भी राशि अब तक व्यय नहीं हुई है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के 64 ग्रामों हेतु राशि रुपये 3,614.39 लाख की 64 अन्य जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई। इन जल योजनाओं में प्रावधित 8,581 जल संबंधों के विरुद्ध अब तक 3,825 जल संबंध जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार इन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 45 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति अब तक कर ली गई है। इन जल योजनाओं के अंतर्गत रुपये 1,717.45 लाख की राशि का व्यय अब तक हुआ है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशानुसार उक्त जल योजनाओं के अंतर्गत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ली जाने वाली जन सहयोग की वांछित राशि की प्राप्ति में हो रही देरी के कारण इनके पूर्ण क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है।

(3) जी हां। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उक्तानुसार स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजना से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उक्तानुसार 198 ग्रामों को क्रियाशील घरेलू जल संबंधों द्वारा मार्च, 2024 तक लाभान्वित करना निर्धारित है।

उक्त मिशन के तहत स्वीकृत अन्य जल योजनाओं के अंतर्गत 11 ग्रामों को क्रियाशील घरेलू जल संबंधों द्वारा पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 53 ग्रामों को माह मई, 2022 तक जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाली में घोषित टी.एस.पी. क्षेत्र

355. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से अब तक ऐसे कितने क्षेत्र, भाग अथवा खण्ड हैं, जहां पर नये जनजाति क्षेत्र (टीएसपी) घोषित कर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बाली में भी भारत सरकार द्वारा कुछ क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि हां, तो राजस्व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये टीएसपी क्षेत्र के निवासियों को क्या राज्य सरकार के द्वारा किये जाने वाली सरकारी भर्तियों में यहां निवासरत सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति व टीएसपी के लोगों को आरक्षण का लाभ नियमानुसार दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक लागू कर करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य हेतु वर्ष 2011 की जनगणनानुसार दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली पाली में भी भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र बाली के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत व ग्रामवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाली के घोषित अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 अनुसार आरक्षण का लाभ देय है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

362. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रतापगढ़ में वर्तमान में भी कई पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं?

(2) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलवाकर उक्त पात्र परिवारों को उक्त योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में 1,81,638 (एक लाख इक्यासी हजार छह सौ अड़तीस) परिवारों के 6,38,984 (छह लाख अड़तीस हजार नौ सौ चौरासी) पात्र लाभार्थी जुड़े हुए हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019 22.04.2020 25.08.2020 20.07.2021 29.12.2021 16.02.2022 से अ.शा. पत्र लिखे गये हैं।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पीलीबंगा में लम्बित कृषि कनेक्शन

367. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विशेष, सामान्य व अनुसूचित श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में विगत तीन वर्षों में कितने आवेदन आये व उक्त अवधि में किस-किस श्रेणी के कितने आवेदनों के कृषि कनेक्शन हुए व कितने शेष हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित विद्युत कनेक्शनों को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विगत 3 वर्षों यथा माह अप्रैल, 2018 से फरवरी, 2022 तक में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु सामान्य योजना में सामान्य वर्ग श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी व बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी श्रेणी में प्राप्त आवेदनों, जारी कनेक्शनों का श्रेणीवार, उपखण्डवार व वर्षवार विवरण एवं माह फरवरी, 2022 के अंत तक लम्बित आवेदनों का उपखण्डवार, श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट ''अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सभी मांग पत्र जमा आवेदकों को सामान की उपलब्धता के अनुसार वरीयतावार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

साथ ही बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में सामान्य योजना के दिनांक 01.01.2013 से 22.02.2022 तक के सामान्य श्रेणी के 2,937 लम्बित कृषि आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी कर आगामी दो वर्षों में कृषि कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

चित्तौड़गढ़ में महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना

368. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय तथा भदेसर उपखण्ड में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 40 राजकीय सह-शिक्षा एवं 08 राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में 01 राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय एवं 01 निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालय क्रमशः प्रवेश क्षमता 160 एवं 180 के साथ संचालित है जिसमें सत्र 2021-22 में राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय में 100 तथा निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालय में 10 प्रवेश ही हुए हैं। इस प्रकार कुल प्रवेश क्षमता 340 में से 230 सीटें रिक्त रही हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की सत्र 2021-22 की Approval Process Hand Book के अनुसार यदि किसी जिले में पूर्व में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है तो नये राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अत: उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय तथा भदेसर उपखण्ड में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर में पैरा मेडिकल श्रेणी के स्वीकृत पद

368. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर के जिला चिकित्सालय सहित उक्त जिले के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में पैरामेडिकल श्रेणी के कितने पद सृजित हैं? स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर के जिला चिकित्सालय सहित सम्पूर्ण जिले के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में पैरामेडिकल श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रयोगशाला सहायक के 1,583 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के शेष पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनता क्लिनिक

369. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिले में जनता क्लीनिक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक जिलेवार खोली गई जनता क्लीनिक की सूची सदन की मेज पर रखें, नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जिलों में खोली गई सभी उक्त क्लीनिकों में आवश्यक स्टाफ व सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गयी हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों तथा कब तक पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जावेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अब तक 13 जनता क्लिनिक खोले गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य में 129 जनता क्लिनिक खोले जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

(2) प्रदेश में अब तक खोली गई जनता क्लिनिक मय उपलब्ध स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने पर विचार किया जायेगा।

जनता क्लिनिक के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

1. प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं एवं परामर्श (ओपीडी सुविधा)
2. एएनसी सेवाएं
3. टीकाकरण सेवाएं
4. परिवार कल्याण सेवाएं
5. एनसीडी स्क्रीनिंग सेवाएं
6. नि:शुल्क जांचें (प्राथमिक स्तर की जांचें)
7. नि:शुल्क दवा (प्राथमिक स्तर की दवायें)

एमएनडीवाई के तहत रोगियों को 325 तरह की नि:शुल्क दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है।

एमएनजेवाई के तहत रोगियों की 8 प्रकार की जांच नि:शुल्क की जा रही है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर के चिकित्सा केन्द्रों का क्रमोन्नयन

370. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की ग्राम पंचायत कौलारी, जाटौली, सरानी, मालौनीखुर्द के उपकेन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम कौलारी एवं मालौनीखुर्द पंचायत समिति सैपऊ जिला धौलपुर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति सैपऊ में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम जाटोली एवं सरानीखेड़ा पंचायत समिति धौलपुर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति धौलपुर में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

यूनानी चिकित्सकों को मानदेय

371. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्तमान में कितने यूनानी चिकित्सक कार्यरत हैं? उक्त का मानदेय कितना है? क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्तमान में 97 यूनानी चिकित्सक कार्यरत हैं। इन चिकित्सकों को रुपये 22,180 प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। भारत सरकार से पीआईपी में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार इनके मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक अभिवृद्धि की जाती है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव की योग्यता

372. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सरकार की अनुमति के बिना सीटों में वृद्धि कर सकता है?

(श्री पब्बाराम)

(2) वर्ष 2019-2022 तक उक्त विश्वविद्यालय द्वारा किन-किन नर्सिंग संस्थानों में बीएससी पीबीबीएससी व एमएससी में सीटों में वृद्धि की गई? क्या उक्त की सरकार से अनुमति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विश्वविद्यालय में डीन (नर्सिंग) व सहायक कुलसचिव पद के लिए क्या योग्यता है? वर्तमान में कार्यरत सहायक कुलसचिव को किस आदेश के तहत लगाया गया है? क्या ये योग्यता पूर्ण करते हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार की अनुमति/मान्यता के अनुसार ही सीटो में वृद्धि की जाती है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2019 से 2022 तक जिन नर्सिंग संस्थानों में बीएससी पीबीबीएससी व एमएससी सीटों में वृद्धि की गई, वे सभी राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति व माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में नियमानुसार की गई है। विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) विश्वविद्यालय में डीन (नर्सिंग) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के नियम 17 (2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्ति किये जायेंगे जो विहित की जायें (प्रति परिशिष्ट-2 संलग्न)।

इस विश्वविद्यालय के स्टेट्यूस एवं आर्डिनेन्स बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अधिनियम के बिन्दु 24(B)(1)(C) में वर्णित पात्रता के आधार पर डीन की नियुक्ति की जाती है जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

सहायक कुलसचिव पद के लिए योग्यता का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (भर्ती एवं पदोन्नति) नियम-2020 के बिन्दु सं. 06 के अनुसार 75 प्रतिशत पद अनुभागाधिकारी के पद पर 5 वर्ष के अनुभव वाले कार्मिक से पदोन्नति एवं 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में कार्यरत 4 में से तीन सहायक कुलसचिव के पद नियमानुसार पदोन्नति से भरे गये हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नदबई में संचालित किसान सेवा केन्द्र

373. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नदबई में विभाग के अंतर्गत कितने किसान सेवा केन्द्र संचालित हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई में कृषि विभाग के अन्तर्गत कुल 48 किसान सेवा केन्द्र संचालित हैं।

तहसीलवार संचालित किसान सेवा केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**जिला**	**विधान सभा क्षेत्र**	**तहसील का नाम**	**संचालित किसान सेवा केन्द्रों की संख्या**
1	भरतपुर	नदबई	नदबई	30
			भरतपुर	08
			उच्चैन	09
			रूपवास	01
			योग	**48**

किशनगंज में संचालित कृषि जैविक केन्द्र

374. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कृषि जैविक केन्द्र संचालित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में कृषि जैविक केन्द्र संचालित नहीं है। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में कृषि जैविक केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 2016-17 में जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र, झालरापाटन, झालावाड़ की

(कृषि मंत्री)

स्थापना की गई है। इस केन्द्र द्वारा जैविक खेती के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के माध्यम से राज्य में टिकाऊ कृषि का विकास कर उत्पादन में स्थायित्व प्रदान करना, विपणन प्रणाली के विस्तार, विभिन्न संस्थाओं से समन्वय एवं मांग अनुसार उत्पादन की क्षेत्रीय कार्ययोजना विकसित करना है। केन्द्र द्वारा कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, वन एवं औषधीय क्षेत्रों में जैविक खेती क्षेत्र विस्तार, कृषक प्रशिक्षण, जैविक उत्पादन बढ़ाने एवं लागत कम करने हेतु अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना है।

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के अधीन बारां जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र, अन्ता द्वारा जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण, प्रदर्शनों इत्यादि का आयोजन कर कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सिवाना में कृषि पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पद

375. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभाग के भवन कहां-कहां पर बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग के नये कृषि भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायतवार कृषि पर्यवेक्षकों के कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि विभाग के निर्मित भवनों की सूची परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि पर्यवेक्षक के 31 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 07 पद रिक्त हैं। वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षकों के पदस्थापन संबंधी सूचना परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(3) सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि विभाग के नये कृषि भवन बनाने का कार्य करवाया जायेगा।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायतवार कृषि पर्यवेक्षकों के पद सहित कार्यालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 74 की अनुपालना में केवल नवसृजित कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों का सृजन कर वहां पर किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जावेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नोहर में साहवा लिफ्ट नहर

376. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोहर में साहवा लिफ्ट नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु साहवा लिफ्ट स्प्रिंकलर योजना (SL-1) प्रारम्भ की गयी थी? यदि हां, तो उक्त योजना कब प्रारम्भ हुई व उक्त योजना को कब पूर्ण किया जाना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना अब तक पूर्ण नही हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना (SL-1) को पूर्ण कर लाभान्वित किसानों को सुपुर्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू हुई थी एवं इसका कार्यादेश दिनांक 07.03.2017 को दिया गया। यह योजना दिनांक 16.09.2018 तक पूर्ण करनी थी।

(2) जी हां। साहवा लिफ्ट स्प्रिंकलर परियोजना (SL-1) को पूर्ण करने हेतु मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022 में वित्तीय प्रावधान की घोषणा की गई है। अत: इस योजना को आगामी दो वर्षो में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना पूर्ण होने के उपरान्त लाभान्वित किसानों को सुपुर्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

धौलपुर में बामनी नदी पर एनीकट

377. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं पशुपालकों को सिंचाई के लिये मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है? क्या यह भी सही है कि बरसात के मौसम में नालों एवं छोटी नदियों का पानी व्यर्थ ही बह जाता है जिस कारण बाद में आमजन को पानी की बहुत किल्लत होती है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र हाजीपुर, कुम्हेरी, बहादुरपुर, सन्तनगर के पास बामनी नदी पर एनीकट बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। जिला धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों एवं पुशपालकों को सिंचाई के लिये पार्वती बांध, रामसागर बांध, उर्मिला सागर बांध, तालाबशाही बांध, हुसैनपुर बांध, उमरेह बांध से सिंचाई सुविधा के साथ-साथ मानसून पर भी निर्भर रहना पड़ता है।

यह सही है कि बारिश के मौसम में नालों एवं छोटी नदियों पर जहां एनीकट/जल संग्रहण संरचना नहीं बनी हुई है, वहां पानी व्यर्थ बह जाता है। हाजीपुर एवं कुम्हेरी पर एनीकट निर्माण उपादेय नहीं होने से विचाराधीन नहीं है। बहादुरपुर एनीकट की मरम्मत एवं आश्रम के पास सन्तनगर में बामनी नदी पर एनीकट निर्माण का कार्य आवश्यक स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

किशनपोल में डाली गई पानी की लाइनें

378. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के वार्ड नं. 55 से 75 में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक कहां-कहां पर पानी की लाइन डाली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर शहर के विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के वार्ड संख्या 55 से वार्ड संख्या 75 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत माह दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 की अवधि में, राशि रुपये 1,262.51 लाख की स्वीकृत 10

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

योजनाओं/कार्यों अंतर्गत विभिन्न व्यास एवं प्रकार की 31.25 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने एवं जोड़ने का प्रावधान सम्मिलित था।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध 7 योजना/कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष 3 योजनाएं/कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। उक्त पूर्ण एवं प्रगतिरत योजना/कार्यों के अंतर्गत 26.99 किलोमीटर पाइपलाइन अब तक बिछाई एवं जोड़ी जा चुकी है तथा इन योजनाओं/कार्यों अंतर्गत शेष रही पाइपलाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य प्रगतिरत है।

उक्तानुसार वर्णित वार्ड हेतु स्वीकृत जल योजनाओं/कार्यों अंतर्गत प्रावधित तथा बिछाई एवं जोड़ी गई पाइपलाइन संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगानेर में नलकूप

379. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विगत पांच वर्षों में अब तक कितने बोरिंग, हैंडपंप तथा नलकूप लगाये जा चुके हैं? स्थान व वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र वर्तमान में बोरिंग, हैंडपंप तथा नलकूप वर्तमान में कितने चालू तथा कितने किस-किस कारण से बंद हैं? वार्डवार बोरिंग व हैंडपंप तथा नलकूप का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त की जियो टेगिंग करवायी गई है? यदि हां, तो कब सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में 200 मिलीमीटर व्यास के 176 तथा 150 मिलीमीटर व्यास के 134, इस प्रकार कुल 310 थ्री-फेज नलकूपों का निर्माण एवं स्थापना कार्य पूर्ण कर चालू किये गये।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में स्थानवार निर्मित एवं स्थापित किये गये उक्त नलकूपों संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त 05 वर्षो की अवधि में विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में हैण्डपम्प निर्माण का कोई कार्य नहीं किया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु 200 मिलीमीटर व्यास के 424 तथा 150 मिलीमीटर व्यास के 86, इस प्रकार कुल 510 थ्री-फेज नलकूप वर्तमान में स्थापित हैं तथा इन समस्त क्रियाशील नलकूपों से संबंधित वार्ड में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। वार्डवार स्थापित एवं क्रियाशील नलकूपों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में 200 मिलीमीटर व्यास के 8 नलकूप सूखे/परित्यक्त होने के कारण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में उपयोग में नहीं आने के कारण बंद हैं। इन नलकूपों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थापित एवं क्रियाशील 173 हैण्डपम्पों का वार्डवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में 128 हैण्डपम्प सूखे/परित्यक्त होने के कारण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में उपयोग में नहीं आने के कारण बंद हैं। इन हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में 200 मिलीमीटर व्यास के 252 तथा 150 मिलीमीटर व्यास के 20, इस प्रकार कुल 272 थ्री-फेज नलकूप एवं 116 हैण्डपम्पों का जियो-टेगिंग का कार्य वर्ष 2019-20 में किया गया।

जियो-टेगिंग किये गये उक्त नलकूप एवं हैण्डपम्पों संबंधी वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-र एवं परिशिष्ट-ल पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मसूदा में रिक्त पद

380. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में विभाग में किस-किस पद पर कार्मिक पदस्थापित हैं व कब से? पदवार व स्थान विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने पद कब से रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के स्थित उपखण्ड कार्यालय, बिजयनगर एवं उपखण्ड कार्यालय, भिनाय में पदस्थापित कार्मिकों के संबंध में पदवार एवं कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में विभाग के स्थित उक्त उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के रिक्त पदों के संबंध में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

विभाग में कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को पदोन्नति एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा सतत प्रक्रिया के तहत भरा जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग में कनिष्ठ सहायक के 262 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को दिनांक 08.02.2022 को अर्थना भी प्रेषित की जा चुकी है।

तकनीकी संवर्ग के 6 प्रकार के पदनामों (पम्प ड्राइवर-द्वितीय, फिटर-द्वितीय, विद्युतकार-द्वितीय, मीटर रीडर, लाइनमैन एवं हैल्पर) के कुल 1,309 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 08.08.2013 (आन-लाइन) एवं दिनांक 13.08.2013 (प्रकाशन) को विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त विज्ञापित भर्ती की निरन्तरता में नई विज्ञप्ति जारी करने हेतु अर्थना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को दिनांक 12.07.2021 को भेजी जा चुकी है तथा अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्मिकों के उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर आरसीसी उच्च जलाशय के निर्माण में घटिया सामग्री

381. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर स्थित स्कीम नम्बर 02 जलदाय परिसर व अम्बेडकर नगर जलदाय परिसर में आरयूआईडीपी द्वारा 02 नग आरसीसीओएचएसआर का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों आरसीसीओएचएसआर में प्रयुक्त निर्माण सामग्री घटिया किस्म की काम में ली गई है? घटिया निर्माण

(श्री संजय शर्मा)

सामग्री काम में लेने की वजह से उक्त दोनों आरसीसीओएचएसआर निर्माण कार्य काफी समय से ही क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो उक्त कार्यकारी एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों आरसीसीओएचएसआर की गुणवत्ता की जांच एमएनआईटी, जयपुर की सिविल इंजीनियरिंग विंग से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर स्थित स्कीम नं. 2 स्थित विभागीय परिसर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा 01 आर.सी.सी. उच्च जलाशय का निर्माण कार्य वर्ष 2010-11 में पूर्ण किया गया।

उक्त विधान सभा क्षेत्र स्थित अम्बेडकर नगर विभागीय परिसर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 01 आर.सी.सी. उच्च जलाशय का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में पूर्ण किया गया।

(2) जी नहीं। उक्त वर्णित दोनों उच्च जलाशय वर्तमान में क्षतिग्रस्त नहीं हैं। इनमें से स्कीम नं. 2 स्थित विभागीय परिसर में निर्मित उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा अम्बेडकर नगर स्थित विभागीय परिसर में निर्मित उच्च जलाशय के बाटम डोम एवं कोनिकल वाल से पानी का रिसाव होने के कारण, इसका उपयोग माह जुलाई, 2019 के उपरांत पेयजल आपूर्ति में नहीं लिया जा रहा है।

उक्तानुसार दोनों उच्च जलाशय क्षतिग्रस्त नहीं होने के कारण, कोई जांच की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) शहर के अम्बेडकर नगर स्थित विभागीय परिसर में निर्मित उच्च जलाशय से उक्तानुसार पानी का रिसाव होने के कारण, इस उच्च जलाशय के मरम्मत कार्य हेतु एम.एन.आई.टी., जयपुर की जनपद अभियांत्रिकी विंग से आवश्यक राय ली जा रही है।

चौरासी में नवीन लैम्पस

382. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी अनुसूचित क्षेत्र बिखरी ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्री राजकुमार रोत)

आता है? ग्रामीण क्षेत्रों में नये लेम्पस खोलने के क्या मानदण्ड़ हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से जनवरी, 2021 तक कितने लेम्पस के प्रस्ताव आये व कितने लेम्पस स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लेम्पस खोलने के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में नये लेम्पस खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अनुसूचित क्षेत्र बिखरी ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नये लेम्पस खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2018 से जनवरी, 2021 तक 5 लेम्पस के प्रस्ताव आये और सभी 5 लेम्पस की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जो निम्नानुसार है-

1. भेसरा छोटा
2. सेण्डोला
3. बोडामली
4. झलाई
5. गोरादा

(3) जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 में पैक्स/लेम्पस गठन के मानदण्डों में शिथिलता प्रदान की गई है, जिसकी अनुपालना में पैक्स/लेम्पस गठन के मानदण्डों में विभागीय परिपत्र दिनांक 26.09.2011 एवं 11.07.2013 (जैसलमेर हेतु) में संशोधन करते हुए 500 सदस्यों के स्थान पर 300 सदस्य एवं रु. 5.00 लाख हिस्सा राशि के स्थान पर रु. 3.00 लाख हिस्सा राशि के दो विभागीय आदेश दिनांक 11.03.2022 को जारी किये जा चुके है।

निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई लेम्पस का गठन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ में कस्टमर हायरिंग सेन्टर

383. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा लघु व सीमांत किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से सस्ते किराये पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने की महती योजना के तहत जिला हनुमानगढ़ में कोई कस्टमर हायरिंग सेन्टर स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में स्वीकृत उक्त केन्द्रों का तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कस्टमर हायरिंग सेन्टर्स को कुल कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है व कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में कस्टमर हायरिंग सेन्टर योजनान्तर्गत गत 2 वर्षों में स्वीकृत केन्द्रों की सूची तहसीलवार निम्नानुसार है-

क्र.सं.	तहसील	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वीकृति वर्ष
1	भादरा	उज्जलवास	2020-21
2	भादरा	घेउ	2020-21
3	भादरा	करणपुरा	2020-21
4	भादरा	अनूपशहर	2020-21
5	हनुमानगढ़	नवां	2021-22
6	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ जक्शन मल्टीपरपज समिति	2021-22
7	नोहर	परलिका	2021-22
8	नोहर	फेफाना	2021-22
9	पीलीबंगा	गोलूवाला निवादान	2021-22
10	संगरिया	रतनपुरा	2021-22
11	टिब्बी	बशीर	2021-22
12	टिब्बी	1 एसआरडब्ल्यू	2021-22

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कस्टमर हायरिंग सेन्टर की राशि जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

खानपुर में डीलरों को गेहूं का पुनर्भरण

384. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत वर्ष बाढ़ में कितने डीलरों के गेहूं पानी में डूबने से खराब हुए?

(2) क्या सरकार उक्त गेहूं का डीलरों को पुनर्भरण करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत वर्ष की बाढ़ में 7 राशन डीलरों के गेहूं पानी में डूबने से खराब हुए हैं।

(2) उक्त बाढ़ में भीगे हुए गेहूं को उपयोग में लिये जाने के संबंध में नमूने (सैम्पलिंग) लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

उपखण्ड अधिकारी, करौली व हिण्डौन में खाद्य सुरक्षा की अपीलें

385. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का अपीलीय अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दिया गया है? यदि हां, तो उपखण्ड अधिकारी करौली व हिण्डौन के पास वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में कितनी अपीलें आयीं व कितने नाम जोड़े गए तथा कितनी अपील अस्वीकार की गयीं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार का खाद्य सुरक्षा पोर्टल विगत दो वर्षों से बंद है? यदि हां, तो क्यों व यदि नहीं, तो उक्त सूची में नाम नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड अधिकारी करौली व हिण्डौन के पास वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में प्राप्त, स्वीकृत एवं निरस्त अपीलों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019, 22.04.2020, 25.08.2020, 20.07.2021, 29.12.2021, 16.02.2022 से अ.शा. पत्र लिखे गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संगरिया में सी.एस.आर के कार्य

387. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि व्यय करने हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं?

(2) जिला हनुमानगढ़ में कुल कितनी कम्पनियां हैं, जो सीएसआर के दायरे में आती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्पनियों द्वारा विगत तीन वर्षों में सीएसआर के तहत विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कौन-कौन से कार्य करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देश में सीएसआर के क्रियान्वयन हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (एनेक्सर-1) लागू किये गये हैं जिसके अनुसार सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत उस कम्पनी की सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शेडयूल-VII (एनेक्सर-2) में सम्मिलित गतिविधियों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(2) कार्यालय में उपलब्ध सूचनानुसार हनुमानगढ़ जिले में संचालित कोई भी कंपनी सीएसआर के दायरे में नहीं आती है।

(उद्योग मंत्री)

(3) खण्ड-2 के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में संचालित कोई भी कंपनी सीएसआर के दायरे में नहीं आने की वजह से सीएसआर के तहत कार्य नहीं कराये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में संचालित औद्योगिक इकाइयां

388. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जाखानगर रीको इंडस्ट्रीज एरिया व अणगोर इंडस्ट्रीज एरिया में कितनी-कितनी इकाइयां संचालित हैं व कितनी बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जाखानगर व अणगोर रीको इंडस्ट्रीज एरिया में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार उक्त की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में ढोला व सांडेराव में नये रीको इंडस्ट्रीज एरिया स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने बीघा भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर (जाखामाता) दिनांक 01.05.1983 को विकसित घोषित किया गया था। इस औद्योगिक क्षेत्र में 146 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित हैं, जो कि 115 इकाइयों को आबंटित हैं। इन 115 औद्योगिक इकाइयों में से 105 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था तथा 10 औद्योगिक इकाइयों द्वारा दिनांक 15.02.2022 तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एक भूखण्ड के आबंटन के लिये प्रस्ताव पत्र जारी किया हुआ है। इन औद्योगिक इकाइयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

औद्योगिक सम्पदा सुमेरपुर (अणगोर) उद्योग विभाग से स्थानान्तरित औद्योगिक क्षेत्र है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 61 औद्योगिक इकाइयों को 79 भूखण्ड आबंटित हैं एवं सभी इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ

(उद्योग मंत्री)

कर दिया गया था। इन औद्योगिक इकाइयों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् उत्पादन बन्द कर देने वाली औद्योगिक इकाइयों के संबंध में सूचना रीको द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(2) जाखानगर नाम का कोई रीको औद्योगिक क्षेत्र नही है। सुमेरपुर शहर में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर है। जाखामाता मन्दिर के पास होने के कारण प्रचलन में इसको जाखामाता औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। सुमेरपुर में ही उद्योग विभाग से हस्तांतरित औद्योगिक सम्पदा है जिसको अणगोर ग्राम में स्थित होने के कारण प्रचलन में इसको औद्योगिक सम्पदा अणगोर बोला जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर और औद्योगिक सम्पदा सुमेरपुर की सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करवाने हेतु दिनांक 09.02.2022 को रुपये 9.91 लाख की निविदा जारी की जा चुकी है, जिनकी स्वीकृति पश्चात सड़कों की मरम्मत का कार्य करवा दिया जावेगा। औद्योगिक सम्पदा सुमेरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य हेतु शीघ्र ही निविदा जारी कर सड़कों की मरम्मत का कार्य करवा दिया जावेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क मरम्मत एवं रखरखाव हेतु रु. 15.00 लाख की राशि एवं औद्योगिक सम्पदा सुमेरपुर में सड़क मरम्मत एवं रखरखाव हेतु रु. 3.50 लाख की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र सुमेरपुर हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति के मद में रुपये 30.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक ब्लाक में 990 मीटर लंबाई में नई सड़क का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन पश्चात् दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कें दुरूस्त हो जायेंगी।

(3) जी हां। ढोला जागीर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र ढोला जागीर के विकास हेतु प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 2670.19 लाख की दिनांक 23.11.2021 को जारी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सर्वे, डिमार्केशन, रोड एवं पुलिया निर्माण हेतु कार्यादेश रुपये

(उद्योग मंत्री)

2,06,27,020.15 का दिनांक 05.01.2022 को जारी किया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा जिला कलक्टर, पाली के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.12(3)( )आवंटन/राज./14/3391 दिनांक 20.07.2015 द्वारा ग्राम साण्डेराव द्वितीय, तहसील सुमेरपुर की 52.14 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित भूमि में से कुछ भाग कृषि उपज मण्डी को आबंटित की जा चुकी है। शेष 36.14 हैक्टेयर भूमि आबंटन से शेष है। रीको को भूमि आबंटन होने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा सकेगी। इसी प्रकार कोलीवाड़ा तहसील सुमेरपुर में भी नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए रीको के पक्ष में 38.2508 हैक्टेयर भूमि आबंटित करने हेतु जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 04.01.2022 को राजस्व विभाग को लिखा गया।

कोटा संभाग में नई बसों का संचालन

389. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय, परिवहन सेवा से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में कोटा संभाग में कितनी बसें नई चलाई गईं व कितने रूटों पर बसों का संचालन बन्द कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में निजी परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

जिला कोटा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्षों में कोटा संभाग में निगम द्वारा संचालित की गई नई बसों का विवरण परिशिष्ट "3" पर एवं बंद की गई बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(3) निगम के सीमित संसाधनों के कारण दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वर्तमान में संचालित निगम वाहनों के अतिरिक्त निगम की अन्य वाहन सेवा का संचालन प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मनोहर थाना में बंद रोडवेज बसों का पुन: संचालन

390. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की कितनी ग्राम पंचायतें परिवहन सुविधाओं से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में किन-किन मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन किन-किन कारणों से बंद कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नई बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन जिला झालावाड़ के विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में निजी परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट ''1" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की परिवहन सुविधा से वंचित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट ''2" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में बन्द की गई निगम बसों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट ''3" पर संलग्न है।

(3) निगम के सीमित संसाधनों के कारण दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वर्तमान में संचालित निगम वाहनों के अतिरिक्त निगम की अन्य वाहन सेवा का संचालन प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

391. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामप्रसाद)

(1) एम.एस.एम.ई. भिवाड़ी एवं सीपेट जयपुर जैसे संस्थानों में कितने अनुसूचित क्षेत्र के ST एवं SC युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग व सीएनसी मशीनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है? जिलेवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक कितने ST युवाओं को अनुसूचित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है? जिलेवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एम.एस.एम.ई. भिवाड़ी जिला अलवर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के 3 जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया गया था किन्तु कोविड - 19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द कर दिया गया था। इस प्रकार एम.एस.एम.ई. भिवाड़ी द्वारा एक भी जनजाति युवा को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है। एम.एस.एम.ई. से प्राप्त पत्र परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सीपेट, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के कुल 29 जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 25 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के कुल 9,583 जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार इनमें से 4,916 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बहरोड़ में 33 के.वी. के जी.एस.एस.

392. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2018 से 2021 के मध्य कितने नये 33 केवी जीएसएस बनाये गये हैं तथा कितने नवीन ट्रांसफार्मर लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश में किसानों को दिन के 2 ब्लाक में बिजली उपलब्ध करवाई जावेगी? यदि हां, तो क्या जिला जयपुर में किसानों को दिन के 2 ब्लाक में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2018 से 2021 के मध्य कोई नया 33/11 केवी सब-स्टेशन नहीं बनाया गया है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्थापित सब-स्टेशनों पर कुल 8 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 3.15 एम.वी.ए. से 5.00 एम.वी.ए. की गई है तथा तीन सब-स्टेशन पर अतिरिक्त 3.15 एम.वी.ए. क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट ''अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। बजट घोषणा 2020-21 में प्रदेश के किसानों को चरणबद्ध तरीके से विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण कर दिन के दो ब्लाक में कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। जयपुर जिला द्वितीय चरण में सम्मिलित है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जयपुर जिले में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है तथा माह अप्रैल, 2022 से दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पचपदरा में नवीन जी.एस.एस.

393. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए 33/11 केवी व 132 केवी के नये सब ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बालोतरा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये जीएसएस खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत निगमों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विद्युत तंत्र पर उपलब्ध व आवश्यक भार के अनुरूप नवीन विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु समय-समय पर प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं जिसके तहत विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नवीन 33/11 केवी के कुल 11 सब-स्टेशन तथा 132 केवी के एक ग्रिड सब-स्टेशन का प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है। नामवार विवरण परिशिष्ट ''अ" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) जी हां। बालोतरा शहरी क्षेत्र में पचपदरा रोड बाईपास, तृतीय रेलवे फाटक व क्षत्रियों का मोर्चा तथा बालोतरा ग्रामीण क्षेत्र में सिणली जागिर, सूरसिंह का ढाणा में नवीन 33/11 केवी सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है। इनके आर्थिक व तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर नियमानुसार स्वीकृति जारी कर निर्माण संबंधी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडनूं के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

394. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कितने राजकीय आयुर्वेद औषधालय हैं तथा उक्त औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में 01 चिकित्सालय एवं 12 औषधालय, कुल 13 चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं।

उक्त चिकित्सालय/औषधालय में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारी - विभागीय सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों में संशोधन उपरान्त नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिचारक - रिक्त पदों पर संविदा एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 01

माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 5 में उल्लिखित सूची का विवरण

I. गुन्दली (किशनगढ़)-अजमेर; फागणियां, गेणियां (गंगरार)-चित्तौड़गढ़; डाहर (चाकसू)-जयपुर व खुमानपुरा (खमनोर)-राजसमंद में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

II. उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाना व नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं-

उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

भादला, साधाखर, आडसर (नोखा), नगरासर (बज्जू)-बीकानेर; हरपालिया (चौहटन)-बाड़मेर; भगवाड़ा (मांगरोल)-बारां; बड़ी सरवा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा; बरखेड़ा (वैर), न्योठा (नदबई)-भरतपुर; हु ड़ला, हिंगोटा (महवा), काली पहाड़ी, बनियाना, लाहड़ी का बास-दौसा; मंडोर (फागी), निमेना, बैसावा (जोबनेर), काशीपुरा, लालगढ़ (बस्सी), गोविंदपुरा धाबाई (विराटनगर)-जयपुर; सिलासन (रानीवाड़ा)-जालौर; मंडला कलां (लोहावट), पाल (लूणी), दईजर (मण्डोर)-जोधपुर; भामरवासी (चिड़ावा), लालपुर-झुन्झुनूं; खुईयाला (सम), खींया -जैसलमेर; निनाण (भादरा)-हनुमानगढ़; गोविन्दी (नावां), भींचावा (मकराना), दधिमती (जायल)-नागौर; कोशीवाड़ा (खमनोर)-राजसमंद; काछवा (नेछवा), बठोठ (लक्ष्मणगढ़), रामपुरा, कांसरडा, कोटड़ी धायलान (खंडेला)-सीकर व चकेरी, खिलचीपुर-सवाई माधोपुर।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

ककराली, पूनखर-अलवर; सत्तासर (खाजूवाला), अमरपुरा, तलाई (पूगल), गोसाईसर (डूंगरगढ़)-बीकानेर; कनाना (पचपदरा), बीजराड (शिव)-बाड़मेर; सजनाबाद (आसींद), बरडोद (सहाड़ा)-भीलवाड़ा; बंजारी (छबड़ा)-बारां, घाटका बराना-बूंदी; सिमसिया (रतनगढ़), बायला, आसपालसर (सरदारशहर)-चूरू; बसई; भालोजी (कोटपूतली), पीपला (माधोराजपुरा), जाटावाली (चौमूं)-जयपुर; पालासनी (बिलाड़ा)-जोधपुर; शीलगांव, करणू (खींवसर)-नागौर; गोठरा, डाबरा, चंदेलीपुरा (सपोटरा), गुनेसरा, खेड़िया-करौली; दरियाटी, सरथुना (चौरासी)-डूंगरपुर; कोट सोलंकियान (देसूरी)-पाली; डूमरा, कसेरू (नवलगढ़)-झुन्झुनूं; बिहार (नीमकाथाना)-सीकर; पीपलवाड़ा, पीलू खेड़ा (बामनवास)-सवाई माधोपुर; देवली (उनियारा), सिरोही (निवाई)-टोंक व ढिकवास (खेरवाड़ा), अग्गड़ (लसाड़िया)-उदयपुर।

III. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जो इस प्रकार है-

जखराना (बहरोड़)-अलवर; रेलावन (किशनगंज)-बारां; नमाना-बूंदी; पथैना (वैर)-भरतपुर, जोधियासी (जायल)-नागौर; दाउदसर (रतनगढ़)-चूरू; गढ़ (सिकराय), छारेड़ा-दौसा; रामगढ़ (आसपुर)-डूंगरपुर; ताला (जमवारामगढ़), साखून (दूदू)-जयपुर; झाझड़ (नवलगढ़)-झुन्झुनूं; सूरवाल (सवाई माधोपुर); टोडा (श्रीमाधोपुर), बीबीपुर (फतेहपुर)-सीकर व चावंड (सलूम्बर)-उदयपुर।

IV. भट्टा बस्ती-जयपुर में डिस्पेंसरी खोली जायेगी।

V. राजाखेड़ा-धौलपुर; श्रीकोलायत-बीकानेर; मांडल-भीलवाड़ा व नावां-नागौर में उप जिला चिकित्सालय खोले जायेंगे।

VI. लालसोट-दौसा; भीम-राजसमंद; सीकर व खण्डेला-सीकर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र शुरू किये जायेंगे।

VII. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर-जयपुर को सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VIII. गंगरार-चित्तौड़गढ़ में ट्रोमा सेंटर खोला जायेगा।

IX. ताऊसर-नागौर में आयुर्वेद औषधालय खोला जायेगा।

X. सदरी (लोहावट)-जोधपुर में होम्योपैथी औषधालय शुरू किया जायेगा।

परिशिष्ट 02

माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 16 में उल्लिखित सूची का विवरण

I. बिजयनगर, रूपनगढ़-अजमेर; नीमराना-अलवर; आनन्दपुरी-बांसवाड़ा; नाहरगढ़ (किशनगंज)-बारां; सिद्धमुख (सादुलपुर)-चूरू; पाल देवल-डूंगरपुर; आंधी (जमवारामगढ़), किशनगढ़ रेनवाल-जयपुर; टिब्बी, रावतसर-हनुमानगढ़; बुहाना-झुंझुनूं, रेवतड़ा-जालौर व कुराबड (वल्लभनगर)-उदयपुर।

II. कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं:-

बड़ौदा मेव-अलवर; सिवाना-बाड़मेर; केलवाड़ा (किशनगंज), छबड़ा-बारां; माण्डल-भीलवाड़ा; झालाटाला (वैर), डीग-भरतपुर; बस्सी-चित्तौड़गढ़; मरैना (राजाखेड़ा)-धौलपुर; गंगापोल-जयपुर: लोहावट-जोधपुर; पांचला सिद्धा (खींवसर)-नागौर; अलसीसर (मंडावा), मंड्रेला-झुंझुनूं, कटकड़-करौली; शिवगंज-सिरोही; मित्रपुरा (बामनवास)-सवाई माधोपुर व निवाई-टोंक।

III. जमवारामगढ़-जयपुर, राजगढ़-अलवर में नवीन विषय; बाली-पाली, फागी, विराटनगर-जयपुर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय व नावां-नागौर, होद (खण्डेला)-सीकर में विज्ञान संकाय सहित 50 महाविद्यालयों में नवीन संकाय एवं विषय प्रारम्भ किये जायेंगे।

IV. विराटनगर-जयपुर, पोकरण-जैसलमेर व सराडा (सलूम्बर)-उदयपुर सहित 25 महाविद्यालयों को पीजी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. संस्कृत महाविद्यालय, कोटकासिम-अलवर को नियमित राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।

परिशिष्ट-03

माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 41 में उल्लिखित सूची का

क्र. सं.	सड़क	लागत
1.	डिगोर राज्य राजमार्ग-62 से गजानंद चौराहा तक सड़क (मारवाड़ जंक्शन)-पाली	11 करोड़ रुपये
2.	कुचामन, हिराणी, भांवता, इंदौखा, कांकरिया, भूणी, मुआना, राजलिया, सुरेरा सड़क (नागौर)	40 करोड़ रुपये
3.	धरियावद-सलूम्बर-बेड़ावल एमडीआर-12बी सड़क (प्रतापगढ़, उदयपुर)	14 करोड़ रुपये
4.	करड़ रेनवाल सड़क से दांतारामगढ़ वाया मुण्डली, सेप्टों की ढाणी, मीणों की ढाणी सड़क का निर्माण-सीकर	1 करोड़ 94 लाख रुपये
5.	बरसलपुर ब्रांच के समानान्तर सड़क (48 किलोमीटर)-बीकानेर	24 करोड़ रुपये
6.	देहली गेट चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण-उदयपुर	30 करोड़ रुपये
7.	स्टेट हाईवे पुनरुद्धार एवं मरम्मत-रामगढ़ से गोविन्दगढ़ हाईवे (रामगढ़)-अलवर	9 करोड़ रुपये
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 पाट-आमझरिया तक सड़क (चित्तौड़गढ़)	3 करोड़ 23 लाख रुपये
9.	केसुन्दा से भाटखेड़ा सड़क-चित्तौड़गढ़	13 करोड़ रुपये
10.	बिजवामाता मेन रोड़ रघुबावसी से बोडका तक सड़क (आसपुर)-डूंगरपुर	5 करोड़ रुपये
11.	देवदा से नारणावास सड़क (आहोर)-जालौर	2 करोड़ 40 लाख रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
12.	देवता-छरदड़ा-बखराना-चिमनपुरा-निहालपुर -बड़िवा वाली ढाणी (एमडीआर) तक सड़क (कोटपूतली)-जयपुर	8 करोड़ रुपये
13.	बालासिन्दुर से पाडला (शक्करवाडा एवं चनावला) पुलिया निर्माण (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा	8 करोड़ 50 लाख रुपये
14.	डूंगरपुर से देवसोमनाथ (शिवजी मन्दिर) तक सड़क (डूंगरपुर)	15 करोड़ रुपये
15.	खिरणी (हरसोता) एमडीआर 223 से काकरिया जिला बोर्डर सवाई माधोपुर वाया मामडोली-झनून-पीलूखेड़ा-कांकरिया तक सड़क (29 किमी.) (बामनवास)-सवाईमाधोपुर	33 करोड़ 25 लाख रुपये
16.	बामनवास से दांतासूती जिला सीमा तक वाया बडीला ठिकरिया तक सड़क (18.75 किमी.) (बामनवास)-सवाईमाधोपुर	22 करोड़ रुपये
17.	डहरा से नदबई फोर लेन सड़क मार्ग (9 किमी.) (नदबई)-भरतपुर	20 करोड़ रुपये
18.	बाखासर रोड से सरूपे का तला तक सड़क (चौहटन)-बाड़मेर	16 करोड़ 50 लाख रुपये
19.	बालूखाल से अमलावदा अली वाया मौखमपुरा एमडीआर 267 तक सड़क (7.50 किमी.) (अन्ता)-बारां	24 करोड़ रुपये
20.	कुलथाना से जाजली-भावगढ़-चुपना-कोटड़ी -जीरावता-भचुण्डला-सेवना-सालमगढ़ तक सड़क (50 किमी.)-प्रतापगढ़	50 करोड़ रुपये
21.	बीबासर से बाबा गुलाबगिरी स्थल तक सड़क-झुन्झुनूं	2 करोड़ 60 लाख रुपये
22.	रामगढ़ पारडाथुर खलील तक सड़क - डूंगरपुर	4 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
23.	कनोडिया से बोसी तक सड़क (आसपुर)-डूंगरपुर	2 करोड़ रुपये
24.	हनुमान परोलिया से सगडिया तक सड़क (3 किमी.) (आसपुर)-डूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
25.	बलीचा सीमा से तेजात फला माडविया तक सड़क-डूंगरपुर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
26.	एस.एच. 55 से रायपुर-महंगोर-चैनपुरा-दारोलाई-प्रतापगढ़ अलवर सीमा तक सड़क (23.50 किमी.) (जमवारामगढ़)-जयपुर	15 करोड़ 50 लाख रुपये
27.	नायला से राहोरी-पापड-जमवारामगढ़-नरपतियावास-नांगल तुलसीदास-बासना तक सड़क (जमवारामगढ़) - जयपुर	25 करोड़ रुपये
28.	स्टेट हाईवे 52 से पडाक छापली तक सड़क (थानागाजी)-अलवर	60 लाख रुपये
29.	महंगी भावनी रोड से नटाटा-जैतपुर-चौकीवाला कालैड-टिगरिया-मोरडी का घाटा -जोगियों की ढाणी-बामनवास चौगान तक सड़क (थानागाजी)-अलवर	15 करोड़ 20 लाख रुपये
30.	कोंडर मोड से मासलपुर तक सड़क- करौली	48 करोड़ रुपये
31.	तीन बड से वाया मेडिकल कालेज व ग्राम भीकमपुरा तक सड़क-करौली	22 करोड़ रुपये
32.	सुखसिंह का बास से हमीरपुरा वाया चौपड़ा की ढाणी तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला)-सीकर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
33.	पिपलीवाली ढाणी से सुन्दरदास बाबा वाया करोई केरपुरा तक सड़क (5 किमी.) (खण्डेला)-सीकर	2 करोड़ रुपये
34.	लाखनी मोड़ से सोथलिया वाया पावंडा की ढाणी तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला)-सीकर	2 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
35.	गिरधारी सिंह का बास से ज्ञानपुरा तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला)-सीकर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
36.	फतेहपुरा से निमेड़ा-खदुन्दरा तक सड़क (8 किमी.) (खण्डेला)-सीकर	2 करोड़ 60 लाख रुपये
37.	भगवानपुरा चौराहा-करेड़ा-निम्बाहेड़ा जाटान सड़क (भीलवाड़ा)	12 करोड़ 40 लाख रुपये
38.	शिवनगर-भोजनगर, खिरोड-मीलों का बास-भगेरा-घोडीवारा से सांगासी मांडासी-नोजी की ढाणी श्यामपुरा-देवगढ़ नूआं, तोगडा-शिशिया -डाबड़ी बलोदा-देलसर, चेलासी से जुजूसर वाया जेलदार कुआं-कुमावास सड़क निर्माण (नवलगढ़)-झुंझुनूं	21 करोड़ रुपये
39.	हंसास-भालोठ-चूडिना सड़क निर्माण (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	22 करोड़ रुपये
40.	डाबिच से डीडावता सड़क (माधोराजपुरा)-जयपुर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
41.	कासिर से गोठियाना तक सड़क (किशनगढ़)-अजमेर	2 करोड़ 80 लाख रुपये
42.	सुनगर से निमोठा सड़क (4 किलोमीटर) (केशोरायपाटन)-बूंदी	3 करोड़ 30 लाख रुपये
43.	बलकासा से ओहडी (5 किलोमीटर) (केशोरायपाटन)-बूंदी	3 करोड़ 90 लाख रुपये
44.	जालौर से बागरा 4 लेन डिवाइडर का निर्माण (18 किलोमीटर)-जालौर	53 करोड़ 22 लाख रुपये
45.	सूरजपुरा चौराहा से कपासन तक 12 किलोमीटर सड़क का दोहरीकरण-चित्तौड़गढ़	10 करोड़ 80 लाख रुपये
46.	जोगरास से पांसल (रायपुर सुवाणा)-भीलवाड़ा	42 करोड़ रुपये
47.	बाबई से मोतीनगर सडक मय पुलिया (केशोरायपाटन)-बूंदी	3 करोड़ 40 लाख रुपये
48.	सरमथुरा से नादनपुर के मध्यम पुल निर्माण (बसेड़ी)-धौलपुर	10 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
49.	भादरा से आदमपुर सड़क-हनुमानगढ़	35 करोड़ रुपये
50.	मलसीसर से टमकोर सड़क (मंडावा)-झुंझुनूं	16 करोड़ रुपये
51.	नवलगढ़ से बीबासर 30 किलोमीटर सड़क (नवलगढ़)-झुंझुनूं	41 करोड़ 67 लाख रुपये
52.	गुढ़ा चन्द्रजी से बिन्दौरी के बालाजी (टोडाभीम)-करौली	2 करोड़ 20 लाख रुपये
53.	बागोली से ठिकरिया वाया गुहाला कोठरी एमडीआर-276 सड़क (खण्डेला)-सीकर	40 करोड़ 30 लाख रुपये
54.	शहीद चूनाराम स्मारक-पचारों की ढाणी-बाबा बोगन पीर धाम अलखपुरा बोगन-लोठ स्मारक बठोठ तक सड़क-सीकर	10 करोड़ 24 लाख रुपये
55.	अलखपुरा गोदारान-अंजनी माता मंदिर जुलियासर वाया दिनवा जाटान-धाननी-भगासरा पूर्व तक सड़क-सीकर	10 करोड़ 8 लाख रुपये
56.	राज्य राजमार्ग-48 रानी छाणी 2 लेन सड़क निर्माण (खैरवाड़ा)-उदयपुर	41 करोड़ 14 लाख रुपये
57.	देवीसागर-दांतीणा-अखासर (वाया कटारियों की ढाणी)-रोहिड़ा डेर-झाडेली-धोलियाडेर-तुरकीया नाडा (वाया डुडियों, रावों, जाखड़ों व कुन्दणों की ढाणी)-उन्ना नाड़ी तक सड़क का निर्माण-नागौर	20 करोड़ रुपये
58.	इन्दावड़-खाखड़की-गेमलियावास-समन्दोलाव-डुकिया-चून्दिया-चावण्डिया-जैसास-लाम्पोलाई सड़क तथा मिसिंग लिंक सड़क -नागौर	20 करोड़ रुपये
59.	लाम्बिया से देवगढ़ (मांडल) - भीलवाड़ा	5 करोड़ 2 लाख रुपये
60.	धनूरी से लूट्‌ (मंडावा)-झुंझुनूं	10 करोड़ रुपये
61.	मानवास से लॉज डोईवाली (नारायणपुर)-अलवर	3 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
62.	खरखड़ी से ढाणी खटिकान से बुर्जा की आखिरी ढाणी (नारायणपुर)-अलवर	1 करोड़ 75 लाख रुपये
63.	ठेकला की ढाणी से बाढ़ वाला की ढाणी तक होते हुए स्टेट हाईवे 52 तक (थानागाजी)-अलवर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
64.	नगला वीधौरा (बाड़ी) से बसेड़ी के मध्य नदी पर पुल-धौलपुर	25 करोड़ रुपये
65.	बाड़ी-बसेड़ी मुख्य सड़क के नहर के किनारे होते हुए ग्राम कुहावनी से डबोकपुरा व हुसैनपुरा तक सड़क (बाड़ी)-धौलपुर	4 करोड़ 47 लाख रुपये
66.	बास परसा से देवमड ढाणी मित्रपुरा सड़क वाया करो की ढाणी बैरवा बस्ती तक सड़क (बामनवास)-सवाई माधोपुर	6 करोड़ 50 लाख रुपये
67.	डोकन से जीलो वाया भतरों कालाकोटा सड़क (नीमकाथाना)-सीकर	5 करोड़ 2 लाख रुपये
68.	ग्राम हाड़ी खुर्द से राय रामपुरा सड़क-टोंक	1 करोड़ 50 लाख रुपये
69.	अलवर-बहरोड़ सड़क एसएच-14 से जागूवास (अलवर)	1 करोड़ 20 लाख रुपये
70.	बरडोद से जलालपुर सड़क-अलवर	1 करोड़ रुपये
71.	महाराजवास से कोहराना सड़क (बहरोड़)-अलवर	30 लाख रुपये
72.	जैतपुरा से सिरसोखुर्द से मध्यप्रदेश सीमा तक (किशनगंज)-बारां	60 करोड़ रुपये
73.	मंडरायल से करौली के सांकरा मोड़ से शिकारगंज तक सड़क (सपोटरा)-करौली	22 करोड़ रुपये
74.	रामनगर के हाईवे से मंगाल तक सड़क-बूंदी	2 करोड़ 50 लाख रुपये
75.	सूनगर से निमोठा तक सड़क-बूंदी	3 करोड़ 30 लाख रुपये
76.	मांगता-शौभाला-उड़ासर-जैतमाल फांटा-सनावड़ा गुढ़ा (गुड़ामलानी)-बाड़मेर	14 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
77.	सरणू-चिमनजी-निम्बलकोट-आडेल-धोलानाड़ा-नगर सड़क (गुड़ामलानी)-बाड़मेर	25 करोड़ रुपये
78.	प्रतापगढ़ से वरमंडल-गरदोड़ा-कल्याणपुरा-मचलाना-बड़ोदिया-बागलिया मध्यप्रदेश सीमा तक (40 किमी.)-प्रतापगढ़	40 करोड़ रुपये
79.	रोटेदा से मंडावरा तक सड़क चौड़ाईकरण (पीपल्दा)-कोटा	12 करोड़ रुपये
80.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 से मण्डा-खाटू (दांतारामगढ़)-सीकर	11 करोड़ रुपये
81.	हामूसर से सिकराली (सरदारशहर)-चूरू	1 करोड़ 30 लाख रुपये
82.	बरजांगसर से गोलसर (सरदारशहर)-चूरू	2 करोड़ रुपये
83.	सेहला से दाउदसर (रतनगढ़)-चूरू	1 करोड़ 24 लाख रुपये
84.	तोलियासर से खुड़ी (रतनगढ़)-चूरू	1 करोड़ 50 लाख रुपये
85.	गोपालगढ़ से कटीघाटी वाया पापड़दा चैनवाड़ा सड़क-भरतपुर	15 करोड़ रुपये
86.	वाण-कैलाशनगर सड़क से बिलेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण (2 किलोमीटर)-सिरोही	98 करोड़ रुपये
87.	कोटपुरा-बिचोला, परसोदा, लालू का पुरा, लाठवावाली माता, राधेपुरा, श्रीपाल की गढ़ी, कसियापुरा, बाजना, जवाहर का पुरा, दगरा, बरसला, खोड, पक्कापुरा से शंकरपुरा (27 किलोमीटर) (राजाखेड़ा)-धौलपुर	11 करोड़ रुपये
88.	विजयपुरा-बगराना-सुमेल में सड़कों के निर्माण (कुल 15 किलोमीटर) (बस्सी)-जयपुर	8 करोड़ रुपये
89.	लाडनूं में बस स्टैण्ड से अस्पताल-जावा बास से गोपालपुरा तक सड़क-नागौर	3 करोड़ रुपये
90.	बालेर से करणपुर तक सड़क (23 किलोमीटर) (सपोटरा)-करौली	23 करोड़ रुपये
91.	गुमान का बास से तारापुरा हवाई पट्टी सड़क कार्य (7 किलोमीटर)-सीकर	5 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 04

माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 52 में उल्लिखित सूची का विवरण

I. मनियां (राजाखेड़ा)-धौलपुर में 220 केवी सब-स्टेशन की स्थापना की जायेगी।

II. सोलह-सीकर एवं जावाल-सिरोही में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. माजरा ढाकोडा (बानसूर)-अलवर, डण्ड (खाजूवाला)-बीकानेर, कोनरा (चौहटन)-बाड़मेर, अमरगढ़ (माण्डल)-भीलवाड़ा, रामसिंहपुर पालकी, तेस्की (नगर)-भरतपुर, तांबाखेड़ी, कालरी (तारानगर)-चूरू, कुण्डेरा (सिकराय)-दौसा, कहारी (आसपुर)-डूंगरपुर, सिलासन (रानीवाड़ा)-जालौर एवं भोजासर, श्यामपुरा नूआ (मंडावा)-झुंझुनूं में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

IV. चिकानी-अलवर, दावेड़ा (आसपुर), पाल देवल-डूंगरपुर व बागोर (मांडल)-भीलवाड़ा, रामगढ़ पचवारा (लालसोट), बैजूपाड़ा-दौसा, रामगढ़ (रामगढ़-शेखावाटी)-सीकर, केलादेवी-करौली में सहायक अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, वैर-भरतपुर, जमवारामगढ़-जयपुर, सिकराय-दौसा व बौंली (बामनवास)-सवाई माधोपुर में अधिशासी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे।

परिशिष्ट 05

माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 73 में उल्लिखित सूची का विवरण

(1) भरतपुर व कोटपूतली-जयपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जायेंगे।

(2) राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नवलगढ़-झुंझुनूं को बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

(3) हरसोली (किशनगढ़बास)-अलवर, मतोडा (लोहावट)-जोधपुर एवं ईडवा (डेगाना)-नागौर के पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जायेंगे।

(4) पाडा (रैणी)-अलवर, फतेहगढ़ सल्ला-अजमेर, रामनगर-बूंदी व रिवाली, डाबर (बामनवास)-सवाई माधोपुर के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही नूरे की भुर्ज (फलौदी)-जोधपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

(5) मिलकपुर (रामगढ़)-अलवर, रोलिया (कपासन), गोवलिया (बेगूं)-चित्तौड़गढ़, कूपली, 30 ऐपीडी (रायसिंहनगर)-श्रीगंगानगर, हिंगोली (भोपालगढ़), मयाकोरिया (फलौदी), शेख नगर (बिलाड़ा)-जोधपुर व बरोल, कड़ीला (मालपुरा)-टोंक में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

परिशिष्ट-06

माननीय मुख्य मंत्री के उद्‌बोधन के पैरा संख्या 75 में उल्लिखित सूची का विवरण

(1) रणजीतपुरा (कोलायत)-बीकानेर, कसारवाड़ी (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा व बाघपुरा (झाडोल)-उदयपुर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

(2) पापड़दा (सिकराय), बैजूपाड़ा-दौसा, विवेक विहार (लूणी)-जोधपुर व घाटोल-बांसवाड़ा में पुलिस थाने खोले जायेंगे।

(3) खुमानपुरा (माण्डल)-भीलवाड़ा, सथूर, दुगारी (हिण्डोली)-बूंदी, बिजौली (बाड़ी)-धौलपुर, केशरियाबाद (धरियावद)-प्रतापगढ़ व पाणुन्द (वल्लभनगर)-उदयपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेगी।

परिशिष्ट-07

माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के पैरा संख्या 86 में उल्लिखित सूची का विवरण

(i) नवलगढ़-झुंझुनूं में मिनी सचिवालय की डीपीआर बनायी जायेगी।

(ii) बाली-पाली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोला जायेगा।

(iii) मूंडवा-नागौर, नयागांव (खेरवाड़ा)-उदयपुर, मौजमाबाद-जयपुर व सैंथल-दौसा में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे।

(iv) नाथद्वारा-राजसमंद में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (AC&EM) कार्यालय खोला जायेगा।

(v) सीकर व धोद तहसीलों का पुनर्गठन कर नई तहसील सीकर (ग्रामीण) बनायी जायेगी।

(vi) पाल देवल-डूंगरपुर व झंवर (लूणी)-जोधपुर में तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

(vii) हदां (कोलायत)-बीकानेर, खोह (नगर)-भरतपुर, पोटला (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, साखून (दूदू), दहलाला-जयपुर तथा मारोठ (नावां)-नागौर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

(viii) अजीतगढ़-सीकर एवं बड़ौदा मेव-अलवर को नगरपालिका बनाया जायेगा।

(ix) भनोखर (कठूमर), साहडोली-अलवर, मंडावर-दौसा व सीकरी (नगर)-भरतपुर को पंचायत समिति बनाया जायेगा।

(x) नावां-नागौर में टाउन हाल का निर्माण किया जायेगा।

(xi) कठूमर, रामगढ़-अलवर, सुजानगढ़-चूरू, सुल्तानपुर-कोटा व जायल-नागौर में अधिशासी अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) कार्यालय खोले जायेंगे।

(xii) सलूम्बर-उदयपुर में जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।